(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 2] षष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

बृहस्पतिवार,

दिनांक 8 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

जयपुर में आवासन मण्डल के मकानों का पंजीयन

31. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार) व श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में सन् 1973 में कितने लोगों ने आवासन मण्डल के मकानों के लिए अपने नाम पंजीकृत कराये ? इनमें से कितने लोगों को मकान आवंटित कर कब्जा दिया गया है व कितने अभी प्रतीक्षा सूची में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 1973 में सामान्य रजिस्ट्रेशन के समय मंडल ने अपनी पुस्तिका में लिखा था कि जो लोग अपना नाम पंजीकृत करायेंगे व निर्धारित जमा राशि जमा करायेंगे उनको आवासन मंडल डेढ़ से तीन वर्ष के अन्दर मकान देने का प्रयत्न करेगा ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि 4 साल बीतने के बाद भी अभी तक 13 हजार से अधिक लोगों को मकान से वंचित रखना उनके साथ धोखा है ?

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन आवासन मन्त्री ने जनवरी, 1976 में सदन में एक प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया था कि अधिकांश पंजीकृत लोगों को 1976 व 1977 में मकान आवंटित किये जायेंगे ? यदि हां, तो 1976 व 1977 में 1973 के कितने पंजीकृत लोगों को मकान आवंटित किये गये ?

(5) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 1976 में अध्यक्ष, आवासन मण्डल ने घोषणा की थी कि यह प्रतीक्षा सूची दो साल के अन्दर समाप्त हो जायेगी ? यदि हां, तो क्या आवासन मण्डल अक्टूबर, 1978 तक शेष सभी लोगों को मकान

Page No 2

(२)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
आवंटित कर देगा ? यदि हां, तो कहां पर ?

(6) क्या आवासन मण्डल और नये मकानों के लिए पंजीकरण की योजना जयपुर शहर के लिए शुरू करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब ?

आवासन मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) :

(1) जयपुर शहर में सन् 1973 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 16,454 व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया। इनमें से 1,062 व्यक्तियों को मकानों का आवंटन कर दिया गया है और 1,028 व्यक्तियों को कब्जा दिया गया है। इस समय 11,941 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं। 3,451 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन फीस वापस ली है।

(2) सामान्य रजिस्ट्रेशन की पुस्तिका में यह लिखा गया है कि आवासन मंडल पंजीकृत व्यक्तियों को डेढ़ से तीन वर्षों के समय में मकान आवंटन करने का प्रयास करेगा।

(3) जी नहीं। प्रयास जारी है। जमीन उपलब्ध नहीं होने से ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई।

(4) तत्कालीन आवासन मंत्री ने जनवरी, 1976 में यह कहा था कि आवासन बोर्ड अपने पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध कराने के लिये प्रभावशील है। वर्ष 1976 एवं 1977 में अधिकांश पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध करवाने का बोर्ड का पूरा प्रयास रहेगा।

वर्ष 1976 की लाटरियों में जयपुर में 161 मकान आवंटित किये गये हैं, जिनमें से 23 मकान 1973 के पंजीकृत आवेदकों को आवंटित हैं। वर्ष 1977 की दोनों लाटरियां अभी निकलना शेष है। भूतपूर्व मंत्री की घोषणा नगर विकास न्यास द्वारा क्लार्क आमेर के सामने वाली जमीन एवं शूटिंग रेन्ज वाली जमीन बोर्ड को शीघ्र उपलब्ध कराने की थी जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी। इसी कारण मकान आवंटित कराने की दिशा में ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी।

(5) तत्कालीन आवासन मंत्री जो द्वारा जमीन उपलब्ध करा दिये जाने के आश्वासन पर तथा आवासन मंडल द्वारा 5000 मकान प्रतिवर्ष बना कर दिये जाने की क्षमता के आधार पर अध्यक्ष, आवासन मंडल द्वारा उक्त घोषणा की गई थी। जमीन प्राप्त करने की दिशा में निरन्तर प्रयास किये जाने के फलस्वरूप आशा है कि अब जमीन क्लार्क आमेर के सामने शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेगी। तत्पश्चात् आवासन मंडल द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(6) जी हां। आवश्यक भूमि उपलब्ध होने पर पंजीकरण योजना शीघ्र चालू की जायेगी।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं जनता पार्टी की सरकार और मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बोर्ड की जो धीमी गति है, क्या वे उससे संतुष्ट हैं ? जमीन का अलाटमेंट करने में देरी हुई है, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ

(श्री एच. एन. शर्मा)
आपका क्या रवैया है ? 11,941 व्यक्ति अभी तक प्रतीक्षा सूची में हैं, आप कोई निश्चित तिथि बता सकते हैं कि उनको कब तक आवास सुविधा दी जा सकेगी ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं भी कुछ सप्लीमेंट्रीज पूछना चाहता हूं।

पहला सप्लीमेंट्री यह है, मैंने 1973 के आंकड़े पूछे हैं और आप 1971 के आंकड़े बता कर वाहवाही की बात कर रहे हैं। 1973 के 16,454 व्यक्तियों में से चार वर्ष में आपने केवल 1062 व्यक्तियों को मकान उपलब्ध करवाये। 3,451 आदमियों ने तो तंग आकर अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीं। मैं समझता हूं कांग्रेस सरकार का निकम्मापन इससे साबित हो जाता है। जिसने किताब छापी और लाउड स्पीकर पर घोषणा की कि तीन साल में मकान दे देंगे, वह झूंठ साबित हुई।

दूसरा, आपने कहा कि जमीन नहीं मिली तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इसके लिये पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट जिम्मेदार है। यदि सरकार आज भी महसूस करती है कि यू. आई. टी. और हाउसिंग बोर्ड में समन्वय नहीं हो सकता; तो जिस प्रकार दिल्ली में डी. डी. ए. बनी हुई है, वैसी जयपुर के लिए भी जयपुर डवलपमेंट ऑथोरिटी बनाने के सम्बन्ध में क्या सरकार विचार कर रही है ?

1976 में आपने 1973 के पंजीकृत आवेदकों में से केवल 23 लोगों को मकान अलॉट किये। आपने कहा कि अभी भी 1977 के दो ड्रॉ होने बाकी हैं और दोनों ड्राज में 300 मकान अलाट करेंगे। इस प्रकार दो साल में 323 मकान आप अलाट करेंगे तो क्या पिछले मंत्री ने झूठे आश्वासन दिये और उसके आधार पर हाउसिंग बोर्ड ने भी झूठे आश्वासन दिये ?

जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि हम लोगों को रहने के लिये मकान देंगे। तो आप निश्चित तिथि बताएं कि कब तक इन लोगों को मकान मुहैया करा देंगे ?

इसके अलावा चार वर्ष से जयपुर के लिये नया रजिस्ट्रेशन नहीं खोला जा रहा है, यह कब खोला जायेगा ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह तो एक ही प्रश्न एक घंटे तक चलता रहेगा। इस प्रश्न का जवाब भी ठीक तरह से नहीं आ पायेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : निश्चित रूप से चलता रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। पहले पहले वाले प्रश्नों के उत्तर आने दीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। पहले पूछे गये प्रश्नों के उत्तर तो आने दीजिए। नियमों में प्रावधान यह है कि पहले पूछे गये प्रश्नों के उत्तर आ जायें सरकार की तरफ से उसके बाद ही दूसरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के जवाब तो आ नहीं रहे हैं और आप लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड (शेरगढ): अध्यक्ष महोदय, कल तो प्रश्न काल में 9 प्रश्न ही पूछे जा सके। आज मैं समझता हूं, जब एक ही प्रश्न पर इतने सप्लीमेन्ट्री पूछे जा रहे हैं तो एक प्रश्न में प्रश्न-काल समाप्त हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्नों के जवाब आ नहीं सकेंगे और यह लोग लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, पहले मंत्री महोदय से पहले पूछे गये सप्लीमेन्ट्रीज का जवाब आने दीजिए उसके बाद में दूसरे सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : वाह! क्या बात है महिला और आदमी दोनों ही साथ बोल रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अभी किशनपोल, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन है कि मकान अलाट होने में देरी और मकान बनने की कमी का मुख्य कारण यह रहा कि पिछले समय में यू. आई. टी. और हाउसिंग बोर्ड दोनों में तालमेल नहीं रहा। जब यू. आई. टी. हाउसिंग बोर्ड को जमीन उपलब्ध नहीं करा सकी तो हाउसिंग बोर्ड मकान कहां से बना कर देता? दोनों में ही तालमेल नहीं बैठ रहा था। होटल क्लार्क के पास जो जमीन थी वह हाउसिंग बोर्ड को देने की बात थी पर तालमेल नहीं बैठने से उसमें लगातार देरी होती गयी। अब हाउसिंग बोर्ड और यू. आई. टी. दोनों की मीटिंग की जा रही हैं और दोनों में तालमेल स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। यू. आई. टी. से जमीन उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। ज्यों ही जमीन उपलब्ध हो जावेगी हाउसिंग बोर्ड उस पर मकान बनाना शुरू कर देगा और मकान बनने पर लोगों को आवंटित किये जा सकेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सन् 1973 में लोगों ने मकान के लिए पैसे जमा कराये। सन् 1973 से 1977, चार साल तक क्या राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड और यू. आई. टी. में तालमेल भी नहीं बिठा सकी? अब और कितना समय लगेगा? आखिर यह मीटिंग की जा रही है, आप कह रहे हैं तो उन मीटिंग्स में क्या निर्णय लिया?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाली से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं कि सन् 1973 से लेकर 1977, चार साल तक तालमेल राज्य सरकार नहीं बैठा सकी तो तब तो कांग्रेस सरकार थी। हम तो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
कोशिश कर रहे हैं। वह यह बात कह रहे हैं कि चार साल तक क्या किया।

श्री खेतसिंह राठोड : ठीक है, ग्राप भी पांच साल तक तालमेल मत बैठाइये।

एक माननीय सदस्य : ग्रध्यक्ष महोदय, यह हाउसिंग बोर्ड ग्रौर यू. आई. टी. के तालमेल की बात सिर्फ जयपुर में ही नहीं राजस्थान में सभी जगह है·····

श्री अध्यक्ष : ग्राप स्थान ग्रहण करें। ग्रगर ग्रापको पूछना है तो ग्रलग से प्रश्न पूछें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, ग्राज स्थिति यह है कि हाउसिंग बोर्ड ने तो लोगों को मकान ग्रलॉट करा दिये लेकिन हमारे राज्य के सरकारी ग्रधिकारी श्री कातिल साहब ऐसे हैं जो कि उन लोगों से उन मकानों को 24 घंटे के ग्रन्दर ग्रन्दर मकान खाली करने के लिये कह रहे हैं। उसका कारण वह यह बता रहे हैं कि 16 ग्रादमियों को, जो कि हाई कोर्ट के हैं, हाउसिंग बोर्ड के वह मकान ग्रलॉट हो चुके हैं। यह कैसी विचित्र बात है कि मकान मालिक को ही मकान 24 घण्टे में खाली करने को कहा जा रहा है कि आप इसमें नहीं रह सकते क्योंकि यह मकान हाई कोर्ट के 16 ग्रादमियों को ग्रलॉट हो चुके हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, यह कहां तक उचित है? इसके लिये राज्य सरकार क्या कर रही है?

श्री ग्रोंकार लाल चौहान (ग्रटरू) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह लेक ग्रॉफ को-ग्रापरेशन नहीं था? लेक ग्रॉफ को-ग्रापरेशन होने का क्या कारण है? क्या इसके लिए कोई दूसरी मशीनरी नहीं बनायी जा सकती है?

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन्स का जवाब तो ग्राना ही चाहिये वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केवल मात्र जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी इस कारण से निर्माण कार्य नहीं हो सका। क्लार्क होटल के सामने वाली जमीन, जैसा मैंने निवेदन किया, यू. ग्राई. टी ग्रौर ग्रावासन बोर्ड, जैसी कि पिछली सरकार की जानकारी है, की जब जब मीटिंग हुई तो यह उन पर ही छोड़ दिया गया कि वे यह प्रश्न तय कर लें। इस कारण जमीन ग्रावंटित नहीं हो सकी ग्रौर मकान नहीं बन सके।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं ग्राया है। जिन लोगों को भवन ग्रावंटित कर दिये गये थे उन लोगों को ग्रसुरक्षित रख दिया गया है। दिये गये मकानों को उनसे छीन रहे हैं ग्रौर रहने वालों को कह रहे हैं कि 24 घंटे के ग्रन्दर सामान ले जाग्रो। जिन लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके मकान लिया उनको वहां से हटाया जाना कहां तक उचित है ग्रौर उसके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री ग्रोंकार लाल चौहान : क्या को-ग्राडिनेशन नहीं होने से जमीन ग्रलाट नहीं होगी?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : निश्चित रूप से मीटिंग होगी। जल्दी से जल्दी

Page No 6

(6)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
डिमार्केशन होगा और मकान बनाये जावेंगे और उसकी प्रक्रिया और तेज की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : सरकारी उत्तर पर्याप्त आ चुका है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपा करके बिराजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर शहर में डवलपमेन्ट ऑथोरिटी बनाने का विचार कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी ?

प्रश्न संख्या 32

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

कारागृह से रिहा होने वाली महिला बन्दियों के पुनर्वास की योजना

33. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कारागार में सजा की अवधि समाप्त कर जिन महिला बन्दियों को रिहा किया जाता है, उनमें से जिनके घर वाले एवं पीहर वाले अपने साथ नहीं ले जाते ऐसी महिला बन्दियों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार क्या जीवन यापन हेतु कोई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार सजा की अवधि समाप्त करने पर रिहा की जाने वाली महिला बन्दी का भविष्य अन्धकारमय होता है और वह उचित जीवन यापन हेतु पथभ्रष्ट होने को मजबूर हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकेगी ?

राज्य मंत्री कारागृह, (श्री विज्ञान मोदी) : (1) ऐसी महिला बन्दियों को राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे 'महिला सदन' में भेजे जाने की व्यवस्था है, जहां उन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने की व उनके पुनर्वास की आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(2) महिला सदन भेजने की व्यवस्था ऐसी सम्भावनायें समाप्त करने के लिये ही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, यह कहा गया कि महिला सदन के अन्दर ऐसी महिलाओं को भेज दिया गया। लेकिन यह गलत कहा गया है। जब जेल से ऐसी महिलायें निकलती हैं तो वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं। वे 'महिला सदन' में नहीं जाती हैं और हमारे पास आती हैं। यह भी कहा गया कि 'महिला सदन' में ऐसी महिलाओं को भेजने की व्यवस्था है लेकिन वहां पर ऐसी निकम्मी व्यवस्था है कि जेल की व्यवस्था से भी निकृष्ट है। उनके लिये कोई सुरक्षित

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
व्यवस्था नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसी महिलाओं के लिये सरकार कोई योजना बना रही है? मंत्री महोदय ने यह भी नहीं देखा कि ऐसी महिलाओं को रोजगार मिलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यह गलत बात है कि कोई उनके लिये व्यवस्था अभी है।

श्री विज्ञान मोदी : जिन महिलाओं को जेल से रिहा किया जाता है पीहर वाले या ससुराल वाले लेने आते हैं तो उनको सौंप दिया जाता है। महिला सदन की विस्तृत जानकारी समाज कल्याण विभाग से चाही जा सकती है।

श्री मूलचन्द डागा : महिला सदन में गयी या नहीं?

श्री खेत सिंह राठौड़ : अगर पीहर वाले भी पहुंच जायें और ससुराल वाले भी पहुंच जायें तो किसके सुपुर्द करेंगे?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनमें सुरक्षा की भावना तो पैदा करें। यह कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं है। सदन की गरिमा को ढीली न करें। इस प्रकार की महिलाओं के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं है अतः सरकार को उनकी सुरक्षा का भार लेना चाहिये। मैं खुद 'महिला सदन' की व्यवस्था देख कर आयी हूँ। रोटी बनाना, कपड़े धोना आदि कार्य कराये जाते हैं। कारागार के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि उनको यह कार्य सिखाया जाता है। रोटी बनाना और कपड़े धोना, यह तो जन्मजात ही सीख कर आती हैं। फिर क्या शिक्षा दे रहे हैं आप ऐसी महिलाओं को?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर माननीय खेत सिंह जी को देना चाहूंगा। पीहर वाले और ससुराल वाले कोई नहीं ले जाते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पीहर वाले और ससुराल वाले दोनों पहुंच जायं तो किसको सुपुर्द करेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सामाजिक व्यवस्था है। आप भी जानते हैं कि पीहर वाले और ससुराल वाले दोनों पहुंच जाते हैं तो हक किसका होता है। माननीय सदस्या ने जो यह भाव व्यक्त किये हैं कि इस तरह की महिलाओं के पुनर्वास के लिये कोई समुचित व्यवस्था की जाये––हमने इस पर गम्भीरता से विचार किया है। कई राज्यों को चिट्ठियां भी लिखी हैं कि अन्य राज्य सरकारें क्या व्यवस्था कर रही हैं। उसको देख कर जो भावनायें आपने व्यक्त की हैं, ऐसी महिलाओं का किस प्रकार से पुनर्वास किया जा सकता है उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

पंचायत समिति भीम का आडिट

34. **श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भीम पंचायत समिति की भीम पंचायत का आडिट बराबर होता रहा है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त पंचायत की बैठकों में कोरम बराबर होता रहा?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत भीम के द्वारा किये जाने वाले फैसलों व गति-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
विधियों से यहां के पंचायत पंचों को कोई जानकारी नहीं दी जाती थी ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। केवल वर्ष 1976-77 का ग्राडिट होना शेष है ?

(2) जी नहीं।

(3) पंचायत द्वारा जितने भी फैसले व कार्यवाही होती है वे सब कार्यवाही रजिस्टर में लिखी जाती है जिस पर पंचों के हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए जानकारी न दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री कौशल किशोर जैन : प्रश्न संख्या 35।

श्री अध्यक्ष : ग्रापको ग्रधिकार है ?

श्री कौशल किशोर जैन : जी हां। मुझे ग्रधिकार है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये ?

श्री दांते के सम्मान में भोज का ग्रायोजन

35. **श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा) [श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) की ग्रनुपस्थिति में] : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 13-8-76 को श्री भीमनाथ वाला ने बैंक के खर्चे से रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया के भूतपूर्व ग्रॉफिसर श्री दांते को किस प्रयोजन से ग्रामन्त्रित किया था ? क्या उनके सम्मान में भोज का ग्रायोजन किया गया था ? यदि हां, तो इस भोज में कितने व्यक्ति ग्रामंत्रित किये गये थे ?

(2) क्या इस भोज में ग्रतिथि नियंत्रण ग्रादेश का पालन किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस भोज में कुल कितना व्यय हुग्रा ग्रौर किस पार्टी को भुगतान कब किया गया ?

(4) क्या दि. 12-11-76 को भी बैंक की ग्रोर से इसी प्रकार का भोज किया गया था ? यदि हां, तो किस के सम्मान में ? कुल कितना व्यय हुग्रा ग्रौर किन-किन को ग्रामन्त्रित किया था ? दोनों भोजों का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी नहीं। रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया के भूतपूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री सी. डी. दांते को दिनांक 13-8-76 को श्री भीमनाथ वाला ने बैंक के खर्चे से ग्रामंत्रित नहीं किया था लेकिन वे रिजर्व बैंक की ग्रोर से राजस्थान के दौरे पर ग्राये थे। उनके सम्मान में दिनांक 12-8-76 को रात्रि भोज का ग्रायोजन राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. की ग्रोर से किया गया था। इस भोज में 100 व्यक्तियों को ग्रामंत्रित किया गया था।

(2) जी हां। खाद्य विभाग से 100 व्यक्तियों के भोज हेतु लिखित ग्रनुमति प्राप्त कर ली गई थी जिसके ग्रन्तर्गत केवल 90 व्यक्ति ही भोज के समय सम्मिलित हुए थे।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) इस भोज में कुल 1790.50 पैसे व्यय हुए जिसका भुगतान मैसर्स ज्ञानचन्द ताराचन्द जैन को दिनांक 19–8–76 को किया गया।

(4) जी नहीं। केवल एक ही भोज दिया गया था, जिसमें आमंत्रित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखी गयी है। (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट '1' देखिये)

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 12-11-76 को, आपने कहा, दूसरा भोज नहीं दिया गया। बैंक से 1575 रुपये का भुगतान किया गया है दूसरे भोज के लिए। इसी प्रकार मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो अनुमति ली गई तो क्या बैंक के चैयरमेन, जो उस समय राजस्थान के गृह मंत्री थे, ने अपने पद का दुरुपयोग करके इसकी स्वीकृति दी ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो आपने 12–11–76 को भोज का खर्चा बताया है यह बैंक की ओर से नहीं किया गया है। इसलिए उस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। दूसरा आपने कहा है कि तत्कालीन गृह मंत्री ने पद का दुरुपयोग किया। अतिथि नियंत्रण कानून के तहत भोज केवल 25 व्यक्तियों को ही दिया जाता था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के उनको भोज देना था। उस समय डायरेक्टर मौजूद थे उनको भी सम्मिलित होना था। तो वह सारे मिलाकर 100 व्यक्ति होते थे इसलिए 100 व्यक्तियों को भोज देने की विशेष अनुमति दी गयी और उसके अनुसार भोज दिया गया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भविष्य में कोई रिजर्व बैंक के रिप्रेजेन्टेटिव आयेंगे तो क्या आप हिदायत देंगे कि उनको न तो जलपान कराया जायेगा और न भोज ही कराया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री खेतसिंह राठौड़।

आपातकाल में समाचार-पत्रों के लाइसेन्स कैन्सिल करने का आधार

36. श्री खेत सिंह राठौड (शेरगढ़) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितने समाचार पत्रों के रजिस्ट्रेशन लाइसेन्स आपातकालीन समय के दौरान कैन्सिल अथवा विदहोल्ड किये गये थे ?

(2) क्या अब सभी समाचार-पत्रों, जिनके लाइसेन्स कैन्सिल कर दिये गये थे, के लाइसेन्स वापस बहाल कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस प्रकार लाइसेन्स कैन्सिल करने के क्या कारण थे और अब बहाल करने के क्या कारण हैं ?

(4) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने दैनिक समाचार-पत्र राज्य में छपते हैं ? उन्हें विज्ञापन देने की क्या नीति है ? इसमें क्या परिवर्तन लाया जा रहा है ?

(5) राज्य सरकार का मुख्य दैनिक समाचार-पत्र कौनसा है ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्री महबूब अली): समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रेशन लाइसेन्स नहीं होते। समाचार-पत्रों के प्रकाशक/मुद्रक के घोषणा-पत्र जिला दण्डनायक द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय घोषणा-पत्रों से है तो उत्तर निम्न प्रकार से है :–

(1) आपातकालीन स्थिति के दौरान 773 समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं के घोषणा-पत्र निरस्त किये गये और 15 समाचार-पत्रों के घोषणा-पत्र निलंबित किये गये।

(2) जिन जिन समाचार-पत्रों के प्रकाशकों ने प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867 के तहत जिला दण्डनायकों के समक्ष घोषणा-पत्र दाखिल किये उनके घोषणा-पत्र सत्यापित कर दिये गये। जिन पत्रों के प्रकाशकों ने अभी तक जिला दण्डनायकों के समक्ष घोषणा-पत्र दाखिल नहीं किये उनके घोषणा-पत्र सत्यापित नहीं हुए हैं।

(3) जिला दण्डनायकों से प्राप्त सूचना के आधार पर जिन समाचार-पत्रों द्वारा प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया गया, उनके घोषणा-पत्र निरस्त किये गये। जिन पत्रों के प्रकाशकों द्वारा एक्ट के तहत घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये गये उन्हें सम्बन्धित दण्डनायकों द्वारा सत्यापित कर दिया गया।

(4) राज्य सरकार द्वारा किसी समाचार-पत्र को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा समाचार-पत्रों को राजकीय विज्ञापन नियम, 1962 के अन्तर्गत विज्ञापनों के लिए स्वीकृत सूची में शामिल किया जाता है और इन नियमों के अनुसार विज्ञापन दिये जाते हैं। इन नियमों में क्या परिवर्तन किये जाएं, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(5) राज्य सरकार का कोई मुख्य दैनिक समाचार-पत्र नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह घोषणा-पत्र जब सत्यापित किये जाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में खास तौर से इसमें रखा जाता है ? यह पहला प्रश्न है। दूसरे, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो यह निलम्बित किये गये थे इनके कुछ कारण होंगे, क्या अब वह कारण मिट गये थे जिनकी वजह से निलम्बन इनका समाप्त कर दिया गया है ?

श्री महबूब अली : जहां तक घोषणा-पत्र का संबंध है, कोई भी प्रकाशक या मुद्रक, जो कि अखबार निकालना चाहता है, के द्वारा डिक्लेरेशन का जो एक फार्म दिया गया है एक्ट के अन्तर्गत उसको भर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसे ले जाया जाता है और वह केवल उसको सत्यापित करता है। इसके अलावा और इसका कोई अभिप्राय नहीं होता। जो भी अखबार निकालना चाहे वह अपना टाइटल पहले प्रेस रजिस्ट्रार से ले लेता है और उसके बाद वह घोषणा-पत्र दे देता है। उसको किसी प्रकार से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। घोषणा-पत्र को केवल आथेन्टिक किया जाता है और उसके बाद रजिस्टरिंग आथोरिटी, जो कि नई दिल्ली या शिमला में है, को प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया

(श्री महबूब अली)
जाता है। इसके अलावा और कोई कार्य राज्य सरकार का नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ ऐसे समाचार-पत्र हैं जो कि रात दिन ब्लैक-मेल करते हैं और इसी में लगे रहते हैं। क्या उनको कैंसिल करने का या उनके खिलाफ और कोई कार्यवाही करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : क्या माननीय सदस्य ऐसे अखबारों के नाम बता देंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नाम तो अभी मेरे पास नहीं हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा।

श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंज मण्डी): आपातकाल के दौरान में जिन अखबारों का नुकसान हुआ है और पूरे 19 महीने अखबार बन्द रहे...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 25 मिनट हो गए और अभी चार प्रश्न भी समाप्त नहीं हुए। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ गुप्ता (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या जिलाधीशों ने इस धारा के अन्तर्गत अखबार बन्द कर दिये थे जो कि उसकी सीमा के अन्दर थे?

श्री महबूब अली : इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है उसके समक्ष इस प्रकार के प्रश्न जा रहे हैं। जहां तक कारणों का प्रश्न है उनकी जांच कराई जा सकती है। इस एक्ट के प्रावधानों के परे अगर किसी का डिक्लेरेशन निरस्त कर दिया गया है तो उसके लिए एक्ट में ही प्रावधान है और वह अपील के अन्दर जा सकते थे। जो अपील के अन्दर गये हैं उनके बारे में अभी मालूम नहीं है कि कितने अपील के अन्दर गये हैं, लेकिन एक्ट में प्रावधान है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी कैंसिलेशन का ऐसा आर्डर देता है कि जिससे पार्टी एग्रीव्ड है तो वह अपील के अन्दर जा सकता है।

श्री काशीनाथ गुप्ता : क्या जिलाधीशों को अधिकार है कि वह निरस्त कर सकते हैं?

श्री महबूब अली : जी हां।

श्री काशीनाथ गुप्ता : कोई अधिकार नहीं है। कृपया इस धारा को देख लें। जिलाधीशों को निरस्त करने के अधिकार नहीं हैं।

श्री महबूब अली : मैं देख लूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या राज्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने समाचार-पत्रों को इमर्जेंसी के दौरान निरस्त किया गया? दूसरी बात यह है कि विज्ञापनों के लिए राज्य सरकार द्वारा सूची तैयार की जाती है तो 19 मार्च से पूर्व की स्थिति मानकर समाचार-पत्रों का पुनः डिक्लेरेशन लिया जायेगा तो उनको सूची में लेने के लिए तैयार है?

श्री हरिशकुमार शर्मा : यही प्रश्न मैंने किया था और मुझे बिठा दिया गया। मेरा अपमान किया गया। जो प्रश्न मैं पूछना चाहता था वही प्रश्न माननीय सदस्य ने

(श्री हरिश कुमार शर्मा)
किया। मैंने भी यही बात पूछी थी और मुझे बिठा दिया गया।

प्रश्न संख्या 37

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गंगाराम चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्री कौशल किशोर जैन।

ग्राम पंचायत बिगोद के सचिव द्वारा गबन की गई राशि

38. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) :—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त विकास अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक विकास 55992 दिनांक 10-11-75 के अनुसार श्री रामसुख आर्य, सचिव, ग्राम पंचायत बिगोद, पंचायत समिति मांडलगढ़ की आबादी भूमि विक्रय राशि में से 6847.37 रु. के गबन के आरोप में जिम्मेदार ठहराया गया है?

(2) उक्त पत्र में क्या इसके लिये बिगोद विकास पंचायत के सरपंच श्री मोतीलाल को भी दोषी माना है? अगर हां, तो उक्त सरपंच तथा पंचायत सचिव के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या जिलाधीश भीलवाड़ा ने भी इस विषय में कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां।

(2) जी हां। सरपंच तथा पंचायत सचिव के विरुद्ध उक्त गबन के अलावा अन्य मामलों में भी गबन की आशंका से परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (Examiner, Local Fund Audit) जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत बिगोद के हिसाबों की विशेष जांच करवाई गई। आडिट रिपोर्ट में सरपंच एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध गंभीर आरोप होने से उन्हें नोटिस दिये गये। उनके जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा ही कार्यवाही की जा रही है।

श्री कौशलकिशोर जैन: मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब आरोप सिद्ध हो गया तो सरपंच को निलम्बित क्यों नहीं किया गया?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये निवेदन कर दूं कि जिलाधीश स्तर पर जो जांच होती है वह विकास विभाग में आती है। यहां पर आने पर ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को देखने के आधार पर निलंबन की व्यवस्था है। अब तक सारी जांच जिलाधीश स्तर पर हो रही है। वहां से ज्यों ही यह कागजात विभाग में आयेंगे त्यों ही जो भी कानूनी कार्यवाही निलंबन की है उसके अनुसार आदेश दे दिये जायेंगे।

Page No 13

(13)

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, 10–11–75 को दोषी पाया गया, अतिरिक्त विकास अधिकारी, भीलवाड़ा का दोषपत्र है। 10–11–75 से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत सचिव को 10–11–75 को दोषी पाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने समय तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री कैलाश मेघवाल : 10–11–75 की घटना के बाद कुछ और जांच चल रही है और स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि विकास विभाग को भेजी जा सके।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या आपने यह आदेश नहीं दिये कि तीन एफिडेविट्स पर सरपंच को हटा दें ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने कोई आदेश नहीं दिया।

श्री मदन सिंह दांता : आप फिर याद कर लीजिये। मैंने खुद 3 एफीडेविट्स आपको दिये हैं और आपने वायदा किया है कि वहां के सरपंच को हटा देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने ऐसे आदेश नहीं दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला यह था कि कुछ पंचायतों में तुरन्त कार्यवाही की जाये, इस बात की आवश्यकता आई है क्योंकि जब से पंचायत समितियों के प्रधान और प्रमुख भंग हुए हैं, बहुत सी पंचायतों में पंचायत कोष का दुरुपयोग हो रहा है। पंचायत की सम्पत्ति का डिस्पोजल कर रहे हैं। मैंने यह कहा है कि अगर इस तरह के प्रमाण मिल जायें जिससे हमको यह लगे कि सरपंच पंचायत कोष का दुरुपयोग कर रहा है, पंचायत सम्पत्ति का डिस्पोजल कर रहा है, तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदन सिंह दांता : मैंने एफिडेविट्स दिये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : वह प्रमाण में आता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

ग्राम सांकड़ में भूमि का आवंटन

39. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सांकड़ तहसील सांचौर जिला जालौर में गांवाई नाडी आगौर एवं लाटों एवं बाड़ों की जमीन में तीन लुहारों को गलत अलाटमेंट हो गया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि परगना अधिकारी भीनमाल ने उक्त गलत आवंटन ग्रामवासियों की शिकायत पर मौके की जांच कर के खारिज करने की सिफारिश कलेक्टर जालौर को कर दी थी ? अगर हां, तो कब ? उक्त परगना अधिकारी की उक्त आवन्टन खारिज करने की सिफारिश पर कलेक्टर जालौर द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गलत आवंटन की गई झगड़े वाली जमीन में सांकड़–सुरावा पक्की सड़क, गांवाई नाडी, गांवाई लाटे एवं गांवाई बाड़े बने हुए हैं ? अगर हां, तो उक्त गलत आवंटन कब तक खारिज करके वापस पूर्व में दर्ज की गई किस्म

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
के अनुसार रिकार्ड दुरुस्त करा दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) यह सही है कि इस ग्राम में खसरा नं. 364, 365 एवं 600 का आवंटन दिनांक 26–7–74 को सर्वश्री नरसी, हमीरा एवं उम्मेदा गाड़िया लोहारों को किया गया था। यह भूमि गैर मुमकिन बाड़ा एवं लाटा की है।

(2) जी हां। परगना अधिकारी ने इस आवंटन को खारिज करने की सिफारिश जिलाधीश को दिनांक 28–8–76 को की थी। जिलाधीश ने आवंटियों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर दिया है एवं मामला अब उनके यहां विचाराधीन है।

(3) यह सही है कि इन खसरा नम्बरों में बाड़े बने हुए हैं एवं लाटे की जमीन भी है एवं खसरा नम्बर 364 के सहारे सम्वत् 2026 में सड़क भी निकली है। जहां तक इस आवंटन को खारिज करने का संबंध है, मामला जिलाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : परन्तु यहां पर समस्या भयंकर हो रही है कि आवागमन के रुकने का खतरा है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो आवंटन हुआ था उसमें माननीय सदस्य स्वयं उपस्थित थे। हम इसको देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

पंचायत समिति देवली के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध जांच

40. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति देवली, श्री धर्म चन्द जैन के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो वह किस स्थिति में है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच जिलाधीश टौंक द्वारा की गई थी जिसकी रिपोर्ट तत्कालिक जिलाधीश ने राज्य सरकार को 6 अप्रेल, 1977 को ही भेज दी थी ? यदि हां, तो वह क्या रिपोर्ट है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट से उक्त प्रधान के विरुद्ध आरोप साबित हुए थे पर उस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत कार्यवाही कर उसके विरुद्ध फाइंडिंग रिकार्ड करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। जिलाधीश द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 15

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) जी नहीं। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर श्री धर्मचन्द जैन भूतपूर्व प्रधान को आरोप-पत्र दिया जाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(4) आरोपों की विस्तृत जांच के लिये जिलाधीश टौंक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(जांच प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री दिग्विजय सिंह : आपने यह कहा कि मामला जिलाधीश के विचाराधीन है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने नहीं कहा।

श्री दिग्विजय सिंह : पहले वाले उत्तर में आपने कहा कि जिलाधीश द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जिलाधीश ने रिपोर्ट दे दी है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की जो प्रणाली है, एक प्रिलिमिनरी जांच होती है उस जांच के आधार पर आरोप तैयार करके उसके विरुद्ध जांच करके आरोप-पत्र दिया जाता है और स्पष्टीकरण मांगा जाता है। इसके बाद की कार्यवाही यह है कि स्पष्टीकरण से अगर सन्तुष्ट हो जायें तो वह जांच ड्राप कर दी जाती है। अगर सन्तुष्ट नहीं होते हैं तो उसकी विस्तृत जांच के आदेश दिये जाते हैं। यह नियमों में है। इसलिये अब विस्तृत जांच करवाई जा रही है और उसके बाद जो निष्कर्ष आयेगा उसके आधार पर कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री एच. एन. शर्मा।

रावतभाटा में आर. ए. सी. की टुकड़ी

41. **श्री एच.एन.शर्मा (बेगूं)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रावतभाटा में आर.ए.सी. की एक टुकड़ी स्थाई रूप से रखी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त आर.ए.सी. की टुकड़ी का खर्चा राजस्थान सरकार उठा रही है ? अगर नहीं, तो उसका खर्चा कौन वहन कर रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आर. ए. सी. की टुकड़ी राजस्थान अणुशक्ति परियोजना के प्रबन्धक वर्ग ने कर्मचारियों को डराने-धमकाने के लिये रखी हुई है ताकि कर्मचारी वर्ग अपनी न्यायिक मांगों हेतु आन्दोलन नहीं कर सकें ?

(4) क्या राज्य सरकार आर. ए. सी. की इस टुकड़ी को निकट भविष्य में शीघ्र हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। यह राजस्थान अणुशक्ति परियोजना द्वारा ली गई है व वही इसका व्यय वहन कर रही है।

(3) जी नहीं।

(4) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है मैं उससे बिल्कुल भी सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अणुशक्ति का विभाग प्रधान मंत्री का निजी विभाग होने के नाते आर. ए. सी. की टुकड़ी वहां तैनात कर रखी है ताकि वहां के कर्मचारी आन्दोलन न कर सकें। क्या इस तरह से कर्मचारियों पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं? उदाहरण के तौर पर जानकारी देना चाहता हूं कि मशाल जुलूस आ रहा था--आप देखिये, प्रधान मंत्री निवास पर भी आन्दोलन होते हैं, जुलूस निकलते हैं, भूख हड़तालें होती हैं। हमारे मुख्य मंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन होते हैं। विधान सभा के बाहर भूख हड़ताल, आन्दोलन होते हैं--तो, वहां के जो मुख्य अभियन्ता हैं, उनके यहां पर आन्दोलन न हो उसके लिये आर. ए. सी. की टुकड़ी को क्यों रखा हुआ है? कर्मचारियों को आन्दोलन करने का अधिकार है, उनको रोक रहे हैं। आर. ए. सी. की टुकड़ी को वहां से तुरन्त हटाया जाये और कर्मचारियों के हकों पर कुठाराघात न किया जाये। पूरी जांच करिये। किसी भी विभाग को यह अधिकार नहीं है कि पुलिस का उपयोग करे।

श्री केदारनाथ : आर. ए. सी. परियोजना की सुरक्षा हेतु रखी गई है। जब भी राज्य सरकार ऐसा महसूस करेगी कि वहां अब इसकी जरूरत नहीं है, फौरन हटा लेगी। मान्यवर, लीगल एक्टीविटीज में दखल नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से रखी है। प्रोजेक्ट में किस प्लेस पर सुरक्षा करनी है वह चीफ इन्जीनियर बताता है। चीफ इन्जीनियर कोई डाइरेक्शन नहीं देता है। अगर इसमें कोई दखल दिया गया है तो उसकी जांच के लिये आदेश दे सकता हूं।

श्री एच. एन. शर्मा : चीफ इन्जीनियर का यह काम नहीं है। यह पुलिस के अधिकारियों का काम है। डी. आई. जी. का काम मुख्य अभियन्ता कर रहा है। कर्मचारियों के हकों पर कुठाराघात हो रहा है। पुलिस अधिकारियों की फिर क्या जरूरत है?

श्री ईश्वर चंद्र (पिड़ावा) : क्या गृह मंत्री यह आश्वासन देना चाहेंगे कि मजदूर आंदोलन को आर. ए. सी. की टुकड़ियों से नहीं दबाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा आश्वासन कैसे दिया जा सकता है?

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, सवाल बड़ा साफ है। हम यह पूछना चाहेंगे कि आर.ए.सी. की टुकड़ी किस पर्पज से रखी गई है? अभी रात ही इत्तला मिली है कि वहां पर हड़ताल शुरू हो गई है। अब हड़ताल को दबाने के लिए, डराने के लिए मैं यह नहीं कहता कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, मगर आप की नियत क्या है? इमर्जेन्सी के दौरान आर.ए.सी. ने टेरेराइज किया। अपना रोब गालिब करने के लिये कि कोई अपने अधिकार न मांगे--इसके पीछे यह कारण तो नहीं है?

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कर दिया कि यूनियन के पीसफुल एजीटेशन में न आर. ए. सी. दखल देगी और न पुलिस दखल देगी। कोई हमारे

(श्री केदारनाथ)

सामने ऐसा केस नहीं आया है। अभी हमारे पास ऐसी मिसाल नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : पीसफुल एजीटेशन से आपका क्या मतलब है ?

श्री केदार नाथ : मीटिंग करना, जुलूस निकालना, नारे लगा लेना आदि पीसफुल एजीटेशन में आते हैं। लेकिन अन्दर जाकर तोड़-फोड़ करना यह पीसफुल एजीटेशन में नहीं आता है।

श्री कौशल किशोर जैन : 29 तारीख को भीलवाड़ा में लाठी चार्ज किया गया ? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग से प्रश्न है।

श्री एच. एन. शर्मा : मुख्य अभियन्ता के यहां पुलिस की टुकड़ी खड़ी कर दी जाती है। उनको जाने नहीं दिया जाता है और इस तरह कर प्रजातन्त्र पर कुठाराघात किया जाता है। सात वर्ष हो गये, आर. ए. सी. को वहां स्थायी तौर से रखा हुआ है। कांग्रेस का शासन था, तब रखा हुआ था अब तो हटा लीजिये। सात साल से वहां आर. ए. सी. को रखा हुआ है और फिर भी कहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से रखा हुआ है। यह नाजायज है चीफ इंजीनियर को अधिकार देना है कि तुम्हें यह करना है, वह करना है। तो फिर पुलिस स्टेशन की क्या जरूरत है वहां पर ?

श्री मूलचन्द डागा : अब शर्मा जी जायेंगे वहां पर ?

एक माननीय सदस्य : मजदूरों को दबाने के लिये किसी भी पुलिस अधिकारी की जरूरत नहीं होनी चाहिये।

श्री केदार नाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आर. ए. सी. पीसफुल एजीटेशन को दबाने के लिये नहीं है। पीसफुल एजीटेशन में बाधा डाली जाय, अन्दर घुमने का प्रयत्न किया जाय, उसको रोकने के लिये है। यूनियन्स को डिमांस्ट्रेशन करने का अधिकार है लेकिन डिमांस्ट्रेशन में अन्दर घुसकर दखल दें तो यह फिर पीसफुल एजीटेशन नहीं है। पीसफुल एजीटेशन में न आर. ए. सी. दखल देगी और न पुलिस दखल देगी।

श्री एच. एन. शर्मा : मेरे सामने लाठी चार्ज हुआ है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत कुछ कह दिया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रदर्शनकारी या आन्दोलन करने वाले लोग या कर्मचारी हमारे मन्त्रियों के निवास स्थान पर जाते हैं और पुलिस संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वजह क्या है कि चीफ इंजीनियर के यहां यह संरक्षण दिया जाता है ? अपनी मांग लेकर जायें और वही पुलिस और वही गोली का सिस्टम मिले, इसमें आप फर्क करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री केदारनाथ : राज्य सरकार जांच करवा लेगी कि इस टुकड़ी की अब वहां जरूरत है या नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बस बहुत हो गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण।

बिलाड़ा तहसील की सड़कों का कार्य

42. **श्री रामनारायण (बिलाड़ा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बिलाडा तहसील के कितने गांव ऐसे हैं जो अभी तक सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं ? यदि हैं भी, तो उन पर फेमिन मेटीरियल पड़ा है मगर कार्य अपूर्ण है ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होगा व अपूर्ण सड़कें कौन-कौन सी हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : बिलाड़ा तहसील में छः गांव ऐसे हैं जो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। 107 गांव ऐसे हैं जो फेयर वेदर, ग्रेवल या कच्ची सड़क से जुड़े हुए हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

जिन सड़कों पर फेमिन मेटीरियल पडा हुआ है और अपूर्ण हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। धनाभाव के कारण इन सड़कों को पूरा कराया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कब तक पूर्ण करायी जायेंगी ? कोई सम्भावना है, भविष्य में कराने की ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यथासम्भव शीघ्र पूर्ण करायी जायेंगी।

श्री खेत सिंह राठौड : कोटा डिवीजन के लिये ही धनाभाव नहीं है, जोधपुर डिवीजन के लिये भी धनाभाव है ?

(व्यवधान)

...सारा पैसा ले जाओ कोटा के अन्दर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यथासम्भव शीघ्र पूर्ण करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मनोहर सिंह।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ? क्या सरकार इरादा रखती है कि सड़क को चलने फिरने लायक कर दिया जाय ?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोडा : फेमिन के लिये जो पैसा दिया गया था उससे पिछले दिनों जो कार्य अधूरे छोड़े हैं, उनको पूरा करवाया जायगा या नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह पड़ा हुआ मेटीरियल कोटा ले जाओ।

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : अगर डामर की सड़क नहीं बना सकते तो ग्रेवल रोड बनाकर इस मेटीरियल को वहां पर काम में लें नहीं तो ठेकेदार जो ठेका लेते हैं, वह वहां सामान जो पड़ा है, उसको भी दूसरी जगह पर काम में ले लेते हैं और पैसा भी पूरा ले लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सारे मेटीरियल को कोटा ले जाओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब बातें आपकी सुन लीं।

श्री मूल चन्द डागा : जोधपुर डिवीजन को नेगलेक्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा।

कई माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिये।

श्री मूल चन्द डागा : श्रीमन्, जोधपुर डिवीजन को नेगलेक्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस की परम्परा जनता पार्टी दोहरा रही है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपातकाल में की गई ज्यादतियों की, पुलिस अधिकारियों की और दूसरे अधिकारियों की रिपोर्ट सामने आ जायें तो अच्छा होगा ताकि इन लोगों को भी बोलने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह मेहता।

माण्डलगढ़ क्षेत्र में भेड़ों की क्षति

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्षा काल में लाखों की तादाद में भेड़ें माण्डलगढ़ क्षेत्र, के ऊपर माल बिजोलिया में टिड्डी दल की तरह छा जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भेड़ें घास को जड़ से ही निकाल देती हैं और सब चरागाह नष्ट हो जाते हैं जिससे पूरे ऊपर माल क्षेत्र के मवेशी भूखों मरते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इसी भेड़ समस्या को लेकर बिजोलिया क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व कत्ल हुए हैं और हर साल मारपीट होती है ?

(4) क्या यह सही है कि बिजोलिया क्षेत्र के हजारों किसान इसी भेड़ समस्या के कारण बहुत दुखी हो गये हैं ?

(5) राज्य सरकार ने हजारों किसानों का संकट निवारण का क्या उपाय सोचा है जिसे स्थायी हल कहा जा सके ?

(6) क्या यह सही है कि जिस बिजोलिया क्षेत्र की जनता ने आजादी का शंख फूंका और कुर्बानी दी, वहां यदि भेड़ों की बाढ़ को नहीं रोका गया तो फिर विद्रोह की आग भभक सकती है ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) हां, यह सही है कि वर्षाकाल में माण्डलगढ़ एवं बिजोलिया क्षेत्र में करीब 2–3 लाख भेड़े चरने के लिए जाती हैं।

(2) यह सही नहीं है कि भेड़ घास को जड़ से निकाल देती है। चूंकि भेड़ें अधिक संख्या में इस क्षेत्र में चरती हैं अतः स्थानीय भेड़ों एवं मवेशी के लिए इस क्षेत्र में घास की कमी हो जाती है।

(3) यह सही है कि निष्क्रमण पर आने वाले भेड़ पालकों एवं स्थानीय किसानों तथा भेड़ पालकों के बीच वाद-विवाद होकर मारपीट एवं झगड़े हो जाते हैं और इन झगड़ों व मारपीट के फलस्वरूप किसी की मृत्यु हो गई हो।

(4) निष्क्रमण पर आई हुई भेड़ों को चरने से स्थानीय किसानों एवं भेड़ पालकों को 2-3 माह के लिये चराई की समस्या

Page No 20

(20)

(श्री कैलाश मेघवाल)

अवश्य उत्पन्न हो जाती है जिससे वे अपने आपको दुखी महसूस करते हैं।

(5) इस क्षेत्र में निष्क्रमण पर आने वाली भेड़ों की समस्या के समाधान सुझाने के लिये सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है तथा समिति के सुझाव एवं सिफारिशें राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं।

(6) बिजोलिया क्षेत्र ने विदेशी साम्राज्य और सामन्ती राज्य के विरुद्ध आजादी के संघर्ष में अगवानी की थी यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, पर निष्क्रमण पर आई हुई राजस्थान की भेड़ों एवं भेड़ पालकों के कारण विद्रोह की आग तो नहीं भड़कनी चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, जब तीन चार लाख भेड़ें तीन महीनों में सब घास चर जाती हैं तो वहां जो सौ गांवों के मवेशी हैं उनका क्या होगा? क्योंकि घास बचेगी नहीं ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि इसके अलावा उनके पास और कौनसा रास्ता बचता है? आपने बताया कि शायद मरा, तो पूछना चाहता हूं कि शायद मरा या निश्चित मरा है? हर साल इस तरह के झगड़े होते हैं या नहीं होते हैं, आप यह बतायें? और क्या आप उनको और कोई समाधान दे सकते हैं? क्या उन सौ गावों को खाली करके वहां से चला जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? यह मेरा प्रश्न है कि पहले भेड़ों का पालन करना चाहिए या मवेशियों का पालन पहले करना चाहिए और उनकी सुरक्षा करने का क्या उपाय है? कृपया इसके लिए कोई समाधान करें।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। ये भेड़ें राजस्थान की हैं या गुजरात से अथवा मध्यप्रदेश से आती हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह जानना चाहता हूं कि उदयपुर के अन्दर ये भेड़ें ज्यादा हैं या भेड़ पाल भी ज्यादा है?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी समस्या है। भेड़ों के चराने का प्रश्न राजस्थान के लिए बहुत गंभीर है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सदन की जानकारी में होगा कि राजस्थान में अन्य प्रान्तों के मुकाबले भेड़ें अधिक हैं और भेड़ों की ऊन भी अन्य प्रान्तों के मुकाबले राजस्थान में चालीस प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में यह तो कहा नहीं जा सकता कि भेड़ों की संख्या कम कर दी जाएगी, बल्कि प्रयत्न इस बात का किया जा रहा है कि भेड़ों के पालन का काम ज्यादा से ज्यादा हो। मांडलगढ़ क्षेत्र से या राजस्थान क्षेत्र से भेड़ें चरने जाती हैं वह कोई पिछले दो महीने से चरने नहीं जा रही हैं। मैं समझता हूं कि आपको भी याद होगा और कोई भी यह याद करके कह सकता है कि यह परम्परागत व्यवस्था है और इस प्रकार से चलती आ रही है जिसमें भेड़ें मांडलगढ़ क्षेत्र से होकर कोटा, झालावाड होती हुई मध्यप्रदेश में जाती हैं और मध्यप्रदेश से आगे निकलकर गंगा की तराई में जाकर चराई करती हैं। आज राजस्थान सरकार के सामने यह समस्या केवल मांडलगढ़ क्षेत्र की ही नहीं है। राजस्थान की भेड़ों को मध्य-प्रदेश की सीमा में नहीं जाने दिया जाता है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैंने इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री महोदय से पत्र व्यवहार किया, उनको चिट्ठी लिखी और फिर व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूं। उन्होंने जब किसी बात को किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया तो चार–पांच दिन पहले मैंने प्रधान मन्त्री महोदय से निवेदन किया कि राजस्थान की भेड़ों की चराई की व्यवस्था नहीं की गई तो न केवल राजस्थान पर ही कुठाराघात होगा बल्कि सारे देश की भेड़ों के उत्पादकों के साथ बड़ा अन्याय होगा। इस प्रश्न के ऊपर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भेड़ों की चराई के सम्बन्ध में किसी न किसी प्रकार की उचित व्यवस्था की जाएगी।

इस प्रश्न के आधार पर मैं यहां पर यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि उस समिति का प्रतिवेदन भी आ गया है जो इस सम्बन्ध में बनाई गई थी। मैं इस प्रश्न पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि जो लोकल भेंड़ पालक हैं उनके हक किसी प्रकार से खत्म न हों और उनके हक सुरक्षित रहें।

अन्त में मैं माननीय सदस्य, आपसे यही निवेदन करूंगा कि बिजोलिया के लोगों ने अंग्रेजों और सामन्तशाही के विरुद्ध संघर्ष किया है वे भेंड़ों के विरुद्ध इस प्रकार का संघर्ष नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, जो आपने फर्माया था कि उदयपुर में भेड़ें हैं और भेड़चाल है, तो मैं निवेदन करूंगा कि भेड़ें तो मारवाड़ से ही आ रही हैं ज्यादा।

दूसरी बात यह है कि कल्ल कांग्रेस के वक्त में हुआ है। जब से जनता पार्टी का राज आया है उन्होंने व्यवस्था करने की चेष्टा की है, लेकिन इतना होते हुए भी अगर उनके लिए अलग से बीड़ बना दिए जायें तो उचित होगा। जैसा कि हमारे माननीय नेता महोदय ने कहा है कि चरते चरते आगे चली जाती हैं, मैं आपसे कहता हूं कि वे आगे नहीं जातीं, वहीं कि वहीं टिकी रहती हैं, वहां से जाती नहीं हैं। इसलिए आप इस पर सोचिएगा।

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भेड़ों की जो एंट्री होती है वह बिल्कुल बन्द है और एंट्री दो महीने से बन्द है। मध्य प्रदेश वालों ने आपको चिट्ठी लिखी है कि हर साल जो राजस्थान की भेड़ें आती हैं उनको हम कतई नहीं आने देंगे। यह उन्होंने डिसीजन ले लिया है और आपको चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने आपको चिट्ठी लिखी है आपने पहल नहीं की है। उन्होंने इस प्रकार की चिट्ठी लिखी है कि हम भेड़ों को नहीं आने देंगे, आप उनके लिये आल्टरनेटिव अरेंजमेन्ट करिये। इसके बाद आपने पहल की है। आपने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है।

श्री एच. एन. शर्मा : आपको पूरा पता नहीं है। मेरे सामने मुख्य मंत्री से डेलीगेशन मिला था और इस बारे में बात हुई थी, यह आपको पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैंने पहले चिट्ठी लिखी या उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी, यह मुद्दा

Page No 22

(२२)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि राजस्थान की भेड़ों की चराई की व्यवस्था हो-इस संबंध में हमने किसी प्रकार की कोई कोताही की है क्या, यह आप सोचिये। उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी उसके बाद में मैंने चिट्ठी लिखी, यह कोई बात नहीं है। फिर मुझे पहले चिट्ठी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजस्थान की भेड़ें आज से नहीं पिछले सौ-दो सौ वर्षों से वहां चरती आ रही हैं। अभी तक तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको रोका नहीं। हम तो यही समझते थे कि परम्परागत तरीके से भेड़ें चरने जाती रही हैं उसी तरह से जायेंगी।

श्री खेतसिंह राठौड : कांग्रेस के राज्य में तो भेड़ों की रुकावट नहीं हुई, अब जनता पार्टी के राज में रोक रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस के राज्य में भेड़ों से उनका सामंजस्य था।

(व्यवधान)

कांग्रेस के राज्य में कांग्रेस और भेड़ों का बड़ा सामंजस्य था।

श्री रतना राम (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जहां जहां पर जंगलात की जोड़ हैं उनमें कांग्रेस सरकार वालों ने समय पर पशुओं को चराने की इजाजत दी थी लेकिन आज पशुपालकों को अपने पशु चराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जसवन्तपुरा क्षेत्र के अन्दर वहां के जंगल वालों ने अभी तक इजाजत नहीं दी है। हमको समय पर पशु चराने की इजाजत नहीं दी है, इस सम्बन्ध में आप जानकारी करें।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भेड़ पालकों के बारे में तो सोचा जा रहा है लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि जिन जंगलों में भेड़ें चर जाती हैं उन जंगलों में गाय और भैंस नहीं चर सकती हैं। यह परिस्थिति बहुत गंभीर है और गाय और भैंस पालने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। इसके बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। भेड़ पालकों को अलग से चराई का मैदान दें। आज गाय भैंस चराने वालों की गंभीर स्थिति है।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़): हमने तो ऐसा सुना है कि जहां पर भेड़ें बैठती हैं वहां अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी पैदावार मिलती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह मेहता, प्रश्नकर्ता।

श्री रतनाराम : पशु और गाय भेड़ें सब साथ साथ चरती हैं, एक ही जोड़ में चरती हैं, यह कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी परम्परा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : नेता महोदय ने जो प्रयत्न किया है उसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक और निवेदन करना चाहता हूं, जैसा अभी आपने फर्माया कि

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
भेड़ें जड़ से घास को खत्म नहीं करती हैं, मैं आपसे कहता हूं कि जैसे कांटा निकालते हैं वैसे ही भेड़ जड़ से घास उखाड़ लेती है और फिर घास पैदा नहीं हो सकती है इस लिये आप कृपा करके इसका अनुभव कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भेड़ इस प्रकार से नहीं निकालती है। बकरी इस प्रकार से घास निकाल लेती है, भेड़ नहीं निकालती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने बचपन में बहुत भेड़ बकरी चराई हैं, आपका तजुर्बा ज्यादा है, इनका तजुर्बा नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कैसे कह रहे हैं कि भेड़ और बकरी जड़ से घास निकाल लेती है। इस प्रकार की चर्चा सुन कर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अगर इस तरह से घास निकाल लेतीं तो राजस्थान में कहीं घास ही नहीं मिलती। मानते तो यह हैं कि अगर घास को चरा नहीं जाता तो घास अच्छी नहीं होती है, इसलिये जरूरी है कि घास को चरा जाये। भेड़ और बकरी अगर जड़ से घास उखाड़ लेतीं तो राजस्थान में घास रहती ही नहीं। आप लोग बड़ी अजीब बात कर रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपके गांवों की तरफ कभी भेड़ आई नहीं हैं इसलिये आपको पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! क्या भेड़ बकरियों में ही प्रश्नकाल समाप्त हो जायेगा ?

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, यह मसला केवल कांग्रेसी भेड़ों और जनता पार्टी का नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब तो जनता की ही भेड़ें रह गई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के सामने ही भेड़ें रहती हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(विराम)

प्रश्न संख्या 44

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित)

श्री ओंकार लाल चौहान।

ग्राम सहकारी समिति ससरोंद से गबन का मामला।

45. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति होल्डर सहरोंद में श्री विश्वनाथ सरपंच के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन करना बताया गया है और उस रकम को श्री विश्वनाथ से शीघ्र वसूल करना बताया गया था ?

(2) यदि हां, तो वह रकम कितनी व किस वर्ष की थी और राज्य सरकार उक्त

Page No 24

(२४)

(श्री ओंकारलाल चौहान)
रकम की वसूली की क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्यमंत्री, सहकारिता (श्री कैलाश मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है अतः इसको स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री डागा। प्रश्न संख्या 46।

कारागृहों में कैदियों पर व्यय की जाने वाली राशि

46. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कारागृहों में प्रत्येक कैदी पर कितना खर्चा आता है और उसे क्या क्या दिन में खाने को उपलब्ध किया जाता है ?

(2) राज्य सरकार का सन् 1976 में प्रत्येक कैदी की रोजाना की खुराक पर कितना खर्चा आता था ?

(3) कारागृहों में जो डाइट कैदी को दी जाती है उससे क्या वह अपनी तन्दुरुस्ती मेन्टेन करने में सक्षम है ? यदि हां, तो एक कैदी को कितना प्रोटीन, कितना खनिज पदार्थ, कितना विटामिन आदि मिलना आवश्यक है ?

राज्य मंत्री, कारागृह (श्री विज्ञान मोदी) (1) वर्तमान में राज्य के कारागृहों एवं उप कारागृहों में प्रत्येक कैदी पर भोजन और वस्त्रों पर प्रतिदिन 3.30 रुपया व्यय होता है। बंदियों को कारागृहों में निर्धारित स्केल के अनुसार भोजन दिया जाता है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1976 में औसतन एक श्रमिक और एक अश्रमिक कैदी पर क्रमशः 2.31 रुपया और 2.07 रुपया व्यय होता था।

(3) जी हां, इस डाइट स्केल से एक श्रमिक कैदी को 3019 कैलोरीज तथा एक अश्रमिक कैदी को 2650 कैलोरीज प्राप्त होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है।

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, जो यह सूचना दी गई है उसको मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। इसमें यह बताया गया है कि एक कैदी को 0·3 ग्राम चाय मिलती है। याने एक ग्राम से भी कम चाय मिलती है। इस चाय से ग्राम आदमी कैसे काम चला सकता है ? मैं समझता हूं कि आप इसमें संशोधन करें।

श्री विज्ञान मोदी : इसका मतलब तीन ग्राम है, जो एक व्यक्ति के लिए काफी है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे पास इसकी नकल है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब माननीय सदस्य डागा जी जेल जाएं तो इनकी चाय की मात्रा बढ़ा दी जाए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

32. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या श्रम एवं रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार का पढ़े-लिखे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार का सभी पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ता देने का इरादा नहीं है। क्योंकि एक तो बेरोजगारी भत्ता समस्त पढ़े-लिखे बेरोजगारों को देने से समस्याओं का कोई व्यवहारिक हल होने वाला नहीं है तथा दूसरे, राज्य सरकार इतना वित्तीय भार वहन करने में समर्थ नहीं है।

अलवर में सरकारी मकानों का अलाटमेंट

37. श्री गंगाराम चौधरी (गुढा मालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1976 व 1977 में अलवर में सरकारी मकान बनने के बाद बहुत दिन तक खाली पड़े रहे ? यदि हां, तो इससे राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक लेडी लेक्चरार को अलाटमेंट के बाद भी तीन साल तक छोटे क्वार्टर में इसलिए रहना पड़ा कि बड़े क्वार्टर अन्य अधिकारियों को अलाट कर दिए गए ? यदि हां, तो क्यों ? अब उन्हें कब तक बड़ा क्वार्टर दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। वर्ष 1977 में 4 क्वार्टर जून 1977 में बनकर तैयार हुए हैं जिन्हें बनते ही आवंटित कर दिया गया।

(2) जी नहीं।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भीलवाड़ा में चल रही हड़ताल के बारे में मैंने दिया था। भीलवाड़ा में 19 तारीख से हड़ताल चल रही है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था हो जाने के बाद आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह दें . . .

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के अन्दर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 1—20 प्रश्न पूछने के बाद ही प्रश्न काल समाप्त हो जाता है। नियमानुसार जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं उनको उत्तर दिए जाने चाहिए। लेकिन सचिवालय की ओर से उत्तर नहीं दिए जाते हैं। इसलिए आसन की ओर से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं या तो उनके उत्तर दिलाये जायें और यदि समयाभाव के कारण उनके उत्तर सदन में नहीं दिये जा सकें तो उनके निवास पर उत्तर की प्रति भेजने की व्यवस्था हो।

(एक माननीय सदस्य)
कल भी एक माननीय सदस्य ने इस बारे में निवेदन किया था। लेकिन राज्य का मन्त्रि-मण्डल इसके बारे में मौन है लिहाजा आप इनको आदेश दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न रह जाते हैं उनकी लिखित सूचना सम्बन्धित सदस्य को भेजी जाती है।

कई माननीय सदस्य : नहीं मिलती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मन्त्री जी श्रीमुख से फर्मा दें।

श्री अध्यक्ष : यदि नहीं मिलती है, तो इसकी व्यवस्था अवश्य कर दी जायगी।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री शंकरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के हटाये गये कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने की मांग को लेकर की जा रही हड़ताल व आमरण अनशन के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय किया जायेगा।

2. सर्व श्री खेत सिंह राठौड़ और श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से कल दिनांक 7 सितम्बर, 1977 को दोपहर बाद आमेर में एक प्राइवेट स्कूल की छत गिर जाने से 15 छात्राओं की मृत्यु व कुछ को गम्भीर चोटें आने की घटना के सम्बन्ध में।

मैं चाहूंगा कि इस विषय पर माननीय मुख्य मन्त्री जी तुरन्त एक वक्तव्य दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तुरन्त !

शासकीय वक्तव्य

ज्योति बाल निकेतन, आमेर में हुई दुर्घटना में 15 छात्राओं की मृत्यु

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि कल आमेर में इस प्रकार की दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 15 बालिकायें मृत्यु की शिकार हुईं। जब इस बात की सूचना मुझे मिली मैं, गृह मन्त्री और उस क्षेत्र की विधायिका सुश्री पुष्पाजी, तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच गए। सारा दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है और मैं यह कह सकता हूं कि मेरे जीवन का यह पहला अनुभव है कि इस दुखद घटना को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। इस सारे प्रश्न के ऊपर वहां मेरे से पूर्व ही जांच करने व तत्काल सहायता पहुंचाने की दृष्टि से जिलाधीश जयपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, बी. डी. ओ. और वहां के पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहुंच चुके थे। जनता ने भी इस काम में भारी सहयोग दिया और सबने मिलकर तत्काल जो कार्यवाही की जा सकती थी, वह कार्यवाही की। लेकिन बच्चियों को नहीं बचाया जा सका। मैं इस सम्बन्ध में एक पूरा विवरण सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरा विश्वास है कि सभी तथ्य इस विवरण में सम्मिलित कर लिए गए हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कल दिनांक 7 सितम्बर, 1977 को अपराह्न लगभग 2.30 बजे ज्योति बाल निकेतन, आमेर नामक स्कूल की छत गिर जाने के कारण इस दुखद दुर्घटना में कक्षा 3 की 15 छात्राओं की मृत्यु हो गई।

ज्योति बाल निकेतन स्कूल की दूसरी मंजिल की छत के लगभग 9×9 फीट क्षेत्र की पट्टियां गिर जाने के कारण पहली मंजिल की छत भी टूट गई जिसके नीचे तीसरी कक्षा के विद्यार्थी पढ़ रहे थे। इस कक्षा में कुल संख्या 57 थी जिसमें से दिनांक 7 सितम्बर को 51 विद्यार्थी उपस्थित थे, 34 छात्र एवं 17 छात्राएं। इस छत के गिरने से 17 विद्यार्थी प्रभावित हुए। घटना की सूचना मिलते ही कस्बे के लोग, विकास अधिकारी एवं थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उनके तत्काल प्रयत्नों से मलवे को तुरन्त ही हटा कर दबे हुए बच्चों को निकाल कर आमेर चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सालय में डाक्टर द्वारा 15 छात्राओं को मृतक घोषित किया गया। एक छात्रा को केवल मामूली चोट होना पाया गया और एक अन्य छात्रा को एम्बूलेंस द्वारा तुरन्त सवाई मानसिंह चिकित्सालय भेजा गया।

15 मृतक छात्राओं के नाम निम्न प्रकार हैं:-

1. कुमारी अमानत पुत्री श्री हफीजुद्दीन उम्र 7 साल

2. कुमारी ज्योत्स्ना पुत्री श्री महेशन भट्टाचार्य उम्र 6 साल

3. कुमारी कोशल्या पुत्री श्री गंगासहाय माली उम्र 8 साल

4. कुमारी खुरशीदा पुत्री श्री आबिद अली उम्र 7 साल

5. कुमारी मंजु पुत्री श्री द्वारकाप्रसाद उम्र 11 साल

6. कुमारी प्रेमलता उर्फ लड्डू पुत्री श्री हरिनारायण शर्मा उम्र 10 साल

7. कुमारी सुमन पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा पटवारी उम्र 8 साल

8. कुमारी सन्तोष पुत्री श्री कन्हैयालाल जैन उम्र 8 साल

9. कुमारी सुमनलता गुप्ता पुत्री श्री सीता राम उम्र 8 साल

10. कुमारी शोभादेवी उर्फ चल्ली पुत्री श्री मेघराज शर्मा उम्र 7 साल

11. कुमारी सुधा पुत्री श्री रामरतन पारीक उम्र 8 साल

12. कुमारी तारादेवी सैनी पुत्री श्री बालचन्द सैनी उम्र 7 साल

13. कुमारी ऊषा पुत्री श्री खूबचन्द सिंधी उम्र 10 साल

14. कुमारी उमा पुत्री श्री देवकीनन्दन शर्मा उम्र 8 साल

15. कुमारी विद्या पुत्री श्री परमानन्द सिंधी उम्र 7 साल

घायल विद्यार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) मीना पुत्री श्री रामचन्द्र शर्मा उम्र 7 साल (केवल मामूली चोट थी)

(2) प्रेमकिशोर पुत्र श्री हरिनारायण मीणा उम्र 8 साल (इन्हें एम्बूलेंस द्वारा एस. एम. एस. अस्पताल भेजा गया। इनके पैरों

Page No 28

(28)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को क्षति पहुंची है। जिनका उपचार हो रहा है)।

मैं स्वयं इस बच्चे से मिलकर आया हूं दुर्भाग्य है कि उसका पैर काटा जायेगा।

एक माननीय सदस्य : काट दिया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्योति बाल निकेतन एक निजी प्राथमिक स्कूल है जिसकी प्रधानाध्यापिका, व्यवस्थापिका श्रीमती अपूर्णा भट्टाचार्य हैं। इस संस्था को जिला उप शिक्षा अधिकारी (छात्राएं) जयपुर द्वारा दिनांक 7-2-74 के आदेश से प्राथमिक स्तर तक की मान्यता अस्थाई तौर पर दिनांक 1–7–73 से दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 12-1-77 के आदेश द्वारा 1-7-76 से 30-6-78 तक अस्थाई मान्यता पुनः उनके द्वारा दी गई। यह मान्यता जिला अवर निरीक्षिका, (छात्र संस्थाएं) जयपुर (सुश्री हरिदार भाटी) की रिपोर्ट दिनांक 26–7–76 के आधार पर दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर इस संस्था में 7 कमरे होना बताया गया था। और संस्था भवन श्री रविशंकर भट्टाचार्य से 150 किराए रुपये मासिक पर लेना बताया गया था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के निजी संस्थाओं के निरीक्षण सामान्यतः केवल मान्यता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही किये जाते हैं। इस स्कूल का निरीक्षण भी 26–7–76 के पश्चात् नहीं किया गया।

यह स्कूल पुराने भवन में चलाया जा रहा था जिसमें एक हिस्सा लगभग 3 साल से निर्माणाधीन है। इस नये हिस्से में दो मंजिलें हैं जो पूरी तरह नहीं बनी हैं। पहली मंजिल की छत पर कमरे में सीमेन्ट का प्लास्टर किया हुआ है लेकिन छत के नीचे प्लास्टर नहीं करवाया गया है। दूसरी मंजिल की छत पर केवल खरंजा किया हुआ है जिस पर ऊपर या नीचे प्लास्टर नहीं हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने मौके का निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट से निम्न तथ्य प्रकट हुए हैं–

(अ) दूसरी मंजिल की छत के 9×9 फीट क्षेत्रफल में लगभग 5 पट्टियां गिरी हैं। पहली मंजिल की लगभग 9×10 फीट क्षेत्रफल की छत गिरी है।

(ब) टूटी हुई पट्टियों की मोटाई दो इंच से लेकर ढाई इंच तक पाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पट्टियां अपर्याप्त मोटाई की थीं जिस कारण से भवन का भार नहीं उठा सकीं।

(स) बरसात के कारण और नमी के कारण पट्टियों के कमजोर हो जाने की सम्भावना पाई गई।

(द) यह भी सम्भव है कि किसी पट्टी/पट्टियों में दरार हो जो कि समय पाकर सम्पूर्ण चौड़ाई में फैल गई हो जिससे छत गिरी है।

टूटी हुई पट्टियों तथा मलबे का नमूना लिया जाकर जांच कराई जा रही है। सही तथ्य विस्तृत जांच के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आमेर में मुकदमा नं. 126/77 के अन्तर्गत धारा 336 आई.पी.सी. दर्ज कर अनुसन्धान आरम्भ किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपखण्ड अधिकारी, आमेर तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति आमेर को यह परामर्श दे दिया गया है कि शोकग्रस्त परिवारों को जिस किसी सहायता की आवश्यकता हो वह उन्हें तुरन्त उपलब्ध करायी जाय जिसकी पूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा करवा दी जायेगी।

मेरे से उस समय यह नहीं हो सका कि मैं तुरन्त ही उनको आर्थिक सहायता के लिए कुछ कहूं पर मेरा मन स्वीकार कर रहा था। यदि उस समय मैं सहायता के लिए कुछ बात कहता तो जो अपनत्व की भावना थी, उस अपनत्व की भावना की समाप्ति होती। इसलिए मैंने जिलाधीश और स्थानीय अधिकारियों को यह कहा कि वह जो भी उचित समझें उनको तुरन्त सहायता दें।

यह घटना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। मुझे इस दुर्घटना का अत्यन्त खेद है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना के बारे में वक्तव्य में जो जानकारी आई है, वह तो है ही लेकिन मेरा निवेदन यह है कि भविष्य में राजस्थान के बच्चे इस प्रकार से छतों के नीचे गिरकर नहीं मरें। यह मेरी मंशा है कि इस पर जिस प्रकार से मुख्य मन्त्री महोदय को रोशनी डालनी चाहिए थी वह नहीं डाली कि वस्तु स्थिति यह नहीं थी मेरा निवेदन है, कोई भी संस्था शुरू हो उससे पहले ऐसी संस्थाओं की मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह उसका निरीक्षण करें। जिस छत के नीचे बच्चियां बैठी थीं क्या वह इस योग्य थी ? आपने उन दुखी परिवारों को आर्थिक सहायता देने की जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर छोड़ी है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैंने यह कहा कि उस समय सहायता देने या उसके बारे में कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई।

श्री श्योपतसिंह मकासर: मैं यही निवेदन करूंगा कि दुर्घटना के मौके पर जितनी सहायता दे सकते हैं, वह देनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनायें न हों इस के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी बिना यह देखे कि उसके पास जगह है या नहीं, छप्पर है या नहीं, उसको मन्जूरी नहीं देनी चाहिए। जिससे कि भविष्य में बच्चों को इस प्रकार से दुर्घटनाओं का शिकार नहीं होना पड़े।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने 'नवज्योति' अखबार में पढ़ा है, उस स्कूल की जो प्रधानाध्यापिका हैं, अपर्णा भटनागर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है।

एक माननीय सदस्य : अपर्णा भट्टाचार्य, भटनागर नहीं।

श्री शंकरलाल : उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सरकार से सीमेण्ट की मांग की थी। सीमेन्ट नहीं मिल पाया तो हमने कालाबाजार से सीमेंट खरीदा। इस तरह से सीमेन्ट नहीं मिल पाने के कारण छत नहीं बन पाई। क्या ऐसा हुआ है ? उनका यह वक्तव्य कहां तक सही है ?

Page No 30

(30)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ऐसी प्रधानाध्यापिका को अरेस्ट किया जाना चाहिए। यह तो राजनैतिक स्टेटमेन्ट है। उस अध्यापिका को यह मालूम था कि छत कमजोर है। अगर ऐसा स्टेटमेन्ट है तो यह राजनैतिक स्टेटमेन्ट है। उसे मालूम होना चाहिए था कि इसका क्या नतीजा होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस पर स्थगन प्रस्ताव है। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, वास्तव में यह एक बहुत ही दुखद घटना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जितनी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट तौर से चला करती हैं, उनको मान्यता देने से पूर्व यह बन्दिश कर दी जाये कि जिस मकान में वह संस्था चलती है वह मकान अगर कमजोर हो तो उसको मान्यता नहीं दी जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर वह प्राइवेट है तो भी नहीं दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, प्राइवेट को ही मान्यता दी जाती है। यह प्राइवेट तौर से चल रही है। इस इलाके में निश्चित् रूप से राजकीय प्रबन्ध नहीं था। जितने नाम पढ़े गये हैं, वह गरीबों के पढ़े गये हैं। इसमें करीब 300 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो इसके लिये यह बहुत आवश्यक है कि एक राजकीय स्कूल तुरन्त आरम्भ कर दिया जाये। साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में बताया है, उन परिवारों को आर्थिक सहायता भी निश्चित रूप से दें जिससे कि उन परिवारों को राहत मिल सके।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य में आया है कि घटना-स्थल पर पुलिस वालों ने पहुंचकर मलवा हटा कर शव निकाले हैं। जब कि अखबार में यह लिखा है कि पुलिस वाले वहां तब पहुंचे जब कि 13 लाशें निकाली जा चुकी थीं। स्थिति यह है कि आमेर में घटना हो जाये और 13 लाशें निकाल ली जायें उसके बाद पुलिस पहुंचे—तो यह स्थिति पुलिस के लिए अत्यन्त खेदजनक है। इसलिए इस मौके पर यह भी विचार कर लिया जाये कि पुलिस जनता के आगे रहे या पुलिस तब आये जब जनता काम कर चुके ?

जब जनता मलवा हटा कर लाशें निकाल चुकी थी तब जाकर पुलिस ने अपनी कारगुजारी दिखाई, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में कई जगहों पर एजूकेशन डिपार्टमेन्ट ने प्राइवेट इमारतें ले रखी हैं और किराये की गड़बड़ियों की वजह से मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहते हैं और स्कूल वाले खाली नहीं करना चाहते। उधर मकान मालिक कहते हैं कि मकान को खाली कर दें। इधर अध्यापिकाएं कहती हैं कि उसकी मरम्मत करवा दी जाय। इस प्रकार से उनका तालमेल नहीं बैठता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आयन्दा भी इस प्रकार की दुर्घटना न हो, इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी विचार करें। जहां भी क्षतिग्रस्त इमारतें हों उनको तुरन्त दुरुस्त

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

करने की व्यवस्था की जाय जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी छत गिरने के जो कारण बताये हैं, मेरी समझ में मेन कारण यह रहा है कि छत पर बजरी और रोड़ियां पड़ी हुई थीं और उनके वजन से वह छत गिरी है। बरसात में भीग जाने से बजरी और रोड़ी काफी वजनी हो गई थी और उसकी वजह से यह छत गिरी है। अभी जैसा कहा गया कि उसको सीमेन्ट नहीं मिली, क्योंकि सीमेन्ट का कन्ट्रोल है और इस कारण से रोड़ी बजरी डाल रहे थे और उसका नतीजा यह हुआ कि छत टूट गई।

जहां तक पुलिस वालों का सवाल है, ज्यों ही वहां पर छत गिरी, बच्चे कूद कर भाग गये और कुछ बच्चों को गांव वाले निकाल कर ले गये। जब वहां से बच्चे हटा लिये गये थे उस वक्त मेरा खयाल है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी और सरकारी स्टाफ पहुंचा था।

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मौके पर पहुंची थी और सारी बातों की जानकारी प्राप्त की थी। मैं समझती हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कहा जा सकता है कि मकान नया बन रहा था और ऐसी कोई सम्भावना नहीं थी कि छत गिरेगी। श्रीमती भट्टाचार्य की प्रशंसा बहुत सुनी गई है। वह बड़ी तन्मयता से बच्चों को पढ़ाती हैं और उनको संरक्षण देती हैं। मैं समझती हूं कि हम लोगों को इस दुर्घटना को मौके पर जाकर देखना चाहिए और समझना चाहिए। केवल यहां पर ही आलोचना करना उचित नहीं है। मौके पर जाकर सारे तथ्यों की जानकारी की जा सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि अन्य स्थानों के स्कूल, जिस के लिये पी. डब्ल्यू. डी. की रिपोर्ट है कि दुर्घटना हो सकती है, की तुरंत मरम्मत करायी जानी चाहिए ताकि ऐसी घटना दुबारा न हो चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो अथवा सरकारी। मुख्य मंत्री जी या स्टाफ देरी से पहुंचा, यह आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, क्या सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में यह निकाला गया है, यह इमारत इसलिये गिर गई कि उसके ऊपर बन्दर कूदे थे? क्या इसलिए यह इमारत गिर गई? क्या सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में यह निकला है? कृपया इस बारे में बतावें। एक बात।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि जो आपने मकान के गिरने की बात बताई और जो इसकी इन्क्वायरी कराने से मालूम हुआ उसमें पट्टियों का कमजोर होना और बरसात का ज्यादा होना बताया है। यह सच है। मगर यह बात कि बन्दर के कूदने से छत गिर गई यह बात प्रेस कम्युनिकेशन में निकले, इसका हमें खेद है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह मेरे लिए कोई क्रेडिट की बात नहीं है कि मैंने वहां जाकर देखा। मैं कोई क्रेडिट लेने के

Page No 32

(३२)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
लिये यह बात नहीं कह रहा हूं। बच्चियों को उसमें से निकालना मेरे लिये संभव नहीं था। सूचना मिलते ही मैं तुरन्त वहां पर गया और उससे पहले मृतक बालिकाओं को ले जा चुके थे। वहां पर एक भी लाश नहीं थी। यह बात सही है कि नजदीक के लोग वहां पहुंच गये थे और सहायता का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। आसपास के लोग पहले पहुंच गये थे।

डाक्टर साहब ने अभी एक बात कही। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि मैंने पी. डब्ल्यू. डी. के चीफ इन्जीनियर और सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को तुरन्त बुला लिया था। इनसे कहा, वह निरीक्षण करके बतायें कि इसके गिरने के क्या कारण थे। हो सकता है कोई बात हो जिसको टेक्निकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट और इन्क्वायरी से मालूम किया जा सके। उन्होंने इसके चार रीजन्स बताये हैं, माफ करना यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है इसलिए मैंने पहले पढ़कर सुनायी नहीं थी :

"From the site inspection, it apparently appears that the desaster was due to failure of stone slabs of the roof of first floor. The probable cause for this could be one of the following—

1. The patties were of inadequate thickness and they were not able to sustain the super imposed load of stone and grip.

2. The moist condition of the stone slabs weakened the strength of patties specially when the patties got soaked in rains.

3. Some kind of impact could also have resulted into the failure of slabs.

4. There can be a crack in the patti/patties which with the passage of time could have extended to full width resulting therein complete collapse of a structure."

यह चार कारण उन्होंने बताये हैं। अब इन चार कारणों के अलावा और कोई बात होगी तो मैं उसकी जानकारी करूंगा और इन्क्वायरी के आधार पर जो भी कार्यवाही करनी होगी वह करूंगा।

अभी माननीय माथुर साहब ने जो बन्दर कूदने की बात कही, माफ करना मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन कोई न कोई बात अवश्य होगी, यह असत्य नहीं था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मुख्य मन्त्री जी, सवाल यह नहीं है कि मकान क्यों गिरा, सवाल इस बात का है कि इस सम्बन्ध में आप भविष्य के लिये क्या करना चाहते हैं ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब पाठशाला को मन्जूरी दी गई उस समय भी भवन का निरीक्षण किया गया था क्योंकि भवन इस काबिल भी है या नहीं, बच्चे उसमें पढ़ सकेंगे या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सम्बन्ध में भी जानकारी देना चाहूंगा कि यह मान्यता जिला अवर निरीक्षक (छात्र संस्थाएं) की रिपोर्ट पर 26-7-76 को दी गई थी। उस मान्यता के आधार पर 7 कमरे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होना बताया गया है। इस स्कूल का निरीक्षण 26-7-76 के पश्चात् नहीं किया गया।

यह तो स्कूल की स्थिति है। आपने जो यह कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो इस सम्बन्ध में क्या किया जाय, इस पर भी निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

श्री शोपतसिंह मकासर : इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होनी चाहिए जो बिना देखे इजाजत देते हैं, वही लोग दोषी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस पर विस्तार से विचार करूंगा कि क्या व्यवस्था की जा सकती है, और वही करूंगा।

श्री शंकरलाल : क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्यों ने कहा कि उन्होंने सीमेंट मांगी थी जो उनको नहीं मिली इसलिए पट्टियां गिर गईं। यह तो ऐसी बात हुई जैसे बकरी क्यों मरी क्योंकि छत गिर गई, छत क्यों गिरी क्योंकि चूना खराब था, चूना खराब क्यों था क्योंकि पानी नहीं था, पानी क्यों नहीं था क्योंकि कुआ नहीं था, कुआ क्यों नहीं था क्योंकि चंदा नहीं मिला। सीमेंट की बात कहकर कोई जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : मेरा निवेदन है कि जिस अधिकारी ने मान्यता दी, दूसरे जिसके स्कूल में ये लड़के और लड़कियां पढ़ती थीं, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने यह हत्यायें करवाई हैं। क्या यह नहीं माना जा सकता कि केवल श्रीमती भट्टाचार्य ....

श्री रतन लाल वर्मा : आप गैर जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि हत्यायें करवाई हैं।

श्री राम करण सिंह : मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, 15 बच्चे मर गए हैं और आप भट्टाचार्य को डिफेंड कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : किसकी दुश्मनी थी ? आप कह रहे हैं कि हत्यायें करवाई गई।

श्री रामकरण सिंह : जब उस मकान पर कंकर और पत्थर पड़े हुए थे, बरसात हो रही थी उसके बाद भी नीचे बच्चों को पढ़ाया गया। यह जानबूझकर लापरवाही की गई है। इसलिए वह अधिकारी जिसने मान्यता दी है व प्रशासन के वे लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे थे उनकी जिम्मेदारी है। उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि आगे इस प्रकार की परम्परा न पड़े और लोगों को लेसन मिले।

(व्यवधान)

श्रीमती नारंगी देवी : यह कहना कि हत्या करवाई, उचित नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री व मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि भविष्य में इस तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए।

श्री मन्जूर अली : किसी भी इन्स्टीट्यूशन का इन्सपेक्शन तभी होता है जब मान्यता का सवाल आता है। इसका मतलब जब कोई मान्यता प्राप्त नहीं करना चाहता, तो इन्सपेक्शन की नौबत नहीं आएगी। आइंदा ऐसे हादसों को रोकने के लिए सक्यूंलर जारी किया जाए कि

Page No 34

(३४)

(श्री मन्जूर अली)
एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, टेक्निकल, एक्सपर्टस् तमाम ऐसे मकानों की जांच करें चाहे मान्यता प्राप्त की हो या नहीं, जिनमें स्कूल चल रहे हैं। अगर उनमें मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत करवाई जाये या उनको बंद किया जाए ताकि ऐसे हादसे आइंदा न हों।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस संबंध में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता। आपका अधिकार है, लेकिन समय का जरा ध्यान रखें।

श्री रामकिशन दास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष जी, यह जो ट्रेजेडी हुई, इसकी गंभीरता की ओर हम लोगों का कुछ ध्यान है। परन्तु हर माननीय सदस्य जानता है कि राजस्थान के हजारों गांवों में जिन भवनों में स्कूल चल रहे हैं, उनमें से कई भवन ऐसे हैं जो किसी भी समय गिर सकते हैं। एक तरफ हम मांग कर रहे हैं कि हर गांव में स्कूल खोला जाए, दूसरी तरफ राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि नए भवन बन सकें। जनता की ओर से धन नहीं आ रहा है। अब माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि जांच कराई जाए और जो भवन रहने योग्य नहीं हैं उन स्कूलों को बंद किया जाए। यदि सरकार अपने विभाग को आदेश देती है कि हर स्कूल भवन की जांच की जाए तो 50 प्रतिशत भवन ऐसे होंगे जो इन्जीनियर्स द्वारा अनफिट घोषित होंगे और उन भवनों के आल्टरनेटिव भवन नहीं मिलेंगे। हमें वस्तु स्थिति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसलिये सरकार पर ऐसा दबाव न डालें और जो अधिकारी हैं उन पर दबाव न डालें और भयभीत न करें कि अगर उन्होंने किसी भवन को फिट घोषित किया और वह गिर गया तो उनकी जिम्मेदारी होगी।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : मेरे क्षेत्र में भी पंचायत समिति का एक स्कूल है। वहां स्कूल बिल्डिंग खराब है। तो ऐसी घटनाओं के प्रति ध्यान देना चाहिए और भवनों को ठीक करना चाहिए। अगर वहां बिल्डिंग हैंडओवर नहीं की गई तो स्कूल क्यों चलाया जा रहा है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जब कोई स्कूल में लड़का पढ़ने जाता है और वह मारा जाता है तो जो मास्टर होता है, उसको उसके मां-बाप से भी ज्यादा दर्द होता है। इस दुर्घटना में 15 बच्ची 15 घरों की मरी हैं, तो श्रीमती भट्टाचार्य ऐसा महसूस कर रही हैं कि 15 बच्ची मेरी मरी हैं। उनके बारे में एक शब्द भी न कहें तो अच्छा है। वह खुद दुखी हैं। वह लड़का जिसका पैर कटा है, वह एक चपरासी का लड़का है, उसका भविष्य कैसे बने, इसके लिए मुख्य मंत्री तो सहायता करेंगे ही लेकिन अगर हम लोग एक दिन का भत्ता दे दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी और एक कोष बन जाएगा..

श्री श्योपतसिंह मकासर : और लड़की के लिए ?

श्री मनोहर सिंहमेहता : पूरी बात सुन लें।

श्री शीशराम ओला : सरकार दे देगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम भी यदि दे दें तो अच्छा है। मुख्य मन्त्री जिसको उपयुक्त समझेंगे उनको दे देंगे। तो सबसे पहले मैं

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
माफर करता हूं इसके लिए और मेरे पास बैठी बहन भी भी माफर कर रही हैं। इस समय सभी दुखी हैं। कौन ऐसा होगा जिसके मन की स्थिति दुःखमय न हो। श्रीमती भट्टाचार्य भी रहम की पात्र हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : श्रीमती भट्टाचार्य ने इल्जाम लगाया है कि यह घटना इसलिए हुई कि सीमेंट नहीं था, वह ब्लैक में मिलती है। यह इर्रेलेवेंट और इर्रेस्पान्सिबल स्टेटमेंट दिया है, यह वाजिब बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त की जाए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जो मेरा स्थगन प्रस्ताव था उस बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक बार आपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जानकारी करा रहा हूं। यदि इस समय चर्चा होती है तो क्या आप उसको उचित समझते हैं ? मैंने कार्य सलाहकार समिति में भी निवेदन किया था कि इस समय बजट पर आम वाद-विवाद हो रहा है, यदि आप उस समय बोलें तो अच्छा है। यह सारे देश की परम्परा है। उस परम्परा के बावजूद आपने कहा कि सरकार से जानकारी प्राप्त हो रही है फिर भी चर्चा प्रारंभ कर दें तो हम आपकी व्यवस्था मान लेंगे लेकिन फिर जो कार्यवाही आज के लिए निश्चित की गई है, उसके लिए कम समय मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति में विरोधी दल के नेता ने आश्वासन दिया था कि वे सहयोग देंगे, सदन की परम्परा का ध्यान रखा जाएगा। मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है वह एक हद तक वाजिब है, उससे मैं सहमत हूं।

(व्यवधान)

आप बार-बार बीच में बोलकर सदन का समय बेकार नष्ट कर रहे हैं, यह कहां तक उचित है। आपको मैंने पहले कह दिया था कि आज बजट पर बहस चल रही है उस वक्त अपने भाषण में जो कहना चाहें वह कह दें। बार-बार स्थगन प्रस्तावों के विषय में क्या व्यवस्था दूं। मैं तो मेरी पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं इस विषय पर।

माननीय श्री परसराम मदेरणा विरोधी दल के नेता आप भी हमें सहयोग दें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक विरोधी पक्ष के सहयोग देने का प्रश्न है तो हम आपको हमेशा अनरिजर्व्ड और अनरेस्ट्रिक्टेड सहयोग देंगे। विरोधी पक्ष का सहयोग कभी-कभी मुख्य मन्त्री जी को भी मिलता रहेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि आपने जब एक काल अटेन्शन नोटिस को एडमिट कर लिया तो फिर गवर्नमेन्ट को फैक्ट्स मंगाकर सदन के सामने पेश कर देने चाहिये जिससे कि पब्लिक को सेटिस्फैक्शन हो जाये। गवर्नमेन्ट को चाहिये कि यहां पर स्टेटमेन्ट दे दे। जहां तक सवाल कल दी गई व्यवस्था का है और उसके बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह बात तय हो जाने का है, वह दोनों ही बातें अलग हैं। बिजनेस एडवाइजरी

Page No 36

(36)

(श्री परसराम मदेरणा)
कमेटी में तो मैंने यह पूछा था कि मुख्य मन्त्री जी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कब स्टेटमेन्ट देने वाले हैं। आप मुख्य मन्त्री जी को यह कहें कि वह सदन में इस बारे में स्टेटमेन्ट दें।

श्री अध्यक्ष : मैं विरोधी दल के नेता महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस नेचर का हो कि जिसके बारे में प्राइमाफेसी तय हो जाय तो उस काल अटेन्शन नोटिस को स्वीकार करते हैं। फिर उसके ऊपर जानकारी सरकार से प्राप्त की जाती है। सरकार से प्राप्त होने पर उसके तथ्यों को ओपन माइन्ड से देखने के बाद आसन यह तय करता है कि उसको एडमिट किया जाय या नहीं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था उसके बाद में आपने यह व्यवस्था दी थी कि इसके बारे में मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा दिया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, मैंने उसे एडमिट कर लिया है और सरकार से जानकारी चाही है। मेरा स्थगन प्रस्ताव मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के बारे में था। वहां हड़ताल चल रही है और वहां पर पिछले एक माह से पूरी तरह से तालाबन्दी है। उसके बारे में तो आपने यह कह दिया कि उसको मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया है लेकिन आज जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया वह राजस्थान पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा करे जा रहे आमरण अनशन के बारे में है। 29 अगस्त से 5 आदमी आमरण अनशन पर बैठे हैं। आपने तो यह व्यवस्था दे दी कि मैंने यातायात निगम से जानकारी प्राप्त की है। अब आपने जानकारी प्राप्त की है यातायात निगम से और वह भी जनरल मैनेजर से। जिस जनरल मैनेजर के खिलाफ में परिचालक लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं वह क्या आपको इस बारे में एनलाइटन करेगा। अभी परसों की ही बात है वहां पर जनरल मैनेजर के कमरे में परिचालक और जनरल मैनेजर में आपस में जूतमपैजार हो गयी थी। अब वह क्या आपको सही स्थिति बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब जब एक माननीय सदस्य शंकरलाल जी बोलने शुरू हो गये और उनको रोकने में अगर मैं सफल नहीं होता हूं तो फिर दूसरे सदस्यों को भी बोलने का अधिकार है। There shall be no end to this.

कल तक जानकारी प्राप्त हो जायेगी तो फिर मैं उसे काल अटेन्शन मोशन के रूप में एडमिट कर लूंगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, कल तक जवाब आ जायेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : जहां तक मैं समझता हूं कल तक सूचना प्राप्त हो जायेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छानुसार व्यवस्था हो जाये।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव मूव किया था और उसके ऊपर मुख्य मंत्री जी ने सदन में स्टेटे-

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मेन्ट भी दिया। मेरा निवेदन है कि जिन 15 परिवारों की बच्चियां कल मर गयीं हैं उनके परिवारों को सभी माननीय सदस्यों द्वारा इस हाउस की तरफ से एक रिजोल्यूशन भेजा जाय जिसमें यह कहा जाय कि हमें इस दुर्घटना के लिये बहुत दुःख है और भगवान उन 15 परिवारों को इस महान् दुःख को सहन करने की शक्ति दे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं सदन की तरफ से अध्यक्ष महोदय को यह निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष महोदय सदन के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से यह पत्र लिख दें।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की भावनाओं को पत्र लिखकर उन मृत बच्चियों के परिवारों को पहुंचा दूंगा।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव भीलवाड़ा में पिछले एक माह से चल रही हड़ताल के बारे में दिया था . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शंकरलाल जी ने कहा था, अब आप भी कह डालिये। कहिये।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा में पिछले एक माह से हड़ताल चल रही है। वहां पर करीब तीन हजार मजदूर हड़ताल पर बैठे हुए हैं पिछली 29 तारीख से, अध्यक्ष महोदय. .

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जब इसी विषय पर आ रहा है तो यहां पर इस वक्त चर्चा करना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय को आप एक विशियस सर्किल नहीं बनायें। इस विषय को कृपया यहीं पर समाप्त करें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :–

(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977।

(2) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977।

(3) राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977।

(श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा)

(4) उदयपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 ।

(5) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 ।

(6) राजस्थान वित्त विधेयक, 1977।

(7) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 ।

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी ।

श्री सम्पतराम (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 1 (1) 2 वि. र. (विकास) 71, दिनांक 6 फरवरी, 1976 जिसके द्वारा राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 का परिशोधित पाठ जारी किया गया ।

(2) अधिसूचना संख्या प. 1 (3)/(4) वि. र. (विकास) 71 दिनांक 27 नवम्बर, 1975 जिसके द्वारा राजस्थान बालक अधिनियम, 1970 का परिशोधित पाठ जारी किया गया ।

ये अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रावधित 30 दिन की अवधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा जायेगा ।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री सम्पतराम।

श्री सम्पतराम (मन्त्री, संसदीय मामलात) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

अध्यक्ष : क्या सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

उपाध्यक्ष पद पर श्री रामचन्द्र का निर्वाचन

उपाध्यक्ष का निर्वाचन ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रामचन्द्र, सदस्य विधान सभा (वि.स.136) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई अन्य प्रस्ताव।

श्री खेतसिंह : कोई नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : खेतसिंह जी आप बनना चाहो तो उपाध्यक्ष बन जाइये।

श्री अध्यक्ष : मैं श्री रामचन्द्र, सदस्य विधान सभा को सर्वसम्मति से निर्वाचित उपाध्यक्ष घोषित करता हूं।

मेरी तरफ से उनके प्रति अपनी शुभकामनायें प्रकट करता हूं।

श्री रामचन्द्र : मैं इसके लिए सभी सदस्यों का आभारी हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह रामचन्द्र कौन से हैं ?

परिवर्तित आय-व्ययक 1977-78 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मथुरादास जी माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : श्रीमन्, 77–78 के परिवर्तित आय-व्ययक के अनुमान जो माननीय वित्त मंत्री ने सदन में पेश किये हैं, उन पर मैं अपने विचार पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री माणक लाल ठाकोर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं कल बोल रहा था ...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उनका भाषण पहले पूरा समाप्त हो जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता नहीं था। मैं आपको मौका दूंगा। आप अपना भाषण समाप्त कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमन्, बजट अच्छा है या बुरा इस झगड़े में न पड़ते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि बजट अच्छा बुरा वह समझा जाता है जो अपने राजस्थान की पर-केपिटा इन्कम को बढ़ाने में, समृद्धि को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा आधार साबित हो। बजट वह अच्छा समझा जाता है जो अपने प्रांत की इकानामिक प्रगति करने में सहायक हो। श्रीमन्, बजट वह अच्छा समझा जाता है जो अपने प्रान्त के अन्दर लोगों को रोजगार देने में सहायक हो। श्रीमन्, बजट वह अच्छा समझा जाता है जो बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में या मुद्रास्फीति बढ़ रही हो तो उसको रोकने में सहायक हो। श्रीमन्, बजट वह अच्छा समझा जाता है जो हमारे राजस्थान के औसत इन्सान की जो जरूरत की बेसिक चीजें हैं या जो सोशल सर्विसेज हैं उनको उपलब्ध कराने में सहायक हो। मैं अपने यहां के बजट की परिभाषा इन चार-पांच बातों को सामने रख कर करना चाहता हूं।

राजस्थान की जनता सरकार का यह पहला बजट है। पांच बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं अगर उनके आधार पर सहायक होता है तो अच्छा बजट है और यदि सहायक नहीं होता है और उनमें बाधा पैदा करता है, तो बजट को अच्छा नहीं कह सकते। यह मेरी मजबूरी होगी, श्रीमन्, जो

(श्री मथुरादास माथुर)
बजट पेश किया गया है, क्या यह बात सही है कि जो मुद्रा स्फीति देश में बढ़ रही थी, या जो मुद्रा स्फीति हो रही है, जो इन्फ्लेशन देश में बढ़ रहा है, उस इन्फ्लेशन को रोकने में, वित्त मन्त्री जी, आपका यह बजट सहायक है या उसको बढ़ाने में एक औजार का काम कर रहा है ?

श्रीमन्, अपने देश में और खास तौर से राजस्थान में बजट पेश किया गया यह बजट 58 करोड़ 94 लाख डेफिसिट का बताया गया है। जो पेम्फलेट सर्क्यूलेट किया गया है यह भी राजस्थान सरकार का ही है और सदस्यों को सरकार की ओर से ही प्राप्त हुआ है। ओवर आल टेक्सेशन देखते हैं तो 68 करोड़ 59 लाख के होते हैं। बजट स्पीच में डेफिसिट 58 करोड़ 94 लाख का है और इस पेम्फलेट में 68 करोड़ 59 लाख का डेफिसिट है। वित्त मन्त्री जी बतायें कि किसको सही मानें? राजस्थान सरकार द्वारा निकाला हुआ यह है, उसके द्वारा ही यह प्रकाशित किये हुये डाकुमेंट्स हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि इस डाकुमेन्ट को उतनी वक्त नहीं देंगे जितनी वित्त मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसको देंगे। बजट भाषण में यह कहा गया है कि 58.94 करोड़ का डेफिसिट बजट है।

श्रीमन्, जनता सरकार केन्द्र में हो, चाहे सूबों में हो, चाहे राजस्थान में हो या दूसरे सूबे में हो अभी उनमें भी चुनाव हुये ही हैं, वहां पर सभी जनता सरकारों ने अपने बजट पेश किये हैं। एक दो बाकी रह गये हैं। सबको मैंने देखने की कोशिश की तो सब ही डेफिसिट बजट है। भारत सरकार ने पहला बजट पेश किया तो उसका डेफिसिट 72 करोड़ का बताया। एक्चुअली 72 करोड़ का डेफिसिट नहीं था। एक्चुअली 1200 करोड़ का डेफिसिट था। 72 करोड़ का डेफिसिड गवर्नमेंट आफ इण्डिया का न होकर एक्चुअली 1200 करोड़ का था। डेफिसिट की परिभाषा यह है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से जो भी क्रेडिट भारत सरकार लेती है वह डेफिसिट समझा जावेगा। बड़े बड़े अर्थ शास्त्रियों ने इसको माना है। प्रो. वकील एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने भी कहा है कि 1200 करोड़ का भारत सरकार का डेफिसिट बजट है। राजस्थान का 58 करोड़ का है। अभी उड़ीसा ने भी बजट पेश किया है और 40 करोड़ का डेफिसिट का पेश किया है। अन्य सरकारों का भी डेफिसिट का बजट है। उन सब स्टेट्स का कुल मिलाकर 300 करोड़ का डेफिसिट का बजट हो जाता है।

श्री केदार नाथ (गृह मंत्री) : 400 करोड़ का।

श्री मथुरादास माथुर : 400 करोड़ का। जो कुछ भी इन्द्राज था 300 करोड़ 400 करोड़ का हो सकता है। 400 करोड़ का डेफिसिट जहां-जहां भी जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां का बजट है और भारत सरकार का 1200 करोड़ का डेफिसिट है। कुल मिलाकर 1600-1700 करोड़ का डेफिसिट हो जाता है। यह एक डेफिसिट इकानोमी कर डाली है। 1700 करोड़ की डेफिसिट इकानामी होगी तो उसका नतीजा क्या होगा? इस डेफिसिट इकानामी में मुद्रा-स्फीति क्रियेट होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : माफ करिये, थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर निवेदन करूंगा। 1200 का डेफिसिट किस प्रकार सेन्ट्रल बजट में हुआ उसकी डिटेल्स बताने की कृपा करें।

श्री मथुरादास माथुर : प्रो. वकील एण्ड मेनी अदर्स ने बताया है कि भारत सरकार का डेफिसिट समझा जावेगा जो रिजर्व बैंक से नयी गवर्नमेन्ट ने क्रेडिट ली है और वह है 1200 करोड़ रुपये। तो, 1200 करोड़ रुपये का जो क्रेडिट है वह रिजर्व बैंक से भारत सरकार ने विथड्रा कर लिया। वह जो विथड्रा किया है वह ही डेफिसिट समझा जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं? आप भी वित्त मंत्री रहे हैं आपने अब तक परम्परा डाली है?

श्री मथुरादास माथुर : रिजर्व बैंक में जो डेफिसिट है वह डेफिसिट होगा। बजट में आप डेफिसिट कहें या ना कहें लेकिन डेफिसिट होता है। 1200 करोड़ रुपये का भारत सरकार ने जिस वक्त बजट पेश किया उस वक्त डेफिसिट था। उसके अलावा भी आपकी सरकार का, मुख्य मन्त्री जी, अगर रिजर्व बैंक का ओवर ड्राफ्ट इससे ज्यादा है तो एक्चुअल वह समझा जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : जो बजट के आंकड़े हैं वह सब आंकड़े मिला कर जो विथड्राअल्स रिजर्व बैंक से स्टेट ने कर लिये हैं वे वित्त मन्त्री जी ने यहां रखने की कोशिश नहीं की। अगर 58 से कम हैं, तो कोई दलील की बात नहीं है। अगर वह ज्यादा हैं, तो दलील की बात है। जो यह 1200 करोड़ का डेफिसिट किया है इकानामी में यह इन्फलेशन से हुआ है। प्राइस राइज होने के बाद में जो छोटी मोटी सुविधायें अपने बजट से पूअर हाफ आफ सोसाइटी को, कामन मेन को, दे रहे हैं, वे इसका फायदा नहीं उठा सकेंगी।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जून तक के मेरे पास आंकड़े हैं, जुलाई-अगस्त में सदन की स्ट्रेंथ बढ़ी है। करीब करीब जून तक जो मनी सर्कुलेशन का एक पर्सेंट है उसका फिगर 1160 करोड़ रुपया आता है। जुलाई-अगस्त में देख रहे हैं कि मनी सप्लाई का सर्कुलेशन ज्यादा हुआ है। चाहे प्लान हो, चाहे नान प्लान हो मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इन्फलेशन बढ़ेगा और इन्फलेशन बढ़ेगा तो प्राइस राइज होगा। इसलिए निवेदन है कि मनी सप्लाई सर्कुलेशन के लिये भारत सरकार का बजट और आपका बजट दोनों जिम्मेदार हैं और इसलिये देश में इन्फलेशन हो रहा है।

तीसरा निवेदन है कि 1976-77 में इन्फलेशन की रेट एक पर्सेन्ट पर मन्द थी। पिछले साल बेलेन्स्ड हो गया। इसका मतलब, 1976-77 में 12 पर्सेन्ट इन्फलेशन राइज हुआ। मगर मार्च में यहां सेशन शुरू हुआ और जब जनता सरकार ने पहला बजट रखा उसके बाद से आज तक 2 पर्सेन्ट इन्क्रीज हुआ है, डबल हुआ है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब इन्फलेशन डबल हो गया 1977-78 में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1975-76 में कितना था?

श्री मथुरादास माथुर : वह फिगर्स मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिगर्स इसलिये नहीं है कि इससे ज्यादा था।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा इशारा उधर नहीं है। आप 1973-74 की बात कर रहे हैं, 1971-72 की बात कर रहे हैं।

तो, मेरा मतलब यह है, आपका जो बजट है, मुख्य मंत्री जी, जो वित्त मंत्री की अदम मौजूदगी में वित्त मंत्री का काम कर रहे हैं, यह बजट एक अच्छा बजट नहीं है। अच्छे बजट की परिभाषा शुरू में ही है। इकानामिक एक्टिविटिज और प्राइस राइज का बजट राज्य सरकार का ही नहीं है, अन्य राज्य सरकारें भी कम्पोनेंट्स है। भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकारें भी कन्ट्रीब्यूट्री फैक्टर होती हैं। इसलिये भारत सरकार ने जो बजट रखा, आपने जो बजट रखा और अन्य जनता सरकारों ने जो बजट रखे, ये सब इन्फ्लेशन इन्क्रीज कर रहे है बजट के जरिये। It will lead to inflation and, ultimately, to price rise. और इसलिये इस सिचुएशन को रोकना जरूरी है। इसमें आपका बजट कारगर नहीं रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस बजट को अच्छा नहीं कह सकते।

श्रीमन्, दूसरी बात एक बहुत ही मुद्दे की बात है जिस पर बहस चल रही है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय अपना भाषण दिया था और वित्त मंत्री जी ने फाइनेन्स बिल, जिसको हम पास कर चुके हैं, के ऊपर अपने भाषण में उस वक्त ऐसा कहा था और खुद अपने बजट भाषण में यह कहा है—मेरे खयाल से सरकारी एजेन्सी करेक्ट गाइड नहीं करती। मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि पिछली राज्य सरकार ने हमको 75 करोड़ 26 लाख रुपये का घाटा दिया है। पहला बजट जो आपका था वह भी पिछली राज्य सरकार का था। पार्टियां बदलीं, आफिसर वह के वह हैं जो आंकड़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। उन्हीं आंकड़ों के बेसिस पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो पहला बजट रखा था उसमें 75 करोड़ 26 लाख का घाटा नहीं था। इसलिये कांग्रेस सरकार ने इस सरकार को 75 करोड़ 26 लाख रुपये का घाटा नहीं दिया है। श्रीमन्, आपके वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि हमने जो बजट पहले पेश किया था, आज से 6 महीने पहले और आज अमेंडेड बजट जो है उसके अन्दर जो घाटा हुआ था, वह उसमें बताया है करीब 21 करोड़ रुपये का घाटा। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने अपने बजट में 24 करोड़ 62 लाख का घाटा बताया था। श्रीमान्, उन्होंने 3 करोड़ रुपये का टैक्सेशन लगाया था। इसलिये मुमकिन है वह 3 करोड़ निकालकर 21 करोड़ का घाटा बताया हो। इसलिये यह 21 करोड़ का घाटा मान लेता हूं। अब पहले बजट के अन्दर यह बताया गया था कि 1976-77 में डेफिसिट 21 करोड़ 57 लाख का होगा, मगर मैं सदन में पहले भी निवेदन कर चुका हूं और आपके वित्त मन्त्री

Page No 43

(43)

(श्री मथुरादास माथुर)

जी. भी. अब मानते हैं कि यह एस्टीमेटेड घाटा था मगर जब एक्चुअल आंकड़े आये तो वह घाटा सिर्फ 7 करोड़ 48 लाख का रह गया। इसलिए उस बजट में जो उन्होंने डेफिसिट को केलकुलेट करते हुए 21 करोड़ 57 लाख का घाटा बताया था उसमें 12 करोड़ 60 लाख का डिफरेन्स आ गया वह भी आप केलकुलेट कीजिए। इसलिए फिर उस बजट के बाद में दो चीजें हुई। एक चीज तो यह कि कुछ तो आपने बजट स्पीच के अन्दर नये आइटम इन्ट्रोड्यूज किये जो कि करीब करीब 11 करोड़ 4 लाख के थे। वह भी मान लेता हूं। फिर राज्य सरकार ने अधिवेशन के बाद में केबिनेट में कुछ कन्सेशन्स दिये। वह क्या थे? वह कन्सेशन थे—लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स को एबालिश किया था, कंकरी बजरी और पत्थर पर टैक्स माफ किया था और कामर्शियल क्राप पर सैस माफ किया था। यह कुछ कन्सेशन्स थे। सब मिलाकर लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स 75 लाख का होता है। इसका एक करोड़ का रेवेन्यु है जिसमें से 25 लाख का खर्चा है। अब क्योंकि डिपार्टमेन्ट ही एबालिश हो रहा है इसलिए 75 लाख का कन्सेशन हो गया। कंकरी और बजरी का 40 लाख रुपया और कामर्शियल क्राप का 60 लाख रुपया था। इस तरह से 1।। करोड़ का डेफिसिट होता है। फिर एक बात और कही थी। कुछ एनीमल हस्बेण्डरी और अस्पताल वगैरह के बारे में तय किया था। यह कुल मिलाकर मैक्सीमम 25 लाख मान लेता हूं तो इस तरह से 2 करोड़ का कुल हुआ। इन दो करोड़ के कन्सेशन को निकालने के बाद में जो कुल डेफिसिट भूतपूर्व वित्त मन्त्रीजी ने इस साल के बजट में रखा था उस सब को मैंने जोड़ करके निकाला है और निकालने के बाद में 44.74 करोड़ का डेफिसिट आता है। अब इसके अन्दर जो रिसोर्सेस नहीं गिने उनमें 9 करोड़ रुपया बैंक में डिपोजिट है राजस्थान सरकार का। यह आप वित्त मंत्रालय से पूछ लें। 10.19 करोड़ मार्जिनल मनी है वह आपको मिल गया, वह भी जोड़ें। यह 10.19 करोड़ रुपया मार्जिनल मनी जो कि नेचरल केलेमिटी के आधार पर मिलता है वह इसमें जोड़ लें। 3 करोड़ का टैक्सेशन जोड़ लीजिये। फिर उसके बाद में 12.59 करोड़ रुपये का इन्ट्रेस्ट आन लोन्स है। छठे फाइनेन्स कमीशन ने आपको यह कहा है कि जितना लोन लेंगे उसका interest will be looked after by the finance commission or by the Government of india. उनकी रिकमण्डेशन पर आपको 12.59 करोड़ रुपया इस साल देने का वायदा कर लिया है। भारत सरकार के बजट में 12 करोड़ 59 लाख रुपया रख दिया गया है इसलिए वह मिलेगा।

उसके बाद में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के फाइनेन्स कमीशन ने नेक्स्ट 31 मार्च को 7 करोड़ 73 लाख का एकोमोडेशन दिया है वह भी रिकार्ड में मौजूद है। नतीजा यह हुआ कि टोटल 44 करोड़ 5 लाख होता है। यह डेफिसिट अमाउन्ट है वह इसमें से निकाल दें तो 2 करोड़ 23 लाख का डेफिसिट है। भूतपूर्व वित्त मन्त्रीजी ने मार्च के महीने में 1977-78 का बजट पेश किया था। उस बजट का बहुत अध्ययन करने के बाद में 2 करोड़ 23 लाख रुपये के घाटे का बजट होता है। वह भी कह रहे थे कि टैक्स में ऐसी बात क्रियेट कर दी गयी है कि

(श्री मथुरादास माथुर)

यह जितना भी घाटा है यह एक्सेस हो जायेगा। लास्ट थ्री ईयर्स के बजट में यह ट्रेण्ड देखा गया है कि सेल्स टैक्स के जो आंकड़े बताये थे उससे 7–8 करोड़ पर आता है। नतीजा यह है कि जो बजट उन्होंने पेश किया था वह डेफिसिट नहीं था बल्कि कुछ अर्थों में उसको सरप्लस भी कहा जा सकता है। यह जो फिगर्स आपकी इस सरकार के हैं और वित्त मन्त्री जी के पहले और दूसरे भाषण के अन्दर थे उसके आधार पर मैंने कहा है।

अब मौजूदा वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह कहा है कि 21 करोड़, मुझे पता नहीं कहां से ले आये हैं यह आंकड़े, यह कुछ रुपये भूतपूर्व वित्त मन्त्री जी ऐसा कर गये हैं जिससे कि हमको मिलने वाले नहीं है। मगर वह आइटम्स कौन से हैं यह उन्होंने बजट भाषण में नहीं कहा है। मैंने भाषण को खूब पढ़ लिया कि कहां वह दो आइटम्स हैं जो उन्होंने काउन्ट किये हैं और जिनका 21 करोड़ नहीं मिलने वाला है। मैंने काफी ढूंढा मगर कहीं वह दो आइटम्स नहीं मिले। आपने बजट के करीब चार, पांच हजार के पोथे दिये हैं, मैंने सबको देखा लेकिन एक में भी कहीं भी जिक्र नहीं है ऐसे रिसोर्सेस के बारे में जो कि उन्होंने केलकुलेट किये हैं और जो नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए, मुख्य मंत्री जी, आप यह जवाब दें, और आप ठीक समझें तो वित्त मंत्री जी से आप यह जवाब दिला दें कि वह 21 करोड़ के कौन से दो आइटम्स हैं जो कि इसमें नहीं हैं।

इसलिए श्रीमन्, मेरा जो पहला प्रपोजीशन है वह यह है कि कांग्रेस सरकार ने जनता सरकार को जब यह राज्य सौंपा तो उस समय हमने इनको बहुत बड़ी डेफिसिट इकानामी नहीं दी, बहुत बड़ा घाटा नहीं दिया। न तो बहुत बड़ा कोई ओवर-ड्राफ्ट दिया है और न डेफिसिट बजट दिया है, इसको आप देख लें। लाइबिलिटी और असेट्स दोनों को केलकुलेट कर लें तो आपको असेट्स ही ज्यादा दिये हैं। फिर जितने भी लोन्स और डेट्स राज्य सरकार ने अब तक लिये हैं उनकी पूरी सर्विस करते रहे हैं और किसी का भी इन्स्टालमेन्ट और इन्ट्रेस्ट बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस सरकार ने जनता सरकार के मौजूदा मुख्य मंत्री जी, जो कि मेरे सामने बिराजे हुए हैं, को हैल्दी एकानामी दी है। फिर भी मुझे दुःख है कि वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी 75 करोड़ के आंकड़े न जाने कहां से पकड़ लाये हैं जिनके लिए वह भी बार बार कहते रहते हैं और हम भी बार बार कहते रहते हैं।

श्रीमन्, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। 58 करोड़ रुपये का डेफिसिट बजट पेश कर दिया गया, लेकिन उसको पूरा करने के सम्बन्ध में यहां पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि यह हम भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से वातचीत कर के इस डेफिसिट को पूरा कर लें। यह अपने भाषण में कहा है और सदन में कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरे दिन मना आ गया।

श्री मथुरादास माथुर : उसी दिन या दूसरे दिन प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाई उसमें मना

(श्री मथुरादास माथुर)

आ गयी। उन्होंने यह कहा कि यह रुपया हमको कैसे मिलेगा। हमने भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से बातचीत की है। यह वही रुपया है, जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर कर्जा लिया जायेगा, फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लोन्स के ऊपर इन्ट्रेस्ट है वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया हमको देगी। उसके आधार पर हमको यह रुपया मिलेगा वह 25 करोड़ रुपया होता है। भारत सरकार ने कह दिया, जब हमारे यहां के वित्त मंत्री नेगोसियेट करने गये हैं कि साढ़े बारह करोड़ रुपया तो हम दे सकते हैं, यह तो कमिटमेंट है कि साढ़े बारह करोड़ देना है लेकिन 25 करोड़ नहीं देना है। अब उन्होंने कहा 25 करोड़ मिलें या नहीं मिलें लेकिन इसकी मांग है।

43 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी तो फ्लोट करता है और उसको भी इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है। उसके 18 करोड़ रुपये होते हैं। वे कहते हैं ये 18 करोड़ रुपये हमको दें और वे यह कहते हैं यह हम नहीं देंगे। यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक कार्पोरेशन है और यह कामर्शियल आर्गेनाइजेशन हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रुपया मिलता है तो मुझे तो खुशी ही होगी कि भारत सरकार से पैसा आता है लेकिन, श्रीमन्, अगर इसको कामर्शियल नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि भूतपूर्व सरकार ने कई प्रकार की रियायतें देकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तहस-नहस कर दिया है। हमें तो आज सबसे मंहगी बिजली मिलती है। बिजली भी कब चली जाय, इसका कोई पता नहीं है। आप जैसे इज्जतदार आदमी को यदि रात के निमंत्रण पर बुला लिया जाय और बिना नोटिस बिजली चली जाय तो भारी आफत का सामना करना पड़ जाय। कभी बिजली की शार्ट सप्लाई, कभी रांग सप्लाई, इस प्रकार के फ्लक्चुएट होती रहती है और उसके बावजूद हाइएस्ट रेट। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। जब कभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट आयगी तो मैं कहूंगा। मैंने श्रीमन् भैरोंसिंह जी के सब भाषण पढ़ डाले हैं और उनकी ही बात मैं कहूंगा। मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। फिर मुख्य मंत्री जी कोई बात कहेंगे तो मैं मान लूंगा और मैं फिर उसी दिन इनको रात्रि भोज पर बुला लूंगा।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो लोन फ्लोट किये हैं, लोन तो फ्लोट लैंड बैंक भी करता है, आपका फाइनेन्स कार्पोरेशन भी करता है। ये सब इन्ट्रेस्ट भारत सरकार को देना शुरू कर दें तो सोच लीजियेगा। भारत सरकार के वित्त मन्त्री इस सदन के माननीय सदस्य भी रहे हैं इसलिये आप यह सोचते हैं कि वे हमको दे देंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कोई नहीं दे सकेंगे। आपकी यह आशा है कि भारत सरकार में हमारे यहां के वित्त मन्त्री हैं वे दे देंगे। चाहे मुख्य मन्त्री जी कितना ही जोर लगा लें लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मुख्य मन्त्री जी वहां पर जिस काम को करने जाते हैं और करके आ जाते हैं उसका पता नहीं चलता। इसका जनता पर बड़ा असर होता है। भारत सरकार के सामने राजस्थान सरकार ही नहीं है, समस्त भारत उनके सामने है। अगर भारत सरकार ने

(श्री मथुरादास माथुर)
ऐसा करना शुरू किया तो मैं समझता हूं अरबों रुपया इन्ट्रेस्ट का देना पड़ेगा। 43 करोड़ का तो आना है और दूसरों का भी है। तो मैं निवेदन करता हूं आपका उन पर भी असर बहुत है, क्योंकि एक ही घटक के हैं इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुमकिन है वे ले आयें। एक करोड़, सवा करोड़ के लिये तो वित्त मन्त्री भारत सरकार का मोबलाइज कर सकता है लेकिन यह उसूल का सवाल है। यह घाटा तो बढ़ेगा, 58 करोड़ का घाटा है। अब वित्त मन्त्री ने कहा है हम इकानामी करेंगे। 58 करोड़ के घाटे को जो लाये हैं उसमें पांच करोड़ की तो नान-प्लान में इकानामी करने को कहा गया है। भाषा विभाग को मिला देंगे शिक्षा विभाग में, जागीर वाले को मिला देंगे रेवेन्यू में और लैंड बिल्डिंग वाले को मिला देंगे अर्बन सीलिंग वाले में, होटल कार्पोरेशन को भंग कर देंगे—एक आध ऐसी बात और कही है। अब मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, मैंने भी इस सदन में बैठकर कई तरह के अनाउन्समेंट किये हैं लेकिन वास्तव में होता नहीं है। भाषा विभाग को खत्म कर देंगे, इससे क्या इकानामी कर देंगे? भाषा विभाग सेक्रेटेरियट बिल्डिंग में है, कोई किराया भवन का लगता नहीं है। जितना स्टाफ है वह कोई टेम्प्रेरी तो है नहीं, परमानेन्ट स्टाफ है उनको आप निकाल सकते नहीं है। यदि आप यह कहें कि कर्मचारियों को दूसरी जगह लगा देंगे तो काम तो चलेगा ही, उनको वेतन तो देना ही पड़ेगा। इससे कोई मार्जिनल सेविंग हो जाय, यह बात नहीं है। एक दो लाख की सेविंग कर लें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टेलीफोन में इकानामी होने वाली नहीं है।

दूसरा मैं निवेदन करता हूं पांच महकमों को भंग नहीं कर रहे, दूसरों से मिला रहे हैं। इसमें पांच करोड़ की जो इकानामी करना चाहते हैं यह होगी नहीं। होटल कार्पोरेशन को भंग किया है, मैं यह निवेदन करता हूं होटल कार्पोरेशन मुनाफा नहीं दे रहा था तो यह एक अजीब एटीट्यूड है जो अब गवर्नमेंट ने अडाप्ट किया है या पहले वाली सरकार ने किया है कि कोई पब्लिक सेक्टर आर्गेनाइजेशन ठीक नहीं चलता है तो भंग कर दिया जाय और प्राइवेट एजेन्सी को दे दिया जाय, यह उचित तो नहीं कहा जा सकता है, भले ही आप दे दीजिये।

इधर आप कहते हैं नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ायें। मुख्य मन्त्री जी, मुझे सब याद है, आपने यह कहा है, राजस्थान में नान टैक्स रेवेन्यू बढ़नी चाहिये। आज भी राजस्थान में नान टैक्स रेवेन्यू 40 प्रतिशत है और 60 प्रतिशत दूसरी रेवेन्यू है। 40 पर्सेन्ट नान टैक्स रेवेन्यू है, यह पब्लिक सैक्टर से मुनाफा नहीं है, वह जो 40 पर्सेन्ट लोन लेता है पब्लिक से वह भी उसमें शामिल है, जो लोन फ्लोट करता है वह भी शामिल है। इसलिये नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की बात चाहे बजटरी प्रोविजन के लिये कुछ भी कह दें सही मायने में वह है नहीं। पब्लिक सैक्टर आर्गेनाइजेशन कार्मशियल फील्ड में एन्टर होती है फिर चाहे वह ज्वाइन्ट सैक्टर हो या पब्लिक सैक्टर हो उससे जो अर्निंग होगी वह नान-टैक्स रेवेन्यू समझी जायगी। बाकी कर्जा लेकर 40 प्रतिशत हो जाये, उससे क्या फर्क पड़ता है। इधर आपने होटल कार्पोरेशन

(श्री मथुरादास माथुर)
भंग किया, उधर आपने बीकानेर मिल प्राइवेट सैक्टर में दे दी। इसका मतलब प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर चाहे बिगनिंग में घाटा हो, उसको ठीक करने का...

श्री श्योपत सिंह मकासर : बीकानेर मिल को किसने दिया? आपकी सरकार ने दिया था....

श्री मथुरादास माथुर : यह बड़ा डेन्जरस ट्रेन्ड है। इधर हम समाजवाद की बात करते हैं। पहले इधर बैठने वाले समाजवाद का नाम नहीं लेते थे अब तो भारत के संविधान के प्रिएम्बल में समाजवाद आ गया है। कितना बड़ा अन्तर भारत के संविधान में आ गया है। इसलिये कोई भी को-आपरेटिव सैक्टर, पब्लिक एन्टरप्राईज घाटे में गया हो, उसको कभी खतम नहीं किया जाना चाहिये बल्कि उसको ठीक किया जाना चाहिये। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहता हूं, वे सोशलिस्ट हैं, वे इस बात जो देखें कि यदि पब्लिक सैक्टर मे घाटा हो तो कैसे ठीक किया जाय। यह मतलब नहीं है कि घाटा चलता हो तो उसको खतम कर दिया जाए। यह मतलब नहीं होना चाहिये कि यदि बच्चा बीमार हो तो उसको गोली नहीं मार दी जाय, बल्कि उसका इलाज किया जाना चाहिये। मैं फिर निवेदन करता हूं कि इस पर चिन्तन करें।

अब पब्लिक सैक्टर आर्गेनाइजेशन के बारे में, वित्त मंत्रीजी, आपने बड़े जोर से अनाउन्स कर दिया। लेकिन मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमेंट वित्त मंत्रीजी का भाषण आने से पहले ही आ चुका है कि होटल कार्पोरेशन को खतम कर रहे हैं। इसको तो खतम कर रहे हैं लेकिन आगे क्या कर रहे हैं यह तो बता दो? हमने समझा था कि अनाउन्स तो कर दिया है लेकिन अभी तक अपना माइण्ड अप्लाई नहीं किया है इसलिये वित्त मंत्रीजी जब बजट लेकर आयेंगे, क्योंकि यह इकोनोमिक प्रपोजीशन है, बजट में इसका उल्लेख होगा, उस समय बता देंगे कि हम दूसरी ओर क्या व्यवस्था कर रहे हैं? ट्यूरिज्म डवलपमेंट को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं? इसको नहीं दे रहे हैं तो क्या हम इस होटल कोर्पोरेशन को डिपार्टमेंटली चला रहे हैं? यह बात आप मान कर चलिए कि कि कोई भी कोर्पोरेशन मुनाफा कमाता है तो वह राज्य सरकार के बजट में नहीं आएगा क्योंकि इन्कम टैक्स, सैल्स टैक्स और सुपर टैक्स लेने वाले बहुत बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट के मुनाफे का इफेक्ट बजट में आएगा। घाटे का रिफलेक्शन भी बजट में आएगा। अगर कोई पब्लिक सैक्टर आर्गेनाइजेशन, कोर्पोरेशन मुनाफा करेगा तो वह तो बाद में मिलेगा आपको, पहले टैक्स ले लेंगे और घाटा हो जाएगा तो आपकी पूंजी को खा जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचिए। हमारे मुख्य मन्त्रीजी पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। इनको बड़ा ज्ञान है कि किस तरह से क्या होता है। इन्होंने भी कई बार कहा है कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का फक्शन ठीक हो। मेरा निवेदन है कि आप इस पर चिन्तन करें।

वित्त मन्त्रीजी, जो आपने पांच करोड़ की इकोनामी करने का फैसला किया है और

Page No 48

(48)

(श्री मथुरादास माथुर)

उसके लिए चार-पांच बातें भी हमको बताई है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके ये सरकारी आफिसर, ब्यूरोक्रेट्स कभी भी इस इकोनामी को नहीं होने देंगे। यह मैं बहुत बोल्डली कह रहा हूं। क्योंकि आप किसी आफिसर को निकाल नहीं सकेंगे। केवल इधर से उधर कर देंगे इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यह पांच करोड़ की इकोनामी की बात हाउस को मिसलीड करने वाली है। मिस-लीडिंग है और इसलिए यह घाटा 58 करोड़ का नहीं बल्कि 63 करोड़ का होगा। फिर छः महीने में आप पांच करोड़ की इकोनोमी करने वाले हैं। सितम्बर चल रहा है, छः महीने बाकी हैं। छः महीने में पांच करोड़ की इकोनोमी का मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एप्रोक्जीमेटली दस करोड़ की इकोनामी हो। तीनों डिपार्टमेंट्स का टोटल करके देख लीजिए पांच करोड़ तो कुल नहीं होता। इसलिए आप पुनः इस पर चिन्तन करें और हाउस को मिस लीड नहीं करें और घाटा 63 करोड़ का मान लें।

अब आप कहते हैं कि साढ़े तीन करोड़ रुपया एरियर्स और लोन्स की वसूली से पूरा कर लेंगे। मुझे इसमें शक है। अगर वसूली नेचरल कोर्स में हो जाए तो बात दूसरी है वरना अगर आप कर लें तो, मुख्य मन्त्री जी, आपको दाद दूंगा। वैसे भी मैं मुख्य मंत्रीजी के उत्साह की तो दाद देता हूं। उनके बड़े उत्साही भाषण आते हैं, प्रेस कांफ्रेंसेज में उनके भाषण होते हैं और अखबारों में छपते हैं। लेकिन उनकी सरकार इन्सपेक्टर लेवल तक पहुंच सकेगी या नहीं इसमें मुझे शक है। आखिर में ट्रेडर्स हैं, सेल्स टैक्स का सम्बन्ध ट्रेडर्स से है और आज ट्रेडर्स के आप मुनीम है, वे आपका स्वागत करने वाले हैं, आपको माला पहनाने वाले हैं, आपके वोटर्स हैं, उनको आप छू सकेंगे इस हद तक, मुझे शक है। गवर्नमेंट भले ही चार-पांच स्मग्लर्स को छू लेगी लेकिन इतने से ही इकोनोमी पर इम्पेक्ट नहीं होता है। जो कामन ट्रेडर्स हैं उन पर आप यह लागू कर सकेंगे मुझे इसमें शक है। कर देंगे तो मैं आपको सदन में मुबारकबाद दे दूंगा। नहीं कर सके तो आप और हम यहीं पर बैठे हैं, मालुम पड़ जाएगा कि मैंने कहा था वह ठीक निकला। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि आपका डेफिसिट जो है वह 63 करोड़ का ही नहीं बल्कि 63 करोड़ से भी ज्यादा का है। मैं समझता हूं कि एप्रोक्सीमेटली 65 करोड़ का घाटा होगा। . . . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अपने आंकड़ों से ही 58 करोड़ की जगह 22 करोड़ का घाटा बता दिया है और अब 22 करोड़ से 63 करोड़ पर आ गए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं चन्दनमलजी के भाषण की बात नहीं कर रहा हूं। आपने जल्दी में कैलकुलेट कर लिया है . . . . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो अभी बजट के आंकड़े बताए उनका सारा मैंने जोड़ लगाया है और आपके जोड़ से ही 58 करोड़ का घाटा 22 करोड़ रह जाता है। आप अपने आंकड़ों को ही भूल कर 63 करोड़ कर रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : इतनी जल्दी मत करिये, आंकड़ों का मामला है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि 10.19 करोड़ रुपया तो आपको

(श्री मथुरादास माथुर)
मार्जिनल मिलेगा फ्लड एण्ड फैमिन फण्ड का, चन्दनमलजी ने जो बजट रखा था उस वक्त फ्लड नहीं था, उस वक्त पांच करोड़ की सेविंग होने की सम्भावना थी। आज आपके सामने सड़कों के सुधार का सवाल है। सड़कों की रिपेयरिंग में एक्सपेंडीचर होगा और वह उसमें निकल जाएगा। आप एक एक आइटम को चैक कर लीजिए। मेरा कहना यह है कि आपका यह घाटा, 63 करोड़ का जो मैंने फिगर दिया है, 58 और 5 करोड़ मिला कर वह 63 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। अल्टीमेटली और ज्यादा भी हो सकता है। अनफोरसीन सर्कम्सटांसेज में ज्यादा हो सकता है, इसलिए आपका बजट डेफिसिट बजट है। यह बहुत बड़ा डेफिसिट बजट है। यह इनफ्लेशनरी टेंडेन्सी क्रियेट करेगा। आल इन्डिया की स्थिति को देखते हुए यह डेफिसिट बजट है और प्राइस राइज करेगा।

अब आपने एक दो काम और भी कर दिए। आपने कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम को अवण्डन कर दिया। मनी का एक री-एक्शन होता है। जो मनी सप्लाई पहले की सरकार ने बन्द कर दी थी, चुनाव जीत कर आने के लिए आपने उसे उलटा कर दिया। मैं यह मानता हूं कि पोलिटिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से पोलिटिकल डिसीजन इकानामिक डिसीजन्स को रिफलेक्ट करते हैं। पोलिटिकल पार्टीज को डिसीजन लेने पड़ते हैं जो इकोनामी को इफेक्ट करते हैं। जो पहले इकोनामिक डिसीजन था उसको पोलिटिकल डिसीजन ने चेंज कर दिया। आपके इलेक्शन मैनीफेस्टों में वायदा था इसलिए आपने इसको बन्द कर दिया और डी. ए. का फर्स्ट इन्स्टालमेंट रिलीज कर दिया। it will come in the market. it is a two way traffic. अब यह रुपया मार्केट में आएगा और इकोनामी को इफेक्ट करेगा। it is again pouring money in the economy. और इनफ्लेशन क्रियेट करेगा। दूसरा आपने बोनस का कर दिया। 8.33 पर्सेंट बोनस कम्पलसरी कर दिया। मैं मानता हूं कि बोनस डेफर्ड वेज है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन फिर भी इनफ्लेशन तो करेगा ही। सेंट पर्सेन्ट नहीं करेगा लेकिन इनफ्लेशन करेगा। मैं उस डिसीजन का विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर फिर भी इनफ्लेशन करेगा।

तीसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह कर रहा हूं कि पौने आठ पर्सेंट प्राइस इंडेक्स पहुंच चुका है। पौने आठ पर्सेंट से आठ पर्सेंट होते ही एक इंस्टालमेंट डी.ए. का ये शेर के बच्चे मांग लेंगे और वेज कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आपको इंस्टालमेंट देना पड़ेगा डी.ए. का। भारत सरकार को देना पड़ेगा, सभी राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। इसके मायने यह हैं कि दो ढाई सौ करोड़ रुपया और चला जाएगा जो फिर इनफ्लेशन करेगा। आपको देना पड़ेगा एक डी. ए. का इंस्टालमेंट गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को। इस प्रकार इनफ्लेशन बढ़ा कर प्राइस इंडेक्स को आप बरबाद करना चाहते हैं अपने पोलिटिकल डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको कहता हूं कि इसका आल्टरनेटिव यह है कि जो आप डीयरनेस अलाउन्स दे रहे हैं इसकी कार्यवाही को रोकिए। आपके पास बहुत धान पड़ा हुआ है। हर एक आदमी को बारह

Page No 50

(50)

(श्री मथुरादास माथुर)
महीने का धान तो चाहिए ही । पहले धान स्टोर करने के लिए सरकार लोन देती थी, मैंने भी दिया है। आप डीयरनेस अलाउंस के बदले धान दे दें। आपका धान बेकार में पड़ा हुआ बरसात में खराब होता है और उधर वह बाजार से खरीदता है । इस तरह से बारह महीने का धान देने से इनफ्लेशन भी रुक जायगा। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस पर आप भी सोचें, गवर्नमेंट सर्वेन्ट भी सोचें। हर डिपार्टमेंट के अन्दर एक एक डिपार्टमेंटल स्टोर, कोआपरेटिव स्टोर होना चाहिए, जिस प्रकार हर डिपार्टमेंट में फाइनेन्स का पार्ट होता है उसी तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर होना चाहिए जहां से 1961-62 के प्राइस इण्डेक्स रेट पर आपको चीजें देनी चाहिए । उससे जो घाटा होता है वह गवर्नमेंट बीयर कर ले । यह एण्टी इनफ्लेशनरी होगा, मनी सप्लाई रोक देगा और गवर्नमेंट सर्वेन्ट को भी आराम हो जायगा। आज आप एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट को पांच रुपये की बढ़ोतरी देते हैं उससे एक चाय का प्याला भी उसको हर रोज नहीं मिल सकता। जो पांच रुपया आप देते हैं उससे वह सेक्रेटेरियट टाइम में चाय पी लेता है और हाउस वाइफ को कोड़ी नहीं दे सकता। इस रोग से, इस वीसियस सोकल से आपको निकलना पड़ेगा । मुख्य मन्त्री जी ने अपने गवर्नर साहब के मुंह में डाल कर बड़ी तारीफ करवा ली कि हम इनफ्लेशन को रोक लेंगे लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यह आपसे रुकने वाला नहीं है । आप प्राइस कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे । पांच वर्ष तक आप कुर्सी पर बैठें हम भी यह चाहते हैं लेकिन यह फाइनेन्सियल प्रास्पेक्टस, प्राइस इन्डेक्स पहले ही खा जाएगा हम उसमें भी आपके सहयोगी हैं ।

श्रीमन्, मैं अब बजट के दूसरे पहलू पर आता हूं । दूसरा पहलू यह है कि अभी बहुत ही जोर से मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया । उनके भाषण का मैं मुरीद हूं । मुरीद में भय भी है और प्रेम भी है । मैं तो प्रेम से ही उनके भाषण को पढ़ता हूं । चार पांच साल में यहां पर नहीं रहा तो वे भी इस सदन में नहीं रहे। परन्तु करीब करीब उनके भाषण को मैं सुनता रहा हूं । उनके भाषण में यह बात ज्यादा थी कि तुम्हारी सरकार जा रही थी, यह कर दिया, वह कर दिया। हमारी सरकार तो जा रही थी और वह कर दिया परन्तु आपने यह क्यों नहीं कर दिया ? आपकी तो मंजिल अभी बहुत दूर है । अभी पांच साल हम आपको रखना चाहते हैं । इस सदन में रखना चाहते । मैं तो जबर्दस्ती इनको बिठाए रखना चाहता हूं । जल्दी नहीं करनी चाहिए । अभी आपने स्कूल सैकड़ों की तादाद में पांच साला योजना की जगह एक में खोल दिये, आपने यह भूल क्यों कर दी ? आप अपने घर से नहीं जोड़ रहे हैं । श्रीमन्, सन् 52 से मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं और राजस्थान सरकार का एक छोटा सा मिनिस्टर करीब 20 साल रहा हूं । कभी भी जब योजना बनाना शुरू हुई तो यह आपा धापी मैने नहीं देखी । यह जो आपाधापी चल रही है, यह मैंने नहीं देखी····

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आपके शब्दों के अर्थ समझते हैं ।

श्री मथरादास माथुर : मैंने अध्यक्ष महोदय के शब्दों को ही कोट किया है। जो नये स्कूल खोले गये हैं मैं उनके बारे में, मुख्य मन्त्री जी, जब शिक्षा की डिमाण्ड आयेगी, उस समय चर्चा करूंगा । एक ही दृष्टिकोण

(श्री मथुरादास माथुर)

से अभी यह बात कही है कि पूरी योजना, पांच साल में जितने स्कूल खोलने थे उतने स्कूल एक साल में खोलकर आपने पांच साला योजना पूरी कर दी और बाकी के साल खूंटी पर टांग दिये। इसलिए आप से निवेदन कर रहा हूं कि इसके ऊपर चिन्तन करें।

श्री मदनसिंह दांता : क्या नए स्कूलों का बन्द कर दें ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मैंने कब कहा है। यह उनके सोचने की बात है, श्रीमन्, अब मैं राजस्थान की जो अर्थ व्यवस्था है, उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा, वित्त मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण में कहा है मैं उनके आप्टिमिज्म की तारीफ करता हूं। खुद आप्टिमिस्ट हूं। मगर, श्रीमन्, अच्छा बजट वह होता है जो स्टेट की वेल्थ को बढ़ावे। अब इस वक्त जो हालात बन गये हैं, मुझे भय है पचास प्रतिशत हमारी स्टेट वेल्थ जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, वह कम हो रही है। इस एग्रीकल्चर सैक्टर में आज तीन बातें हो रही हैं। आप कुछ हैक्टेयर एरिया अन्दर कल्टीवेशन ले आए हैं। यह हर साल होता है। इसकी कोई नाप नहीं करायी जाती है। मगर बजट स्पीच में यह फिगर आ जाता है। इस साल की क्राप के बारे में फोरकास्ट नहीं की गई है। परन्तु जो आपके इकानामिक रिव्यू करने वाले हैं, उन्होंने भी यह कहा है, वह मिक्स्ड है। मेरा यह कहना है कि कुछ जिलों में तो फ्लड्स आए हैं, वहां पर खेती नहीं हो सकती, पानी भरा है और रबी क उनका पानी सूखने की आशा नहीं है। यह पानी सूखना मुश्किल है। कुछ एरियाज के अन्दर बरसात नहीं हुई है। पहले हो गई परन्तु बाद में दूसरी, तीसरी बरसात नहीं हुई इसलिए वहां पर फेमिन कन्डीशन्स पैदा हो गई। फेमिन कन्डीशन से स्केअरसिटी भी हो गई। फेमिन कन्डीशन के साथ-साथ मुख्य मंत्रीजी, कुछ एरियाज में फ्लड्स भी आये हैं इसलिए उन एरियाज में कल्टीवेशन नहीं होगा, होगा तो कम होगा। तीसरा जहां पर प्रोडक्शन होगा, वहां पर प्रोडक्शन होगा पूरे हैक्टेयर में वह भी कम होगा। तीसरी बात फसलों में डिजीज लग गई, कातरा लग गया। हमारे इलाके के अन्दर फसलों को कीड़ा लग गया। इसको भी डिजीज कहते हैं। इसकी वजह से भी डेजर्ट एरियाज में खास तौर से नागौर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट्स में बाजरे की पैदावार नहीं हो पाएगी, कम होगी। मुख्य मंत्रीजी यह सब जानते हैं, जानकर भी वे अपने भाषण में गुर्राते हैं। श्रीमन्, हमारे यहां पर 1975-76 के आंकड़ों के अनुसार स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन 25 हजार 58 करोड़ रुपये का हुआ। पर कैपिटा इन्कम 894 रुपये थी। अब 1977-78 के छः महीने तो गुजर गए हैं, परन्तु अभी तक कोई फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है। परन्तु जो हालात मैं देख रहा हूं, अपने इलाके में घूम कर देखा है, कहीं पर बाढ़ आई है, कहीं पर कातरा लग गया है, यह सब देखना अपने आप में एक फोरकास्ट ही है। इन हालात में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो उन्होंने 1977 लाख टन माना था, इस साल वह कर पाएंगे ? मैं समझता हूं कि यह 77 लाख टन प्रोडक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 1975-76 से भी कन्डीशन खराब है।

(श्री मथुरादास माथुर)
1975 में कई जगह अकाल था। इस साल नेशनल डोमेस्टिक प्रोड्क्शन गिरा है, वह कम होगा।

दूसरे हमारी सम्पत्ति, प्रान्त की सम्पत्ति नेशनल वेल्थ है, यह दूसरा सैक्टर है हमारा इण्डस्ट्रियल सैक्टर। इसमें भी, श्रीमान, न जाने किस का दोष है, जो ट्रेन्ड मैं देख रहा हू उसके बारे में आपके पास एडजोर्नमेंट मोशन भी आ रहे है और फिगर्स राज्य सरकार ने हमको अवेलेबल किये हैं, उनके अनुसार इस साल के पहले क्वार्टर के अन्दर 32916 मैन डेज का लासेज हुआ है। दूसरे क्वार्टर में 14 लाख 55 हजार 4 मैन डेज का लास है। यह लास स्ट्राइक की वजह से होता है, लाक अप की वजह से होता है और लाक अप की वजह से जो लास हुआ है वह एडीशनल लास है। कोई कारखाना बंद हो गया तो लाक आउट मिल मालिक ने कर दिया, या मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो मैन डेज का लास हो गया जो 1975-76 में नहीं हुआ, 1976-77 में नहीं हुआ। इतने मैन डेज का लास होना, इसके मायने यह है कि प्रोड्क्शन गिरा है। दूसरे आपकी इकानामी मिक्स्ड है और यह जो रिव्यू है वह भी मिक्स्ड है। यह लास्ट ईयर की बात कह रहा हूं। इसमें प्रोड्क्शन कुछ मिनरल्स में तो बढ़ा है बाकी बातों में गिरा है। एक मिनरल्स की रिपोर्ट सन्तोषजनक है। टोटल ओवर आल जो इकोनामिक कन्डीशन है, जो एग्रीकल्चरल और इण्डस्ट्रियल सैक्टर हैं उसमें ये तीन बातें इम्पार्टेन्ट हैं और ये इसका कन्ट्रीब्यूटरी फेक्टर हैं। इन तीनों के अन्दर मुझे लासेज दिखाई दे रहे हैं और हमारी जो पर-कैपिटा इनकम 1976-77 में 894 रुपये थी, और 1977-78 की फोरकास्ट नहीं की गई है, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह पर कैपिटा इनकम इस साल गिरेगी और आपका यह बजट इसको कम होने से नहीं रोक पाएगा।

श्रीमन्, मैंने पहले भी यह कहा है कि अच्छा बजट वह है जो स्टेट की वैल्थ को बढ़ावे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ावे और पर कैपिटा इनकम को बढ़ावे परन्तु इस बजट से ये बढ़ती नहीं दिखाई देती हैं। प्रोड्क्शन गिर रहा है। वित्त मंत्री जी बड़े सगुन लेकर पधारे थे परन्तु वह सगुन अच्छा नहीं हुआ। कुछ तो कुदरत ने, कुछ हालात ने और कुछ आपकी पार्टी के प्रेशर ने यह सब आपसे करा दिया। यह सब आपकी मजबूरी है। इसलिए इस साल के अन्दर, 1977-78 के अन्दर आप राजस्थान में देश की दौलत को कम ही करेंगे, इसमें इजाफा नहीं कर पायेंगे।

तीसरा, श्रीमन्, अब मैं इकानामिक रिव्यू के बारे में कुछ बातों की ओर इस सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा। एक है एम्पलायमेंट आपका बजट एम्प्लायमेण्ट पोटेंसियलिटी कितनी क्रियेट करता है। आपकी पार्टी ने हिन्दुस्तान में जो बेकारी है, जो बेकार हैं और आगे पैदा होंगे, उन सब के बारे में कहा है कि अगले दस साल में हिन्दुस्तान में कोई बेकार नहीं रहेगा। आपका यह इलेक्शन मैनीफेस्टो है। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दस साल तो बहुत लम्बा टाइम है, कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, कौन कहां बैठेगा...

एक माननीय सदस्य : तब दूसरे बन जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : लेकिन यह सदन रहेगा। हमारा जो पुराना 1976-77 का 1/10 पुराना बैक लॉग है, इसको तो हम क्लियर कर दें। शुरू के अन्दर बिस्मिल्ला ही आप गलत करेंगे तो आपका जो अन-एम्प्लायमेंट का फिगर है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्लास में चेंज होगा।

श्री मथुरादास माथुर : क्लास में चेंज नहीं होगा।

वित्त मन्त्री जी ने आंकड़े दिये हैं। उनके अनुसार 4807 पढ़े लिखे लोग बेकार हैं। आप 5 हजार पढ़े-लिखे लोगों को एम्प्लाय नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्राब्लम राजस्थान में पढ़े-लिखे लोगों की है। मैं लेबर की बात नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं आपके एम्प्लायमेण्ट एक्सचेंज के अन्दर जो आपका रिकार्ड होता है, उसके आधार पर 5 हजार आदमियों को एम्प्लाय करने का आपने निर्णय किया है। लेकिन कब तक। बांधों पर आपने इतना रुपया खर्च किया है। चाहे माही हो, चाहे राजस्थान कैनाल हो, भाखड़ा नांगल तो खत्म ही हुआ, राजस्थान कैनाल का फर्स्ट फेज ले लीजिए, चम्बल ले लीजिए, वह भी पूरा हो रहा है, फिर आप एम्प्लायमेंट कैसे देंगे? भारत सरकार ने राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिए बजट में क्या प्रावधान किया है, वह कहीं नहीं आया है। भगवान आपके दिमाग को जल्दी ठीक करें। आपकी मिनिस्ट्री में कोई आये या नहीं लेकिन मैं आपकी दिल्ली यात्रा को राजनैतिक यात्रा कहता हूं, सरकारी यात्रा नहीं कहता हूं। मैं तो यह देख रहा हूं, आपने मोरारजी को जो कहा था वह आपको पूरा करना चाहिए। मैं तो दस साल दिल्ली में रहा। मेरा तो वह बोलवाला नहीं रहा लेकिन आपका दिल्ली में बोलवाला है। आप सोचिए, सैकिण्ड फेज कैसे पूरा होगा? आप एम्प्लायमेण्ट कैसे देंगे? आज वर्कलोड कम है, आदमी ज्यादा हैं। इसका जो राजस्थान एक्सचेकर कण्ट्रीब्यूशन करते हैं, उन पर बोझ है। न माही में आप एम्प्लायमेंट दे पायेंगे और न वहां दे पायेंगे। आप कोई नयी छोटी योजनाएं बनायें तो उसमें आप दे सकेंगे। इसलिए आपका बजट एम्प्लायमेण्ट पेण्डिग हैं।

अब आपने इतने स्कूल, कालेज और पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने की बात कही है तो एजूकेटेड पर्सन्स के लिये एम्प्लायमेण्ट पैदा करेंगे। ऐसा कोई इन्कलाब कहने से ही हो जाता हो यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। भाषण में आपने यह बड़े जोर से कहा था। बड़ी ताली बजी। मैंने भी ताली बजाई। लेकिन जब मैंने पढ़कर देखा तो मेरे हाथ में लकवा हो गया। आप 10 करोड़ रुपया और राजस्थान को दें तो एम्प्लायमेण्ट के लिए कुछ हो सकता है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूं कि हमारा कोई सहयोग चाहें तो मैं तैयार हूं। मैं जब वित्त मन्त्री था तो हमको रुपया नहीं मिलता था। आप इस मायने में भाग्यशाली हैं। प्लान बनाते हैं और प्लान का साइज बड़ा हो जाता है तो, इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे कोई आदमी मोटा हो जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। आप वापस कितनी इकानॉमी को फ्लोट कर सकते हैं? वित्त मन्त्रीजी से पूछता हूं कि चन्दनमल जी ने 24 करोड़ का घाटा बताया

Page No 54

(54)

(श्री मथुरादास माथुर)

था आपने इतने का बताया है। आपका नान् प्लान में कुछ इधर कुछ उधर खर्चा होगा। A small plan can bring better economic growth than big and fat plan. मेरा निवेदन है कि इस पर भी आप विचार करें। मैंने कहा था मैं आपका बहुत ही कद्रदान हूं। आप जैसे व्यक्ति वित्त मन्त्री के ओहदे पर बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तक कैसे बैठे थे ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो एक शरीफ आदमी दूसरे को शरीफ देखता है।

अब मैं वित्त मन्त्री जी की जो योजना है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उसको पढ़ते हुए मेरी निगाह अगर कहीं रुकी है तो वह एक ही जगह रुकी है। मैं उसके लिए वित्त मन्त्रीजी को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन कण्डीशनल मुबारकबाद देता हूं। आपने यह जो "अन्त्योदय" शब्द लिखा है। माफ करें मैं हिन्दी में कमजोर हूं। इस अन्त्योदय योजना में आप 5 गरीब कुनबों को सहायता देना चाहते हैं। हमारा सहयोग इसमें मत लीजिये वरना पूरी पौलिटिक्स हो जायगी। आप अपने स्टेटिस-टिक्स पर चलें कि पूअर फेमिलीज कौन कौनसी हैं। उनके आधार पर आप इन पांच फेमिलीज का चुनाव करिये। राजस्थान में, 33 हजार गांव हैं, हर एक गांव में पांच फेमिलीज के हिसाब से इसमें 1 लाख 65 हजार फेमिलीज होंगी। इनको आप क्या मदद करना चाहते हैं? किस प्रकार से मदद करना चाहते हैं? उनकी इकॉनॉमिक कन्डीशन्स को ठीक करना चाहते हैं तो किस हद तक? उस हद तक कि वे पोवर्टी लाइन के ऊपर चले जायं। इस तरह से आप 15% तक कर लेंगे, यह कहा गया है। यहां जो पोवर्टी लाइन है यह किसी की बनाई हुई नहीं है। जो 40 रुपया पर हैड पर मन्थ पाने वाले हैं वह पावर्टी लाइन के नीचे हैं और बाकी उसके ऊपर हैं। यह पावर्टी लाइन की डेफिनेशन डा. महालनबिस ने आज से बीस साल पहले की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय 40/- रु. नहीं थी।

श्री मथुरादास माथुर : उस समय 30 थी उसके बाद 40 हो गई। मैं जानता हूं आपकी याददाश्त ठीक है। 1969 में मैंने तीसरी पंचसाला योजना बनाई थी, 1971 में मैं चला ही गया था। यह...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : 1969 में योजना बन चुकी थी। अब 40 से 60 कर दें इस पर विचार चल रहा है। इससे यह पावर्टी लाइन बदल जायगी। अब यह 60/- रु. एक आदमी की इनकम एक महीने की मानेंगे। अभी एक कुनबे में हम 40/-रुपये पर हैड मानकर चलें तो एक घर में 200/- की आमदनी होगी। एक घर में हम पांच आदमी मानते हैं, एक दो माइनर होंगे। अब 40/- रु. की आमदनी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय माथुर साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 40/- पर हैड है या पर फैमिली ?

श्री मथुरादास माथुर : पर हेड, पर केपिटा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान में जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार 56 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं, आपके अनुमान से तो 70 प्रतिशत हो गया, आपकी देन है इसलिए।

श्री मथुरादास माथुर : यह मेरी देन नहीं है, श्रीमन्, मैं इस प्वाइन्ट को भी क्लियर कर दूंगा। यह तो हिस्टोरिकल देन है। यह तो चली आ रही है, यह किसी की देन नहीं है। इसके लिए तो वास्ट पोपूलेशन फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है। इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं।

श्री रामकरण सिंह : आगे तो ठीक हो जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमन्, मैं मुख्य मंत्रीजी और वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1 लाख 65 हजार फैमिलीज पावर्टी लाईन के नीचे हैं। एक फैमिली में कम से कम दो सौ रुपये से ज्यादा पैदा करने की क्षमता पैदा करें तब वह पावर्टी लाइन के ऊपर जायगी। दो सौ से ज्यादा करवानी हो तो लैण्डलैस होगा तो लैण्ड देंगे, कोई क्राफ्ट्समेन या आर्टिजन होगा तो उसको आप टूल्स और मशीन्स देंगे और कुछ नहीं तो गाय या भैंस देंगे। यह तीन बातें आपने कही हैं। उसको ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और भी बातें कही हैं, शायद आपने नहीं पढ़ीं।

श्री मथुरादास माथुर : हो सकता है। बेलदार होगा तो आप तगार देंगे। आप बहुत लिबरल हैं इस मामले में। यह आप करेंगे। अब दो सौ रुपये माहवार से ज्यादा की आमदनी पैदा करने के लिए, एक घर के अन्दर अगर पांच आदमी मानें तो आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? एक हजार रुपये मिनिमम आप इन्वेस्ट करेंगे तो लेबर तो ...

श्री मूलचन्द डागा : हजार रुपये की इन्वेस्टमेंट से दो सौ रुपए नहीं हो सकते।

श्री मथुरादास माथुर : इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के तो आंकड़े हैं लेकिन यह तो मिक्स्ड इकोनामी है। इसमें तो लैण्ड भी है, डेयरीज भी हैं, आर्टिजन्स भी हैं, लेबर भी है। इस इन्वेस्टमेन्ट के हिसाब से आप एक हजार रुपये लगायें तो 16 करोड़ 50 लाख रुपये का इन्वेस्टमेन्ट चाहिए। आपने बजट में 25 लाख रुपये रखे हैं और आपने यह भी कहा कि यह टोकन है। आप सप्लीमेन्ट्री बजट में कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पचास लाख ही कर सकते हैं, करोड़ थोड़े ही कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसको ब्रोड बनादें। इसके लिए दूसरी स्कीम्स को मर्सीलेसली काट दें। कोई हर्ज नहीं अगर कुछ स्कूल कम खोले जायं। इसकी आप पूरी योजना बनावें। दूसरी स्कीम्स से पैसा बचाकर आप पैसा इसका बढ़ा दें। यह सक्सेसफुल हो जाती है तो एक इकोनामिक बेस बन जायगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको कोई पार्टी इश्यू नहीं बनायें। हम दोनों मिलकर इसको कामयाब करें। मगर 25 लाख रुपये ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 25 लाख रुपये तो केवल इसको सप्लीमेन्ट करने के लिए हैं।

श्री रामकरण सिंह : पहले भी सरकार की योजना थी, लोन एडवान्समेन्ट की।

श्री मथुरादास माथुर : बैंकों से लोनिंग नहीं हो सकता क्योंकि न तो वह मार्जिनल फार्मर है, न उसके पास टूल्स हैं, न पैसा है, यह तो लैण्डलेस है वह बहुत ही मुश्किल से अपना काम चला रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस स्कीम को आप और ब्रोड बनाइये, इसकी डिटेल्स में जाइये। किसी आइटम पर फोर्मल थैंक्स देने की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए मैं तैयार हूं। इसके लिए कोई पोलिटिकल स्टन्ट नहीं होगा, कोई पोलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं होगी। इस योजना के लिये पूरा रुपया दिया जाय, इस प्रकार से इसको करेंगे तो यह ठीक है नहीं तो कामयाब नहीं हो सकेगी।

अब वित्त मंत्री जी से दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं बड़ी देर से कहने की सोच रहा था। पहले हमने सुना था कि आप राजस्थान के मुख्य मंत्री बनने वाले हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि राजस्थान के हमारे पुराने नेता मुख्य मंत्री बनेंगे तो अब दारु कम हो जाएगा, सेंट पर्सेंट प्रोहिबिशन हो जाएगा। थोड़े दिन पहले आपका स्टेटमेंट आया था कि यदि प्रोहिबिशन नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। अब आपने कहा है कि इसी साल पूरा प्रोहिबिशन कर देंगे। बड़ी खुशी हुई कि इस साल हो जाएगा। हमारे माननीय सदस्य और जो उधर बैठे हुए हैं उनमें रोज यह चर्चा चलती थी मगर जब बजट आया तो मैंने सोचा भाषा भैरोंसिंहजी की है, जबान मास्टर आदित्येन्द्रजी की है क्योंकि मुख्य मंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने भी तो 1967 में कहा था कि 1972 तक कर देंगे। जब आप वित्त मंत्री थे तब आपने कहा था कि निश्चित रूप से कर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे ज्यादा देर तक नहीं रखा वरना यह काम मैं करके जाता। वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में तीन बातें कहीं। मैं यह आशा लेकर नहीं चलता था क्योंकि आप गांधीवादी हैं, शुद्ध विचार के हैं, आपके प्रति हमारे दिल में श्रद्धा है। एक तो आपने कहा कि भूतपूर्व सरकार की ढिलमिल नीति है। दूसरे, हम लोग इस प्रोहिबिशन के रिसोर्सेज को विकास का साधन समझते रहे। तीसरे, 1962 में हमने फायदा नहीं उठाया। मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि हमारी नीति तो ढिलमिल रही, आपकी कौनसी तंग है? आपने दो जिले चुने हैं—बूंदी और टोंक। क्या आपको इलहाम हुआ, रात को सपना आया था? कौन सा क्राइटेरिया है इन दो जिलों को चुनने का? मेरे पास क्राइटेरिया था। मैंने गुजरात के बोर्डर को चुना, उस राज्य में प्रोहिबिशन है। मैंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा चुना, फिर सिरोही चुना, फिर जालोर और जोधपुर। आप जोधपुर और पाली कर डालते तो एक डिवीजन तो क्लीयर हो जाता ...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपका ध्यान रखा गया है।

Page No 57

(57)

श्री मथुरादास माथुर : आपने 4 वर्ष की अवधि डाल दी। उसके बाद मास्टर साहब न जाने आप रहेंगे या मैं रहूंगा । किसको कौन उलझा देगा ? आप हिन्दुस्तान और राजस्थान की तवारीख में चले जायं इस दुनियां से सबको एक दिन जाना है। आपके जाने के बाद मूर्तियां खड़ी कर देंगे। मुझे खेद है कि आप भैरोंसिंहजी के चक्कर में आ गए, जो मुख्य मन्त्री जी के नाते उनकी जिम्मेदारी है आमदनी कायम रखने की उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आपने इसको विकास का साधन माना है। मैं समझता हूं कि आपकी जो आमदनी हो जाएगी उसको आप अछूता ही रखें। शीशे के मकान में बैठकर पत्थर क्यों फेंकते हो ? 4 वर्ष की बात कहकर आप इस बात का सबूत देते हैं कि आप सीरियस नहीं हैं, आप राजनीति के खिलाड़ी हैं, आप खेल खेलना चाहते हैं। राजस्थान के 7 जिलों में प्रोहिबिशन हो चुका है, 19 जिलों में बाकी है। यदि आपको 4 साल में पूरा करना है तो कम से कम 4–5 जिलों में तो करते तो हम समझते कि 1/4 जिलों में कर दिया। आपने दो छोटे जिले चुने क्योंकि वहां आमदनी कम है वहां पर दो महिला कलेक्टर हैं, मगर आमदनी कम है इसलिए आपने कर दिया।

आपने लाटरी क्यों खत्म कर डाली, मेरी समझ में नहीं आता। हर एक आदमी की अलग अलग एथिक्स पोलिटिक्स में नहीं चलती। आप 15 लाख की लाटरी को 5 परिवारों वाली योजना में डाल देते तो अच्छा रहता। लाटरी के द्वारा 6 हजार आदमियों को रोजगार मिलता है जिनको आपने बेरोजगार कर दिया। जगह जगह एजेन्ट हैं, जिन्हें कमीशन मिलता है वे 2–2॥ रुपए रोजाना कमा लेते हैं। इसके साथ ही 15 लाख रुपए का घाटा कर डाला। आपके पास कौनसा सर्वोदयी क्राइ-टेरिया है ? कौनसा खुदा के पास जल्दी पहुंचने का रास्ता निकाला है ? बम्बई में यदि रैसेज हो सकती हैं और लाखों रुपए महाराष्ट्र सरकार कमाती है तो हम भी चाहते हैं कि देश के पूंजीपति लोग, जो इस तरह से जूआ में खर्च करते हैं, सरकार को आमदनी साधन मिलता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

आपने बहुत बार कहा है कि ये जो इर्रिगेशन रेट्स है यह टैक्स नहीं है, यह सर्विस है। आप मेरे घर पर सर्विस करें या मैं करूं तो सर्विस में जितना पैसा खर्च हो उतना लेना चाहिए। आप रोज भाषण दिया करते थे यहां बैठकर, मुझे वह भाषण याद है। आपने दुनिया भर के टैक्स लगा डाले। सिगरेट के होल्डर पर टैक्स लगाया है। हम लोग और हमारी बिरादरी के यह पीने वाले हैं। इसके अलावा चिरूट पाइप पर टैक्स लगाया। लोग दिल्ली से लायेंगे। पड़ोसी राज्यों में अगर टैक्स है 7–8 प्रतिशत और यहां 10–12 प्रतिशत है तो ट्रेड शिफ्ट हो जाएगा और आपकी आमदनी नहीं होगी, इकानामी में लोस होगा। आप इस प्रिंसिपल को याद रखें। मेरे पास दिल्ली, हरियाणा और मध्यप्रदेश के फिगर्स नहीं हैं मैंने कोशिश भी की, नहीं मिल पाए। अब लोग हमें देने में घबराते हैं। फिगर्स मिल जाते तो मैं आपको बता देता कि कितनी आमदनी कम होने वाली है और कितना ट्रेड शिफ्ट होकर दिल्ली जाने वाला है। इर्रिगेशन की जो कास्ट आफ सर्विस है, वह किसी से चार्ज

(श्री मथुरादास माथुर)
नहीं करते । राजस्थान में इरिगेशन की सब्सीडाइज्ड रेट्स हैं । हम लोग नान-इरिगेटिड एरिया में रहते हैं, हमारा पैसा उस सिंचाई के अन्दर मदद देता है तो यह कहा का न्याय और इक्विटी है ? आप राजनैतिक ग्राउंड्स पर विचार न करें लेकिन यह बहुत बड़ा सिद्धांत है· · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या राज्य सरकार को इरिगेशन रेट्स बढ़ानी चाहिए ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं रेट्स बढ़ाने की बात नहीं कहता । मैं कह रहा हूं कि चाहे पीने का पानी हो, इरिगेशन वाटर हो, किसी तरह की सर्विस हो उन पर जितना खर्चा होता है, जिनको वह सर्विस रेन्डर की जाती है उनसे इनका खर्चा चार्ज होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब है कि कामर्शियल बेसिस पर चलना चाहिए, नो प्राफिट नो लॉस बेसिस पर चलना चाहिए और यदि टैक्सेशन में कमी है तो टैक्स बढ़ाकर पूर्ति करनी चाहिए ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको जनरल प्रिन्सिपल को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो हमें सलाह दीजिए, क्या इरिगेशन पर रेट नहीं बढ़ायी जाय या बढ़ायी जायं ।

श्री मथुरादास माथुर : इरिगेशन के लिए हो चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो ऐसी सर्विसेज के ऊपर ओवर हाल एक्सपेन्डीचर को ध्यान में रखकर फायदे का काम करने की जरूरत है । अगर उससे फूड प्रोडक्शन में बढ़ोत्तरी होती है तो उसको ध्यान में रखने की भी आवश्यकता है । एक रिफार्म कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में आपके गृह मंत्रीजी हैं । वह शायद टैक्स लगाने के मामले टालमटोल इरिगेटिड एरिया के बारे में करेंगे । लेकिन आप सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रैशनलाइज सिस्टम से टैक्सेशन कीजिए । अध्यक्ष महोदय, काफी समय हो गया है इसलिए इन्हीं लब्जों के साथ में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि एक अच्छे बजट के लिए जो पांच बातें बताई इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप बजट बनाते तो वह अच्छा बजट बनता । वैसे वित्त मंत्रीजी तो अच्छे हैं लेकिन बजट अच्छा नहीं है । इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री माणकलाल ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ? कल भी इनका भाषण चल रहा था । सदन का समय समाप्त हो गया था तो इन्हें आज शुरू में ही कन्टीन्यू करने देते तो कोई बात समझ में आ सकती थी लेकिन अब जब दूसरे सदस्य बोल चुके हैं तो बीच में इनका नाम बोलने [illegible] क्यों लिया जा रहा है ?

एक माननीय सदस्य : यह तो पहले ही तय कर दिया था ।

श्री माणकलाल (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ मैंने निवेदन किया था उसको नहीं दोहराते हुए मैं अपना भाषण संक्षेप में ही देना चाहूंगा ।

(श्री माणकलाल)

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि वर्तमान बजट जो सदन में प्रस्तुत हुआ है वह इस सदन में पिछले तीस वर्षों में जो कांग्रेसी शासन में बजट प्रस्तुत होते थे उन सबसे अधिक उत्तम बजट है। इस संबंध में, मैं, अधिक नहीं कहते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं। ...

(2.25 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि अभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा था कि वर्तमान बजट जो वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है वह घाटे का बजट प्रस्तुत किया है, वह अच्छा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जो डेफिसिट बजट होता है वह किसी भी कल्याणकारी और विशेषकर समाजवादी व्यवस्था वाली राज्य सरकार के हित में नहीं होता है। क्योंकि डेफिसिट को पूरा करने के लिये सरकार को तरह तरह के टैक्स लगाने पड़ते हैं और टैक्स लगाकर उस घाटे को पूरा किया जाता है जिससे कि जनता पर टैक्सों का भार पड़ता है। एक कल्याणकारी राज्य में और समाजवादी व्यवस्था वाले राज्य में जनता के हितों को सर्वोपरि माना जाता है और जनता पर कर भार का बोझा लादा जाना उचित नहीं समझा जाता है। ऐसी स्थिति में जब कि डेफिसिट बजट आ जाता है तो फिर सरकार को मजबूरन टैक्स लगाकर उस भार को पूरा करना पड़ता है जो कि एक हद तक उचित है। मुझे यह बात विरोधी दल के माननीय सदस्य के मुंह से सुन कर बड़ा ही दुःख हुआ कि बजट अच्छा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने ऐसा कहा। पिछले तीस वर्षों से जो बजट यहां पर प्रस्तुत किये जाते थे उनमें हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर से पक्षपात किया जाता रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीस वर्षों से कई क्षेत्रों में स्कूल नहीं खोले जा रहे थे, कई क्षेत्रों में कालेज नहीं खोले जा रहे थे और एक विशेष क्षेत्र में ही स्कूल और कालेज खोले जाते थे। लेकिन इस साल इस बजट में हमको वह बातें नहीं देखने को मिलेंगी। जहां पहले स्कूल और कालेज नहीं खोले जाते थे और अब इस साल के बजट में खोले गये हैं तो विरोधी दल के नेता महोदय को कष्ट क्यों हुआ? इस साल जो स्कूल और कालेज जहां जहां खोले गये हैं उसके लिये मैं शिक्षा मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिन क्षेत्रों को पिछले तीस सालों तक ओवर लुक किया जाता रहा था, जिन क्षेत्रों की अवहेलना की गयी थी उन क्षेत्रों में स्कूल और कालेज खोल कर उन्होंने पिछली सरकार के तमाचा मारा है। और उसके लिये विरोधी दल के माननीय सदस्य को दुःख होना स्वाभाविक ही है। चूंकि समय कम है इसलिये मैं विरोधी दल के माननीय सदस्य को ज्यादा नहीं कहते हुए अब यही निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले मास में जो नैनवा के अन्दर काण्ड हुआ उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार का बजट अच्छा है और सरकार की जो योजनायें हैं, वह सब अच्छी हैं लेकिन हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं और जो राज्य सरकार के उच्चस्तरीय अधिकारी हैं वे हमारी जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को और योजनाओं को असफल करने में लगातार

(श्री माणकलाल)

लगे हुए हैं। नैनवा में पिछले माह जो पुलिस के द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ था उससे जनता में भारी असन्तोष है। आज पुलिस जगह जगह लाठी चार्ज कर रही है, अश्रु गैस छोड़ रही है और तरह तरह की ज्यादतियां करके जनता पार्टी की सरकार को असफल बनाने की प्रक्रिया कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कांग्रेस जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रही है दूसरी तरफ पुलिस और राज्य सरकार के जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं वह इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि किसी तरह से जनता पार्टी की सरकार सफल नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 18, अगस्त 1977 को एक घटना हुई जिसमें एक मास्टर को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाया गया। उसके विरोध में तारीख 19-8-77 को वहां के छात्रों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद वहां पर सात रोज तक हड़ताल रही। इसके बाद में प्रदर्शनकारी छात्रों में और पुलिस में मुठभेड़ हुई। उपाध्यक्ष महोदय, डी वाई. एस. पी. बूंदी श्री गोयल और एस. एच. ओ. नैनवा और डिप्टी डी. डी. ओ. बूंदी वहां आये। वहां पर भारी जनता ने उन लोगों को घेर लिया। जनता ने यह मांग की कि डी. वाई. एस.पी., नैनवा श्री गोयल को बरखास्त किया जावे और उनके खिलाफ में कार्यवाही की जावे। इसके बाद में छात्र वहां प्रदर्शन करने लगे। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय एस. डी. ओ., नैनवा के पास जनता पार्टी के नेता श्री शान्ति लाल जी एडवोकेट और सूर्य कुमार एडवोकेट कांग्रेसी नेता उनकी पैरवी करने गये। जब घटना स्थल पर वह पहुंचे तो देखा कि विद्यार्थी लोग शान्ति से प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस के अधिकारी पीछे थे। उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी वर्ग बिलकुल शान्त था। उसके बाद में एस. डी. ओ. साहब के बंगले में अधिकारी लोग चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, जनता शान्त थी, विद्यार्थी लोग शान्त थे कोई अशान्ति नहीं थी। वहां पर न तो विद्यार्थियों में उत्तेजना थी, न ही वहां की जनता में ही किसी प्रकार की उत्तेजना थी। बिलकुल ही शान्त वातावरण था। मेरा कल यह निवेदन था कि जब गृह मन्त्री जी और मुख्य मन्त्रीजी सदन में बैठे होंगे तब मैं सारी स्थिति उनसे निवेदन करना चाहूंगा। पर अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्रीजी सदन में उपस्थित नहीं हैं। हो सकता है वह किसी खास काम से बाहर गये हों। अभी चूंकि सदन में वरिष्ठ मन्त्री श्री सम्पतराम जी बैठे हैं जो कि हमारे मुख्य सचेतक भी हैं इसलिये मैं उन्हें यह निवेदन करूंगा कि वह यह मेरी व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत जानकारी, जो नैनवा काण्ड के बारे में है, मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी के पास पहुंचाने का कष्ट करें। मैं उन्हें यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह काण्ड हुआ था तब जनता शान्त थी, छात्र भी शांत खड़े थे। तभी तीन तरफ से पुलिस की टुकड़ियां आई और उन्होंने शान्त जनता पर और शान्त विद्यार्थियों पर अश्रुगैस छोड़ी और उन शान्त छात्रों पर व शान्त जनता पर लाठियों का वार पुलिस ने करना शुरू कर दिया। लाठियों का भयंकर वार शुरू कर दिया। कम से कम 50 व्यक्तियों को संगीन और साधारण चोटें आयीं। कितनों के हाथ टूट गये, कितनों के ही पांव टूट गये, कितने ही लोग घायल हो गये। लोगों के

(श्री माणकलाल)

पास, जिनको तीन तरफ से घेर रखा था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाग कर लोग तालाव तक पहुंचे, जिसमें गहरा पानी था, अथाह पानी था। भाग कर 100 से अधिक लोगों ने और छात्रों ने उसमें शरण ली। शान्तिलाल एडवोकेट और दूसरे नेता लोग समझाने के लिए आये थे, उन्होंने तालाव में शरण ली तो उन पर भी तालाब में लाठियां चलायी गईं। उन्होंने बच कर, डुबकी लगा कर दूसरे किनारे पर जाकर अपने आपको बचाया। सादी वर्दी में पुलिस आफिसर्स ने पीछा किया। क्या पता कि पुलिस उनका पीछा करके उनका मर्डर करना चाहती थी या क्या करना चाहती थी। सूर्य कुमार एडवोकेट जो बचाने के लिये आये थे, जिनको बचाने के लिये लाया गया था, उन पर नैनवा के एस.एच. ओ. ने लकड़ी से वार किया। बूंदी से आये डिप्टी डी. डी. ओ. उनका यदि बचाव नहीं करते तो वे घायल हो जाते। उसके बाद क्या हुआ? दुकानों से पकड़-पकड़ कर लोगों को लाया गया। छतों पर जाकर लोगों को पीटा गया। हमारे एक श्री उत्सवलाल जी, दर्शक दीर्घा में आये हुए हैं, उनका हाथ टूटा हुआ है, घायल अवस्था में यहां उनको दिखाने के लिये मैं लाया हूं। भावनात्मक दृष्टि से मैं यह निवेदन नहीं कर रहा हूं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि लोगों को दुकानों से घसीट-घसीट कर लाया गया। उनसे कहा गया कि बाबा मनोहरदास कहां है? दो तीन दिन पहले पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ मीटिंग कर चुके थे। वे लोग यह चाहते थे कि उनका मर्डर करा दिया जाय। उनसे पूछा गया कि बाबा मनोहरदास कहां हैं? जब नहीं बताया तो उनको डंडों से पीटा गया। अन्दर और बाहर, पीछे जाकर किसी प्रकार से लोग छिप गये। पुलिस उन लोगों के पीछे गयी। तालाब में भी गयी। पुलिस उनके पीछे गयी। तालाव में वे चले गये। जो लोग चड्डी बनियान में थे उनको डंडों से पीटा गया। 'कहो जाकर जनता पार्टी की सरकार से।' 'न मोरारजी बचा सकता है और न ही जनता पार्टी की सरकार बचा सकती है,' यह कह कर उनको डंडों से पीटा गया बुरी तरह से। 'कोई नहीं बचा सकता तुमको'। 'कौन जनता पार्टी है?' उनको खींच कर पुलिस के सामने ले जाया गया। सिटी में एस.डी ओ. आफिस के सामने एक बंशीधर कर्मचारी पंचायत समिति का खड़ा था। उसने कहा कि इसकी यह हालत कर दी है। इसको मारना-पीटना बन्द करो। इसको भी कहा गया कि तू भी बदमाश है। वह आया तो उसको भी पीटा गया। दो मील के क्षेत्र को घेर लिया पुलिस वालों ने। छोटे छोटे बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, 12 से 18 साल के बच्चे, वहां कालेज और यूनिवर्सिटी तो है नहीं, इन 12 साल से 18 साल के बच्चों को बुरी तरह से लाठियों से पीटा गया। यही नहीं, आपको मैं बड़ी दर्दनाक बातें बताता हूं। कम से कम चार बच्चे तालाब के किनारे पर खड़े थे, पुलिस ने सोचा कि ये पत्थर फेंकेंगे, उस भ्रष्टाचारी पुलिस ने, जिसका नेतृत्व डी वाई.एस.पी. गोयल कर रहे थे, उन बच्चों को उठाकर तालाब में फेंक दिया। जो बच्चे तैरना जानते थे वे तो निकल गये। एक बच्चा, जो मूर्छित अवस्था में तालाब में पड़ा हुआ था, वहां के डूमा नामक नवयुवक ने कुछ देर बाद निकाला।

Page No 62

(62)

(श्री माणकलाल)

हुमा नामक उस नवयुवक ने जब उस बच्चे को इस हालत में देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह तालाब में कूद कर उसको कन्धे पर उठा कर लाया। कन्धे पर बच्चे को लेकर वह आया तो पुलिस के भेड़िये उस पर टूट पड़े। हमारी प्रोपर्टी है, हमारी लाश है, तुम उठाकर इसको क्यों लाये। उसने कहा कि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो उस व्यक्ति को लाठियों से मारा गया। वह कहता रहा कि मैं जान दे दूंगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। वह नवयुवक धन्यवाद का पात्र है। धन्यवाद है उस हुमा भाई को। उसको इसके लिये स्वर्ण पदक दिया जाय चाहे राजस्थान सरकार दे चाहे राष्ट्रपति दें। वह कहता रहा कि मैं प्राण दे दूंगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा।

एक सदस्य : यह सब जनता पार्टी के राज में हो रहा है।

श्री माणकलाल : हुमा ने खतरे में अपने को डाल कर उसको बचाया। यह बच्चा श्री नाथूलाल जी जैन का है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने इस के लिये विशेष रूप से प्रस्ताव भी रखा था। मैं उस प्रस्ताव पर समय नहीं लूंगा। आप कुछ समय और दे दें तो बाद में समय जाया नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव भी मैंने रखा है उससे मैं आपको छुटकारा दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह सूचना देना चाहूंगा कि जनता पार्टी के वक्ताओं की काफी लम्बी लिस्ट आयी है। 17 वक्ता महोदय हैं। मैं चाहूंगा कि रिवाइज्ड लिस्ट दे दी जाय। श्री हरचरनसिंह जी कल बोल चुके हैं और आज की लिस्ट में भी उनका नाम है।

श्री माणकलाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, नाथूलाल जी जैन उस बच्चे की तलाश करने लगे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई कि एक बच्चा तालाब में गिर गया है, और बच्चा नहीं मिला है उसकी तलाश की जाय। डी. आई. जी. पी. मौजूद थे, जिलाधीश मौजूद थे लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जब उसकी तलाश की गई, तालाब में सर्च लाइट लगायी गई तो उसके बाद उस विकास अधिकारी से जवाब-तलब किया गया कि बिना इजाजत के सर्च लाइट क्यों लगायी गयी। तालाब में गिरने के 24 घंटे के बाद उस बच्चे के शव को निकाला गया। वह शव बाहर निकला नर कंकाल। जानवरों ने उसको खा रखा था। जब वह शव बाहर निकाला तो बड़ी दर्दनाक, भयानक स्थिति सामने दृष्टिगोचर हुई। नाथूलाल जैन का बच्चा चल बसा, चार बहिनें केवल एक भाई था। पुलिस की नादिरशाही से वह समाप्त हो गया, शहीद हो गया। कलेक्टर और डी.आई.जी. को दिखाया गया। समय कम है इसलिये इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमने गृह मंत्री जी को तार दिये, टेलीफोन किये। गृह मंत्री जी से लगभग 1/2 दर्जन मैं और मेरे साथी मिले। एक बार मुख्य मंत्री महोदय से मिलने का अवसर मिला और उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करायेंगे और किसी भी प्रकार हम दोषी व्यक्ति को दण्डित होने से नहीं बचने देंगे। उसको दंडित जरूर करेंगे।

Page No 63

(63)

(श्री माणकलाल)

हमको सान्त्वना हुई। दिनांक 25-8-77 को हमारे सदन के एक वरिष्ठ सदस्य श्री पुरुषोत्तमजी मंत्री द्वारा सूचना मिली कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राजस्व मण्डल के एक सदस्य को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया जायेगा और डी. एस. पी. नैनवा व एक अग्रगैंस लीडर था उसको मुअत्तिल किया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह निर्णय हमको मन्जूर नहीं था और हमारी मांग थी कि इसकी न्यायिक जांच की जाये और सभी दोषी व्यक्ति डी. एस. पी. श्री गोयल, जो कि नैनवा के अन्दर खड़े होकर लाठी चार्ज करवा रहे थे, को भी मोअत्तिल किया जाये और दूसरे दोषी व्यक्तियों को भी मोअत्तिल किया जाये। लेकिन नैनवा में स्थिति बहुत विकट है। वहां पर लगातार बाजार बन्द था और सात दिनों तक हड़ताल हुई। मैं नैनवा गया और विद्यार्थियों से कहा कि जिस व्यक्ति पर आपका विशेष आरोप था डी.एस.पी. पर और जिसने हैडमास्टर को हैंड कफ किया था उसको मुअत्तिल कर दिया गया है और रेवेन्यू बोर्ड के एक सदस्य द्वारा जांच कराये जाने के आदेश दिये है। उन्होंने कहा, हमको यह मन्जूर तो नहीं है। मैंने उनको कहा कि हम न्यायिक जांच के लिए सरकार से निवेदन कर देंगे और हमें आशा है कि ऐसा सरकार करेगी और दोषी व्यक्तियों को भी मोअत्तिल किया जायेगा। इसलिए आप अपनी हड़ताल को वापस ले लो। बच्चों ने हड़ताल हमारे कहने से वापस ले ली।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन इन्तजार करने के बाद जब डी.एस.पी. नैनवा के विरुद्ध कुछ नहीं हुआ तो और भी ज्यादा उच्छृंखल तरीके से पुलिस की वर्दी पहने हुए जब वह बूंदी जिले की हुकूमत कर रहे थे पुलिस अधिकारी के रूप में तो हमने जांच करने की कोशिश की तो पता चला कि डी. एस. पी., नैनवा को मोअत्तिल नहीं किया और उसकी जगह पर चम्बल कमाण्ड के एक कमिश्नर को किया गया। हमारे ऊपर छात्रों ने आरोप लगाया कि नैनवा का एम.एल.ए. गलत बोलता है। डी.एस.पी., नैनवा को मोअत्तिल करने का आदेश नहीं दिया था और झूठ बोल कर हड़ताल समाप्त कराई गयी। इस तरह की बात हमारे लिए कही गयी। मेरे लिए यह भी कहा गया कि मैं क्रांति का दुश्मन हूं। लेकिन क्योंकि अधिकांश छात्र मेरा विश्वास करते हैं इसलिए मैं उनको सही स्थिति से कनविन्स करा सका।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद गृह मंत्री महोदय से मिलने हम यहां आये और उनसे प्रार्थना की। मुख्य मंत्री जी से भी हमारे बूंदी का प्रतिनिधि मण्डल मिलने आया जिसमें विधायक भी थे और वहां के कुछ नेता भी थे लेकिन हमें यह पता चला कि माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली पधार गये हैं इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। मैं थोड़े अदब के साथ इस सदन में निवेदन कर देना चाहता हूं कि खास तौर से जो वरिष्ठ मंत्री महोदय श्री चतुर्वेदी जी साहब बैठे हुए हैं वह हमारी भावनाओं को मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें कि हमारी मांग सरकार के समक्ष यह है कि इस की न्यायिक जांच कराई जाये। यह हमारी जिद् नहीं है बल्कि यह मांग वाजिब है। आपको मैं संक्षेप में बतला देना चाहता हूं क्योंकि सदन में बहुत कम समय है और मैंने

(64)

(श्री माणकलाल)

भी इसलिए बहुत सी बातें छोड़ दी हैं। कलेक्टर बूंदी, डी.आई.जी और होम कमिश्नर और राजस्थान के बड़े से बड़े अधिकारी आई.जी.पी. इत्यादि यह सब लोग दोषी अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि क्या कारण है, क्या डी. एस. पी. नैनवा इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि सरकार के जो मोअत्तिल करने के निर्णय थे उस निर्णय को बदलवा दिया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बड़े से बड़े उच्च प्रशासनिक अधिकारी इस बात के लिए तुले हुए हैं और उनको सिखाया भी यही जाता है कि अपने साथियों का नुकसान कभी मत करो। आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.ए.एस. का नुकसान मत करो, यह उन प्रशासनिक अधिकारियों को सिखाया जाता है। अंग्रेजी जमाने में जो ट्रेनिंग दी जाती थी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को आयुक्त बनाया गया। मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं करता, श्री यतेन्द्र सिंह जी महा ईमानदार व्यक्ति हैं लेकिन वह सरकारी अधिकारियों के लिए दयालु हैं। मैं आशा करता हूं कि वह सही जांच करके दोषी व्यक्ति को दण्डित करायेंगे।

एक सिद्धान्त की बात मैं और कहना चाहता हूं। केरल के अन्दर सन् 1953 में गोली चार्ज हुआ। उस समय मंत्रिमण्डल में पी.एस.पी. के मुख्य मंत्री थे। डा. लोहिया ने गोली चलाने के बाद इस बात का निर्देश दिया कि सरकार इस्तीफा दे। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उनको सस्पेण्ड किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट में समाप्त कर देता हूं।

उनको सस्पेण्ड किया गया, मोअत्तिल ही नहीं किया गया लेकिन इस संबंध में कामथ कमेटी बैठी। कामथ कमेटी ने जो रिपोर्ट दी इस पर एक समाजवादी संस्था पी.एस.पी. ने यह निर्णय लिया, इस बात का फैसला किया कि जहां पुलिस दमन के अन्दर वह चाहे गोली चार्ज हो या लाठी चार्ज हो, किसी की हत्या होती है तो स्वतः ही न्यायिक जांच का आदेश हो जाना चाहिए। यह कामथ कमेटी ने कहा। समाजवादी जो पार्टी थी, उसने इस बात का फैसला किया। आज हमारे गृह मंत्री जी हैं वह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उनके ऊपर हमको गर्व है और गर्व होना भी चाहिए, ऐसे हमारे गृह मंत्रीजी मौजूद हैं। जो कामथ कमेटी की रिपोर्ट थी, जो कि एक तरह से समाजवादी दल की समिति की रिपोर्ट थी और बाद में जनता पार्टी भी जिसको मानती आई है तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी इस मांग को क्यों नहीं माना जाता है ? हमारे मुख्य मंत्री जी ने एलान किया था कि हम अत्याचार का दमन करेंगे, भ्रष्टाचार मिटा कर रहेंगे और किसी भी पुलिस की ज्यादती को बरदाश्त नहीं करेंगे। मैं इन दोनों महात्माओं से निवेदन करता हूं कि ऐसी क्या कोप दृष्टि है हमारे विधायकों के ऊपर ? आप लोग जो जनता पार्टी के विधायक हैं हो सकता है किसी का नाम मंत्रिमण्डल में आने वाला हो, वह आज नहीं बोलें तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिमण्डल के विस्तार के बाद बोलिये लेकिन वाजिब बात बोलिये और ईमानदारी की बात

(श्री माणकलाल)

बोलिये । हमारा नैनवा जल रहा है, झुलस रहा है और उसके संबंध में एक वाजिब मांग की सुनवाई नहीं हो रही है, यह समझ में आने वाली बात नहीं है । आपने पुलिस को यह लकड़ियां क्यों दी हैं, यह हथियार क्यों दिये हैं, यह बन्दूकें क्यों दी हैं, यह पैटन गनें क्यों दी हैं ? इसलिए दी हैं कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां और अश्रु गैस चलाई जाये ? यह हथियार तो इसलिए दिये हैं कि जनता की रक्षा की जाये । यह इसलिए दिये हैं कि आम लोगों की रक्षा की जाये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अश्रु गैस का फर्जी आर्डर बनाया, फिर फाड़ दिया, फिर बनाया और फिर फाड़ दिया । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि लाठी चार्ज का आर्डर नहीं है । कम से कम 50 व्यक्ति घायल हुए हैं और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी यह कहते हैं कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि वहां जो इतना जुल्म हुआ है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये । इसके साथ साथ दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिलना चाहिये । मुझे आशा है कि हमारी भावनाओं को आप मुख्य मंत्री तक पहुंचा देंगे ।

जहां तक बजट का सवाल है, मुझे तो कहना पड़ेगा कि बूंदी जिला राजस्थान में एक पिछड़ा हुआ जिला है । इस जिले में बड़ी बड़ी जगहों पाटन जैसी जगह पर न स्कूल है, न मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का तबादला होने पर अब तक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट है । चारों तरफ शोषण हो रहा है । कृपा करके अब तो हमारे साथ अन्याय न हो । आप मेरी भावनाओं को मुख्य मंत्री तक पहुंचायेंगे । समय न होने पर अधिक न बोलता हुआ यहां समाप्त कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह जी ।

(अनुपस्थित)

श्री मदन सिंह जी ।

श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय मैं मौजूद नहीं था, बीमार था । इसलिये धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के समय कुछ नहीं कह सका । बजट के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं उसके पहले राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिनके कार्यकाल में चुनाव हुआ, विधिवत चुनाव हुआ और कोई भी झगड़ा टंटा नहीं हुआ । वाकई एक बहुत ही बड़ा और आदर्श चुनाव हुआ । उसके साथ-साथ मैं उनको धन्यवाद दूं जो पुलिस कर्मचारी हैं । चाहे आई.जी. पी. हों, चाहे पुलिस का छोटा सिपाही हो या अन्य कोई अधिकारी हो, जो जो चुनाव संबंधी कार्य में जुटे हुए थे, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । राजस्थान के अन्दर यह पहला समय था जब कि बिना खून खराबा हुए चुनाव हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि राजस्थान में चुनाव तीस वर्षों में कैसे होते आ रहे हैं । जब भी यहां इन्दिरा गांधी दौरा करती थीं, जब भी चुनाव का टाइम होता था और जब सांगानेर हवाई अड्डे पर पधारना होता था जैसे राजा-महाराजाओं को तोपों की सलामी

(श्री मदनसिंह दांता)

होती थी, यहां खून से सलामी होती थी। जब जब दौरा हुआ तो हमें सुनने को मिलता रहा कि किशनगढ़ दरबार की हत्या हुई। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जोधपुर हिज हाईनेस की डेथ हुई। नागौर में कूकती थी तो पार्लियामेंट के किसी सदस्य पर कोई न कोई आक्रमण होता था। शेखावाटी में पहुंचती थी तो वहां बिड़ला जी को मारने की योजना होती थी। इस लिये जनता पार्टी के राज में कम से कम एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई कि चुनाव निष्पक्ष, विधिवत् और शांतिपूर्ण हुए।

जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, बजट का सवाल है, बजट घाटे में है या नहीं, बजट कैसा होना चाहिये, इसके संबंध में मेरा निवेदन है कि अपने अपने विचार और अपने अपने सिद्धांत के अनुसार बजट बनते हैं। मैं तो ऐसा समझता हूं कि अच्छा बजट वह है जो पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर अपनी उपलब्धियां प्राप्त करे। यह अभी जो बजट पेश हुआ है वह एक बैलेन्स्ड और एक अच्छा बजट है। जनता पार्टी के जो सिद्धांत हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस बजट में वह पूरी चीजें आई हैं। अभी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे श्री मथुरादास माथुर, उन्होंने इसको घाटे का बजट बताया है और घाटे का बजट इसलिये बताया कि बैंक का जो बैलेंस है उसको देखते हुए यह घाटे का बजट है। अध्यक्ष महोदय, बैंक का बैलेंस है या बैंक से लेन देन है वह दूसरा विषय है। जो बजट बनाया जाता है वह हमारे प्रदेश की बहबूदी के लिये बनाया जाता है। दूसरी विचारधारा, मैं समझता हूं यह है, कोई भी पार्टी या सरकार अपने सिद्धांतों की पूर्ति करके चाहे घाटे का बजट पेश करे, वह पार्टी, सरकार धन्यवाद की पात्र है। आज सवाल बजट के घाटे का नहीं है माननीय माथुर साहब बोल रहे थे कि घाटे का बजट है। यह सही है कि घाटे को पूरा करने के लिये बजट बनता है, इन्वेस्टमेंट का वापस रिटर्न मिलता है मगर यहां तो इस सिद्धांत के लिये लड़ाई लड़ी जा रही है कि यहां सोशलिज्म किस तरह से आये? सारे समाज का ढांचा किस तरह से सुधरे? अगर घाटे में जाकर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ गवर्नमेंट बना सकें तो वह सब से अच्छा बजट है। पूरे बजट को देखेंगे तो मालूम होगा, गरीबों की उपलब्धियों के लिये बजट है। टैक्सेशन के संबंध में जब वित्त मंत्री जी भाषण दे रहे थे तब लगा कि जो जहां टैक्स बढ़ाया गया है वह टैक्स भी ऐसा है जैसे किसी को इनाम दिया जा रहा है। निश्चित रूप से यह इनाम ही था। जैसे कोई तगमा मिल रहा हो वैसा हमें महसूस हो रहा था। पूंजीपतियों से पैसा खींच कर गरीबों को बांटा जा रहा था। गरीबों के आगे बढ़ने के लिये टैक्सेज लगाये गये हैं और कोई भी टैक्स ऐसा नहीं है जो बुरा लग रहा हो। हां, आपने रेडीमेड कपड़ा है उसके बारे में 15 रुपये और 25 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स की छूट को समाप्त कर दिया है। वह गरीबों पर एक टैक्स है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसके बारे में आप ध्यान दें। चोरियां सभी जगह होती हैं और पकड़े भी जाते हैं। जो रुपया बनाना चाहते हैं वह सभी टैक्सेज में चोरियां कर लेते हैं। इसके ऊपर विचार करके यह जो 15 और 25 रुपये तक के कपड़ों पर टैक्स दुबारा लगा रहे हैं यह टैक्स कम कर

(श्री मदनसिंह दांता)

दिया जाये । इससे कोई ज्यादा प्राफिट भी नहीं है । मेरा निवेदन है कि गरीबों के ऊपर इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन का तरीका है, वह बन्द हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं काश्तकारों के संबंध में भी निवेदन करूंगा । वैसे हमारा प्रान्त कृषि प्रधान है और काश्तकारों के लिये जो कुछ भी आपने किया है आज तक वह ठीक समझ कर किया है । इस वक्त अकाल के एरियाज हैं जहां अकाल पड़ गया है वहां के काश्तकारों को किसी तरह का लोन दिया है, तीन हजार का लोन लिया है वह माफ हो जाना चाहिये । काश्तकार ऋण चुकाता है । इसलिये जो काश्तकार ने 3 हजार तक का लोन लिया है चाहे बैंक से लिया हो, चाहे गवर्नमेंट से लिया हो या पंचायत समिति से लिया हो उस लोन को माफ कर देना चाहिये । यह जरूर करें कि जो इनकम टैक्स पेईज है, उन्होंने अगर लोन लिया है तो वह माफ न हो । बाकी का माफ होना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि जहां काश्त पैदा नहीं होती है वहां काश्तकारों से लगान नहीं लिया जाये । इसलिये मैं चाहूंगा, वित्त मंत्री जी, आप राजस्व मंत्री भी हैं, ऐसे काश्तकारों से लगान नहीं लेना चाहिये जिन के यहां काश्त नहीं हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कई वर्षों के बाद हमारी जो भावनायें थीं और महात्मा गांधी जी की जो इच्छा थी कि गांव गांव के अन्दर स्कूल खुलने चाहिये मैं समझता हूं अगर पिछली सरकार की जो स्कूल खोलने की घोषणा थी उससे ज्यादा स्कूल खोल दिये हैं तो अन्याय नहीं किया है, खोलने चाहिये थे । शिक्षा में खर्च भी होगा तो शिक्षा का रिटर्न मिलेगा-जो शिक्षण संस्थाओं में पढ़ेंगे, लिखेंगे वे उन्नति करेंगे । यही इसका रिटर्न होगा और शिक्षण संस्थाओं के जरिये यही चाहेंगे । शिक्षा के जरिये बहुत बड़ा रिटर्न मिले यह तो सम्भव नहीं लगता है । हम चाहते थे कि स्कूल खुलें और गांव-गांव में चाहते थे कि स्कूल हों । तो जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, बहुत ठोस कार्य हुआ है । हम इसका स्वागत करते हैं । स्कूल और खुलें और जो दूसरी चीजें हैं सड़क हैं उनमें कमी आ जाय तो कोई बात नहीं है । 80 प्रतिशत काश्तकार गांवों में रहते हैं । पूरी सड़कें न बनें तो उनको कोई नुकसान नहीं है । आज हम देखते हैं सड़कों का फायदा पूंजीपतियों को है । काश्तकार को तो केवल इतना ही है कि वह मुकदमेबाजी के लिये आ सकता है, तहसील में जा सकता है । इसलिये सड़कों में कमी आ जाय और कोई दूसरी उपलब्धि हो, उसमें भी कमी-बेसी कर सकते हैं लेकिन जहां तक शिक्षा का प्रश्न है यह एक बहुत ही ऊंचा काम किया है । इसके लिये हम सभी उनके आभारी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब करप्शन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । वैसे तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक ही रोज में करप्शन बन्द करने की घोषणा की थी लेकिन वह तो बड़ी उत्साहजनक घोषणा थी । इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक रोज में करप्शन खतम हो जाय, यह असम्भव है । इसलिये मैंने सुझाव दिया था कि जो एन्टी-करप्शन महकमा है उसको अलहदा करना चाहिये । एक अलग ही महकमा होना चाहिए

(श्री मदनसिंह दांता)

और उसका एक मंत्री भी अलग ही होना चाहिये ताकि निष्पक्षता से हर केस की जांच की जाय। जगह-जगह इसके केन्द्र भी खोलने का मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया है ताकि जल्दी से जल्दी भ्रष्टाचार मिटे। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार तभी मिट सकता है जब आपके जो काम करने वाले हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हैं उनके अन्दर से भ्रष्टाचार मिटे। जब तक उनके अन्दर से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तब तक नीचे का भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, खुद मुख्य मंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट अपने पास ही रखा है, मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में यदि जांच की जाय तो राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, शायद हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। 2-3 व्यक्ति वहां ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के मास्टर हैं। मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में ढड्ढा करके असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं। उनके सम्बन्ध में जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का सवाल है, मैं समझता हूं अगर उनकी इन्क्वायरी की जाय तो हिन्दुस्तान में पहला व्यक्ति होगा जो भ्रष्टाचार का एक मास्टर बना बैठा है। इस डिपार्टमेंट में जितने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रखे हैं या असिस्टेन्ट इंजीनियर रखे हैं उन सबने फाल्स सर्टिफिकेट दिया है। दिल्ली में, उपाध्यक्ष महोदय, करोल बाग में एक स्कूल है जहां से फाल्स सर्टिफिकेट मिलता है वहां से सारे सर्टिफिकेट्स लिये गये हैं और उनके आधार पर उनको सर्विस में लगा दिया है।

इनके कार्यकाल में कोटा में ड्रिलिंग का काम हुआ था। उसमें 4-5 लाख रुपये खर्च हुए। जो इन्क्वायरी हुई है उससे मालूम हुआ है कि 4-5 लाख का घोटाला है। आज तक उस इन्क्वायरी के कागज दबे हुये हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो ढड्ढा हैं उनकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। जो गबन किया है पांच लाख का जिसमें वे दोषी हैं उसके लिये दण्डित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने आपात स्थिति में निकाल दिया था। वे भी आन्दोलन कर रहे हैं कि उनको भी वापस सर्विस में लिया जाय। इसलिये मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कर्मचारी निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्र भक्त हैं और अच्छे हैं मैं समझता हूं उनको वापस ले लिया जाय ताकि अच्छे लोग और काम करने वाले लोग वापस सर्विस में आ सकें। कांग्रेस सरकार में जो अच्छे लोग थे, उनको यह कह कर निकाल दिया कि पार्टी से संबंधित हैं और जो वास्तव में भ्रष्ट थे उनको बीच में वापस ले लिया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा मुख्य मन्त्री जी से कि अगर उनको वापस ले लें तो वे ड्यूटी पर आकर अपना कार्य शुरू कर सकते हैं।

(विराम)

मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा। अभी भी हमारी सरकार का फैमिली प्लानिंग की जो नीति है, वह स्पष्ट नहीं है। या तो फैमिली प्लानिंग के लिये यह आदेश कर देने चाहिये कि बिलकुल खराब चीज है और इसको किसी भी ढंग से

(श्री मदनसिंह दांता)
आगे नहीं चलाया जायगा या फिर जिस ढंग से फैमिली प्लानिंग को लिया गया है उस ढंग को बन्द कर देना चाहिये, या फैमिली प्लानिंग के बारे में कांग्रेस के जमाने में जो कानून बने थे उनको उसी रूप में कार्यरूप में परिणत कर दिया जाना चाहिये। कुछ तो इस मामले में आपकी स्पष्ट नीति होनी ही चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस का ख्याल है, उसके सम्बन्ध में भी इस वक्त कुछ ऐसी नीति चल रही है कि पुलिस के अन्दर दो पार्टी हो गई हैं। दो पार्टी होने के कारण सारे काम पुलिस के ढिलमिल हो रहे हैं। चाहे ट्रान्सफर का आर्डर हो या कोई भी आर्डर हो, किसी भी तरह का काम कराया जा रहा हो उसके अन्दर जो होम मिनिस्टर साहब आर्डर देते हैं उसके बजाय दूसरा आर्डर दे दिया जाता है। अगर ट्रान्सफर का आर्डर देते हैं तो फिर दूसरे आफिसर जाकर कोई दूसरा ही आर्डर दे देते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब को पुलिस वालों को इकट्ठा करके, एक जगह बैठाकर समझाना चाहिये कि आपस में लड़ाई झगड़े करके...

श्री शंकर लाल : घटकवाद में ऐसा ही होता है।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने कई दफा उनसे सुना है, मैंने ऐसा आदेश नहीं दिया, यह आदेश नहीं दिया, मैं कोटा गया, भरतपुर गया तो दूसरा आदेश चला गया। कई दफा ऐसा ट्रांसफर्स के मामलों में हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने सब आफिसरों को कान्फिडेंस में लेकर इस स्थिति को सुधारें तो मैं समझता हूं कि आगे चल कर पुलिस आर्गेनाइजेशन और पुलिस का कार्य ठीक ढंग से चलता रहेगा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कई जगहों के लिये पेयजल के लिये, नल योजनाओं के लिए घोषणा हुई परन्तु उसमें क्या मालूम किस ढंग से हमारे मुख्य मंत्री को समझाया गया कि वहां जो पेयजल की टंकी बनाई है वह छः छः फीट की टंकियां बनाकर उनमें बीस बीस नल लगा दिए जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आज भी गांवों में दो चार नल लगे हुए हैं इस कारण वहां पर लोगों में आपस में झगड़े होते हैं और सिर फूटते हैं। हम चाहते हैं कि पेयजल का गांव में प्रबन्ध करने के लिए यह व्यवस्था इस तरह से नहीं होनी चाहिए। पुराने ढंग से अनाउन्समेंट करके दो तीन गांवों की पंचायतें जोड़ी जाएं और उनकी राय के माफिक बड़ी टंकी, ऊंची टंकी होनी चाहिये ताकि आराम और सुविधा से अपने घरों पर नल ले सकें और आराम से पानी भरा जा सके। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपने यह डिपार्टमेंट लिया है, आपने वायदा भी किया है और कहा है कि घर घर के अन्दर नल योजना होगी और पीने का पानी उपलब्ध होगा। इसलिए बड़ी टंकी का निर्माण हो तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के अन्दर भी कुछ कठिनाई रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरे इलाके के अन्दर जहां जहां अकाल राहत के काम हो रहे हैं वहां सभी लोगों को नहीं लिया जा रहा है और न हमारी राय पूछी जा रही है। हम

(श्री मदनसिंह दांता)

यहां से लिख कर देते हैं फलां जगह कोप का नुकसान हुआ है, मकान गिरे हैं लेकिन वहां पर सही ढंग से सहायता नहीं मिलती है। मेरे ग्राम बोरूजी के अन्दर हरिजनों के मकान गिर गए और उसकी रिपोर्ट भी यहां तक आई। हरिजन यहां जयपुर तक पैदल चल कर आए लेकिन फिर भी वहां पर कोई नहीं पहुंचा। वहां से चिट्ठियां भेजीं, सूचनायें दीं, टेलीफोन किए, कलेक्टर से भी बात की लेकिन आज भी गरीब हरिजन इस चीज से वंचित हैं। यही हाल हरिजनों को जमीन के आवंटन का है। आज छः-छः सात-सात वर्ष हरिजनों को जमीन आवंटित हुए हो गए पर उनको कब्जा नहीं मिला। कई जगह तहसील लेवल पर और जिला स्तर पर कई दफा बातचीत हुई है, उपाध्यक्षजी, लेकिन आज भी हरिजन पिछले छः-छः, सात-सात वर्षों से बैठे हैं लेकिन उनको कब्जा नहीं मिला है। खास करके ग्राम के हरिजनों के कब्जे का सवाल आता है तो गांव वाले और कुछ कर्मचारी भी ऐसी सुस्ती कर जाते हैं कि उनको पूर्णतया कब्जा नहीं दिया जाता है। खास तौर पर तलाई के एरिया में बहुत समस्या है। तलाई में जब हरिजनों को जमीन बताई जाती है तो उसका कब्जा उनको नहीं देते हैं। इसलिये मैंने एक सुझाव भी गवर्नमेंट को दिया था कि जहां जहां तलाई है जिसमें हरिजनों को कब्जा देना है, उस तलाई के एवज में हरिजनों को गोचर में से जमीन काट कर दे दें और उतनी ही जमीन तलाई में वापस दे दी जाय। वहां पर तलाई की वजह से पानी भी रहता है, झाड़ भी रहते हैं और हरी घास भी रहती है। इसलिये मैंने यह सुझाव दिया था, अगर हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय को यह सुझाव स्वीकार हो तो मैं समझता हूं कि हरिजनों की आधी प्राब्लम आवंटन की दूर हो जाएगी।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ हरिजनों ने सरकार के कहने से या एम.एल.एज. के कहने से फारेस्ट की जमीन पर काश्त की है और उनके अतिक्रमण के लिये रेवेन्यू सेक्रेट्री ने आदेश निकाल दिया कि जिन हरिजनों ने फारेस्ट की जमीन पर कब्जा कर रखा है और सरकार को लगान देते हैं उनका नामान्तरण होना चाहिये। वह नामान्तरण के केसेज भी आज तक ऐसे ही पड़े हुए हैं।

दूसरा मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर से यह भी निवेदन किया था कि कुछ ऐसी जमीनें हैं जो सरकार की तरफ से बीड़ के तौर पर घास के लिये छोड़ी गई थी।....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं रेवेन्यू मिनिस्टर से निवेदन करूंगा, आपको मैंने लिखित में एक सुझाव दिया था कि ग्राम पलसाना के अन्दर बहुत बड़ा प्लाट है, करीब आठ सौ बीघा का प्लाट है उसमें आज तक कोई उत्पादन नहीं हुआ है, न वहां कोई कुआ है, न वहां घास ही है। वह भूमि ऐसे ही पड़ी हुई है। वह भूमि हरिजनों को आवंटित कर दी जाय तो हरिजन काश्त करके उसमें पैदावार कर सकते हैं। उसमें से चार सौ बीघा हरिजनों को दी थी लेकिन ग्रास फार्म के नाम से उनसे वह जमीन ले ली, आज भी वह जमीन वैसे ही पड़ी हुई है। उस तीन-चार सौ बीघा जमीन में कम से कम दस बीस घर बस सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ऐसे-ऐसे फार्म हैं जहां कि गवर्नमेंट कामयाब नहीं हुई है वह फार्म हरिजनों को अलाट

Page No 71

(71)

(श्री मदनसिंह दांता)
कर दिये जायें तो हरिजन भाइयों की समस्या कुछ दूर हो सकती है।

मैं इतने ही शब्दों में निवेदन करूंगा कि जहां तक बजट का सवाल है कोई विरोध नहीं है, बजट बिल्कुल बैलेंस्ड है और गरीबी की हालत को देखते हुए बजट एक सोशलिस्टिक पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा और वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे माथुर साहब ने बड़े पेचीदा सवाल पैदा कर जो उलझन पटक दी है उस उलझन की आप कतई चिन्ता न करें। यह केवल आंकड़ों का खेल है। ये मुसद्दी भाई कुछ भी बना सकते हैं, कर सकते हैं और बोल सकते हैं। इसलिये इसकी चिन्ता न करें। आप तो अपने दृढ़ संकल्प से पार्टी के सिद्धान्तों के माफिक अपने बजट की जो योजनायें हैं उनको पूरा करें। यह मैं चाहता हूं कि आपके लक्ष्यों की पूर्ति हो।

श्री उपाध्यक्ष : एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जनता पार्टी के वक्ता महोदय हैं उन्हें काफी समय लगा है। मेरे पास 17 व्यक्तियों की सूची आई है उसमें से अभी श्री माणकलाल और हरचरणसिंह बोल चुके हैं। 15 आदमी और शेष रहते हैं। यदि समय का विभाजन किया जाय 15 व्यक्तियों के हिस्से तो बहुत कम समय आएगा। इसलिए जो भी वक्ता बोलें वह बहुत ही संक्षेप में बोलें और मुझे घण्टी बजाने का मौका नहीं दें।

अब श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (मंडरू) : आदरणीय सभापति जी, Sorry! उपाध्यक्षजी, हमारे सामने सन् 1977-78 का परिवर्तित बजट है। इस अवसर पर मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट जो बनाया है आज की परिस्थितियों को देख कर, और आज के हालत को देख कर, इसको एक बेलेंस्ड रूप दिया है। यह ठीक है कि यह घाटे का बजट है और घाटे का बजट जैसा कि माननीय माथुर साहब ने कहा था कि 58.94 करोड़ का घाटा 67 करोड़ तक पहुंच जायगा और इनफ्लेशन क्रियेट करेगा। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, घाटे का बजट पेश होता है उससे ऐसा आभास होता है कि देश का, प्रदेश का विकास होगा। जो भी घाटा राज्य सरकार को होता है वह इसलिए कि उसकी मद में जो रुपया आता है वह सोशल सर्विसेज और डवलपमेंट की एक्टीविटीज पर खर्च किया जाता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि हमारे जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जी कह रहे थे कि यह लाल पीला बजट बनाया है। अभी तक जितने बजट आये हैं पुराने, वे भी भिन्न-भिन्न रंग के हैं। कोई हरा है, कोई नीला है, कोई काला है, यह लाल-पीला जरूर बजट है लेकिन गुस्से वाला नहीं है।

श्री शीशराम ओला : आप दोनों में शरीक रहे हैं।

श्री ओंकार लाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो लाल-पीला बजट इसको कहा गया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट पुस्तिका का यह जो लाल-पीला रंग है, वह यह दर्शाता है कि हमें समाजवाद की ओर जाना है, नया काम करना है।

श्री मूलचन्द डागा : पीला रंग ? समाजवादी कैसे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : डागा साहब आपकी बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मद्य निषेध की बात को पहले लूंगा। पुरानी सरकार ने भी यह वायदा किया था और जो बजट भाषण 76-77 और 77-78 के हैं, इस सम्बन्ध में उनमें कहा गया है...

श्री मूलचन्द डागा : आप भी तो वायदा कर रहे हैं ? कौनसी नयी बात कर दी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : आपके वित्त मंत्रीजी ने यह कहा है "जब कभी आय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो शराब पर कर बढ़ाया गया है और इस बार भी मैं यह मौका नहीं चूकूंगा।" उन्होंने 20 पर्सेन्ट से 25 पर्सेन्ट टैक्स कर दिया। देशी शराब पर भी कर बढ़ाया और जो फॉरिन लिकर था, उस पर भी टैक्स को बढ़ाया। इस प्रकार आपने अपनी आमदनी का स्रोत बढ़ाया है। बजट में अत्यधिक कर भार आपने आबकारी पर डाला है। एक तरफ तो हम यह कहें कि हम प्रगतिशील बजट बनाना चाहते हैं, समाजवादी बजट बनाना चाहते हैं दूसरी ओर पुरानी सरकार का जो सोर्स आफ रेवेन्यू था, जिसके द्वारा वे राजस्थान का विकास करना चाहते थे, उनकी आय का मुख्य स्रोत शराब की आय था। यह हमारे ऊपर एक कलंक था। उस समय भी मैंने सरकार को चेतावनी दी थी, सरकार को अदब से निवेदन किया था कि जिस देश, प्रदेश की सरकार शराब की आमदनी से चलती है, उस देश, प्रदेश का चरित्र नष्ट हो जाता है और उसकी आने वाली पीढ़ी भी खराब हो जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा काम अभी से शुरू कर दीजिये वरना आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुरानी सरकार ने शराब को आय का प्रमुख स्रोत माना है। इस सम्बन्ध में 1976-77 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था 30 मार्च को वह सदन को बताना चाहता हूं। बजट भाषण में यह कहा गया है, "काफी समय से हमने मदिरा पर आबकारी कर में परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए मैं इस पर वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं।" यह एक लम्बा चौड़ा चार्ट है। फिर भी मैं इस आगस्ट हाउस का थोड़ा सा ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। यह अलग अलग तरीके से बढ़ाया है। 12 से 15, 18 से 22, 0.80 से 2/-रुपये और लाइसेन्स रिन्यूअल के लिए पांच हजार, तीन हजार, दो हजार आपने रख दिए। इसकी तारीफ की जाए तो गलत है। इसलिए पुरानी सरकार ने मदिरा को सोर्स आफ इनकम रखा था, वह गलत था। यह बेसिकली गलत था। देश को समाजवाद की ओर ले जाना है, देश का उत्थान करना है, देश की गरीबी को मिटाना है, देश को आगे ले जाना है तो क्योंकि देश की 80 प्रतिशत आबादी गरीब है इसलिए इस देश को शराब से बचाना होगा। मद्यनिषेध के लिए बून्दी और टोंक जिलों को चुना गया है, कोटा की शाहबाद तहसील, उदयपुर की सलूम्बर तहसील और चित्तौड़ की प्रतापगढ़ तहसीलें चुनी गई हैं। यह हिम्मत का काम किया गया है। यह परिवर्तित बजट में किया गया है। इसमें यह तो नहीं है कि इस पर टैक्स

(श्री ओंकार लाल चौहान)

बढ़ाया गया है। तो यह इंगित करता है, इशारा करता है हमारी विल को कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, पहली सरकार की आय बढ़ाने का माध्यम था शराब। यह पहले सोर्स ऑफ इनकम रही है लेकिन इस परिवर्तित बजट में कहीं भी यह नहीं है। यह नई सरकार ने दृढ़ संकल्प किया है कि किसी प्रकार से इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। साथ ही मद्यनिषेध के एरियाज को बढ़ाया है, चाहे वे छोटे जिले ही क्यों न हों। मेल या फीमेल कलेक्टर वहां पर हैं, इसको बीच में न लावें, इस बजट के अन्दर कम से कम इस बात को सोचा गया है। जो चीज बुरी है, जो बुराई है, उसे राजस्थान से हटाने के लिए एक कदम उठाया गया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। मैं यह निवेदन भी कर रहा हूं कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। टोंक, बून्दी जिले और कुछ तहसीलें इसमें और जोड़ी गई हैं, यह एक अच्छा लक्षण है। यह एक प्रगतिशील कदम है। इसके लिए मैं वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस बजट के अन्दर एक और उपलब्धि है। हमारे माननीय सदस्य शंकरलालजी ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। निराशा तो रखनी ही नहीं चाहिये, निराशा का कोई प्रश्न भी पैदा नहीं होता...

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा तो आप मिनिस्टर हो रहे हो। आपके चेहरे पर खुशी है। कल से काला कोट पहिन कर आओ। मिनिस्टर हो जाओगे।

श्री ओंकार लाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक नयी योजना शुरू की गई है और वह योजना है अन्त्योदय। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में से पांच गरीब परिवार चुने जाएंगे, ऐसे परिवार जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, वे इसके अन्दर आते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे करीब एक लाख लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स के जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं, ऊपर आ सकेंगे और उनका भला होगा। यह एक चिन्तन है। जयप्रकाश नारायण जी और महात्मा गांधी ने जो चिंतन दिया है, उसका दिग्दर्शन इस बजट में किया गया है। उस चिन्तन का इसमें समावेश किया गया है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में लॉटरी को समाप्त करने की बात कही गई है। यह समाजवाद की ओर एक कदम है। लॉटरी को खतम करना आवश्यक था। सट्टा, जुआ से जो सरकार आमदनी बढ़ाना चाहती है वह सरकार अधिक नहीं चल सकती है। यह ठीक नहीं है। इसलिए लॉटरी को बंद करना अच्छा है। मैं समझता हूं कि इससे जो राज्य कोष को 15 लाख रुपये की हानि हुई है, वह कोई बड़ी नहीं है। यह आय दूसरे सोर्सेज से जुटाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि अनएम्पलायमेन्ट की सिचुएशन कोई खास पैदा नहीं होगी। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा उनसे हमें भय है। वे लोग इसका फायदा उठायेंगे और हो सकता है कि जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं, वह नहीं हो सके। वहां का

(श्री ओंकार लाल चौहान)

लॉटरी यहां पर आती है तो इससे भी लोगों को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को इनडाइरेक्टली एन्करेजमेन्ट मिलेगा। इसलिए आपको यह पाबंदी लगानी चाहिए कि नेबरिंग स्टेट्स की कोई लॉटरी हमारे प्रान्त में न आवे। आशा है वित्त मंत्री महोदय इस बात पर चिन्तन करेंगे कि किस प्रकार से इसको बंद कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट काश्तकारों के हित में है और आम जनता के हित में है। कामर्शियल क्राप पर जो सेस था वह इस सरकार ने खत्म कर दिया है। यह अच्छी बात है। हमारे माननीय सदस्य खेतसिंह जी ने इसकी तारीफ की है। ओवरआल मैं यह कहना चाहता हूं कि वाणिज्यिक फसलों से जो सेस हटाया गया है, उससे कृषकों को वास्तव में राहत मिली है। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो अपनाया गया है।

ट्रांजिस्टर पर 7% बिक्री कर था और इसके पुर्जों आदि पर 12% था। यह डिफरेंस था इसलिए इसे 7% किया है।

मैं यह भी निवेदन कर रहा हूं, जिनको भूमि उपलब्ध हुई है, वह अच्छी भूमि है इरिगेटेड लैण्ड है। जो कमजोर लोग हैं यह उनके हित की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेयजल की बात है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी इस बात को कहा है कि पेयजल की समस्या ढाई साल के अन्दर समाप्त हो जायेगी। यह पेयजल की समस्या सम्पूर्ण राजस्थान की समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए टाप प्रायोरिटी दी गई है। जहां सबसे ज्यादा किल्लत है, वहां सबसे ज्यादा टाप प्रायोरिटी दी जाएगी, इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ बातें रखी हैं जिनकी ओर मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ चीजें इसके अन्दर ऐसी देखने को मिलती हैं जैसे मेरा निवेदन है कि हम कमजोर आदमी की सहायता करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हम अधिक से अधिक रुपये का प्रावधान भी नहीं करना चाहते हैं। इस कारण हम उसके प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि खनिज के विकास के लिये 41.50 लाख रु. रखा गया है। राजस्थान में खनिज का अपार भण्डार है। जहां खान हैं वहां तक सड़कें बन जाने से यातायात का साधन उपलब्ध होगा और उत्पादन को ले जाने का भी साधन होगा। इससे आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। ऐसा अवश्य होना चाहिए इससे राजस्थान को शक्ति मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था जो मुझे इस बजट में देखने को मिली है या देखने को नहीं मिली है। आशा यह थी कि आप गांधीवादी हैं, आदर्शवादी हैं तो इसका प्रभाव बजट भाषण में मिलेगा। इसी आशा में मैं सारा भाषण पढ़ गया। ठीक है बिजली की व्यवस्था की है लाखों रुपये की लम्बी स्कीम है। अन्य स्कीमों की व्यवस्था भी की है। उस स्कीम को लागू करना चाहिए था। लेकिन उनके पूरा होने में समय लगेगा

(श्री ओंकार लाल चौहान)

लेकिन इमीजिएटली हम जो कर सकते हैं वह करना चाहिए। आपको भी अनुभव होगा नल पहुंचते पहुंचते रुक जाता है, उसी तरह बिजली का खम्भा भी पहुंचते पहुंचते रुक जाता है आज जनता बजट आया है। अब अगर हम ग्रामीण समाज का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके साथ में न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिए जितनी पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है, उतनी ही बिजली की व्यवस्था भी आवश्यक है। तो मैं निवेदन कर रहा था, गांधीवाद के बारे में कहीं भी एक लाइन नहीं मिली।

इसी प्रकार से उद्योग के बारे में मैं निवेदन करूंगा। वित्त मन्त्री जी, उद्योग के बारे में आपके विचार गांधीवादी हैं लेकिन हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आज काफी अनएम्प्लायमेण्ट है। अगर ग्रामीण विकास होता है तो एजूकेटेड और अनएजूकेटेड को एम्प्लायमेण्ट मिलता है। इसलिए मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इसके बारे में भी इसके अन्दर जिक्र होना चाहिए था कि इस प्रकार से सैण्ट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालेंगे।

यह कहा गया था कि हम सेल्स टैक्स को समाप्त करेंगे। आशा है किसी न किसी प्रकार से इसको जल्दी समाप्त करेंगे।

यह भी कहा गया कि राइज इन प्राइस से इनफ्लेशन बढ़ जाएगा। यह बहुत बार कहा गया। इनफ्लेशन तो बहुत दिनों से है। राइज इन प्राइसेज तब भी था और अब भी है। यह तभी रुक सकता है जब होर्डर्स को दबाया जाये। उनके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिए।

मैं निवेदन करता हूं कि यह बजट यथास्थिति का बजट है। जो हमें लीगेसी मिली है, उसके आधार पर यह बजट बना है। इसे समाजवादी बजट कहा जा सकता है।

हम मद्य निषेध को करके रहेंगे, यह एक बात सामने तो आयी है। यह एक फर्म डिटरमिनेशन है। इसलिए मैं यह कहता हुआ कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, माननीय वित्त मन्त्री जी उनका ध्यान रखते हुए जो कमियां रह गई हैं, जैसा कि मैंने शिड्यूल्ड कास्ट्स एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में निवेदन किया है, उन पर वित्त मन्त्री जी ध्यान देंगे। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दनजी व्यास।

श्री सुखलाल सेणचा : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि जहां तक मेरी जानकारी है पार्टी के टाइम को देखते हुए मैं अभी जानकारी करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को और कितना समय मिल सकता है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट जनता पार्टी के नाम से पेश किया है और इस बजट को ग्रामोन्मुख बनाया है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। यह दूसरी बात है कि इस विषय में सफल नहीं हो पाये क्योंकि आज पाश्चात्य पद्धति से बजट बनाने का रास्ता अपनाया गया है, भारतीय आंकड़ों को देखने का लक्ष्य नहीं रखा गया है इसलिए यह घाटे का बजट

(श्री रघुनन्दन व्यास)

बनाया है। आजकल जो नये अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो बातें हमको दीं वे ले ली गईं और जो कुछ हमारा था उसको ठुकरा दिया गया। तीस सालों में इस बारे में कोई चिन्तन नहीं किया गया। इन कठिनाइयों के बावजूद चाहे यह बजट घाटे का ही क्यों न हो लेकिन यह बजट ग्रामोन्मुख है इसलिए मैं इस बात के लिये उनको बधाई देता हूं।

साथ ही मैं यह निवेदन करता हूं कि उन्होंने पहली बात अन्त्योदय की कही है। इस बात को माननीय मथुरादास जी ने दूसरे रूप में लिया कि 25 लाख रुपये से क्या होगा। मैं निवेदन करूं कि 25 लाख रुपये तो उन तक पहुंचने तक के लिए हैं जिससे उनकी गणना हो जाय अन्यथा दूसरे माध्यम से उन लोगों तक साधन पहुंच जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक योजना है और अन्त्योदय की जो व्यवस्था है यह बहुत ही अच्छी है।

एक बात मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को निवेदन कर दूं कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जो मौजूदा सरपंच हैं, जो मौजूदा पटवारी हैं, जो ग्राम सेवक हैं, विकास अधिकारी हैं, वह सब इस प्रश्न पर हमारा साथ नहीं देंगे। इस चीज को मद्दे नजर रखते हुए हमको काम करना चाहिए। ग्राम स्तर की जो स्थिति है और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनको सामने रखकर, जो बजट में कहा गया है उस बात को 6 महीने में लागू करवा सकते हैं, इस बात का प्रयत्न माननीय वित्त मंत्रीजी को और जनता पार्टी के मंत्रिमण्डल को करना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए विवश करना होगा ताकि हमारा जो संकल्प है वह पूरा हो और गांवों तक हमारी दिशा-निर्देश पहुंच जायं 6 महीने में, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। साथ ही अगले बजट में हम यह बात कह सकें कि जो बातें कही गईं उनका पालन किया गया है। जो बातें बजट में कही गई हैं उनके लिए माननीय वित्त मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं लेकिन उनकी पालना करने की ओर मेरा निवेदन है।

दूसरी बात, जो घाटा है वह तो ठीक है। कृषि श्रमिकों के प्रश्न पर हमने विचार किया। पढ़े-लिखों को काम मिलेगा। जो नियोजन ने आंकड़े दिये हैं, वह तो हैं लेकिन जो भी सूची है उसका सर्वे कराया जाय तो बहुत अच्छा होगा। कई जगह नाम तो रजिस्टर में मिल जाते हैं लेकिन लोग कहां पहुंचते हैं ? उन सारे आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था बनती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आंकड़े सही उपलब्ध हों और जो गड़बड़ी करते हैं और गलत आंकड़े देते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय।

वनों के बारे में आपने कहा कि दो तिहाई वन नष्ट हो गये हैं। यह वन तीस वर्षों में नष्ट किये गये। इसमें हजारों लोगों की भर्ती की गई, बड़े-बड़े आफिसर लगाये गये लेकिन वनों से मासिक आमदनी पचास हजार रुपये है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने वन की रक्षा नहीं की अपनी रक्षा की। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि एक समिति बनाई जाय कि वन क्यों नष्ट हुए।

अभी मेरे माननीय मित्र श्री मनोहर सिंहजी मेहता ने पशुपालन और भेड़ों की

(श्री रघुनन्दन व्यास)

बात कही । मैं गांव में रहता हूं । मेरे गांव की तरफ पचास हजार भेड़ पालक रहते हैं । मैंने यह कभी नहीं देखा कि भेड़ों के चरने से मेरा गांव बंजर हो गया । इसलिए भेड़ों के नाम पर यह कहना कि जहां भेड़ जायेंगी वह इलाका बंजर हो जायगा, उचित नहीं है । राजस्थान में कच्छ से भेड़ें आती हैं मेरे गांव की भेड़ें नागपुर तक और जबलपुर तक जाती हैं । भेड़े जाती रही हैं और आज भी जा रही हैं, राज-ओं के राज में भी गई थीं । लेकिन आज हमारे सोचने का ढंग बहुत ही संकुचित हो गया है । इसलिए अगर यही भावना रही तो हमारा बजट लागू नहीं होगा । आप मैसूर स्टेट में चले जायं, या और कहीं चले जायं आपको वहां पर वन मिलेंगे और उनमें कई तरह के जानवर भी मिलेंगे । राजस्थान में भी शेर, चीते, हिरन वगैरह हैं । पहले मैंने देखा है लूनी के पास हजारों हिरन मिलते थे पर आज नहीं मिलते हैं । इसलिए वनों की सुरक्षा के लिए उपाय किये जाने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विद्युत की बात है, करोड़ों रुपये रखे गये हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है । अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि कोटा में जो भी इन्जीनियर महोदय हैं उनकी रक्षा के लिए आर.ए.सी. है । लेकिन मेरा कहना है कि वे आज इन्जीनियर का काम करते हैं या बाबू का । राजस्थान के इन्जीनियर टेक्निकल होने चाहिए लेकिन वह टेक्निकल नहीं हैं । केवल बाबू हैं । वे आफिस में बैठे रहते हैं, ठेकेदार उनको धन देते हैं, पैसा देते हैं और वह काम नहीं करते हैं । यह स्थिति है, इस कारण से राजस्थान का विद्युत मण्डल गांवों में बिजली नहीं देता । माथुर साहब ने कहा कि बिजली दी गई है, लेकिन तीस सालों में क्या हुआ ? बिजली बोर्ड बन गया लेकिन बिजली समय पर उपलब्ध नहीं होती, इसके लिए क्या किया गया ? अभी 19 तारीख को जोधपुर में एक मीटिंग बुलाई गई थी, वहां पर कहा गया कि भाषण की बात और है, काम करना कुछ और बात है । इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वे लोग वहां करते हैं जहां पर निर्णय होते हैं । इस प्रकार से जो आफिसर यह मखौल उड़ाते हैं उनको ठीक करना पड़ेगा । उसके बिना जो भावना बजट में व्यक्त की गई है उसको हम लागू नहीं कर सकते । हमें ट्रान्सफार्मर चाहिए । तीस-पैंतीस हजार कुओं पर बिजली लगाने की बात है, पम्पिंग सेट लगाना है । इस प्रकार बिजली बोर्ड बिजली देने को तैयार नहीं है । 6–6 महीने से बिजली नहीं मिल रही है । कहते हैं बिजली थोड़ी है । देना नहीं चाहते क्योंकि उनको पैसा चाहिए । सरकारी लाइन होती है फिर भी क्योंकि बिजली वालों को पैसा नहीं मिलता इसलिए कनेक्शन नहीं मिलते । एक भनोत साहब हैं जो प्रोजेक्ट आफिसर को दण्डित करते हैं जब कि दण्डित करना चाहिए बिजली वालों को । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आपकी भावना है बिजली के नाम पर, इस पर जो आप धन खर्च करना चाहते हैं उस पर आप विचार करें ।

खनिजों का जहां तक प्रश्न है, जालोर में ग्रेनाइट निकल रहा है कारखाना लगाया है जोधपुर में । 5 महीने में एक बार प्रोजेक्ट आफिसर जालोर आता है । यह क्या सार्वजनिक उद्योगों को चलाने का सही तरीका है ? यह तो भ्रष्टाचार और नौकरशाही का तरीका है ।

(78)

(श्री रघुनन्दन व्यास)

तो मेरा निवेदन है कि जहां ग्रेनाइट निकलता है, ग्रेनाइट का कारखाना वहीं लगना चाहिये, वहां से 100 मील दूर नहीं। इस प्रकार की थिंकिंग से अधिकारियों को पालने की जो योजनायें मन्त्रिमण्डल के सामने लाई जाती हैं, उन पर विवेक से निर्णय लें।

रोडवेज की स्थिति भयंकर है, बसों की छतों पर लोग बैठते हैं। परवतसर के मेले में जाने के लिए जयपुर से 100-100 आदमी बसों की छतों पर बैठ गये। रोडवेज के कर्मचारियों को कुछ कह दें तो वे हड़तालें करवाते हैं। पिछली 19-20 तारीख की रात को अजमेर में हड़ताल हुई, वह वहां के आर. एम. श्री खन्ना ने ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स से करवाई। जब यातायात का विषय आएगा उस समय मैं अपने कट मोशन्स के जरिये अपनी बात कहूंगा। मजदूर तो हड़ताल के लिए टार्गेट बनते हैं, लेकिन अधिकारी करवाते हैं। तो हम लोग विचार करें कि रोडवेज का क्या होगा ? पैसा कौन देगा ? बसों का सामान गायब हो जायेगा यदि अधिकारियों को चैक हम नहीं कर सकते।

शिक्षा विभाग के लिए मेरा निवेदन है कि बहुत से स्कूल खोल दिये लेकिन कुछ जगह अन्याय हुआ। मैं जिस जिले में जन्मा हूं वहां कुछ स्कूल कम मिले। इस पर गम्भीरता से विचार करें।

चिकित्सा के नाम पर काफी खर्चा होता है। जो दलाली का धन्धा डाक्टरों के ट्रांसफर में चला वह अभी तक नहीं चला, यह प्रसन्नता की बात है लेकिन चिकित्सा के मामलों में डाक्टरों के साथ कम्पाउण्डर्स, सफाई करने वाले भंगी, दवाइयां-ये अगर अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं तो अस्पताल के कोई मायने नहीं हैं। सिरोही व जालोर में 10 कम्पाउण्डर्स कम हैं, 10 नर्सेज कम हैं, हरिजन कम हैं और सफाई करने वाले कम हैं। वहां जो इक्विपमेंट हैं जैसे फोटो लेने की मशीन है, उनकी दुर्दशा है। 2-2, 4-4 महीने मशीनें खराब रहती हैं। हम जो बजट देते हैं उसके पैसे का उपयोग न हो, चेकिंग न हो तो हमारे सारे प्रयत्न बेकार चले जाते हैं। भीनमाल के अस्पताल की हालत खराब है। वहां पर 4-5 मित्र 2-2 लाख रुपये खर्च करके अस्पताल बनाने को तैयार हैं, उन्होंने सरकार को लिखा लेकिन वहां से जवाब नहीं मिला। इस सरकार के पास तो पत्र नहीं आया लेकिन 50-50 मील में अस्पताल न हो, अनुदान मिलता हो, लोग पैसा खर्च करने को तैयार हों ऐसे स्थानों को नेग्लेक्ट किया जाय, यह अच्छी बात नहीं। सिरोही व जालोर में 100-बैड अस्पताल है उसको 150 बैड अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए। भवन के नाम पर यदि सरकार चाहे तो हम एक रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक पैदा करके देंगे। हम पैसा सरकार से नहीं मांगेंगे लेकिन जो हमारी बुनियादी बातें हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा।

हमारे जिले में पेयजल नहीं, पानी खारा है और कुए खराब। एक गांव है सिरोही जिले में देलदर। कांग्रेस सरकार ने 10 साल पहले गांव वालों से धन बटोर कर ले लिया वह सरकारी रिकार्ड में जमा है। आश्वासन भी दिया कि गांव में पेयजल देंगे। अब तो हमारी सरकार आ गई, हमारी सरकार भी मगर इस वर्ष वह योजना लागू नहीं

(श्री रघुनन्दन व्यास)

करेगी तो लोग हमें बदनाम करेंगे, उस समय हमारी क्या स्थिति होगी? हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं आना चाहिये।

अतिवृष्टि और अकाल के लिए मेरा निवेदन है कि दोनों जिलों में जो बरसाती फसलें हैं वे करीब-करीब खराब हो गई हैं। यदि 100 में से 5 गांव ठीक हो गए तो वे ठीक नहीं कहलायेंगे। जो गिरदावरी हो रही है उसमें खास तौर से पटवारियों को हिदायतें दी जायं कि वे ईमानदारी से गिरदावरी करें ताकि किसान को पीड़ा न हो, उसको लाभ मिले। अतिवृष्टि से दो गांव नष्ट हो गये। एक जालोर तहसील में कोमता, दूसरा सिरोही जिले में रऊआ। दोनों गांवों में सरकारी मशीनरी ने अपनी योजना को नष्ट किया। मैं घूमकर आया हूं। पैसा देने के लिए तहसीलदार जालोर पहुंच गया। गांव में 200 मकान नष्ट हो गये। इसी गांव में 200 आदमियों में से 4 आदमियों को 300 रु. दिए बाकी को 50-50 रुपये दिए। मैंने जिलाधीश को पत्र लिखा। रहुआ में पानी भरा पड़ा है, क्या हमारे अधिकारी यह व्यवस्था नहीं कर पाते कि पानी कहां निकलेगा? मैंने देखा, आधी बाढ़ तो मानव निर्मित है, इन टेक्निशियन्स के कारण हैं। ऐसे बांध, नाले, नहरें व सड़कें बनाई कि जहां हमेशा पानी बहता था वहां गलत नाले बना दिए, गलत नहरें बना दीं। जब मैंने इन्जीनियर्स से कहा तो जवाब दिया कि हम ज्यादा जानते हैं। उसका परिणाम यह निकला कि हम नुकसान भुगत रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अकाल के नाम पर ज्यादा धन उपलब्ध कराया जाय।

अब मुझे सरकारी कर्मचारियों के लिए कहना है। चाहे आयुर्वेद वाले हों या और हों, वे तम्बू लगाकर बाहर बैठे हैं। जब हम विपक्ष में थे तो जुलूस का नेतृत्व हमने किया। अब मानवता कहती है कि जब हम बाहर थे, सत्ता में नहीं थे तब जिस बात का नारा हमने लगाया अब उसे हमें पूरा करना चाहिए। निकाले हुए राज्य कर्मचारी हैं, उनकी मांग है कि यहां के चीफ सैक्रेटरी हमारे विश्वसनीय नहीं हैं। उनकी कम से कम एक मांग मान लो कि उनकी एक भी फाइल, एक भी कागज मोहन मुखर्जी नामक चीफ सैक्रेटरी के पास नहीं जाना चाहिए। कोर्ट में भी जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा फलां जज मे विश्वास नहीं है तो कोर्ट मान लेती है और फाइल पर जज लिखता है कि मैं इस मुकदमे में कार्यवाही नहीं करूंगा। चीफ सेक्रेटरी को चाहिए था कि वह मना कर देता। हो सकता है निकाले हुए कर्मचारियों में कुछ भ्रष्टाचारी हों लेकिन जो भ्रष्टाचारी नहीं हैं उनको तो रखा जाए।

यहां मद्यनिषेध की बात कही गई। मथुरादासजी को प्रसन्नता होनी चाहिए कि मद्यनिषेध पाली और जोधपुर में लागू नहीं हुआ। मैं समझता हूं वहां लागू होना चाहिए था। सिरोही जिले में मद्यनिषेध है। शिवगंज से जवाई नदी केवल 500 गज है इसके बाद सुमेरपुर है। वहां इस समय शराब की 13 दुकानें हैं और वहां से रोज 5 हजार बोतलें जालोर और सिरोही स्मगल होती हैं। इस योजना से लाभ क्या? आबू रोड में हर महीने कम से कम 50 हजार बोतलें मेथिया दारू की बनती हैं। मेथिया नाम इसलिए

(श्री रघुनन्दन व्यास)

रखा ताकि ग्रिप में न आ जाय। आबू और सिरोही डाक बंगलों को चैक किया जाए तो मालूम पड़ेगा कि दारू कितनी बनी और अधिकारियों की चौथ कितनी है। चौथ लेने के लिए प्रति सप्ताह आबकारी अधिकारी वहां डाक बंगलों में मिलेंगे। जिसको अब की बार कांग्रेस का टिकट मिला था वह भी दारू का व्यापार करता है उसने मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा। खैर, दारू का स्मगलिंग सिरोही जिले में होता है जो कि गोकुलभाई का जन्म स्थान है, उसको चैक करने के लिए राज्य सरकार ने प्रयत्न नहीं किया। हो सकता है हरिदेव जोशी सरकार पक्ष में हों कि दारू का स्मगलिंग हो। लेकिन अब जनता सरकार है, मास्टरजी उसके वित्त मंत्री हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप जालौर और सिरोही में दारूबन्दी करना चाहते हैं तो वहां जो दारू की सप्लाई हो रही है उसे पहले बन्द करायें। अन्यथा आपका यह जो दारूबन्दी का नारा है यह सिर्फ आदर्शवादी नारा ही रह जायेगा और दारूबन्दी वहां पर नहीं हो सकेगी। फिर फिजूल बजट में दारूबन्दी का नारा देने से क्या फायदा? आपकी इस प्रकार की कार्यवाही से तो दारूबन्दी हो नहीं सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे गवर्नमेन्ट होस्टल में लोग रोजाना रात को दारू पीके मस्त हो जाते हैं और रात को दो बजे तक, तीन तीन बजे तक दारू चलती रहती है वहां पर और हम लोगों को वहां पर रात को सोना मुश्किल हो जाता है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यहां पर हम दारूबन्दी की बातें करते हैं और दूसरी तरफ रात को गवर्नमेन्ट होस्टल में लोग दारू पीते हैं। इस तरह से तो दारूबन्दी नहीं होगी। आपको चाहिये कि दारूबन्दी को सख्ती से लागू करना चाहिये। अन्यथा तो यह पहले की सरकार की तरह दारूबन्दी नहीं हो सकेगी और वह एक आदर्शवादी नारा बन कर ही रह जायेगा। अगर आप यथार्थ में ही दारूबन्दी करना चाहते हैं तो इसके लिये आपको सख्ती से कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। अगर यह दारूबन्दी नहीं हुई, उपाध्यक्ष महोदय, तो इसके जो परिणाम होते हैं वह यह होंगे कि लोगों को टी. बी. होगी, लोग शराबी होंगे, लोग जुआ खेलेंगे, लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इस तरह लोग बरबाद हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस दारू के अभिशाप को बन्द कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहें तो जालौर की पुलिस लाइन में जाकर देख लें, सिरोही की पुलिस लाइन में जाकर देख लें, सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से वहां पर दारू की बिक्री खुले आम हो रही है इसलिये मेरा निवेदन है, मास्टर आदित्येन्द्र जी, आप शराबबन्दी में विश्वास रखते हैं तो पहले उन जगहों को रोकिये जहां कि दारू की बिक्री हो रही है। अगर आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यह दारूबन्दी की घोषणायें आपकी सिर्फ थोथी घोषणायें ही होकर रह जायेंगी। इसलिये, वित्त मन्त्रीजी, आप इस ओर विशेष ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट और। मैं तो पहले ही काफी ध्यान

(श्री रघुनन्दन व्यास)

रख कर बोल रहा हूं ताकि ज्यादा समय नहीं हो जाय और आप बीच में घण्टी बजाकर मुझे नहीं टोक दें। मेरा निवेदन है कि मैं जल्दी ही मेरी बात कह कर समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बजट बहुत ही अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस बजट से हम अपने परिलक्षित उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। जहां तक सवाल घाटे का बजट होने का है घाटे का बजट होना कोई खराब बात नहीं है। आज मैं अगर कोई धन्धा करता हूं और उस धन्धे के लिए पचास हजार रुपये का कर्ज लेता हूं, उस कर्ज से अपना धन्धा चलाता हूं, उससे अपना खर्च भी चलाता हूं और उस धन राशि का ब्याज भी देता हूं तो कोई खराब बात नहीं है। अगर हम घाटे के बजट से अपनी योजनाओं को कर्ज लेकर पूरा करते हैं, किसान को लाभ पहुंचाते हैं, सड़कें बनाते हैं, सहकारिता को बढ़ावा देते हैं तो कोई बात नहीं। इससे अगर इनफ्लेशन बढ़ता है तो आप बढ़ने दीजिये। इससे हमारी योजनायें शुरू होंगी जिससे कि हम लोगों को मजदूरी देंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा। काश्तकार को भी लाभ मिलेगा। अगर चीजें महंगी होती हैं तो कोई बात नहीं, चीज तो मिलेंगी। लोगों को रोजगार तो मिलेगा जिससे कि लोग अपनी रोटी-रोजी तो कमायेंगे।

अब थोड़ा, उपाध्यक्ष महोदय, जो सहकारी उपभोक्ता भण्डार दवाइयों के हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकार ने ऐसे कानून बना दिये थे कि जो दवाइयां सहकारी उपभोक्ता भण्डार से ली जायेंगी उन्हीं के पैसे सरकार द्वारा मिला करेंगे। अब अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है और डाक्टर अगर वह दवा लिख देता है जो कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार में नहीं है तो मुझे बाहर से दवा लाने पर पैसे मिलने वाले नहीं हैं। अगर मुझे कानूनन अपनी बीमारी के लिये दवाइयों के पैसे मिलते हैं तो मिलने चाहिये। इसमें मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति कहां कहां उपभोक्ता भण्डारों को देखता फिरेगा। यह कितनी अपमानजनक बात है कि हमको भी जगह जगह दवाइयों के लिए उपभोक्ता भण्डार में जाना पड़ता है जब कि होना यह चाहिये कि डाक्टर ने अगर दवा लिख दी है तो किसी भी दुकान से ले ली जावे। अगर बिल कटा हुआ है तो पैसे मिल जाने चाहिये। अगर पुरानी सरकार ने ऐसे नियम बना दिये थे तो हमें ऐसे नियमों को बदलना चाहिये। मैं समझता हूँ कि ऐसे नियमों को बदलने के पक्ष में यहां पर बैठे सभी माननीय सदस्य भी होंगे। अन्यथा डाक्टर दवा लिख देगा और हमें उस दवा के पैसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि हमें वह दवा उपभोक्ता भण्डार से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर हमें बीमारी की दवा के पैसे मिल सकते हैं तो मिलने चाहिये। यह क्या बात कि आप सहकारी उपभोक्ता भंडार से ही दवा खरीदें अन्यथा पैसे नहीं मिलेंगे। मेरा निवेदन है मास्टरजी से कि आप इस दुर्गति से हमें बचावें। बस इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह बजट अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूं। मास्टर जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपने भाषण के दौरान अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो वह मुझे क्षमा करें।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है, उपाध्यक्ष महोदय, क्रूड आयल के बारे में। आज हमारे यहां पर क्रूड आयल पर जो राज्य सरकार ने टैक्स लगा कर रखा है उससे हमारा किसान बहुत ही परेशान है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे जालौर, सिरोही एरिया में करीब 35 हजार कुए हैं जिन पर मशीनें लगी हुई हैं। उन में जो क्रूड आयल काम आता है उस पर 22 टका सौ पर राजस्थान सरकार ने टैक्स लगा रखा है और साढ़े चार टका सौ पर टैक्स केन्द्रीय सरकार का है। इस प्रकार करीब 26½ टका सौ पर टैक्स कुल मिलाकर क्रूड आयल पर लगता है। इससे यह भी होता है कि इसमें टैक्स की काफी चोरियां भी होती हैं और लोग क्रूड आयल गुजरात से ले आते हैं जहां पर टैक्स कम है। अगर आप इस क्रूड आयल पर टैक्स कम कर देते हैं तो किसान बहुत ही प्रसन्न होगा और मैं समझता हूं जो टैक्स की चोरी से घाटा होता है वह बन्द हो जायेगा और राजस्थान सरकार को लाभ होगा। इसलिए मेरा राज्य के वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वह जो क्रूड आयल पर टैक्स लगा हुआ है उसमें कमी कर दे। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि जब वह बजट पर वाद विवाद का अपना जवाब देंगे उसके पहले ही इसकी घोषणा कर देंगे जिससे कि किसानों को राहत मिले।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह है कि जो राजस्थान सरकार ने ढाई हैक्टेयर जमीन पर लगान नहीं लेने की बात कही है वह तो एक प्रकार से कोई विशेष फायदा देने वाली नहीं है। जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका है जिसमें कि आपके जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, नागौर और चूरू व इसी के पास में झुन्झुनूं का जो इलाका है वहां पर अगर आप ढाई हैक्टेयर की जमीन तक लगान माफ करते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि इन एरिया में आप ढाई हैक्टेयर सीमा को बढ़ाइये अन्यथा वहां के किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो वाहवाही आपने ढाई हैक्टेयर जमीन पर लगान की छूट देकर लूटी है वह बेकार होगी इसलिये मेरा निवेदन है कि आप ढाई हैक्टेयर से लगान की माफी बढ़ा कर और ज्यादा कीजिये।

बस इतना कहते हुए मैं अपना भाषण बजट का समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय को इस बात के लिये भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे बोलने का समय दिया और समय कम होते हुए भी बीच में घन्टी नहीं बजायी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपकी पार्टी को जो समय दिया गया था उसके अनुसार आपकी पार्टी के सदस्यों को साढ़े तीन घन्टे मिल चुके हैं। अभी तक के समय के अनुसार तीन घन्टे और 33 मिनट का समय कांग्रेस के सदस्यों ने लिया है और बाकी समय दूसरे दल के सदस्यों ने लिया है। समय का बंटवारा अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है वह अगर समय बढ़ाने के लिए संशोधन कर दें तो मुझे कोई

(श्री उपाध्यक्ष)
आपत्ति नहीं । फिलहाल मुझे कोई सम्भावना इसमें नजर नहीं आती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वैसे भी हमारे बीस मिनट तो बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार तो नहीं है क्योंकि इसमें 40 मिनट तक तो श्री खेतसिंह जी बोले, श्री रघुनाथ विश्नोई ने 30 मिनट तक का समय लिया, श्री शंकरलाल जी द्वारा 50 मिनट लिये गये और श्री मथुरादास जी माथुर ने 1 घन्टा और 33 मिनट लिये। इस प्रकार तीन घन्टे और 33 मिनट हो गये।

श्री सुखलाल सैंणचा : उपाध्यक्ष महोदय, यह समय का बढाना तो आपके हाथ में है। आज तो आप उपाध्यक्ष बने हैं इस खुशी में थोड़ा समय आप और बढा दें। वैसे भी अभी आप चेअर पर बैठे हैं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आज तो समय बढ़ा दीजिये, साहब।

श्री ओंकारलाल चौहान : आप उपाध्यक्ष बने हैं, आप थोड़ा आज तो लिबरल हो जाइये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि समय की पाबंदी जो है वह अध्यक्ष महोदय द्वारा रखी गयी है। अगर उसमें संशोधन होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विजय सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सुखलाल सैंणचा : आप व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख लूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

(अनुपस्थित)

श्री गणेशलाल !

श्री गणेशलाल (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो वित्त मन्त्रीजी ने बजट पेश किया मैं उसका समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा कि आम जनता में इस बजट के लिए चर्चा है कि यह बजट सामान्य व्यक्ति के लिए और खास तौर से गरीब वर्ग के तबके के लिए लाभ देने वाला है। इसके अलावा विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी थोड़ी आलोचना करके इस बजट को एक आम जनता को राहत देने वाला बजट बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के दो पहलू हैं–पहला तो यह है कि इस बजट से सामान्य व्यक्ति को लाभ होगा ही, दूसरे जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बताया हमारी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। मैं समझता हूं कि हम बजट की जो मूलभूत बात है उसको प्राप्त कर सकेंगे। और इससे हम जिस वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह लाभ हम उस वर्ग को पहुंचाने में सफल हो पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जितने भी राजस्थान सरकार के महकमे काम कर रहे हैं, यदि उन पर विचार करें तो इमर्जेन्सी से पहले और उसके बाद में कितने ही महकमे ऐसे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में योग दिया है।

(श्री गणेशलाल)

यातायात विभाग ही ले लीजिये। यह विभाग भी गृह मंत्रीजी के पास है। इस पर भी विचार करें। निरन्तर इसमें भ्रष्टाचार है और राजस्थान सरकार की इज्जत पर एक धब्बा है। कुछ दिनों पहले भूख हड़ताल वाली बात थी। माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि यह स्थिति चलती रही तो बजट बनाते चले जावेंगे जैसे 30 साल तक कांग्रेस सरकार ने बजट बनाये हैं, लेकिन आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। आज भी रोडवेज में सैंकड़ों आदमी बिना टिकट के यात्रा करते हैं। बून्दी की ही मैं आपको बात कहूं। ऐसे व्यक्तियों को इस विभाग में कन्डक्टर की नौकरियां दी गयी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगे हुए हैं। बून्दी जिले में एक सहकारी क्षेत्र का कर्मचारी था उसके विरुद्ध 20 हजार का गबन पाया गया। उस पर मुकदमा चल रहा है लेकिन उसको कन्डक्टर बनाया गया। अधिकारियों को बताया भी गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे ऐसे लोग इस महकमे में हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को इसमें प्रश्रय दिया जाता रहा तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने वाली नहीं है।

पशुपालन की बात कही गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले का इलाका एक पशुपालन वाला इलाका है। मवेशी पालने का अधिकतर लोग काम करते हैं। कई परिवार इस पर पलते भी हैं। आज के प्रश्नोत्तर काल में एक प्रश्न आया। बून्दी जिले, कोटा जिले और भीलवाड़ा जिले से मिला हुआ ऊपर माल का क्षेत्र है, वहां लाखों की तादाद में भेड़े आती हैं। वे वनों को नष्ट कर रही हैं। जिस गांव में से भेड़ें निकल जाती हैं वहां पर घास बरबाद हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस समय इस पर वक्तव्य देने के लिये कहा था। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि भेड़ों के गुजरने से उत्पादन घटता है। हमारे क्षेत्र में गाय पालन भी है और भेड़ पालन भी है। मैं दावे के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र आठ-दस वर्ष से ही उस क्षेत्र से भेड़े आ रही हैं। इससे पहले कभी नहीं जाती थीं। भेड़ ऊन देती हैं, भेड़ पालकों के साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन आपको उनके लिये कोई दूसरी सही व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि हमारे वनों की और हमारी फसलों की रक्षा की जाय। जहां भी भेड़ें जाती हैं निश्चित रूप से जनता सरकार के बनने के बाद हमारे लोगों को यह आशायें बन्धी हैं कि हमारी सुनवाई होगी और काश्तकारों को राहत मिलेगी।

वन विभाग वाली बात हमारे सामने आयी है। 30 साल से लगातार वृक्षारोपण का कार्य कांग्रेस सरकार करती आयी है। इस वर्ष भी बजट में प्रावधान रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वृक्षारोपण का कार्य कांग्रेस सरकार और अन्य लोगों ने भी किया। जितने भी वृक्ष लगाये वे नहीं रहे लेकिन जितने भी वृक्ष आज लगे हुए हैं उनकी तो कृपया रक्षा कीजिये। आपका यह वन विभाग वनों की रक्षा करने वाला नहीं है। यह केवल मात्र अपने हिसाब से, अपनी गणित के हिसाब से करता है। निश्चित रूप से आप इसको भी कन्ट्रोल कीजिये।

सिचाई और विद्युत की बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में सिचाई के

(श्री गणेशलाल)

साधन उपलब्ध हैं। जितना हमारे क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिला है उतना ही भयंकर नुकसान भी हुआ है। सिंचाई के साथ-साथ सीपेज की बात आयी है। जमीन बिगड़ने की बात आयी है। उसको कन्ट्रोल नहीं कर पाये। जिन जमीनों में सीपेज हुआ है, जमीनें बिगड़ी हैं, उनकी ओर सरकार को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये और जिस काश्तकार को जमीन की उपज सीपेज के कारण से नहीं मिलती है उसको लगान में माफी दी जानी चाहिये। उसका लगान माफ किया जाय।

इसके साथ ही लघु सिंचाई योजनायें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी योजनायें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1970 में हमारे बूंदी जिले में एक अभयपुरा नाम के बांध का तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय ने उद्घाटन किया था। सन् 1970 के बाद आज तक कुछ लाख खर्च करने के बाद आज उसकी कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं जिन्होंने बजट पेश किया है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस बांध का शिलान्यास तब किया गया था जब 1971 के चुनाव होने वाले थे, क्या उस समय बजट नहीं था और बिना बजट के बांध का उद्घाटन किया ? और यदि बजट था तो सात साल में उस बांध को क्यों नहीं पूरा किया गया ?

इसके बाद शिक्षा की बात आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कांग्रेस के राज्य में जितना शिक्षा का विकास होना चाहिये था उतना विकास नहीं हुआ। इस बार सरकार ने ध्यान दिया है। कुछ सदस्य महोदयों को यह बात बुरी लगी है। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया और अब दूसरी सरकार कुछ करना चाहती है तो उनको बुरा लग रहा है।

एक माननीय सदस्य : हमने तो कहा कि गड़बड़ियां होती हैं।

श्री गणेशलाल : माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : डबल दो, डबल दो।

श्री गणेशलाल : जितनी गड़बड़ियां शिक्षा विभाग में हैं उतनी गड़बड़ियां शायद दूसरे विभाग में नहीं हैं पांच साल हो गये पेन्शन ले रहे हैं, लेकिन फिक्सेशन के केसेज तय नहीं हुए।

पेन्शन में जो वृद्धि की है वह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है लेकिन छोटे पेन्शनरों को कम रुपया मिला है।

मद्य निषेध की बात कही गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में 1 अक्टूबर से पूर्ण मद्यनिषेध की बात सरकार ने कही है। मैं इसका तहेदिल से स्वागत करता हूं। साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी जिले के साथ कोटा जिला और उसके बाद झालावाड़ जिला आता है। झालावाड़ जिले में पूर्ण मद्यनिषेध की बात नहीं कही गयी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोटा से 1 करोड़ की इनकम हो सकती है।

Page No 86

(86)

श्री गणेशलाल : जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, ऐसे क्षेत्र में निश्चित रूप से दूसरी जगह से शराब आ सकती है। जहां पर इस प्रकार से शराब आने पर कन्ट्रोल नहीं होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिस क्षेत्र में शराबबन्दी हो वहां पूर्ण रूप से इसको लागू किया जाये।

एक बात माननीय मनोहरसिंह जी मेहता ने कही थी कि मांडलगढ़ जो क्षेत्र है निश्चित रूप से वहां शराबबन्दी होनी चाहिए थी। इस विषय पर आज से कई वर्षों से मांग उस क्षेत्र से उठाते आ रहे हैं लेकिन उसको टच नहीं किया गया...

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपके बून्दी जिले से मिला हुआ है।

श्री गणेशलाल : बून्दी और भीलवाड़ा जिले मिले हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि माण्डलगढ़ में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

इसके आगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के बारे में भी एक बात निवेदन करना चाहूंगा। इस बजट में पुलिस के जवानों को लाभ देने वाली बात कही गयी है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। पुलिस विभाग के लोगों को ही क्यों बल्कि राज्य सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको उनका पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए और सम्पूर्ण रूप से उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए लेकिन साथ ही साथ उनको अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूरा पालन नहीं करता उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। कोटा डैम के बारे में माननीय सदस्य ने बात कही थी कि वहां के कर्मचारियों पर पुलिस ने प्रहार किया इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलनकर्ताओं पर न तो आर.ए.सी. ज्यादती करेगी और न पुलिस विभाग ही करेगा। मुझे बड़ा खेद है, ऐसा किया गया है या नहीं किया गया लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी करीब एक माह पूर्व की बून्दी जिले के नैनवा क्षेत्र की मेरे से पूर्व वक्ता माननीय श्री माणकलालजी ठाकोर ने बात कही है, उस घटना को सुनकर मुझे ठीक आज से 10 वर्ष पुरानी बात याद आती है जब सुखाड़िया सरकार के राज्य में कांग्रेस की सरकार का राज्य कायम रखने के लिये जयपुर में पुलिस के लोगों ने नन्हे-मुन्ने बच्चों को गोलियों से भून दिया। लेकिन वहां यह स्थिति नहीं थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कबड्डी के खेल में झगड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा होना स्वाभाविक है और खेल के मैदान में झगड़ा होना स्वाभाविक है। इसी बात को उपद्रव के रूप में खड़ा कर दिया गया। इसके पीछे कौन सी भावनायें काम कर रही थीं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हायर सैकण्डरी स्कूल के प्राध्यापक को सब-इन्सपेक्टर ने गिरफ्तार किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या एक सब-इन्सपेक्टर को गजेटेड आफिसर को गिरफ्तार करने के अधिकार आपने दे रखे हैं? यदि नहीं दिये हुए हैं तो क्यों नहीं उसको तुरन्त सस्पेण्ड किया गया और उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी? जब नैनवा के छात्रों ने इस बात को आगे बढ़ाया और जिलाधीश के माध्यम से निवेदन किया

(श्री गणेशलाल)

कि जिस व्यक्ति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके हमारे प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। बल्कि हुआ यह कि जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया उन छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। जैसा माणकलाल ठाकोर ने बताया कि वहां पर हमारे विरोधी पक्ष के नेता और जनता पार्टी के नेता भी उपस्थित थे···

श्री उपाध्यक्ष : पूर्व वक्ता महोदय ने इस संबंध में सारी जानकारी दे दी है इसलिए आप इस पर और अधिक समय न लें।

श्री गणेशलाल : ठीक है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैनवा वाला काण्ड जो सामने आया उसके लिए मुझे इतना ही निवेदन करना है कि पुलिस के महकमे के ऊपर सही तरीके से कन्ट्रोल नहीं किया गया तो इससे जनता पार्टी बदनाम हो जायेगी।

इसके अलावा मैं दूसरे मामले के बारे में निवेदन करूंगा। मिलापचंद नाम के एक लड़के को तालाब में फेंक दिया गया चार बच्चों के साथ। तीन बच्चे ऊपर आ गये लेकिन एक बच्चे का पता ही नहीं चला।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

वह ऐसी स्थिति में हुआ जब कि एस.डी.एम. ने इसलिए वहां पर बुलाया कि हम बैठकर बात करेंगे कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए। एस. डी. एम. ने बुलाकर अन्य कमरे में जाकर टेलीफोन किया और पुलिस आई। लोगों को तीन तरफ से घेर लिया गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, कुछ तालाब में डूबे और चार बच्चों को पुलिस ने तालाब में गिरा दिया। तीन बच्चे ऊपर आये और एक बच्चा नीचे ही रह गया। मिलापचन्द 19 तारीख को तालाब में डूबा और 20 तारीख को बाहर निकला। बाहर किन परिस्थितियों में निकला? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच बहिनों पर एक भाई था और नाथूलाल हलवाई का मिलापचन्द इकलौता लड़का था। मिलापचन्द की लाश निकाली जा रही थी और उसके घर में जन्म दिवस मनाने की तैयारियां की जा रही थीं। ठीक 20 तारीख को उसका जन्म दिवस था उसके घर में तैयारियां की जा रही थीं और तालाब से बच्चे की लाश निकाली जा रही थी। मैं उसको लाश नहीं कहूंगा बल्कि कहूंगा कि कंकाल निकाला जा रहा था। उसके शरीर पर खून का एक टपका भी नहीं था। केवल हड्डियों का कंकाल बाहर निकाला गया। चमड़ी व मांस का लेशमात्र भी निशान नहीं था। श्री माणकलालजी के पास उसकी फोटो है। वह हमारी सरकार के सामने रखी है। इस बात को लेकर हम माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले और गृह मंत्रीजी से भी मिले। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा कि इकलौते बच्चे की मौत हुई है, लेकिन गृह मंत्रीजी ने शायद हमारी भावनाओं को नहीं समझा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बच्चे की मौत हुई है वह नहीं समझ सके। उनकी मजबूरी है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नाथूलाल जी का बच्चा नैनवा का बच्चा नहीं था बल्कि सारे बूंदी जिले का बच्चा था। हमारे बीच में बूंदी जिले से एक डेपुटेशन आया है। मैं निवेदन करना

(श्री गणेशलाल)

चाहूंगा कि यह एक सामान्य सी बात नहीं है। कल आमेर में जो दुर्घटना हुई उसके लिए मुझे हार्दिक कष्ट है और उनके परिवार वालों के साथ सहानुभूति है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी और सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी वहां गये लेकिन हमारा यह मिलापचन्द, जो कि नाथूलालजी का इकलौता बच्चा है, मरा है, मेरे ख्याल से किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया मैं सदन के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के महकमे के ऊपर कन्ट्रोल रखें।

इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सुखलाल सैणचा : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय का संकेत हो गया कि टाइम बढ़ा दिया जाये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने भी कहा और दूसरे सदस्यों ने भी कहा लेकिन गृह मंत्री जी द्वारा न तो इस बारे में कुछ कहा गया और न मुख्य मंत्रीजी द्वारा। इस पर कल भी बहस हुई और आज भी हुई। जब इस तरह का अन्याय पुलिस करती है, वह विधान सभा में आता है फिर भी माननीय मंत्रीजी चुप बैठे रहें और इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहें तो यह कितना बड़ा अन्याय है। मैं तो निवेदन करूंगा कि हम सभी सदस्य निवेदन करते हैं कि इसकी खुली जांच करके ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। हम तो यहां तक कहना चाहते हैं कि उनको तत्काल टर्मीनेट करके 302 का मुकदमा दर्ज करके जेल में डाला जाना चाहिए। यह सदन नेक और ईमानदार आदमियों का पक्ष करता है। लेकिन जो अन्याय करें, डंडे बरसायें, तालाब में डुबो दें और अन्याय करें और उसके सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो, कल भी हुई और आज भी हुई फिर भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा सुना जाय तो इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। फिर आदमी कहां जाकर बोलेगा ? यह अन्याय कैसे मिटेगा ? मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए व्यवस्था दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, और सरकार का ध्यान आकर्षित कीजिए। सदन में सिर्फ एक मंत्री बैठे हैं पंचायत के इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेदारी है इस विषय में कि हमें शांति दिलाई जाये कि इन बारे में क्या व्यवस्था होगी। यह हमारा निवेदन है आपसे। तीन-चार बार अखबार वालों ने लिखा है और फोटो भी आई है। सदन में चर्चा हो चुकी है फिर भी सरकार चुप बैठी रहे तो इसका क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लें। मैं इस संबंध में गृह मंत्री जी से मिलूंगा और मुझे आशा है कि आप भी मिलेंगे। वह जरूर समय निकालेंगे। इस सम्बन्ध में मैं उनसे मिलूंगा, आप भी बात कर लें।

श्री निर्मलकुमार (झालरापाटन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक गम्भीर मसला है। इस पर गृह मंत्री जी से वक्तव्य दिलवाइये। अनेक नागरिक यहां पर आये हैं। सरकार इस संबंध में उचित वक्तव्य दे।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ

(श्री रामकरण सिंह)

रहा है, हमको सुनने के लिये भी गृह मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। क्या सरकार वक्तव्य देना नहीं चाहती है या सरकार सक्षम नहीं है ? दोनों में से एक बात जरूर है। सदन की मांग है उसका जवाब दिया जाना चाहिये इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। हो सकता है गृह मंत्री जी इस पर ही विचार कर रहे हों। उनसे मिलकर में जानकारी दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह । आपके लिये 15 मिनट का समय रखा गया है, आप निर्धारित समय में अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहिले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी ओर से, जनता पार्टी की सरकार का यह पहला बजट भाषण सदन में देने के लिये मुबारकबाद देती हूं। इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि 1977-78 का उनका बजट भाषण बिलकुल असंतुलित, अस्पष्ट, सारहीन, विरोधाभास वाला और अपनी चुनाव घोषणा-पत्र की नीतियों के विपरीत केवल शब्द जाल का एक सारहीन भाषण है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, ऐसा लगता था कि बार बार राज्यपाल महोदय के भाषण में और स्वयं उनके बजट भाषण में जिस अहिंसक मूक क्रांति की बात उन्होंने कही है कि सत्ता को हथियाने में इन खुरदरे हाथों का चमत्कार है। हम कल्पना कर रहे थे और जिसकी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस प्रकार का बजट लाऊंगा कि आप लोग चकित रह जायेंगे और सचमुच में राजस्थान की गरीब जनता को उससे कुछ राहत मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे एक शेर याद आगया है।

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिलका
जो चीरा तो कतरा-ए-खून निकला।"

सचमुच में इस सत्ता के परिवर्तन के बाद हम सोचते थे कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में बजट के अन्दर कोई न कोई नई बात आयेगी लेकिन केवल एक बात जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में दी उसका बजट प्रोवीजन करने के अलावा राजस्थान की जनता को न कोई राहत दी है न कोई दिशा निर्देश ही है। मैं इस बात को इसलिये निवेदन करना चाहती हूं क्योंकि हम कल्पना करते थे कि आज राजस्थान जिस भयंकर अकाल की चपेट में आया है, राजस्थान जिस भयंकर अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आया है उस सब के हल के बारे में कोई प्रकाश डालेंगे। उसके बारे में यह सरकार कुछ कहेगी। निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई, आसमान को छूती हुई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को रोकने के बारे में कुछ न कुछ जनता सरकार का यह पहला बजट करेगा लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी जब इस भाषण को पढ़ा, बड़े बड़े पोथों को देखा तो निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। कहीं भी जनता पार्टी की सरकार ने कुछ करने की कोशिश नहीं की। बजट में कोई बात नई नहीं है। वही घिसी-पिटी लाइनों पर वह की वह बातें हैं और अफसोस तो इस बात का होता है कि हमको भ्रम में डाला गया कि हमने योजनाओं के आकार को बढ़ा दिया है। कृषि उत्पादन में,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

शिक्षा में, चिकित्सा में हमने इस बजट के अन्दर अधिक बजट का प्रावधान किया है। मुझे अफसोस होता है यह निवेदन करते हुए कि जनजाति एवं अनुसूचित जाति के भाइयों के बारे में यदि आप भूतपूर्व, वित्त मंत्री का भाषण पढ़ें तो उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट घोषणा की थी इस बात की और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के अन्दर पेयजल और बिजली, विद्युतीकरण के लिये 2 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था। इस नई जनता पार्टी की सरकार ने उसे बिल्कुल खत्म कर दिया। यह अनुसूचित जाति एवं जन जाति के साथ घोर अन्याय है। यह बात तो सही है, जो कल्याणकारी सरकार होती है उसका घाटे का बजट होता है। घाटे की अर्थव्यवस्था के सहारे यदि लोक कल्याण के कार्य किये जायें तो कोई अनुचित बात नहीं है लेकिन जो लोक कल्याण की घोषणा करते हैं और हरिजनों के हिमायती होने का ढोंग करते हैं, गरीब से गरीब लोगों के लिये प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं वे एक तरफ तो प्रोग्राम बनाते हैं और दूसरी तरफ हरिजन बस्तियों की सुविधा को खत्म करते हैं। कांग्रेस हुकूमत में यह आदेश दे रखा था कि जिस गांव में हरिजन बस्ती में पानी और बिजली नहीं दी जावेगी उस गांव को विद्युतीकृत अथवा पेय जल की सुविधा युक्त नहीं माना जायेगा। हरिजन बस्तियों को पेय जल और विद्युतीकरण से लाभान्वित करने के लिये दो करोड़ रुपये का प्राविजन किया था उसको आपकी सरकार ने समाप्त कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहती हूं इतना ही नहीं, वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कृषि उत्पादन के संबंध में जो लघु सिंचाई योजना का जिक्र करते हुए बताया है कि इस बार 4,000 नये कुएं के निर्माण करने का, 1400 कुओं को गहरा करने का 4,000 पम्पिंग सेट लगाने का और 1 लाख 10 हजार मीटर पक्की नालियों का निर्माण करने का प्रावधान है। भूतपूर्व वित्त मंत्री के बजट भाषण के अन्दर जो यह प्रावधान था, उसको काट दिया गया है।....

श्री एच. एन. शर्मा : अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिस चीज को काटोगे तो आखिर हम उसको बताने के लिये ही तो हैं। इन 4,000 कुओं के बजाय हमारी सरकार ने 4,400 और 1400 कुओं को गहरा करने के बजाय 2100 तथा 4000 पम्पिंग सेट्स के बजाय 5250 और 1 लाख 10 हजार मीटर पक्की नालियां बनाने के बजाय 1 लाख 17 हजार मीटर नालियां बनाने का प्रावधान किया था। एक तरफ तो आप कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं और यह कहते हैं कि 80 प्रतिशत लोग जो कृषि पर आश्रित हैं उनको सुविधायें दी जायेंगी और दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र की सुविधाओं को और बजट प्रावधान को आप काट रहे हैं, तो मैं समझती हूं यह बात न्यायसंगत और उचित नहीं लगती। फिर दम्भ इस बात का है कि यह सरकार किसानों के लिये प्रगतिशील है। यह बात सही है कि ढाई हैक्टेयर तक आपने लगान माफ कर दिया लेकिन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह भी एक मात्र दिखाने तथा सस्ती लोक-प्रियता अर्जित करने के लिए किया है। फिर भी मैं आपको इस काम के लिये बधाई देने से नहीं हिचकिचाती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि सन् 1976-77 के बजट भाषण में भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने इण्डेक्स प्राइस-थोक मूल्यों के बारे में अपने आंकड़े दिये थे और सामान्य इन्डेक्स उन्होंने जनवरी, 1975 को 52-53 की कीमतों के आधार पर 471 दिया था और जनवरी, 1976 में वह 388 था। खाद्य पदार्थों का 1975 में 476 था और 1976 में 388 था और औद्योगिक कच्चे माल का 1975 में 312 था और 1976 में 214 था। उसके बाद मूल्यों को नियंत्रित रखा गया लेकिन इस समय जिस तेजी के साथ आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसके लिये गवर्नर साहब ने अपने भाषण में चर्चा ही नहीं, स्पष्ट घोषणा की थी कि बढ़ते हुये मूल्यों को नियंत्रित रखने का यह सरकार प्रयत्न करेगी। उसके बावजूद इस भाषण में बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित रखने के लिये किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ, काला बाजारी करने वालों के खिलाफ किस प्रकार के मेजर्स लिये जायेंगे इसका कोई भी बजट में संकेत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, चूंकि समय बहुत कम है इसलिये मुझे बहुत कम समय में अपनी कई बातें कहनी हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि हरिजनों के साथ होने वाली ज्यादतियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है उनको कानूनी संरक्षण देने के लिये, उन्हें कानूनी राहत देने के लिये घोषणायें तो होती हैं लेकिन आये दिन घटनायें सुनते हैं अखबारों में पढ़ते हैं जिनसे मालूम होता है कि किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा नहीं की लेकिन मैं अपना फर्ज समझती हूं नरवर काण्ड की चर्चा करना। वहां के जागीरदार पोकर रेगर नाम के व्यक्ति को, जो बन्धुआ मजदूर था और जिसने मजदूरी करने से ना किया, जबरदस्ती पकड़ कर ले गये, जबरदस्ती ले जाकर उसकी 2 अगस्त को हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में यह अफवाह फैला दी कि वह कमाने के लिए बम्बई गया है। दो दिन पीछे खान में उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस में रिपोर्ट की गई, पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद में जिन लोगों ने हत्या की उन कातिलों को थाना गगल में न रखकर अजमेर में रखा गया। अभी तक साठ-गांठ करके, मुझे दो-चार दिन का तो पता नहीं है कि कोई कार्यवाही हुई हो लेकिन पिछले 5-7 दिन में तो ...

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय सदस्या ने पहले भी सदन में 2-3 आंकड़े बताये थे और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चैलेंज करते हुए उन सब बातों को झुठलाया था। मुझे अभी भी डर लग रहा है, जैसा कि अभी भी कहा जा रहा है तो कहीं ऐसा न हो फिर झुठलाने वाली बात हो। इसलिये आप सदन का समय बरबाद करके झूठी बातें न कहें। पहले भी आपने झूठी बातें को

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

स्वीकार किया है और अभी भी कह रही हैं कि कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में इन्टूप्ट न करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, जितना समय मेरा ये लोग लेंगे उतना ही मैं अधिक समय लूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा बीच बीच में इन्टूप्ट न करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं मैं जो कुछ कहती हूं, जिम्मेदारी से कहती हूं। मैंने जो पिछली बार बात कही थी वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ही कही थी। उसके बाद मुख्य मंत्री महोदय ने कहा 18 तारीख को और 18 तारीख को ही असेम्बली चली थी तो जो मैंने बात कही थी वह क्या गलत कही थी। मैंने बात ठीक ही कही थी और आज भी कहती हूं, उसकी हत्या की गई है। उन लोगों के बारे में क्या हुआ, मुझे पता नहीं लेकिन सांठ-गांठ करके कातिल बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहां के हरिजनों को आतंकित कर रखा है। इसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से दिला दें। माननीय सदस्य के इतने उत्तेजित होने का क्या सवाल था?

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, इन घटनाओं से चिन्तित होकर कांग्रेस की सरकार की जब हुकूमत थी, तब हरिजनों के खिलाफ जो केसेज हुआ करते थे उनमें उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिलती थी। इसके अलावा और भी संरक्षण मिलता था। तो मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस सबके बारे में क्या करना चाहते हैं इसका इस बजट में कहीं कोई संकेत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं और बातों की ओर नहीं जाती केवल माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहती हूं, राजस्थान में भयंकर अकाल है और ऐसा भयंकर अकाल मैंने तो अपनी याददाश्त में नहीं देखा। अनाज के अकाल की बात तो और बात है और पांच आदमियों के परिवार में यदि ढाई किलो अनाज भी जुट जाता है तो दिन गुजर सकता है लेकिन चारे का इतना भयंकर अकाल जैसा इस बार है, कभी नहीं हुआ। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आज कुट्टी का भाव 45) रु. प्रति क्विन्टल है। 45) रु. क्विन्टल कड़वी बिकती है। तो किस तरह पशुओं को जिन्दा रखा जायगा? श्वेत क्रान्ति की बात करने वाले मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बजट में केवल श्वेत क्रान्ति का नाम लेने से ही श्वेत क्रान्ति नहीं आती है इसके लिये बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। बड़ा मुश्किल है आज के युग में पशुओं का पालना और उनकी ब्रीड को बचाना और उनको आमदनी का जरिया बनाना। न आज चारे का प्रबन्ध है, न पशुओं की नस्ल सुधारने की आज कोई व्यवस्था है। आपको मालूम है आज काकड़े के क्या भाव हैं? ग्वार चने का क्या भाव है? एक बात निश्चित तौर से कह सकती हूं कि और चीजों की कीमतें 15 साल में बढ़ी हैं लेकिन दूध की कीमत करीब करीब 10-15 साल से कान्स्टेन्ट

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है। दूध की कीमत इतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिये थी। 45) रु. क्विन्टल चारा हो तो इस भयंकर अकाल में पशु जिन्दा रह जायगा और राजस्थान में श्वेत क्रान्ति आ जायगी, यह बात मेरे समझ में नहीं आती है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन कर देना चाहती हूं कि जब राजस्थान में इतना भयंकर अकाल है, तो वे क्या करेंगे। हमें इस बात का गौरव और फक्र है कि कांग्रेस के प्रशासन में तीस सालों में भयंकर से भयंकर अकाल पड़े लेकिन लाखों आदमियों को रोजगार जुटा कर इस राजस्थान के अन्दर एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया और····

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह XX है। सवा सौ आदमी मरे हैं। ये XX बोल रही हैं। इस सदन की कार्यवाही को देख लें, सन् 65 में 125 आदमी मरे थे। माननीय सदस्या XX बोल रही हैं।

श्री एच.एन शर्मा : आप बिलकुल XX बोल रही हैं सदन में।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये XX बोल रही हैं। बड़े अफसोस की बात है। सैंकड़ों आदमी मरे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहिये। माननीय सदस्या को बोलने का टाइम दिया गया है तो उनको बोलने दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी····

श्री रतन लाल वर्मा : खुद मंत्री रही हैं और मंत्री रह कर भी XX बोल रही हैं, तो बड़ा अफसोस होता है।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्या का तो कम से कम लिहाज रखिये।

श्री रतन लाल वर्मा : XX का लिहाज नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सत्तारूढ़ दल के लोगों से नम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहती हूँ कि वह कुछ संयम रखें, कुछ धीरज रख कर के सोचें झूंठ कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है इसकी परीक्षा तो जनता करेगी लेकिन मुझे मेरी बात कहने का तो हक है।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : हमने जितना धीरज रखा है उतना तो धीरज रखो। यह तो देखो कि हमारा क्या कार्यक्रम है, क्या काम करने जा रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्थान की इस भयंकर अकाल की हालत में बजट के अन्दर कंटीजेंसी के प्रावधान के अलावा, कंटीजेंसी मनी के प्रावधान के अलावा कहीं कोई प्रावधान नहीं है, यह बात कहें तो माननीय सदस्य इतने नाराज होते हैं। बात को ठीक से सुनते नहीं। आप लोगों को चाहिये कि सरकार को मजबूर करें। आप कहें कि एक भी आदमी भूख से मर गया या

XX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
हमारे पांच पशु भी मर जाते हैं तो यह राजस्थान की जनता सरकार के लिए कलंक की बात है। लेकिन यहां पर तो खड़े होकर के टोकने की होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा हिमायत कर सकता है। मैं कहती हूं कि अगर आपकी सरकार कुछ करती है तो इसमें आपकी ही साख बढ़ती है। इससे आपकी ही साख बढ़ेगी····

श्री रतन लाल धर्मा : आपके कहने से साख बढ़ने वाली नहीं है। यह तो जनता ने ही बढ़ा दी है और इधर से उधर बिठा दिया है। इससे ज्यादा क्या साख हो सकती है।

(4-53 म. प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस तरह से मुझे बोलने में आप बाधा नहीं डाल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि एक माननीय सदस्या बोल रही हैं तो बीच में इण्ट्रप्शन करके बाधा नहीं डालें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही थी कि इस भयंकर अकाल से निपटा जाएगा, इसके बारे में कहीं कोई बजट में प्रावधान नहीं है। सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर जो सत्तारूढ़ पार्टी में हैं उनकी तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी है कि इस बारे में अपनी सरकार पर दबाव डालें कि वह इस भयंकर अकाल से निपटने के लिए, जनता को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए, सस्ते अनाज की दुकानें खोलें। जो हमारा संग्रहित किया हुआ लाखों लाखों मन अनाज पड़ा हुआ है, उससे इस बार का तो काम चल जाएगा··

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : आपने कौन सा अनाज संग्रहित किया था ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस प्रकार बीच में इण्ट्रप्शन नहीं करें। कुछ सदन की गरिमा को भी ध्यान में रखें।

श्री रतन लाल वर्मा : सभापति महोदय, यह कह रही हैं "हमारा इकट्ठा किया हुआ अनाज"। इन्होंने कौन सा घर से पैसा दिया था या इनका खुद का इकट्ठा किया हुआ था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कांग्रेस की सरकार का इकट्ठा किया हुआ है तो मैं यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि इस भयंकर अकाल के अन्दर एक तरफ चारे की परेशानी है दूसरी तरफ लोगों के रोजगार की परेशानी है। आप रोजगार जुटाने की बात कहते हैं। मैंने बजट भाषण के आंकड़े इकट्ठे किए है। शिक्षित और अर्द्ध शिक्षित, काटेज इंडस्ट्री इत्यादि में कुल मिलाकर जिनको आप रोजगार देंगे ऐसे लोगों की संख्या 31 हजार है। हाथ करघा उद्योग में 8 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामोद्योग में साढ़े सात हजार को रोजगार मिलेगा। या दे पायेंगे। खादी बोर्ड और ग्रामोद्योग क्षेत्र में एक हजार को, खनिज विकास के अन्दर दस हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा—यह बात लिखी है। लेकिन कुल मिलाकर शिक्षित

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बेरोजगार हैं उनमें से केवल 4860 लोगों को काम मिल सकेगा । क्या इस प्रकार से जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान कर पायेंगे ?आज हमारे सामने कई समस्यायें हैं, अकाल की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है । एक बात मैं बहुत नम्र शब्दों में निवेदन कर देना चाहती हूं कि केवल कांग्रेस सरकार की विगत बातों को कोसते रहने से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, केवल कांग्रेस सरकार को कोसते रहने से भूखे का पेट नहीं भरने वाला है । केवल कांग्रेस शासन की बातों को दोहराते रहने से और कांग्रेस को गाली दे देने से तथा विगत बातों को बार-बार दोहराते रहने से लोगों की भूख नहीं मिट पायेगी । लोगों के मकानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है । यह बेरोजगारी की समस्या नहीं मिटने वाली है । प्रदेश की भूख नहीं मिटने वाली है। लोगों को अपना सिर छिपाने के लिए मकान की व्यवस्था करनी है वह नहीं होने वाली है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज आपको मौका मिला है उस मौके का निश्चित तौर पर फायदा उठाते हुए इस सम्बन्ध में...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त कर रही हूं ।

o

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि...

सदन के समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम (मुख्य संचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन की कार्यवाही 7 बजे तक बढ़ा दी जाय ।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया ।

परिवर्तित आय-व्ययक 1977-78 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री बनते ही इस बात की घोषणा की थी कि वह सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल व्यवस्था को देंगे । मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह भी याद दिला दूं कि प्लानिंग कमीशन ने पांचवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर स्वच्छ, रोगमुक्त, मीठा, पीने लायक पानी दिए जाने का आश्वासन दिया था और पांचवीं पंचवर्षीय योजना का अब यह तीसरा वर्ष है । जिस तरह से काम चल रहा है, हमारे पास केवल ढाई वर्ष बाकी हैं और ढाई वर्ष के अन्दर हमें राजस्थान के अन्दर कोई भी गांव ऐसा नहीं छोड़ना है जहां पर अस्वच्छ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और खारा पानी हो । इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए केवल पांच करोड़ रुपये से कुछ नहीं होगा । राजस्थान का मास्टर प्लान दो सौ करोड़ रुपये का है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इसलिए पांच करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरा है। दो ढाई साल के अन्दर हम कितना कार्य कर पायेंगे, आप कितना कर पायेंगे यह आपके सोचने की बात है।

मैं अपनी अंतिम बात यह निवेदन करते हुए कि कानून और व्यवस्था के हालात भी दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, समाप्त करना चाहती हूं। इसके बारे में भी सरकार को किसी प्रकार से सोचना चाहिए कि क्या प्रावधान करें, किस प्रकार से पुलिस का सुधार करें। कम से कम समाज के शोषित और पिछड़े हुए तबके के लोग अपने आपको आतंकित और असुरक्षित नहीं समझें इसके लिए क्या उपाय आपको करने हैं, क्या प्रावधान आपको करना चाहिए यह आपके सोचने की बात है।

मैं अन्त में यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो बार-बार यह कह कर के भुलावे में डाला जाता है सदन को और बाकी लोगों को भी कि राजस्थान को कांग्रेस ने क्या रूप दिया। अभी 15 अगस्त को स्टेडियम में एक बुकलेट डिस्ट्रिब्यूट की गई थी "अभावों से जूझता हुआ राजस्थान"। इसमें सारी बातों के बारे में, चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में, सड़कों के सम्बन्ध में, औद्योगीकरण के संबंध में, अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में, पर केपिटा एक्सपेंडीचर के, पर केपिटा इनकम के और सब तरह के आंकड़े दिए हुए थे। इस बार भी वित्त मंत्री जी ने..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: आपने काफी समय ले लिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: कन्कलूड ही कर रही हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमने बहुत अच्छा राजस्थान आपको सौंपा है। हमें जो राजस्थान मिला था, वह भूखा, नंगा, रेगिस्तानी राजस्थान था हमें तो सामन्ती पृष्ठ भूमि, भौगोलिक विषमतायें तथा विशाल मरुस्थल मिला था उसका हमने विकास किया है। मैं जब पढ़ती थी तो जयपुर डिविजन में एक ही कालेज था, महाराजा कालेज था। उस वक्त एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज था। उसके मुकाबले आज कितने पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैं। कितने ही स्कूल खोले गये है। पहले सारे राजस्थान में केवल सात शहरों में बिजली थी। आज कितने गांवों में बिजली पहुंच गई है। हमने एक समृद्ध और प्रगति की ओर बढ़ता हुआ राजस्थान आपको सौंपा है। जो राजस्थान कांग्रेसी सरकार को मिला था, वह तो भौगोलिक विषमता, सामंती पृष्ठभूमि तथा आर्थिक तौर से जर्जर राजस्थान था। उसके मुकाबले हमने बहुत अच्छी हालत में राजस्थान आपको सौंपा है। अगले साल आप बजट पेश करें तब बतावें कि प्रगति की दौड़ में आपने राजस्थान को अन्य प्रान्तों के मुकाबले कहां से कहां ले जाकर छोड़ा है। आपके बजट की सारी सफलता इसी बात में छिपी है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बजट के अन्दर आम आदमी के लिये, गरीब आदमी के लिये, शोषितों के लिए, महंगाई से जूझते हुए मेहनतकश लोगों के लिए न कहीं कोई राहत है न कोई भविष्य की उम्मीद है।

श्री सभापति : श्री एच. एन. शर्मा (विराम)। वहीं से बोल दीजिये। (विराम) आगे आ रहे हैं। हमें भी सुनने में आसानी रहेगी।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस बजट में आर्थिक, सामाजिक और जितने भी विकास कार्यक्रम हैं, उनका समावेश किया गया है। ऐसा बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मन्त्री जी का आभारी हूं। उनको धन्यवाद देता हुआ, इस बजट का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, पिछले तीस साल तक हमारे प्रान्त में जो कांग्रेसी शासन रहा है, उस शासन को मैं मकड़ी के जाले की संज्ञा देना चाहूंगा। इस मकड़ी के जाले को भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यदि मकड़ी के जाले को ध्यान से हम देखेंगे तो उस जाले के अन्दर कई छोटे छोटे कीड़े-मकोड़े, मक्खी, मच्छर फंसे हुए होते हैं, जिनका कि देहावसान हुआ होता है। इसी प्रकार से इस तीस साल के मकड़ी के जाले रूपी कांग्रेसी शासन में हम गरीब लोगों, मजदूर, किसानों को फंसा हुआ पाते हैं, वे इस मकड़ी के जाले में छटपटा रहे थे। इस कांग्रेसी सरकार ने हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया था। जो जनता के, मजदूरों के हड़ताल करने के प्रजातान्त्रिक अधिकार थे, उनको छीन लिया था। जनता ने इस हकीकत को समझा, सोचा और समझने के बाद प्रजातन्त्र को कायम रखने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को कायम रखने के लिए, अपने हड़ताल के अधिकार को कायम रखने के लिए, इस लोकप्रिय सरकार को, प्रजातान्त्रिक सरकार को जिताया है। इसके लिए मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता का आभारी हूं और इस अवसर पर मैं जनता का अभिनन्दन करना चाहता हूं।

मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस मकड़ी के जाले रूपी 30 वर्ष के कांग्रेसी शासन में हमको क्या मिला है? इसका थोड़ा सा अंकन हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि गरीबी का जो औसत है, उससे राजस्थान कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है। आज भी राजस्थान मे 56.30 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे हैं। राजस्थान को कांग्रेस से 30 वर्षों के शासन के बाद भी यह गरीबी ही मिली है। इसके अलावा और दूसरी चीजें लें, शिक्षा को ही लें, उसमें भी राजस्थान का स्थान देश मे 21वां है। शिक्षा की ओर भी तीस वर्षों के अन्दर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिजली की खपत को देख लें-बिजली की खपत के मामले में हमारा, देश में राजस्थान का 15वाँ स्थान है। यह सब इस बात का द्योतक है कि ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण शिक्षा के लिए कांग्रेसी शासन ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ दिखावा मात्र किया है। सब्जबाग दिखाये हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कांग्रेसी सदस्य आज विपक्ष में बैठे हैं वे आज इन बातों की दुहाई दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। नाथू राम का खेड़ा एक गांव है, वहां पर 1500 बीघा जमीन एक तरफ तो बेगूं तहसील की निकली है, उसमें भी यह जमीन अंकित है और वही 1500 बीघा जमीन मांडल

(श्री एच. एन. शर्मा)

के क्षेत्र में अंकित है। तहसीलदार, बी.डी.ग्रो. और एस. डी. ग्रो. द्वारा उस जमीन का आवंटन कर दिया गया है परन्तु उस भूमि के ऊपर मांडल गढ़ के एस.डी.ग्रो. नाजायज कब्जे की कार्यवाही कर रहे हैं। उसका मुकदमा भी चल रहा है। इस प्रकार से माण्डलगढ़ के एस. डी. ग्रो. ने जो भूमि का आंवटन किया है, वह नाजायज किया है। वे नाजायज कब्जा कर रहे हैं। यह दस साल से मुकदमा चल रहा है। अनेक बार मुकदमेबाजी हुई है परन्तु कांग्रेसी शासन ने कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया है। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैंने मुख्य मंत्रीजी और दूसरे मंत्रियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कलेक्टर को लिखा है। हम कहने में विश्वास नहीं करते हैं, जो कहते हैं वह करते भी हैं। हमारे मंत्री महोदय जो कहते हैं वह करते भी हैं। हमारी नयी सरकार है, हम नये हैं। मैं कांग्रेसी सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि हम कुछ सोचना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। इसमें कुछ समय तो लगेगा ही और यह स्वाभाविक भी है। मेरे माननीय सदस्यों को बड़ी जल्दी लगी है और यह कह रहे हैं, यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। अरे साथियों, सोचने, सीखने और समझने में समय लगना तो स्वाभाविक ही है। इतनी जल्दी क्या है? आप आगे देखिए, विकास का काम होता है या नहीं होता है। गरीबों के हक हम दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, हमारे यहां पर एक कहावत है, भगवान के घर देर है, अन्धेर नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार के राज्य में देर हो सकती है परन्तु अन्धेर किसी कीमत पर पर हम नहीं होने देंगे।

साथियों, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ था, आजादी के बाद पहली बार शिक्षा मंत्री ने सब से अधिक स्कूल, कालेज खोले हैं। इसका पूरा अंकन वित्त मंत्री जी ने इस बजट भाषण में किया है। इससे गांवों के अन्दर एक नई भावना, जागृति, जनता पार्टी के प्रति आई है। 520 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं, 410 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया है। 350 मिडिल स्कूलो को माध्यमिक स्कूलो में क्रमोन्नत किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं अपने माननीय कांग्रेसी सदस्यों से कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में कभी उन्होंने स्कूल खोले हैं. . . .

श्री मूलचन्द डागा : इससे ज्यादा खोले हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : सभापति महोदय, यह इस बात का द्योतक है कि जनता पार्टी की सरकार ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, वहां की शिक्षा के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक है। हम शिक्षा को खास तौर से ग्रामों में बढ़ाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, महंगाई के बारे में मेरे माननीय कांग्रेसी सदस्यों ने बड़े जोर-शोर से यहां पर बातें कही हैं। कहा गया, तेल महंगा हो गया, फलां चीज महंगी हो गयी। मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, महंगाई के बारे में इनको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। आज भी

(श्री एच. एन. शर्मा)

अनेक ऐसे गांव हैं जहां तेल तो पहुँचना दूर रहा, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे गांव हैं जहां बूढ़े से लेकर बच्चे तक मारा का मारा परिवार, परिवार के सारे सदस्य नारू से पीड़ित हैं। जिन्होंने तीस साल के अपने शासनकाल में पीने के पानी का बन्दोबस्त नहीं किया, वे महंगाई के बारे में कहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। यह सब भ्रष्टाचार धीरे-धीरे मिटेगा। आप तसल्ली रखें। इन सब का समाधान होगा।

सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने अन्त्योदय की योजना शुरू की है। पांच-पांच ग्रामीणों को प्रत्येक गांव से चुना जायेगा। इनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत करीब डेढ़ लाख गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग और उनके परिवार होंगे। पांच साल में यह संख्या लगभग 8 लाख तक हो जायेगी। यह इस बात का द्योतक है कि गांवों में जो बेरोजगारी की समस्या है, वहां पर जो अभाव पैदा हो रहा है, उसको मिटाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। इसके बारे में किसी प्रकार का शक शुबहा करने की बात नहीं है। तीस साल के कांग्रेसी शासन काल में, जहां हिन्दुस्तान में दूध-दही की नदियां बहती थीं, वह दूध-दही की नदियां बहना बन्द कर के शराब की नदियां बहाना शुरू कर दी। जिधर देखो उधर शराब की दुकानें नजर आती हैं। एम. आई. रोड पर देखिए, शराब की दुकानें ही दुकानें हैं।

एक माननीय सदस्य : दुकानें ही दुकानें . . .

श्री सभापति : No interruption.

श्री एच. एन. शर्मा : मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सरकार बुराइयां मिटाने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए इसके बारे में जो हमारे भाई बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं . . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर बन्द कर दी तो वह क्या करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बीच में नहीं बोलें।

श्री एच. एन. शर्मा : सारी जनता को आपने जुआ खेलना सिखा दिया था। आपने जनता को जुआरी बना दिया था। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इसको बन्द कर दिया है। सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है।

इसके अलावा मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। हो सकता है नयी नयी सरकार होने से कुछ बातें छूट गई हों। मैं सुझाव देना चाहूंगा वित्त मंत्री महोदय को, आप उन पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। इसमें चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देते हुए कितनी आबादी पर एक डाक्टर है इसकी जानकारी दी गई है। मैं सरकार को जानकारी देना चाहूंगा कि आज अध्यापकों की संख्या कुलियों और बेलदारों से अधिक है। उन कुलियों और बेलदारों का हवाला कहीं नहीं दिया गया है। मुझे आशा है कि कुलियों और बेलदारों की समस्या को हल करने के लिए सरकार कदम उठायेगी।

औद्योगिक शान्ति के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा और मजदूरों के बारे में भी कहना

(श्री एच. एन. शर्मा)

चाहूंगा। उसके लिए इस बजट में कोई खर्च नहीं रखा गया है। औद्योगिक शान्ति के लिए इस बजट में प्रावधान होना चाहिए था। साथ ही श्रम मंत्री महोदय का ध्यान भी मैं आकर्षित करना चाहूंगा। पुराने कांग्रेस के मन्त्री महोदय भी बैठे हैं वह लोग अपने पुराने ढंग से अभी भी मजदूरों पर आघात करते जा रहे हैं। जवाहर सागर बांध पर जो कर्मचारी कुली और बेलदार हैं, उनको पांच रुपया मिलता है। उनके घर बरबाद हो गये हैं। रहने को ठिकाना नहीं है। साथ ही उनका तबादला कर दिया है। मैंने मुख्य मंत्री का ध्यान भी बराबर दिलाया है। जिन कर्मचारियों ने 40 दिन पूरे कर लिये हैं, जिन्होंने शर्तों को पूरा कर लिया है, उनको सेमी परमानेण्ट घोषित किया जाना चाहिए। अगर सेमी परमानेन्ट घोषित करने से पहले उनका तबादला कर दिया गया तो मैं दावे से कहता हूं कि उनका कहीं भी फिक्सेशन नहीं किया जाएगा। सारी जिन्दगी वह कुछ नहीं ले पायेगा। उसे कभी नहीं मिलेगा। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे। अभी आज सुबह भी आर. एस.ई.बी. का मसला उठा था।

(समय—समाप्ति—सूचक घण्टी)

रावत भाटा एक ऐसी जगह है जहां कि एक अणुशक्ति परियोजना है और जो सेण्ट्रल प्रोजेक्ट है। राणा प्रताप सागर बांध है। हमारे प्रदेश को विद्युत् देने वाला एक मात्र अणुशक्ति प्रोजेक्ट रावत भाटा में है। वहां भी मेरी समझ में नहीं आता है कि आर.ए.सी. के जवान क्यों रखे हैं। उनको, मुख्य अभियन्ता को दे दिया है। वह जैसा कहते हैं वैसा वे करते हैं। उन पुलिस वालों को कहा जाता है कि तुम वहां जाओ तो वहां जाते हैं। हमारे घर पर 5 पुलिस वाले तैनात कर दिये। सात साल से वहां पर पुलिस लगी हुई है लेकिन वह 7 साल से अभी तक अस्थायी है। आर.ए.सी. की टुकड़ी है। जो भी कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाने के लिए वहां पर उनको रखा है वहां पर सीक्रेट फोर्स है जिसमें 300-400 आदमी हैं। वहां पुलिस थाना है। प्रधान मन्त्री का विभाग होने के नाते उस पर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। कर्मचारियों को दबाने के लिए लट्ठधारियों को वहां पर रखा गया है ताकि कर्मचारियों में कोई रोष पैदा नहीं हो। इन सभी तथ्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाये।

मैं कबड्डी के खेल की ओर ध्यान दिलाता हूं।

(समय—समाप्ति—सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री एच. एन. शर्मा : मैं अभी समाप्त करता हूं।

कबड्डी का खेल क्या है? इस खेल में 7 विपक्ष के खिलाड़ी एक आदमी की टांग पकड़ लेते हैं और खींचने लगते हैं। इसी तरह से कांग्रेस के विपक्ष के लोग टांग पकड़ कर खींच रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार जनता को राहत देते हुए अवश्य ही पाला ले लेगी।

(श्री एच. एन. शर्मा)

इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। इन सभी बातों के बारे में निवेदन करता हुआ निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्रीजी इन पर ध्यान दें। मैं बजट का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह हर तरह से अच्छा है। 30 साल से जो बजट पेश किये गये हैं, उनमें यह अग्रणी है। ग्रामीण विकास कार्यों को 5 सालों में····

श्री सभापति : पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य।

श्री एच. एन. शर्मा : आप देख सकेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है। इसके लिए मैं अवश्य ही वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित)

श्री कल्याण सिंह।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो 77-78 का बजट प्रस्तुत किया है वह सभी क्षेत्रों में सराहनीय है। आजादी के बाद यह प्रथम बजट है जिसमें एक नई दिशा दी गई है। परन्तु इस बजट में सब कुछ होते हुए भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति जी, आज यहां पर इकोनोमी की बात करते हैं और फिजूलखर्ची को रोकने की बात करते हैं लेकिन सरकार का ध्यान मुख्य फिजूल खर्ची की ओर नहीं गया है। उच्च अधिकारी वर्ग के यहां कर्मचारियों की फौज कार्य करती है, उनसे बेगार ली जाती है, इनकी संख्या हजारों में है। एक एक अधिकारी के यहां पर चालीस-चालीस, पचास-पचास कर्मचारी बेगार के रूप में काम करते हैं, कोई उनके बच्चों को नहलाता है, कोई खिलाता है कोई स्कूल ले जाता है, कोई सब्जी लाने जाता है, कोई जानवरों को देखता है तो कोई इनके खेतों व फार्मों में कार्य करते हैं। इसलिए इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस बेगार की व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जाय जिससे कि लाखों की फिजूलखर्ची को रोका जा सके।

इस बजट में जहां पर राजस्थान में 16 जिलों को पिछड़े जिले घोषित किया गया है वहां अजमेर एक प्रमुख नगर है उसको भी पिछड़ा जिला घोषित किया जाना चाहिए और इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अजमेर शहर राजस्थान के मध्य में बसा हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से वहां पर उद्योग पनपने की बहुत ही आशा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर में उद्योग के पनपने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं उनका पूरा पूरा उपयोग किया जाय तो राजस्थान में अजमेर एक अच्छा औद्योगिक नगर बन सकता है। अजमेर में मजदूर सस्ते हैं और कुशल कारीगर भी उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि वहां पर रेल्वे का वर्कशाप होने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी कुशल कारीगर सुविधा से उपलब्ध हो जाते हैं। वहां पर रेल्वे वर्कशाप से निकलने वाले स्क्रेप, जो कि लाखों टन निकलता है, का उपयोग अजमेर में न होकर

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

सीधा वह पंजाब जाता है और गोविन्दगढ को आबाद करता है। अगर उस स्क्रेप का अजमेर में उपयोग किया जाय तो अजमेर में काफी लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

इसके बाद उद्योग लगाने में सबसे मुख्य बाधा विद्युत् की आती है। जब से विद्युतीकरण का काम प्राइवेट कम्पनियों से राजस्थान के विद्युत् विभाग ने सम्भाला तब से वहां पर कोई भी व्यवस्था विद्युत् विभाग ने नहीं की जिससे कि वहां पर फैक्ट्री लगाने वालों को सुविधा मिल सके। आज अगर वहां पर फैक्ट्री लगाना चाहे तो उसको बिजली की दिक्कत आती है। बिजली की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जेनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रान्सफार्मर की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइन डालने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज 12, 13 और 14 साल विद्युत् मण्डल को विद्युत् का काम सम्भाले हुए हो गये हैं परन्तु आज भी वहां की आवश्यकता के अनुसार ट्रान्सफार्मर नहीं हैं, जनरेटर नहीं हैं, लाइन डालने की कोई व्यवस्था नहीं हैं, यह बहुत ही दुःख की बात है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

तीसरी बात वहां पर जो पढ़ा-लिखा तबका है, वहां पर जो पढ़े-लिखे मजदूर हैं उनका सही उपयोग करने के लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान में जो कारखाने लगाने जा रही है वह अजमेर में लगावे। घड़ियों का कारखाना अजमेर में लगाया जाय, घड़ियों के कारखाने के लिए वहां का वायुमण्डल उपयुक्त है, उसके लिए वातावरण उपलब्ध है। इसके साथ ही पढ़े-लिखे मजदूरों की दृष्टि से भी वहां पर काफी साधन-सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि कि एच. एम. टी. का जो कारखाना लगाया जाना है वह अजमेर में लगाया जाय।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान हैण्डलूम की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अजमेर जिले में किशनगढ एक ऐसा स्थान है जहां पर साढ़े तीन हजार पावरलूम लगे हैं। लेकिन दुःख की बात है कि उनमें से दो हजार पावरलूम बन्द पडे हुए हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन पावरलूमों से बनने वाले कपड़े से सरकार को दस करोड़ रुपये एक्साइज और दूसरे टैक्सों के जरिये से मिलते हैं फिर भी सरकार का कोई सहयोग उसमें नहीं मिल रहा है। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय। यह बात आज ध्यान देने योग्य है कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के परवतसर में पावरलूम क्षेत्र में पूंजी लगाई जा रही है, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में पूंजी लगा रहे हैं और अजमेर जिला बरबाद हो रहा है क्योंकि सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। लिहाजा मैं यह निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

इसी तरह से ऊन के व्यापार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर जिले में ऊन का व्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था लेकिन आज यह व्यापार बाहर जा रहा है। इसके उदाहरणस्वरूप मैं निवेदन करूंगा सन् 1947 से पहले ब्यावर और केकड़ी में ब्रिटिश

(श्री कल्याणसिंह सांखला)
कम्पनियों के ऊन के कार्यालय थे, पर आज ऊन का व्यापार राजनैतिक कारणों से वहां से हटता जा रहा है और दूसरी जगहों में बढ़ता जा रहा है।

श्री सभापति : आप ब्यावर को भूलें नहीं, बहुत मेहरबानी है।

श्री कल्याणसिंह सांखला : इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर जो पहले ऊन का उद्योग चल रहा था, ध्यान देकर उसको पुनः स्थापित करने की व्यवस्था की जाय और अजमेर जिले की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि अजमेर शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है। राजस्थान में अजमेर का शिक्षा की दृष्टि से ऊपर स्थान है। है। परन्तु राजनैतिक कारणों से अजमेर को पीछे रखा गया है। शिक्षा की दृष्टि से अजमेर में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय होना चाहिये लेकिन वहां पर विश्वविद्यालय नहीं खोला गया है, न ही छात्राओं का कोई कालेज सरकार ने खोला है। यह दुःख की बात है कि शिक्षा का पर्सेन्टेज ऊपर होते हुए भी वहां पर छात्राओं का कालेज नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर जगह की कमी नहीं है, जन सहयोग की कमी नहीं है सिर्फ राज्य सरकार की मन्शा की कमी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आगामी सत्र में वहां पर एक छात्राओं का कालेज अवश्य खोला जाना चाहिये। साथ ही मेरा यह सुझाव है कि वहां पर जो सावित्री गर्ल्स कालेज है उसको सरकार अपने हाथ में लेकर चलाये। मैं सरकार से आशा करता हूं कि उस कालेज को अपने हाथ में लेगी जिससे वह अच्छी तरह से चल सके।

मेरा निवेदन है कि किशनगढ़ पावरलूम का एक केन्द्र है, राज्य सरकार नये पावरलूम जो लगाने जा रही है रेशमी धागे के, वह वहां पर लगाये जायें जिससे सूरत और भवानी मण्डी की तरह वहां भी एक अच्छी मण्डी तैयार हो सके।

शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर जिले में ज्यादातर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें हैं। जहां पर भी हमारे अधिकारी व मन्त्रीगण जाते हैं, वहां सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के कार्य की सराहना करते हैं लेकिन इस बजट में कहीं भी दिखाई नहीं देता कि सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई बात कही गई हो। वहां के कर्मचारियों का किस तरह से शोषण होता है, यह सभी भली प्रकार से जानते हैं। आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें, जब तक राष्ट्रीयकरण न करें तब तक निजी संस्थाओं में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सेवायें राज्य कर्मचारियों की सेवा की तरह सुरक्षित करें, उन्हें मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा, ग्रेच्यूटी व पेन्शन आदि की सुविधायें प्रदान करें जिससे उनकी कार्य क्षमता और बढ़े। इस ओर सरकार ध्यान देकर उनकी सेवा शर्तों में सुधार करें।

श्री सभापति : दो मिनट और।

श्री कल्याणसिंह सांखला : पिछली सरकार ने अजमेर जिले के लिए एक विशेष प्रावधान रखा था, औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में लगभग

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

10 लाख रुपये अनुदान के रूप में नये कार्य करने वालों को देने के लिए रखे थे। अब जब नई फैक्ट्रीज वहां पर लगने वाली हैं इसलिए जिस प्रकार पिछड़े क्षेत्र में सुविधायें दी जाती हैं, और इसके लिए जो आधार पिछली सरकार ने रखा है, उसी प्रकार यह सरकार विशेष सुविधा देने का प्रावधान रखे ताकि वहां उद्योग धन्धे पनप सकें।

श्री सभापति : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : सभापतिजी, यह जो परिवर्तित बजट पेश किया गया है, इसमें एक नई रोशनी, नई दिशा मिली है। कांग्रेस शासन गरीबी हटाने की जो बात करता था वह महज नारा था। इस बजट से यह बात दृष्टिगोचर हुई है कि नई सरकार गरीबी हटाने का केवल नारा ही नहीं लगा रही है, बल्कि गरीबी हटाने के लिए वह प्रयत्नशील भी है। हम लोगों ने अन्त्योदय योजना लागू की जिसके अन्तर्गत हर गाव में 5 सबसे गरीब परिवारों को लेकर उनकी रोटी-रोजी की व्यवस्था की जायेगी। यह कितनी दुखदाई बात है जैसा विधान सभा में बताया गया, जेल में एक व्यक्ति पर हर रोज 3.30 रुपये प्रति दिन खर्च होते हैं रोटी-रोजी के लिए और राजस्थान में दूसरी तरफ 56 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं, कि बाहर रहने पर, कानून मानने पर, निर्दोष होने पर, शांति प्रिय नागरिक होने पर भी 40) प्रति माह के हिसाब से उनके पल्ले पड़ता है। जेल में रहने पर 100) खर्चा और बाहर रहने पर 40) की आमदनी, यह कितना विरोधाभास है। इसको कम करने के लिए, गरीबी की रेखा के नीचे जो 56 प्रतिशत लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक गांव में 5 परिवारों के विकास की योजना बनाई गई है, यह प्रशंसनीय है, इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिये। परन्तु अगर आंकड़ों का हिसाब लगायें तो 5 साल में 15 प्रतिशत व्यक्ति ही गरीबी लाइन के ऊपर आ पायेंगे। इस प्रकार 56 प्रतिशत लोगों को गरीबी की लाइन से ऊपर उठाने में कम से कम 20-30 साल लग जायेंगे। मैं चाहूंगा कि 5 परिवारों की जगह कम से कम 10 परिवारों की योजना यह सरकार चालू करे जिससे केवल 10 वर्ष में ही राज्य भर में कोई गरीबी लाइन के नीचे न रहे। जनता पार्टी की घोषणा में भी 10 साल में गरीबी दूर करने का आह्वान किया गया है। यह उस घोषणा से मेल खाएगा और इस नई योजना को गति मिलेगी।

जहां तक शराबबंदी का मामला है, शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति तीन दोष समाज में व्याप्त हैं। उनमें से दो तो दूर हो चुके हैं, वेश्यावृत्ति तो कानूनन बंद है, लाटरी भी खतम कर दी। बाकी शराब का दोष है इसको भी बन्द करके हमारी सरकार समाज में उत्पन्न दोषों को रोक सकती है। आजादी के आंदोलन में यह विषय आंदोलन का मुख्य आधार रहा है। हजारों लोग जेलों में गए हैं। आजादी आने के बाद में मद्रास में उस समय के मुख्य मंत्री सी. आर. ने शराबबंदी करने के लिए और उससे उत्पन्न घाटे को पूरा करने के लिए बिक्री कर लागू किया था। अफसोस यह है कि यहां शराब भी चालू है और बिक्री कर भी चालू है। जिस कर की उत्पति केवल शराबबंदी के लिए की गई थी, वह भी चालू है। सरकार

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

ने अपने आमदनी के स्रोतों को कायम रखने के लिए शराबबंदी नहीं की और बिक्री कर को भी चालू रखा। इन दोषों को दूर करने के लिए शराब बंदी के आडे आर्थिक समस्या नहीं आनी चाहिए, दोष दोष है। आखिर वह समय आना ही है जब शराब बंदी करनी है। परोक्ष रूप से इसका घाटा होगा परन्तु अपरोक्ष रूप से हम मानते हैं कि 50 प्रतिशत जनता गरीबी लाइन के नीचे है, उसमें से अधिकांश अपने—खून पसीने की कमाई रोटी, शिक्षा पर खर्च न करके हर शाम को दो-ढाई रुपये, शराब पर खर्च करते हैं। लोगों की आर्थिक हालत खराब करने में दारू का हाथ है। अपराध वृत्ति बढ़ रही है। उसमें भी शराब का हाथ है। आज जो राजनैतिक जीवन में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें भी शराब का अपना विशेष रोल है। शराब के नशे में न मालूम कितने कुकर्म किए जाते हैं। जनता सरकार ने जन जन के सामने जो वचन दिया है कि सरकार शराबबंदी लागू करेगी, उसका पालन न करने के लिए यदि वह वही तर्क देगी कि आर्थिक अभाव है तो फिर कांग्रेस शासन और जनता शासन में क्या फर्क होगा? हमारी सरकार साहसिक कदम उठाकर शराबबंदी करे।

श्री सभापति : क्या सफीशियेंट कौरम है?

(विराम)

One short। आप जारी रखें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, यहां हम लोग, जो बोलना चाहते हैं, बैठे हैं। बाकी, न तो यहां पर वित मन्त्री जी बैठे हैं और न ही मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। उनको हमारे विचार सुनने की फुरसत कहां है।

श्री सभापति : मैं आपकी भावनाओं को उन तक पहुंचा दूंगा। आप चिन्ता नहीं करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तो, सभापति महोदय, शराबबन्दी के बारे में निवेदन कर रहा था। सभापति महोदय, आज शराबबन्दी नहीं होने से हमारे देश के जो लोग शराब पीते हैं उनका काफी मात्रा में शारीरिक पतन हुआ है। पिछले लगातार तीस वर्षों से शारीरिक पतन हो रहा है। यह सभी कांग्रेसी सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। वह अब आप नहीं दुहरायें तो अच्छा होगा। इस लए मेरा वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन है कि आज ही आप शराबबन्दी को पूर्णतया लागू करने की घोषणा करें। अगर आप यह मानते हैं कि हम शराबबन्दी को लागू करेंगे तो हमें सात करोड़ रुपये का घाटा होगा तो मैं आपको उसके लिये यह स्पष्ट कहने को तैयार हूं कि आपको उसके लिये नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि आज भी हमारे यहां पर जो टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाये गये हैं वह पूरी तरह से वसूल नहीं होते हैं। आज हमारे टैक्स की वसूली में भी भारी मात्रा में लीकेज हो रहा है, लगातार इवेजन लोगों के द्वारा किया जाता है, आज हमारे यहां पर सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से टैक्स का अवाईडेन्स किया जाता है। सभापति महोदय, आज हमारे यहां पर सेल्स टैक्स से करीब 90 करोड़

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

रुपये की आय का होना बताया गया है लेकिन मैं मन्त्री महोदय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स की पूरी तरह से वसूली नहीं होती। मैं गारण्टी से कह सकता हूं कि सेल्स टैक्स में 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक इवेजन होता है, एवाइडेन्स होता है। इसको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। आज हमारे यहां पर जो सरकारी मशीनरी है उसमें बुरी तरह से भ्रष्टाचार छाया हुआ है। एक तरफ तो आप जनता पर टैक्स लगाते है और रिकवरी भी पूरी तरह से नहीं होती दूसरी तरफ एक्साइज डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत भारी मात्रा में टैक्स का इवेजन होता है। उसमें भी बहुत भारी मात्रा में घोटाले होते हैं। अगर हम उनकी पूरी तरह से वसूली कर लें तो हमारी सरकार की आर्थिक हालत में काफी सुधार हो सकता है।

सभापति महोदय, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे पी.डब्ल्यू.डी. में यह सभी जानते हैं It is a open fact कि कान्ट्रैक्टर इन्जीनियर को तथा दूसरे स्टाफ को दस पर्सेंट तक कमीशन के रूप में देते हैं। वे जो भी कान्ट्रैक्ट रेट देते हैं उसमें दस पर्सेन्ट पहले ही एड कर देते हैं। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर आप इस ओर ध्यान दें तो आज पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियरों की जेबों में जो रुपया जाता है वह बन्द हो सकता है। इससे भ्रष्टाचार तो मिटेगा ही इसके साथ साथ हमको जो कान्ट्रैक्टर को अधिक मात्रा में रेट देने से पेमेन्ट करना पडता है उसमें भी बहुत भारी कमी होगी। इसको हमें तुरन्त चेक करने की आवश्यकता है। इससे भी हम करोड़ों रुपयों की बचत कर सकते हैं। सभापति महोदय, इस प्रकार करीब 40 पर्सेन्ट तक राज्य सरकार की आय में चोरी होती है। तो यह बात तो वह हो गई कि हम बाल्टी में पानी डाल रहे हैं ऊपर से और नीचे बालटी के पेन्दे में छेद किया हुआ है। जिसमें से पानी चूता रहता है। बालटी भरती नहीं है क्योंकि उसमें छेद है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप चाहे टैक्स लगायें, जनता आपका अगर अच्छा काम है तो राजी खुशी से टैक्स देगी और आपके घाटे की पूर्ति होगी। लेकिन पहले जनता को यह विश्वास होना चाहिये कि जो टैक्स हम से वसूल हो रहा है वह सही काम में लग रहा है और वह टैक्स पूरी तरह से वसूल किया जा रहा हैं। आज जो जनता में टैक्स के प्रति आक्रोश है उसका कारण है कि आप जो टैक्स लगाते है उसको सही ढंग से वसूल नहीं करते। वह टैक्स सरकारी कोष में नहीं जाकर सरकारी अधिकारियों की जेबों में जाता है या दूसरे लोगों की जेबों में जाता है। आज पिछले तीस सालों से जनता में इस टैक्स के लिए इस बात का ही आक्रोश था कि टैक्स में भारी मात्रा में इवेजन होता है, अवोइडेन्स होता है और उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, आज जनता पार्टी की नीतियां समाजवाद की है। हम समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं और उसके लिये हमने बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो कन्डक्टर थे उन लोगों ने तीन वर्षों में अपने घर की बसें कर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

भी । जो पैसा सरकारी कोष में जमा होना चाहिये था वह कन्डक्टर्स की जेबों में चला गया और उन लोगों ने अपनी बसें घर की खरीद लीं । इधर रोडवेज की यह हालत है कि वहां चलाने को बसें नहीं है । कन्डक्टर तो प्राइवेट आपरेटर्स बन गये । आज यातायात विभाग में, निगम में 40 प्रतिशत से भी अधिक की चोरी होती है । अगर इन सभी पर हम सही तौर से चेक करें तो मैं समझता हूं कि हमें नये टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी । अगर हम इन्हें चेक नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं समझता हूं कि हम यह कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाये । सभापति महोदय, आज प्रशासन में भ्रष्टाचार है लूपहोल्स हैं उन्हें बन्द कर देने से ही हमें नये टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है । उससे हमारी योजनाएं भी पूरी हो जायेंगी ।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह यह है कि राज्य सरकार को चाहिए कि लोगों के एक्सपेन्डीचर पर रोक लगाये । आपको चाहिये कि एक्सपेण्डीचर पर आप टैक्स लगायें। आपने लोगों पर इनकम टैक्स लगा दिया लेकिन आप जब तक लोगों के एक्सपेन्डीचर पर टैक्स नहीं लगायेंगे तब तक लोगों की हालत में सुधार नहीं हो सकेगा । आज लोगों के पास जो ब्लेक मनी है उससे लोग आलीशान बड़े बड़े भवन बनाते हैं और होटल्स में रंग रेलियां मनाते हैं, अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र खरीदते हैं जिससे भी भ्रष्टाचार फैलता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको लोगों के एक्सपेन्डीचर पर रोक लगानी चाहिए जिससे राज्य सरकार को आमद होगी और उसके साथ इन्फलेशन भी चैक होगा । आज गरीब लोगों को, गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने पर कहा जाता है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा । मैं समझता हूं कि आप अगर एक्सपेन्डीचर टैक्स लगायेंगे तो इससे इन्फ्लेशन में रोक लगेगी ।

इसी तरह आज केन्द्रीय सरकार ने जो पिछड़े क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिए चुने हैं उसमें हमारे बीकानेर जिले को नहीं चुना है जब कि विकास अधिकरण वहां होना चाहिए क्योंकि, सभापति महोदय, यह बीकानेर का जो इलाका है वह पिछड़ा इलाका है । वहां हर साल अकाल पड़ता है । वहां पर अगर आप औद्योगिक दृष्टि से विकास करना चाहें तो वहां पर भारी मात्रा में आपको रॉ मैटीरियल मिलेगा । हमारे वहां पर जामसर में जिप्सम माइन्स है इसलिए जिप्सम बेस्ड इन्डस्ट्री खोल सकते हैं । सभापति महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप बीकानेर को बेकवर्ड एरिया औद्योगिक दृष्टि से तुरन्त घोषित करके वहां औद्योगिक विकास का कार्य शुरू करावें ।

सभापति महोदय, इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मैं केन्टीन में चाय पीने गया। मुझे विधान सभा केन्टीन में यह पता पड़ा कि चाय को सर्व करने के लिए बेअरा नहीं है । जब मैंने पूछा तो पता चला कि बेअरा नहीं मिल पा रहा है । तो एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हमारे यहां पर बेरोजगारी है दूसरी तरफ हमारे विधान सभा केन्टीन में बेअरा नहीं मिलता है . . .

श्री सभापति : वह तो हाउस कमेटी देखेगी । आप चिन्ता नहीं करें ।

Page No 108

(108)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं उस पाइन्ट को नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आज अनएम्प्लायमेंट है वह अनएजूकेटेड मास में नहीं है बल्कि जो एजूकेटेड मास है उसमें लाखों आपको मेट्रिक, इन्टर, बी. ए. और एम. ए. पास लोग मिलेंगे जो कि बेरोजगार है उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें इस अनएम्प्लायमेंट को दूर करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही आज जो ग्रामीण क्षेत्र के एजूकेटेड लोग हैं उनको शहरी एजूकेटेड लोगों की तुलना में कम एम्पलायमेन्ट मिल पाता है। उन्हें शहरों में नौकरी नहीं मिल पाती है। इस कारण ग्रामीण शिक्षित वर्ग में काफी आक्रोश है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। एक पोइन्ट और।

सभापति महोदय, एक बात जो पहले बोलनी थी वह मैं बोलना भूल गया उसी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वह टैक्स इवेजन के सिलसिले में है। जो आज माइन्स की रायल्टी है उसकी पूरी वसूली नहीं होने के कारण राज्य सरकार की करोड़ों रुपये की बकाया बाकी रहती है। आज आपके उदयपुर में जो माइन्स हैं, और राजस्थान की दूसरी जो माइन्स हैं वहां पर माइन्स ओनर जो हैं वे राज्य सरकार को रायल्टी पूरी देते नहीं हैं। जिस तरह पी. डब्ल्यू. डी. के ठेकेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों का घोटाला होता है उसी तरह 30-40 प्रतिशत खानों की रायल्टी में घोटाला है। अगर आप रायल्टी पूरी वसूल कर लें और सेल्स टैक्स के इवेजन को रोक दें, उसकी पूरी तरह से वसूली कर लें तो हमारी योजनायें पूरी करने के लिये हमें नये टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहे। उसके साथ भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जायेगा और हमारे राजस्थान का पूरा विकास भी हो सकेगा। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : यह श्री गोपाल क्या गोपाल पचेरवा है नाम ? श्री गोपाल पचेरवा।

(अनुपस्थित)

श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो संतुलित बजट पेश किया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं कि आखिर उन्होंने गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति होने के नाते अपने विचारों के अनुसार बजट पेश किया है।

सभापति महोदय, भूतपूर्व सरकार की अनेक गलतियां रही हैं और उनकी गलतियों का ही परिणाम आज राजस्थान भुगत रहा है। 56 पर्सेन्ट व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे हैं जब कि सारे देश में 42 प्रतिशत व्यक्ति हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में 33 हजार गांव है। भूतपूर्व सरकार के माननीय सदस्य दलीलें तो बहुत देते हैं लेकिन जब आंकड़े उनके सामने आवेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जावेंगे। 33 हजार गांवों में से 7 हजार गांवों में तो पीने के पानी

(श्री नवरंग सिंह)

का बिलकुल ही साधन नहीं है। 9 हजार गांव ऐसे हैं जहां पर खारा पानी उपलब्ध है और मीठे पानी का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। इसी तरह से कुछ गांव ऐसे छोटे हैं कि जिनमें कीड़ों का या दूषित जल है।

श्री रतनलाल वर्मा : सदन में कोरम नहीं है इसलिये कार्यवाही समाप्त की जाय। रोज रोज समय बढ़ाना उचित नहीं है।

श्री सभापति : मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। माननीय सदस्य अधिक सीरियस नहीं है डिबेट के सम्बन्ध में।

श्री रतनलाल वर्मा : रोज रोज समय बढ़ाना उचित नहीं है।

श्री सभापति : The chair has taken note.

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय मंत्रियों और सदस्यों के पास गाड़ियां हैं, बंगले भी दिये हुए हैं वे लोग चले जाते हैं। हमारे पास रहने को स्थान ही नहीं।

श्री सभापति : भाषण नहीं।

श्री रतनलाल वर्मा : भाषण नहीं। आवश्यक बात बता रहा हूं।

श्री सभापति : मैं आपकी भावना से बिलकुल सहमत हूं।

(गणपूरक घंटी)

(विराम)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

जारी रखिये।

श्री नवरंग सिंह : हां, सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस तरह से राजस्थान के 33 हजार गांवों में से इस तरह के अधिक गांव हैं जहां पर भूतपूर्व सरकार पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर सकी है। जैसा कि बजट में बताया गया है कि 80 प्रतिशत काश्तकार हैं जिनका जीवन खेती पर निर्भर करता है। सीमान्त कृषक भी इस राज्य में बड़ी मात्रा में हैं। बजट में सीमान्त कृषकों के लिए अभिकरण की जो व्यवस्था की गयी है, उसके लिए केवल आपने 8 करोड़ रुपयों का ही प्रावधान किया है। 80 हजार सीमान्त कृषकों के लिए यह जो प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान बिलकुल कम है। हमारा प्रान्त कृषि प्रधान राज्य है, अधिकांश सीमान्त कृषक हैं इसलिए उनके लिए अधिक प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा देश में सही रूप में समाजवाद नहीं आवेगा। कांग्रेस सरकार ने समाजवाद का नारा लगाया, समाजवाद की बातें कही लेकिन वह समाजवाद ला नहीं सकी और तानाशाही की ओर बढ़ी जिसका परिणाम उनको मिल गया। मैं अपनी सरकार के वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए 80 प्रतिशत जो लोग हैं, गरीब किसान हैं, सीमान्त किसान हैं, हरिजन हैं, उनकी ओर पूर्ण ध्यान दें। इसलिए 8 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है वह बहुत कम है। प्रावधान इसके लिए ज्यादा होना चाहिए।

(श्री नवरंग सिंह)

भूमि सुधार के लिए भी इस बजट में कोई बात नहीं कही गयी है। चूंकि यह कृषि प्रधान राज्य है, राजस्थान विशेष रूप से कृषि प्रधान प्रान्त है इसलिए यहां पर भूमि सुधार की अधिक आवश्यकता है। राजस्थान का बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका है। वहां जमीन के सुधारे बगैर उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। अधिकतर इलाका रेगिस्तानी होने से खेती भी नहीं की जा सकती है। झुंझुनूं जिला, चुरू जिला और सीकर जिला, ये रेगिस्तानी इलाके हैं। पानी भी वहां पर बहुत नीचे है। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इन जिलों के लिये जवाहरलाल नेहरू नहर हरियाणा से आ रही है उसको लाने के लिये व्यवस्था की जाये तो रेगिस्तानी इलाकों में खेती-बाड़ी का काम अच्छा हो सकता है। इस साल भी यह देख रहे हैं कि राजस्थान में अकाल है, भयंकर अकाल है। अकाल की समस्या के हल के लिए बजट में बहुत थोड़ा प्रावधान किया गया है। जो भी किया गया है वह बहुत कम है। राजस्थान पशु वाला प्रान्त है इसलिए चारे का प्रबन्ध नहीं किया गया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। अकेले झुंझुनूं इलाके के लिये 10 लाख क्विन्टल चारे की आवश्यकता होगी जिसका सरकार को तत्काल इन्तजाम करना चाहिये।

इसी तरह से पशुधन के बारे में अर्ज करूं। पिछले दिनों में अनेक बीमारियां पशुओं में फैली हैं जिसके फलस्वरूप गाय, बैल, बकरी आदि काफी मात्रा में मर गये। उनके लिये कोई उपचार की तत्काल व्यवस्था नहीं हो सकी। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं आपको यह भी अर्ज करूंगा कि नवलगढ़, चिड़ावा में ग्राम आधार जो योजनायें थीं उनको भी हटा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि पशुओं के इलाज के लिये डाक्टर उपलब्ध नहीं। झुंझुनूं जिले में डेयरी की व्यवस्था की गयी वह भी कुछ इलाकों तक ही सीमित है। विस्तृत डेयरी की व्यवस्था न हो तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नवलगढ़ और चिड़ावा में ग्राम आधार योजना चालू रहनी चाहिये।

डेयरी के लिये भी बताऊं कि अक्सर वहां पर दूध को फटा हुआ देखा जाता है जिससे सरकार को और लोगों को बड़ा नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त काश्तकारों को प्रति लीटर अन्य इलाकों से कम पैसे मिलते हैं।

सड़कों पर पेड़ लगाने की जो बात कही गई है उसका स्वागत किया गया है। किसान का जमीन पर मालिकाना हक मानें, जिससे किसान उपयोगी पेड़ लगाने की कोशिश करे। इससे सरकार और किसान दोनों को ही फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा।

विद्युत मण्डल के बारे में विद्युत मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस बजट में 20 हजार कुओं को बिजली उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। अकाल के समय में इतने कम कुओं पर बिजली देकर अकाल की समस्या कैसे हल कर सकेंगे? सरकार को चाहिये कि बैंकों से उन कुओं में बिजली लगाने के लिये ऋण की व्यवस्था करे। बिजली लगाने की जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक स्थायी रूप से राजस्थान में अकाल की स्थिति खत्म करने में सफलता

(श्री नवरंग सिंह)

प्राप्त नहीं कर सकते। इसके साथ ही नवलगढ़ झुंझुनूं में जो विद्युत् विभाग है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भ्रष्टाचार है। बोर्ड के सामने और चीफ इन्जनीयर साहब के सामने सारी बातें रख दी गयी हैं लेकिन आज भी वहां के जूनियर इन्जीनियर प्रति बिल में मीटर के नाम से या बिल में संशोधन के नाम से पैसा खा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। इतना कहने के बावजूद भी आज तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है।

एक बात मैं बिजली के बारे में यह कहना चाहूंगा कि पहले 13 पैसे प्रति यूनिट दर थी। फिर कांग्रेस सरकार ने उसको 25 पैसे प्रति यूनिट कर दिया और जाते जाते वह 21 पैसे भी कर गयी। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूँगा कि राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है इसलिये खासकर शेखावाटी के इलाके में 21 पैसे प्रति यूनिट देकर वहां का काश्तकार खेती के कार्य में सफल नहीं हो सकता। नतीजा यह है कि बहुत से काश्तकारों ने ट्यूब वेल लगाये थे, इस रेट के कारण उनको घाटा हुआ और उन्होंने ट्यूब वेल बंद कर दिये। इसलिए मैं राज्य सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बजट में इस तरह का संशोधन करें कि कम से कम जहां रेगिस्तानी इलाका है, जहां ज्यादा पानी खर्च होता है वहां 21 पैसे के स्थान पर 13 पैसा प्रति यूनिट वसूल करें। ऐसी व्यवस्था सरकार करे और ऐसा संशोधन करे। जब हम कारखानों की ओर देखते हैं तो डी. सी. एम. को और दूसरे करोड़पतियों को कारखानों के लिए पांच पैसे प्रति यूनिट के ऊपर बिजली हमारी सरकार देती है। यह हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है कि राजस्थान जो कि खेती का प्रान्त है यहां काश्तकार को तो 21 पैसे के हिसाब से बिजली मिले और डी. सी. एम. या दूसरे कारखानों को पांच पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से मिले। इस कारण काश्तकारों में असन्तोष है। अगर इसको नहीं मिटाया गया तो यह आगे जाकर विस्फोट का रूप धारण कर सकता है।

बिजली बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि इसके घाटे की पूर्ति नहीं होती। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह बताना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड के बजट का 18 और 20 फीसदी तक एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया जाता है। मैं यह जरूरी नहीं समझता कि 18 फीसदी खर्चा प्रशासन पर किया जाये। यह फिजूलखर्ची है इसलिए प्रशासन पर जो खर्चा है उसको कम किया जाये और इस बात का ध्यान रखा जाये कि 5 प्रतिशत से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा नहीं हो।

उद्योगों के बारे में बजट में कहा गया है और 16 जिले पिछड़े घोषित किये गये हैं। केवल मात्र पिछड़े जिले घोषित करने से राजस्थान के गांव गांव में उद्योग स्थापित नहीं हो जायेंगे। यह जरूरी है कि हम लोगों को सुविधायें मुहैय्या करायें। मैं निवेदन करूं कि नवलगढ़ क्षेत्र में करीब 23 करोड़पति रहते हैं लेकिन हमारी राजस्थान सरकार की ओर से उनको कोई सुविधायें नहीं दी जाती हैं इसलिए उन्होंने कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं किया और वह कलकत्ता और बम्बई में रहते हैं। इस तरह के लोगों को अगर हम सुविधायें देकर

Page No 112

(112)

(श्री नवरंग सिह)
प्रभावित करें तो छोटे ही नही बल्कि बड़े पैमाने के उद्योग भी हमारे राजस्थान में पनप सकते हैं।

इसी तरह से जो रेगिस्तानी इलाका है जहां भेड़ें भी काफी तादाद में पाली जाती है। बड़ी मात्रा में मेरे इलाके में ऊन पैदा होती है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता। बहुत समय पहले जब कभी नाथूराम जी मिर्धा कृषि मंत्री थे उस समय वहां एक ऊन केन्द्र खोला गया था। केवल मकान बना और उसके बाद उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। उसकी कोई रखवाली करने वाला नहीं है। सरकार का लाखों रुपया खर्च हो गया लेकिन वहां किसी तरह की व्यवस्था नही है। सरकार को चाहिए कि ऊन के केन्द्रों की व्यवस्था करे और राजस्थान में जो बड़ी मात्रा मे ऊन पैदा होती है उसके उपयोग की व्यवस्था की जाये।

शिक्षा के बारे में काफी कहा गया है। नये स्कूल खोले गये हैं। मैं यह भी अर्ज करूं कि झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि हमने बहुत से स्कूल और कालेज खोले हैं। मैं आपको बताऊं कि झुंझुनूं जिले के माननीय सदस्य और भी मंत्री रह लिये और माननीय सदस्या भी मंत्री रह लीं लेकिन आज तक वहां कोई गवर्नमेंट का कालेज नहीं है। प्राइवेट कालेजेज वही पुराने सेठ लोगों के हैं। आज वहां कोई गवर्नमेन्ट कालेज नहीं है। इसलिए यह कहना सही नहीं है। सरकार ने स्कूल खोले हैं वह सही तरीके से खोले हैं। यह बात अलग है कि खोलने के लिए प्लानिंग में मतभेद हो सकता है। मैं तो यह मानने वाला हूं कि जितने हमारे स्कूल चालू हैं उनके ऊपर हम अच्छी तरह से कन्ट्रोल करें, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठायें और शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनायें। उसके लिए इस बजट में प्रावधान करें जो कि नहीं किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी तरह से पियोन्स के बारे में कहना चाहूंगा। एक माननीय सदस्य कल कह रहे थे कि पार्ट टाइम पियोन्स नौकरियों में लगे हुए हैं। यह तो कांग्रेस सरकार की नीति थी। मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पार्ट टाइम पियोन्स चार हजार की संख्या में हैं उनको स्थाई करना चाहिए।

इसी तरह से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब बोर्ड की परीक्षा के लिए फार्म भरे जाते हैं तो जन्मतिथि के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। पहले आठवीं तक यह प्रासीजर था। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बोर्ड की परीक्षा के फार्म भरे जायें तब तक वह ऐसी व्यवस्था करें क्योंकि यह आम गांव वालों का सवाल है, बच्चों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: आपने समय पर्याप्त ले लिया है।

श्री नवरंगलाल : एक मिनट।

इसी तरह से अस्पतालों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा। अस्पतालों की व्यवस्था भी हमारे यहां अच्छी नहीं है। जयपुर राजधानी को ही ले लें। सवाई मानसिंह अस्पताल और जनाना अस्पताल

(श्री नवरंगसिंह)

की बुरी व्यवस्था है। जनाना अस्पताल में आप जायें यदि नहीं गये हैं तो वहां कतार में औरतें लगी रहती हैं। अक्सर देखा गया है कि औरतों का लाइन में लगे लगे ही जापा हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े डाक्टर ध्यान नहीं देते...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसी बातें तो कटौती प्रस्ताव के जरिये डिस्कस करें, मेरा आपको यह नम्र निवेदन है।

श्री नवरंगसिंह : मैं थोड़ा रोजगार के बारे में कहना चाहूंगा। इस बजट में हमने केवल चार-पांच हजार शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां देने की बात कही है और इसी में सन्तोष कर लिया है। इससे बेकारी नहीं मिटनी है। इसके लिए बजट में ज्यादा प्रावधान होना चाहिए था। मैं खास कर राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि झुन्झुनू जिले में खेतड़ी ताम्बा प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान का बड़ा कारखाना है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के आदमियों को उसमें बहुत कम रोजगार मिल पाता है। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, कि वह केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए निवेदन करे कि कम से कम राजस्थान के और झुन्झुनू जिले के आदमियों को 50 प्रतिशत नौकरी मिले। इसमें शेखावाटी का इलाका है उसमें बेरोजगारी की समस्या बड़ी मात्रा में हल हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो टैक्स लगाये हैं जैसे ट्राली पर लागू किया है यह काश्तकारों के साथ अच्छा नहीं किया है। इसी तरह से रसायनिक खाद के ऊपर भी टैक्स है इसका आम काश्तकारों के ऊपर बोझ पड़ने वाला है। इसलिये इसके ऊपर टैक्स समाप्त होना चाहिये था लेकिन ऐसा कोई प्रावधान इस बजट में नहीं रखा गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नवरंगसिंह : इन शब्दों के साथ जो वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका अनुमोदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री हरिश शर्मा।

श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंज मंडी): माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो सारे राजस्थान में तहलका मचाते हुए इस सदन में बजट प्रस्तुत किया है उसका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ राजस्थान की जो स्थिति है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी के कारण आक्रोश फैल रहा है उनको सन्तुष्ट नहीं कर सकते, यह मेरी मान्यता है। इसके लिये परिवर्तित दिशा को अपनाने की आवश्यकता है। गांधी दर्शन के बजाय सामाजिक दर्शन आवश्यक है। गांधी दर्शन एक जीवन दर्शन जरूर है लेकिन सामाजिक दर्शन नहीं है। उस दर्शन को लागू करने के साथ साथ हमें सोचना चाहिये था महंगाई के बारे में, मुद्रास्फिति के बारे में। आज जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान खड़े

(श्री हरिशकुमार शर्मा)
हैं उनमें जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनमें से 90 प्रतिशत अधिकारी बाहर के हैं। परिणाम यह है कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जो गरीब छात्र है वे महाविद्यालयों में जाते हैं तो हर साल उन्हें बढ़ते हुए खर्चे नजर आते हैं। परिणामस्वरूप वे छात्र जो महाविद्यालय में जाना चाहते हैं, वापस लौट आते हैं। इसलिये आपको इसका समानीकरण करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि समाजवाद में सब लोग एक साथ बैठ सकें, एक साथ चल सकें। आज की स्थिति यह है कि एक तरफ बड़े बड़े लोग हैं वे बड़े ऐशो आराम की जिन्दगी जी रहे हैं और दूसरी तरफ कई दो जून की रोटी पर पल रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनैतिक दृष्टि से भले ही कुछ सोचें, कोटा क्षेत्र को पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया जाये। श्रीमान्, वहां के लोगों के लिये यह टैक्स हटाना तो दूर रहा, जिन लोगों ने धूरा का प्रयोग नहीं किया, उनसे 25 साल का टैक्स वसूल किया जा रहा है। यह सरासर अन्याय है।

मैं यह कहूंगा कि गांवों में अस्पताल खोले जायें। किसानों का विकास करिये। किसानों ने जिस भावना से जनता पार्टी को विजयी बनाया है उस भावना के अनुसार काम करने के लिए मैं जनता पार्टी की सरकार से मांग करता हूं।

कोटा क्षेत्र में एक जबरदस्त आन्दोलन खड़ा हुआ था, वहां विश्वविद्यालय खोलने के बारे में लेकिन कोटा क्षेत्र में विश्वविद्यालय नहीं खोला गया। वहां के लोगों को रोजगार देने के बारे में आन्दोलन हुआ मगर रोजगार नहीं दिया गया। उस औद्योगिक नगर में बाहर के लोग बढ़ते चले गये। वहां के विद्यार्थियों के मानस को देखते हुए यह कह सकता हूं कि आन्दोलन पुनः खड़ा होने वाला है अगर वहां विकास नहीं किया गया। भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कोटा में विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिये। केवल माध्यमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा।

मुझे प्रसन्नता है कि गांवों के विकास के प्रोग्राम हैं। विद्युतीकरण के द्वारा ग्रामों को रोशन किया जायेगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में मोड़क गांव में सीमेंट का कारखाना खुलने जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान में हुआ है और इसका वित्तीय लाभ सीधा राजस्थान सरकार को मिलेगा लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। इसमें शीघ्रता कर इसको प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि उसका लाभ मिल सके।

बजट के बारे में एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाये। उसके बिना आपका सारा का सारा बजट गांव के विकास के बजाय उन लोगों की जेबों में चला जायेगा जो आज पैसा खा कर बेईमानी कर रहे हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के समय मैंने एक फाइल प्रस्तुत की थी लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ आज तक कुछ नहीं

(श्री हरिशकुमार शर्मा)

हुआ। परिणामस्वरूप वे और मनमानी कर रहे हैं। इसमें एस.डी.एम. के अधिकारों की बात नहीं है। कानून का उल्लंघन करने के बाद भी उसका बाल बांका नहीं किया गया। मैं जनता पार्टी की सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं .....

श्री सम्पतराम (विधि मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि उस आफिसर का नाम क्या है, जिसके खिलाफ चार्जेज हैं?

श्री हरिश कुमार शर्मा : उसका नाम है यशपाल भाटिया। औरों के नाम हैं डान्डिया और आर.के. सक्सेना। एस.डी.एम. का नाम है महावीर सिंह।

31 तारीख को रामगंज मण्डी के छात्रावास पर छापा डाला गया था। 30 लड़के हैं। बड़े बच्चे को चार और छोटे को दो रोटी खाने को देता है। जो अनुदान मिलता है वह हजम कर जाता है। सूखी बाजार की रोटियां दी जाती हैं। आज पुनः सूचना आई है कि अत्याचार शुरू कर दिये हैं, उन छात्रों की रोटी देना बन्द कर दिया है। कोटा जिला में समाज कल्याण विभाग के 11 छात्रावास हैं। ग्यारह के ग्यारह छात्रावासों में घोटाले चल रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, पैसा हड़प हड़प कर खा रहे हैं। आप इन पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगावें।

सी. आई. डी. पी. डब्ल्यू. डी. वाटर वर्क्स आदि पर भी अंकुश लगावें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं राज्य सरकार से जो मांग की जा रही है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

आज लाखों टन खाद्यान्न लेवी में वसूल कर रहे हैं। वह बरसात में बिगड़ रहा है, सड़ रहा है जो दो-दो बरसात झेल चुका है। सोना कल्याण गेहूं की स्थिति आज यह है कि सुबह रोटी बनाते हैं और शाम को बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। उसको बाजार में क्यों नहीं लाया जा रहा है? इससे मांग बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा? मुद्रा स्फीति, बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा?

मैं यह भी श्रीमान् से निवेदन करूंगा कि आज जो सड़कों के बारे में और परिवहन के बारे में बजट में दिया गया है, इन विभागों में काफी करप्शन है। इसके सम्बन्ध में कोई न कोई कार्यवाही आपको करनी पड़ेगी। बजट के साथ साथ लोगों के जीवनस्तर को भी सुधारना होगा। गरीबों को सुविधा देने वाले प्रोग्राम को भी हाथ में लेना होगा।

मैं पुनः बजट का स्वागत करते हुए अपील करूंगा कि राजस्थान के नौजवानों को समुद्र मंथन करना होगा। हमें उन अधिकारियों के प्रति, जो गड़बड़ी करते हैं, सख्त कदम उठाना होगा। साथ ही बजट का स्वागत करते हुये आशा रखूंगा कि यह बजट विद्यार्थियों के लिये, नौजवानों के लिये हितकारी होगा और जो राजस्थान में बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिये कार्य करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री हरचन्द सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): सम्माननीय सभापतिजी, जनता सरकार का जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बजट अपने आप में आने वाले 6 महीने का प्रतिबिम्ब प्रदर्शित करता है। जनता सरकार का यह दुर्भाग्य रहा है कि सारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति को चरमरा कर रख देने वाले पिछले शासन ने सारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति के भवन को तहस-नहस करके रख दिया है। केवल मात्र एक मिट्टी का पुलिन्दा, एक मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का अम्बार सारे राजस्थान को बना दिया है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार ने हमें राजस्थान भूखे नंगे के रूप समर्पित किया है।

श्रीमान् सभापतिजी, जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके द्वारा खण्डहर पर फिर से एक बार भवन निर्माण के लिए प्रयास किया है। ढहा हुआ भवन, मिट्टी का अम्बार किस प्रकार सुन्दर भवन बन सके और किस प्रकार आने वाली स्थिति में राजस्थान की जनता को सुख-सुविधा देने की स्थिति में आ सके, इसके लिये मेरी सरकार ने केवल काम चलाऊ बजट उपस्थित किया है जिससे हम राजस्थान की जनता को सुख-सुविधा दे सकें। इस बजट का चारों ओर स्वागत किया गया है। बजट पर जो प्रतिक्रियायें व्यक्त की गई हैं उनमें कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी इसकी सत्यता को स्वीकार किया है। आज भाई मूल चन्द जी डागा, और भी अनेक माननीय सदस्यों ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि बजट को ठीक प्रकार नहीं रखा गया है। माथुर साहब बड़े जोशो-खरोश के साथ कह रहे थे कि आने वाली सरकार कुछ नहीं कर सकी। मैं उनसे अर्ज करूंगा, श्रीमन्, 30 साल के कांग्रेस के शासन में आपने राजस्थान की भूखी नंगी जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए 12 अरब रुपये खर्च किये हैं फिर भी राजस्थान के 33 हजार गांवों में अधिक से अधिक पानी नहीं पहुंचा पाए हैं, आपके अनुमान गलत ही रहे हैं। दुर्भाग्य है आज भी मेरे इस राजस्थान में 33 हजार गांवों में से सात हजार गांव ऐसे हैं जहां पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र में चार गांव इस प्रकार के हैं जो दर्रा गेम सेन्चुरी में स्थित हैं। राजस्थान की जनता का 12 अरब रुपया खर्च करने के बाद भी दर्रा गेम सेंचुरी में हरिपुरा, रामपुरा से तीन मील पैदल चल कर पानी लाते हैं इसीलिए आज जनता ने आपको ठुकरा दिया है। उस पर भी आप जोशो-खरोश के साथ कहते हैं कि बड़ी प्रगति की है। मैं कहता हूं यह कहने से पहले अच्छा होता वे खुद ही नेशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च की रिपोर्ट को देख लेते जिसमें बताया गया है 56.03 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की सीमा से नीचे आज राजस्थान में विद्यमान हैं। राष्ट्रीय औसत 42.33 प्रतिशत रहा है। क्या यही गत सरकार की नीति रही है? हमारा राजस्थान बहुत आगे बढ़ सकता था।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की हम बार बार दुहाई देते हैं तो कांग्रेसी सदस्य कहते हैं बार बार क्यों हमारी आलोचनायें कर रहे हो। भाई, मैंने कल भी कहा था कि लाखों केसेज में तुम्हारे कारनामे हो ऐसे हैं तो क्यों नहीं हम बार बार कहेंगे? आज भी यदि किसी घर में व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड पुराण बंचता है। तो तुम्हारे द्वारा 30 साल में किये गये कारनामों को यदि हम तीन साल तक कहें तो कौनसी गलत बात होगी? इससे सारी जनता उन कारनामों को जानेगी।

मुझे दुःख है कि पिछली सरकार ने सारे राजस्थान को दुर्दशा में लाकर खड़ा किया है।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जनता सरकार कुछ करके तो दिखाये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : हम अब आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। अब हम आपकी आशा को पूरी नहीं होने देंगे।

श्री माधोसिंह : 13 साल में ही करके दिखा देना।

श्री दाऊ दयाल जोशी : 13 साल में नहीं हम तो दस साल में राजस्थान की तस्वीर बदल देंगे। सारे राजस्थान को बहुबूदी की स्थिति में लायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे साथियों को कि क्या यह दिख नहीं रहा है राजस्थान में किस प्रकार हमने इस बजट के माध्यम से प्रगति की बात की है? पिछली सरकार ने जाते जाते यह सोचा कि अब हम सरकार में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोक सभा के चुनावों के परिणामों ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी थी कि अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है और आइन्दा भी कांग्रेस सरकार नहीं आने वाली है तो उसने जाते जाते आने वाली सरकार के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वह ठीक प्रकार कार्य नहीं कर सके। पिछली सरकार ने जाते जाते राजस्थान में करीब 14 करोड़ से अधिक रुपयों के टैक्सेज की छूट दे दी। उसी का परिणाम है कि आज हमें यहां राजस्थान के अन्दर कुल घाटा 59 करोड़ के आसपास अनुमानित बताया है। इसका मुझे दुःख है। इन सारी बातों के बावजूद पहली बार 70 प्रतिशत योजना के विभिन्न मदों में कुल व्यय बढ़ाकर 168 करोड़ से बढ़ाकर 193 करोड़ 52 लाख का हमने कर दिया है। इतना रुपया हमने हमारी योजनाओं के मद में खर्च करने का तय किया है। यह बढ़ा हुआ खर्चा तो हमने केवल छः महीने के अन्दर खर्च करने का तय किया है। छः महीने बाद मार्च में फिर से हमारा पूरा बजट साल भर का आएगा उस समय आपको जनता पार्टी की असली तस्वीर सही तौर से देखने को मिलेगी और सही प्रतिबिम्ब आपके समय का उस समय प्रदर्शित होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हमने योजना के विभिन्न मदों में जो 193 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है, जो राशि बढ़ाई है, उसके द्वारा राजस्थान को खुशहाली की ओर हम ले जाने की कोशिश करेंगे।

राजस्थान शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। पहली बार सरकार ने यह तय किया कि हम किस तरह से शिक्षा को गति दे सकते हैं। एक अरब रुपये की राशि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

शिक्षा की मद में हम आने वाले एक साल में खर्च करेंगे। राजस्थान शिक्षा के मामले में कई राज्यों से पिछड़ा हुआ है, करीब तीन या चार राज्यों—जम्मू काश्मीर और नागालैंड को छोड़कर बाकी सारे राज्यों से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इस माध्यम से हम आने वाले सालों में निश्चित रूप से यह उम्मीद कर सकेंगे कि राजस्थान भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम उठाएगा।

मुझे उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों पर तरस आता है, दया आती है, उनको यह नजर नहीं आ रहा है हमने क्या क्या व्यवस्थायें की हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि पुलिस का मद है। पुलिस का महकमा ऐसा महकमा है जिसको काफी लोग पुलिस को लेकर काफी कोसते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि पुलिस का जो कांस्टेबल है वह दया का पात्र है। हमने अच्छी तरह से देखा है और तीस साल तक कांग्रेस भी अच्छी तरह से देखते रहे हैं कि जब राजस्थान का चीफ मिनिस्टर राजस्थान के किसी भी कोने में जाता था तो पुलिस का अम्बार लग जाता था। तीन तीन, चार चार, पांच पांच हजार पुलिस के जवान दो दिन पहले से उस सारे क्षेत्र में फैल जाते थे। उन गरीब पुलिस वालों को दो दिन पहले ड्यूटी बता दी जाती थी। वह बराबर अटेंशन की मुद्रा में डंडा बगल में दबाकर खड़े रहते थे कि कब मिनिस्टर महोदय पास होवें। वह इसकी चौकसी करते रहते थे। उस गरीब को अपने बाल बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था। कैदियों को जिस तरह से रोटी दी जाती है उसी तरह से बाल्टी में सब्जी लेकर सब्जी और तीन रोटी उनके लिए स्पोट पर पहुंचाई जाती थीं। पहली बार हमने देखा है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी राजस्थान के कोने कोने में गए लेकिन ऐसी स्थिति में भी पुलिस को नहीं देखा। अभी कोटा में आप पधारे थे तो सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि हमको पुलिस की आवश्यकता नहीं है। हम जनता के बीच में है और जनता हमारी खुद सुरक्षा करना जानती है, आपकी आवश्यकता नहीं है। आप व्यर्थ पुलिस की व्यवस्था न करें। इसीलिए हमने देखा है कि बजट में जो पिछले बार का बजट है उसमें पुलिस मद में जो 1 लाख 56 हजार का पुलिस कल्याण कोष तय किया था लेकिन मेरी सरकार ने पहली बार 1 लाख 56 हजार से बढ़ाकर पुलिस कल्याण कोष में पांच लाख रुपयों का खर्चा करना तय किया है। यह एक अहम् प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

मैं, सभापति महोदय, आपका ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे यहां पर प्रहरी हैं उनकी दुर्दशा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से यहां पर आए हुए वाच एण्ड वार्ड के रूप में, प्रहरी के रूप में जो पुलिस के लोग नियुक्त किए जाते हैं उसकी वास्तव में बड़ी दुर्दशा है। राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चलकर यहां पर आते हैं लेकिन इन गरीबों को केवल मात्र चार रुपये रोज डेली अलाउंस मिलता है। चार रुपये रोज ! आप स्वयं समझ सकते हैं कि जयपुर की किसी भी होटल में चार रुपये में सबह शाम की खुराक नहीं मिल सकती है। जब कि एक डाइट का

(श्री दाऊदयाल जोशी)

छोटी से छोटी होटल में आप जा कर देख लें तीन रुपया, सवा तीन रुपया लगता है, तो आप ही सोचिये कि पुलिस वाले आखिर किस प्रकार दोनों टाइम का भोजन प्राप्त करते होंगे ? यह अहम् प्रश्न है। मैंने पहले भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने अपनी बात रखी थी लेकिन उस समय अध्यक्षजी ने समझाया था कि मैं इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करूंगा। लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। जो पुलिस वाले राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते हैं उनके रहने के लिये जयपुर की पुलिस लाइन में कोई व्यवस्था नहीं है। फिर ये लोग कहां रहें ? इनके सामने रहने की समस्या है। अगर किसी धर्मशाला में हमारे वाच एण्ड वार्ड का प्रहरी, जो हमारी सुरक्षा का काम करता है अपना माथा टिकाने के लिए स्थान प्राप्त करने की कोशिश करता है तो तीन दिन से चौथा दिन होते ही उसको हटा दिया जाता है। तीन दिन से चौथे दिन किसी को धर्मशाला में रहने नहीं देते। चौथे दिन एक धर्मशाला से दूसरी और दूसरी से तीसरी धर्मशाला पकड़ता फिरे। यह इनकी हालत है। जब तक हमारा सदन चलता है तब तक सदन के टाइम में यह पुलिस वाले, ये प्रहरी, जो वाच एण्ड वार्ड के नाम से जाने जाते हैं, अपना माथा टिकाने के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं।...

श्री सभापति : ध्यान आकर्षित हो गया है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अभी नहीं हुआ है। मैं निवेदन कर रहा था कि इनकी समुचित व्यवस्था की जाय।

जहां एक ओर पुलिस कल्याण की बात की है और हमने पांच लाख रखने की बात है, की मैं शासन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के पुलिस के भिन्न भिन्न क्षेत्र में पुलिस कल्याण कोष के नाम पर हर साल चेरिटी शो होता है उस चेरिटी शो की जो राशि वसूल की जाती है वह जोर जबरदस्ती से वसूल करते हैं।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मेरे पास दो अहम् प्रश्न हैं। मैं आपकी दया का पात्र हूं।

श्री सभापति : दो मिनट और। आप जारी रखिये, दो मिनट और हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : दो मिनट में पूरा नहीं होगा।

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह जो बात है चेरिटी शो की, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कोटा में चेरिटी शो हुआ था जिसमें बृजमोहन गुप्ता नामक व्यक्ति ने पांच हजार रुपये का अनुदान दिया। उस गरीब ने जब पुलिस के एक बहुत जिम्मेदार अधिकारी से रसीद प्राप्त करने की बात की तो उस गरीब को डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर के कोटा की सड़कों पर हथकड़ी लगा कर घुमाया सारे शहर में। उसका अपराध नाम मात्र का यही था कि उसने रसीद प्राप्त करने की बात की। रसीद प्राप्त करने के नाम पर उस गरीब को सारे बाजार में घुमाया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अब जब कि हमने पुलिस कल्याण कोष

Page No 120

(120)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में बढ़ी हुई राशि घोषित कर दी है, तो अपनी सरकार को मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज के बाद से पुलिस कल्याण कोष के नाम पर कोई भी चेरिटी शो नहीं होना चाहिये और कोई चन्दा वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं दो अहम मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। वे हैं संस्कृत और आयुर्वेद के। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस बजट के मौके पर संस्कृत विषय पर बोलना नहीं चाहेगा क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आयुर्वेद से रोटी खाता हूं, आयुर्वेद से मैं अपना पेट पालन करता हूं, इसके माध्यम से मैं अपना जीवन चलाता हूं और आयुर्वेद के माध्यम से ही आज इस सदन में, इस मंच पर आकर खड़ा हुआ हूं। मैं निवेदन करूंगा कि इन दोनों विषयों के लिए अन्य कोई भी सदस्य बजट में नहीं बोलेगा इसलिए मैं, सभापति महोदय आपसे निवेदन करता हूं कि संस्कृत और आयुर्वेद के आप भी सदा प्रेमी रहे हैं, इसलिए किन्हीं और माननीय सदस्यों के समय में से कुछ समय काट कर मुझे देकर अनुगृहीत करने की कृपा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझे...

श्री सभापति : मेरी पदोन्नति कर दी है क्या ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : श्रीमान् सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरा देश जिसमें महर्षि बाल्मिकी, महर्षि भाष जैसे महाकवि पैदा हुए, कालीदास जैसे, महाकवि पैदा हुए जिन्होंने हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनियां के सामने, सारे विश्व के सामने ख्याति प्राप्त की। इस देश के अन्दर पाणिनी जैसे विख्यात विद्वान पैदा हुए जिन्होंने सारे विश्व को रूप दिया, उसी पाणिनी की वाणी को पिछली सरकार ने भुठलाया। कभी उसकी तरफ चिन्ता की है ? मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पिछले दस वर्षों में संस्कृत का एक भी कालेज नहीं खुला। राजस्थान में केवल मात्र दो संस्कृत के कालेज चलते हैं। राजस्थान के पांच जिले हैं और पांच जिलों में दो कालेज चलते हैं, बाकी सब जगह कोई व्यवस्था नहीं है। सभी जगह हर साल हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेकानेक विद्यालय खुल रहे हैं, अनेकानेक इन्स्टीट्यूशन्स खोली जा रही हैं तो राजस्थान के पांच जिलों में कम से कम पांच संस्कृत के कालेज आचार्य स्तर के खोले जायें। यह एकदम आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरी सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है जिसके लिए मेरे मन में टीस है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कि मेरे राजस्थान में इन संस्कृत के अध्यापकों की बड़ी दुर्दशा है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि एम. ए. इजीक्वल टू आचार्य। आचार्य स्तर के व्यक्ति को एम.ए. के बराबर मान्यता दी गई है लेकिन दोनों के वेतन स्तर में आकाश पाताल का अन्तर है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इनके वेतन स्तर को सुधारने के लिए सरकार तुरन्त व्यवस्था करे। अभी हमारे सम्मानित राज्यपाल महोदय ने...

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि जब शिक्षा की मांग आवे

(श्री सभापति)

तब कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आप इस पर विस्तृत विचार पेश कर सकते हैं। अभी दो माननीय सदस्यों को और बोलने दीजिए, मैं अनुग्रहीत होऊंगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत शिक्षक का वेतन स्तर सुधारा जाए। अभी राज्यपाल महोदय संस्कृत कालेज में पधारे थे तब उन्होंने यह बात स्पष्ट शब्दों में कही थी कि संस्कृत अध्यापक के वेतन में जो असमानता है वह एक दण्डनीय अपराध जैसी चीज है। मैं उन्हीं के शब्दों को यहां पर दोहरा रहा हूं। इसलिए अगर सरकार संस्कृत अध्यापक के वेतन स्तर को सुधारे तो बड़ा अनुग्रहीत होऊंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे। आयुर्वेद की दृष्टि से, क्योंकि मैं आयुर्वेद का खाता हूं...

श्री सभापति : मैं सहमत हूं। परन्तु इस तरह से तो डिबेट कन्ट्रोल नहीं होगी। आप सत्ताधारी दल से सम्बन्धित हैं। आप जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कृपया दो मिनट और दें। केवल आयुर्वेद के विषय में कहूंगा।

श्री सभापति : आपको कटौती प्रस्ताव के माध्यम से बोलने का अधिकार होगा। अब आप धन्यवाद दे दीजिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापतिजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार साहस करके जो सन्तुलित बजट पेश किया, वह स्तुत्य है। सारे राजस्थान में इस बात की चर्चा है। हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो अन्त्योदय की योजना रखी है, उसको देखने के लिए सारे हिन्दुस्तान के लोग राजस्थान में आयेंगे। हमारे प्रधान मन्त्री भी इस योजना के सिलसिले में हमारे यहां आ रहे हैं। यह मैं उन कांग्रेसी सदस्यों से निवेदन करूंगा जो कि कथनी और करनी में अन्तर की बात करते हैं।

मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : मुझे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सूचित करना है कि उनके दल के लिये निर्धारित समय साढ़े तीन घंटे था। वह सारा समय समाप्त हो गया है। उसके बाद में माननीया सुमित्रासिंह को अध्यक्ष महोदय ने विशेष अनुमति दी थी। इस प्रकार आप लोग तीन घंटे पचास मिनट बोल चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप जैसे महत्वपूर्ण पुराने विधायकों को कल अवसर मिले, यह उचित होगा।

एक माननीय सदस्य : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे कल अवसर दिया जाय।

श्री सभापति : अगर मैं आसन पर होऊंगा तो आपको अवसर मिलेगा।

श्री नवलराय बच्चाणी।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर, पश्चिम) सभापति जी, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो:

(श्री नवलराय बच्चाणी)

बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मुख्य मंत्री महोदय ने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुकूल यह बजट पेश किया है, यह सराहनीय है। कांग्रेस सरकार जाते जाते हमारे लिये जो सिरदर्द पैदा कर गई थी, आखिर उसमें से भी रास्ता निकाल कर आयुर्वेद वैद्यों को जानवरों के डाक्टर जितना वेतन दें।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव दूं, उसके पूर्व मैं यह निवेदन करूंगा कि अजमेर रीजनल कालेज में 16-8-77 से विद्यार्थी हड़ताल पर चल रहे हैं। इससे पूर्व माननीय केदारनाथ जी वहां पर आये थे और शिक्षा मंत्री, मुख्य मंत्री महोदय, सभी लोगों को इससे अवगत कराया गया है। उस समय जो प्रिन्सिपल थे उनका इमर्जेन्सी के दौरान और उसके बाद जो व्यवहार था, उससे क्षुब्ध होकर विद्यार्थी उनके स्थानान्तरण के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद वहां पर जो प्रोफेसर टी.एन.दवे हैं, इमर्जेन्सी में भी इनका लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा है। आज भी वे शराब पीकर होस्टल में जाते हैं और विद्यार्थियों को कहते हैं, आप लोगों को भी पीना चाहिये। हमारे साथ आकर पी सकते हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि काफी समय से यह विवाद चल रहा है, यहां के अधिकारियों को यह मालूम है लेकिन यह रीजनल कालेज सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वहां के जो एम.पी. श्री करण शारदा हैं, भानुकुमार शास्त्री हैं, उनसे भी मैं व्यक्तिशः मिला हूं, पत्र भी लिखे हैं उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 16-8-77 से बच्चे भूख हड़ताल कर रहे हैं। तीन तारीख को मिल कर आया था। कुछ लोगों ने आज आकर बताया है, स्थिति वैसी की वैसी है। टी.एन.दवे का यह आदेश है कि होस्टल बंद किया जाए। बच्चों को खाने के लिए नहीं दिया जाए। 400 से ज्यादा विद्यार्थी वहां पर रहते हैं। एक तो यह रीजनल कालेज है और दूसरे वह बाहर के क्षेत्र में है। पुलिस काफी संख्या में वहां पर बैठी हुई है। कभी भी वहां पर विस्फोट हो सकता है। पहली तारीख को आदेश निकला। जिलाधीश, एस.पी. ने सहयोग दिया। वे बच्चे महात्मा गांधी के आदेश पर शांतिमय तरीके से बैठे हैं कोई हिंसक कार्यवाही नहीं होगी।

श्री सभापति : कोरम नहीं है।

श्री नवलराय बच्चाणी : इस विषय में मेरा यह कहना है कि लॉ एण्ड आर्डर के संदर्भ में राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर के केन्द्र को सिफारिश करे कि टी.एन. दवे का वहां से स्थानान्तरण किया जाय।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने वैद्यों को यह आश्वासन दिया था कि उनका वेतन जानवरों के डाक्टर के वेतन के समान कर दिया जायेगा। अभी तक उस आश्वासन का कुछ नहीं हुआ है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि वैद्य लोगों को भी डाक्टरों के समान वेतन मिलना चाहिये।

श्री सभापति : गणपूरक घंटी।

(गणपूरक घंटी)

(विराम)

(श्री सभापति)

कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9 सितम्बर, 1977 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

आपका भाषण जारी रहेगा।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.50 बजे शुक्रवार दिनांक 9 सितम्बर, 1977 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

124

परिशिष्ट--1

(तारांकित प्रश्न सं. 35 की सूची)

THE RAJASTHAN STATE COOPERATIVE BANK LTD., JAIPUR

List of invitees of Dinner on 12-8-76 in honour of Dr. C. D. Datey.

1. Shri Hari Deo Joshi, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. Shri Hiralal Deopura, Minister for Cooperation, Rajasthan, Jaipur.
3. Shri Chandanmal Baid, Hon'ble Minister for Finance, Rajasthan, Jaipur.
4. Shri Mohan Mukherji, Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
5. Shri M.S. Sadashivan, Finance Commissioner, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
6. Shri G.K. Bhanot, Commissioner, Agriculture Special Scheme, Government of Rajasthan, Jaipur.
7. Shri Govindjee Mishra, Food Commissioner, Government of Rajasthan, Jaipur.
8. Shri N.C. Bhatnagar, Commissioner, Tribal Area Development Commission, Government of Rajasthan, Jaipur.
9. Shri V.I. Rajagopal, Commissioner, (Cooperation) Government of Rajasthan, Jaipur.
10. Shri L. N. Ladha, Special Secretary, Finance Department, Government of Rajasthan, Jaipur.
11. Shri B. K. Zutshi, Special Secretary, Special Schemes RG., Government of Rajasthan, Jaipur.
12. Shri K.V. Shankaran, Commissioner, Departmental Enquiries, Government of Rajasthan, Jaipur.
13. Shri Kishori Lal, Managing Director, Rajasthan Rajya Sah. Kraya Vikraya Sangh Ltd., Jaipur.
14. Shri Ashok Jaiman, General Manager, Rajasthan Rajya Sah. Consumers Federation.
15. Shri Surendra Kumar, Dy. Secretary & Addl. Registrar, Cooperative Deptt., Govt. of Rajasthan, Jaipur.
16. Shri M.L. Kakkar, Addl. Registrar, Cooperative Societies, Govt. of Rajasthan Jaipur.
17. Shri O. P. Joshi, Director Public Relation Deptt. Government of Rajasthan, Jaipur.

18. Shri H.M. Mathur, Director, H.C.M. State Institute of Public Administration, Jaipur.

19. Shri Hanuman Prasad, Regional Manager, Food Corp. of India, 'C' Scheme, Jaipur.

20. Shri V. P. Malhotra, Managing Director, Rajasthan Raj. Sah. Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.

21. Shri Bhagirath Sharma, Dy. Registrar, Cooperative Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.

22. Shri Shobha Ram M. L. A., MLA Quarters, Jaipur.

23. Shri Narain Chaturvedi, Chairman, Raj, State Industrial Cooperative Bank Ltd., Jaipur.

24. Dr. C. D. Datey, Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay.

25. Shri A. D. Dhawan, Manager, Reserve Bank of India, Jaipur.

26. Shri R.A. Sugavanam, Director, Agricultural Refinance & Development Corporation, RSEB Building, Jaipur.

27. Shri C. B. Vleecha, Dy, Chief Officer, Deptt. of Banking Operation, and Development, Reserve Bank of India, S.C.Road, Jaipur.

28. Shri B. L. Jain, Asstt. Chief Officer, Reserve Bank of India Agricultural Credit Deptt., S.C.Road, Jaipur

29. Shri S.L.Ajmera, Budget Officer, Govt. of Rajasthan, Jaipur.

30. Shri K. C. Bakiwala, Regional Manager, Bank of Baroda, Park Street, M. I. Road, Jaipur.

31. Shri Satya Dev, Managing Director, State Bank of Bikaner & Jaipur, S.M.S. Highway, Jaipur.

32. Shri M.L.Chhajalani, Divisional Manager, United Commercial Bank, Near Collectorate, Jaipur.

33. Shri S.K. Mathur, General Manager, Raj. Rajya Sah. Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.

34. Shri J. M. Agarwal, Chairman, Bank of Rajasthan, Jaipur.

35. Shri Mahendra Shastri, Chairman, Raj. Rajya Kraya Vikraya Sangh Ltd., Jaipur.

36. Shri Anil Vaishya, Dy. Secretary, Finance Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.

37. Shri Aminuddin, Chairman, Raj. State Agro Industries, Corpn. P. Ltd., Jaipur.

38. Shri R. P. Laddha, 50, Civil Lines, Jaipur.

39. Shri Nahti Singh, M.P., Chairman, Raj. Rajya Sah Bhoomi Vikas Bank Ltd. Jaipur.

Page No 126

(126)

40. Shri Rajendra Singh MLA, Uniara Gardens, Jaipur-4.

41. Shri Pawan Kumar Rekariya, Chairman, Banswara C.C.Bank, Camp. Jaipur.

42. Shri Pankay Pancholi, 34, Kumbha Nagar, Chittorgarh.

43. Shri Chakrawati Singh, Vill. & Post Jojawar, Distt. Pali.

44. Shri Madho Singh, V. & Post Jolpur, Teh. Reodar, Distt. Sirohi.

45. Shri Ratan Singh, C/o Ganganagar Kendriya Sah. Bank Ltd., Ganganagar.

46. Shri Surya Deo Singh, Advocate, Post Kishangarh Bas, Distt. Alwar.

47. to 71. 25 General Managers, All C.C.Banks.

72 to 79. 8 Zonal Officers.

80. to 100. 21 Chairman, C.C. Banks.

परिशिष्ट–2

(प्रश्न संख्या 40 का जांच प्रतिवेदन)

प्रस्तुत जांच राजस्थान पंचायत समिति (प्रधान व उप–प्रधान हटाने) नियम, 1960 के नियम 5(1) के अन्तर्गत विस्तृत रूप से जांच करने हेतु सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 23(14)सी पी एस।पवि। 72। 606, दिनांक 2-2-73 के द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को दी गई एवं विभागीय प्रतिनिधि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, टोंक को नियुक्त किया गया।

श्री धर्मचन्द जैन, प्रधान पंचायत समिति, देवली पर मुख्यत: दो आरोप लगाये गये हैं। इन दोनों आरोपों के सन्दर्भ में विभागीय प्रतिनिधि की ओर से पंचायत समिति के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। आरोपों के सन्दर्भ में श्री धर्मचन्द जैन, प्रधान, पंचायत समिति, देवली ने अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। दोनों आरोपों के सन्दर्भ में मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है :—

आरोप सं. 1

श्री धर्मचन्द जैन, प्रधान, पर पहला आरोप यह है कि प्रधान के पद पर कार्य करते हुए, पंचायत समिति की साधारण बैठक दिनांक 29-7-72 की कार्यवाही विवरण में निर्णय लिये बिना ही उन्होंने अपने हाथ से कृषि फार्म के सम्बन्ध में पंक्तियां जोड़कर प्रधान पद का दुरुपयोग किया।

अनुच्छेद नं. 9, कार्यवाही दिनांक 29-7-72 (साधारण बैठक, पंचायत समिति, देवली) का अंश जो मूल रजिस्टर से लिया गया है, वह निम्न प्रकार उद्दृत किया जाता है:—

पंचायत समिति के कृषि फार्म हेतु आवंटित भूमि का कब्जा लेने एवं उस पर काश्त कराये जाने के सम्बन्ध में विचार:—

श्री प्रधान महोदय ने सदन को बताया कि पंचायत समिति के कृषि फार्म के लिये जो भूमि ग्राम नोन्दपुरा में एलाट हुई है, उसका वास्तविक कब्जा अभी तहसील से नहीं मिला है तथा उस जमीन पर पेड़ों की कीमत आदि के बाबत कुछ विवाद तहसील से चल रहा है। अतएव इस बारे में शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये ताकि पंचायत समिति को कृषि फार्म का लाभ मिल सके। इस पर निश्चय किया गया कि श्री तहसीलदारजी से सम्पर्क करके शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावे और तत्पश्चात् इस भूमि पर काश्त कराये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही विवरण के अन्त में अर्थात् अनुच्छेद 11 के बाद प्रधान श्री धर्मचन्द जैन ने अपनी लेखनी से निम्न शब्द जोड़े हैं :—

पैरा सं. 9 में कार्य सम्बन्धी भूमि को एक वर्ष के लिये काश्त पर ठेके से देने की कार्यवाही विकास अधिकारी जी करें (शब्द पढ़े जावें) ह. धर्मचन्द जैन।

श्री धर्मचन्द जैन ने अपने जवाब में यह व्यक्त किया है कि जब कार्यवाही को हस्ताक्षरार्थ मेरे पास भेजा तो मुझे विदित हुआ कि विकास अधिकारी ने उक्त सभा की कार्यवाही के पैरा नं. 9 में जो पंचायत समिति कृषि फार्म से सम्बन्धित है, में कुछ अंश अंकित नहीं किये जिनका कि नियमानुसार अंकित किया जाना आवश्यक था, अतः मैंने हस्ताक्षर के समय उक्त शब्द जोड़ दिये. जिनकी पुष्टि सर्वसम्मति से दिनांक 15-11-72 को हो गई।

दिनांक 15-11-72 को साधारण सभा की कार्यवाही के अवलोकन से यह विदित होता है कि उस दिन श्रीमती कुसुम प्रसाद, तत्कालीन जिलाधीश, टोंक व श्री आशकरण अग्रवाल, तत्कालीन अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, टोंक भी उस बैठक में उपस्थित थे एवं उक्त शब्दों के जोड़े जाने का प्रश्न उस बैठक के सम्मुख भी प्रस्तुत हुआ है जिसमें यह व्यक्त किया गया कि फार्म की भूमि को ठेके पर दिये जाने के बाबत कोई निर्णय उस बैठक में नहीं लिया गया था। उस बैठक में यह भी व्यक्त किया गया है कि यह भूमि पंचायत समिति मुख्यालय से लगभग 28–30 मील दूर अन्दरूनी ऐसे रेतीले इलाके में है, जहां पहुंचना अत्यन्त कठिन होगा और उस पर नियंत्रण रखना तथा उचित देखभाल करना सम्भव नहीं होगा। बैठक में उपस्थित तहसीलदार, देवली ने भी सहमति व्यक्त करते हुये कहा है कि यह भूमि पंचायत समिति हेतु कतई उपयुक्त एवं लाभप्रद नहीं रहेगी। अन्त में प्रधान ने इस बारे में सदन का कोई निर्णय कराये बिना एजेण्डा पर आगे चलने का कहना भी विवरण में लिखा गया है। इसी बैठक की कार्यवाही विवरण के पैरा 25 में यह अंकित किया गया गया है कि :–

जिलाधीश महोदय ने भी इस मामले को पंचायत समिति के हित में आवश्यक बताते हुये आज की बैठक में विचार करके उचित निर्णय लिये जाने की राय सदन को दी ताकि उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जा सके और पंचायत समिति अनावश्यक भारी व्यय से बच सके परन्तु प्रधान जी ने इस मामले में बहस एवं वाद-विवाद करते हुये जिलाधीश महोदया एवं अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी जी की राय को मानने से इन्कार कर दिया।

कार्यवाही विवरण दिनांक 15-11-72 को पूर्णरूपेण पढ़ने पर यही स्पष्ट होता है कि अन्य सदस्यों ने इस बात से सहमति प्रकट की कि कृषि फार्म को पंचायत समिति नहीं चलायेगी जबकि इसके विपरीत यहां इस विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रधान ने कोई निर्णय न लेकर अचानक बैठक को समाप्त घोषित किया। अतः

स्पष्ट है कि इस बैठक में सर्वसम्मति से उक्त शब्द जोड़े जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई। यद्यपि दिनांक 26-2-73 को हुई बैठक में कार्यवाही विवरण में यह अंकित किया कि सदन ने सर्वसम्मति से दिनांक 29-10-72 को कृषि फार्म के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को दिनांक 15-11-72 की सभा में की गयी पुष्टि की पुनः सर्वसम्मति से पुष्टि करदी और पुष्टि के विपरीत कार्यवाही में दिनांक 15-11-72 के पैरा 1 व अन्त में जो शब्द अंकित किये, उनको निकालते हुये सर्वसम्मति से दिनांक 15-11-72 की शेष कार्यवाही की पुष्टि की जाती है। लेकिन मुझे यह सन्देहास्पद लगता है क्योंकि दिनांक 29-10-72 की बैठक में पूर्व में यह व्यक्त किया गया कि तहसीलदार से सम्पर्क करके शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावे, वास्तविक कब्जा अभी तहसील से नहीं मिला है तथा उस जमीन पर पेड़ों की कीमत आदि के बाबत कुछ विवाद तहसील से चल रहा है, तो जब भूमि का कब्जा ही प्राप्त नहीं हुआ तो एकदम यह पंक्ति कि भूमि को काश्त के लिये ठेके पर दे दिया जाना पूर्णतया यह संदेह व्यक्त करता है कि यह बाद में जोड़ा गया है। अतः यह आरोप प्रधान श्री धर्मचन्द जैन पर पूर्णरूप से साबित है।

<u>आरोप नं. 2</u>

दूसरा आरोप श्री धर्मचन्द जैन, प्रधान, पंचायत समिति, देवली पर यह लगाया गया है कि उक्त पद पर कार्य करते हुये इन्होंने कृषि फार्म के सम्बन्ध में अति. जिला विकास अधिकारी द्वारा दिये गये सुझावों पर सदन की राय जाने बिना ही यह व्यवस्था दे दी कि इस सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

इस आरोप के सन्दर्भ में श्री धर्मचन्द जैन ने स्वयं अपने लिखित जवाब में यह व्यक्त किया है कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी का सुझाव कृषि फार्म सम्बन्धी पंचायत समिति की साधारण सभा दिनांक 29-7-72 के निर्णय को प्रभाव शून्य किये जाने के सम्बन्ध में सभा में विचार किये जाने हेतु लिखित में था जिसे पढ़कर मैंने सदन को सुनाया है और व्यवस्था दी कि इस सम्बन्ध में इस सभा में विचार किया जाना अनियमित है एवं इसलिये मैंने सुझाव अस्वीकृत कर सभा समाप्ति की घोषणा की क्योंकि सभा में कोई विषय विचारार्थ शेष नहीं रहा था।

कार्यवाही विवरण साधारण सभा दिनांक 15-11-72 के अन्तिम पैरा का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि बैठक में उपस्थित तत्कालीन जिलाधीश एवं तत्कालीन अति. जिला विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य पंचायत समिति के सदस्यों ने इस पर विचार करने पर बल दिया था कि अति. जिला विकास अधिकारी के सुझाव पर निर्णय दिया जावे। बैठक की कार्यवाही में यह भी अंकित किया गया है कि प्रधान ने अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 15-11-72 (सुझाव) को सदन में पढ़कर सुनाया। इस विवरण में यह भी लिखा हुआ है कि—

जिलाधीश महोदया ने पुनः सदन को यह राय दी कि सदन को कम से कम यह

स्पष्ट कर देना चाहिए कि विकास अधिकारी द्वारा इस भूमि पर जो पंचायत समिति मुख्यालय से 28–30 मील दूर है, और भीतरी इलाके में स्थित है, तथा जिसके पेड़ों आदि की कीमत और कब्जे पट्टे व भूमि को ठीक कराने में कई हजार रुपये व्यय हो जायेंगे, के बारे में क्या कार्यवाही की जावे क्योंकि पंचायत समिति की आगामी बैठक तो तीन माह बाद होगी और फिर यदि इस भूमि पर कृषि फार्म नहीं चलाने का निर्णय लिया गया तो इस अवधि में व्यय की गई राशि व्यर्थ बरबाद होगी।

कार्यवाही विवरण में सरपंच, देवड़ावास द्वारा यह कहा जाना भी अंकित है कि उन्होंने इस पर विचार करने पर बल दिया था साथ ही विवरण में अन्य सदस्यों द्वारा बल दिये जाने का भी विवरण अंकित है। कार्यवाही विवरण के अन्त में यह अंकित किया गया है कि अन्य सदस्यों ने भी इस बात से सहमति प्रकट की परन्तु प्रधानजी ने कुर्सी से उठते हुये अचानक बैठक को समाप्त घोषित कर दिया। इससे यह तो भलिभांति साबित है कि प्रधान, पंचायत समिति, देवली ने बैठक के दौरान अति. जिला विकास अधिकारी द्वारा दिये गये सुझाव पर पंचायत समिति के सदस्यों से राय जाने बिना ही सुझाव पर कोई विचार न कर बैठक को समाप्त घोषित किया।

प्रधान ने अपने जवाब मे यह लिखा है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् कार्य सचालन नियम 3(क) (ख) के अनुसार पंचायत समिति को किसी भी निर्णय को संशोधन, रद्द, उसी निमित्त बुलाई गई विशेष सभा में विचार कर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं और पचायत समिति की विशेष सभा कार्य संचालन नियम 6 के अनुसार पंचायत समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के लिखित आवेदन पर ही बुलाई जा सकती है। जहां तक प्रधान के इस तर्क का सम्बन्ध है, मेरे विचार से कानूनी दृष्टिकोण से यह तर्क बिल्कुल सही है किन्तु प्रधान द्वारा उद्धृत कानून जिला प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय पर लागू होता है जबकि दिनांक 15-11-72 की मीटिंग में विचारणीय प्रश्न केवल यह था कि क्या उससे पहले की मीटिंग दिनांक 29-7-72 मे विचारणीय प्रश्न यह था कि प्रधान द्वारा कार्यवाही विवरण में जोड़ी गयी पंक्तियां पंचायत समिति द्वारा नियमानुसार लिये गये निर्णय की तारीफ में आती भी है या नहीं। इस बिन्दू पर विचार करने के लिए प्रधान द्वारा उद्धृत कानून 13 (क) (ख) पंचायत समिति एवं जिला परिषद् कार्य संचालन नियम, लागू नहीं होते। ऐसी दशा मे अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी के सुझाव पर विचार नहीं किये जाने सम्बन्धी आरोप प्रधान श्री धर्मचन्द जैन पर पूरी तरह साबित हैं। अतः यह दूसरा आरोप भी प्रधान श्री धर्मचन्द जैन पर पूर्णरूपेण साबित होता है।

ह.
(ए. के. पाण्डे)
जिलाधीश, टोंक, राजस्थान।

परिशिष्ट–3

(प्रश्न संख्या 42 की सूची)

बिलाड़ा तहसील में छः गांव की सूची जो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं ।

1. लाबारी जागती
2. बोकर खुर्द
3. बासनी का परड़ा
4. कुनवासिया
5. रामपुरिया भाटियाना
6. बीजाखनी

बिलाड़ा तहसील (जिला जोधपुर) के गांव जो कच्ची सड़कों से जुड़े हुए हैं:—

क.स. 1	गांव का नाम 2	आबादी 3	1	2	3
1.	मगरिबा	1102	32.	धावेसर	776
2.	धन्धोडा	649	33.	खारिया खगार	1620
3.	असान्डा	412	34.	बासनी खारिया	584
4.	गजसिंह पुरा	2095	35.	पालडी सिद्धा	864
5.	सक्ताना	412	36.	माडपुरिया	63
6.	बासनी हरिसिंह	1232	37.	बासपुरा	2253
7.	कुकोड़ा	596	38.	चोकरी कलां	1221
8.	लाबारी	403	39.	भिरासिया	194
9.	नागलवास	287	40.	केसाना	3720
10.	टोडिवाना	304	41.	कागल	883
11	मन्डाली	264	42.	गुडाना	1130
12.	गडेरी	787	43.	मलार	1951
13.	सागिया कलां	381	44.	लाम्भालिया	743
14.	हिन्गोली	1216	45.	खडीसलवा	1486
15.	बासनी कलां	318	46.	रमदावास कलां	1421
16.	गोविन्दपुरा	126	47.	रमदावास खुर्द	462
17.	गरासनी	126	48.	खेरी वारना	357
18.	बासनी खुर्द	1713	49.	तिगडा	416
19.	नाडसर	2171	50.	बड़ा खुर्द	366
20.	उस्तरा	1458	51.	बड़ा कलां	822
21.	रुडिया	1187	52.	नानण	1228
22.	गीरानी	990	53.	खुर्दनान	258
23.	कालावास	299	54.	जानी बाराकलां	362
24.	बान्ध	374	55.	मालावास	743
25.	ताम्बरारिया खुर्द	253	56.	मास्लीबा	1310
26.	ताम्बरारिया कलां	459	57.	सियारा	891
27.	हिरादेसर	1501	58.	घोड़ावास	783
28.	सोपडा	543	59.	ग्राधसूरिया	398
29.	बासनी बुद्धा	2133	60.	सोढानिया	831
30.	छापला	923	61.	हरियाढ़ाना	4477
31.	रजलानी	2142	62.	रणसीगाव	3079

1	2	3	1	2	3
63.	रणनीवाना	1524	86.	आत्बी	1122
64.	खारिया अनाधास	758	87.	रामासनी	1039
65.	अनावास	562	88.	हुणभाव खुर्द	159
66.	जालका	652	89.	हुणभाव कलां	692
67.	कूड	1014	90.	होलपुर कलां	543
68.	हिंगोनिया	229	91.	हरियाड़ा	1177
69.	खेखरिया	490	92.	खून्टालिया	678
70.	चान्देलाव	1043	93.	बड़ासला खुर्द	257
71.	बोवल	1720	94.	होलपुर खुर्द	260
72.	सिलारी	1231	95.	बाला	2022
73.	तिलवासनी	1343	96.	पडासला कलां	607
74.	नाममरा	1068	97.	भुजरावास	472
75.	सम्बारी	689	98.	मालकसनी	1307
76.	मुरकासनी	641	99.	वारी कलां	469
77.	धाक	1463	100.	वारी खुर्द	186
78.	भमासनी	469	101.	जेलवा	599
79.	बन्जारा	403	102.	जातिवास	905
80.	रामपुरिया	376	103.	बरना	1644
81.	बलोना	1452	104.	हर्ष	256
82.	कूपरावास	411	105.	बीजवाडिया	919
83.	लाम्बा	1797	106.	सावला खुर्द	2354
84.	उदलियावास	1881	107.	जालवारा खुर्द	453
85.	राबड	1884			

Page No 134

(134)

बिलाड़ा तहसील (जिला जोधपुर) की सड़कों की सूची जिन पर फेमिन मेटेरियल पड़ा हुआ है और अपूर्ण है।

1. इम्प्रूवमेण्ट एण्ड वाइडनिंग आफ जोधपुर-बिलारा रोड
2. डेगरना से आसोप रोड
3. करवासरा की ढाणी से खिन्डा कोर
4. सरपुरा से बिरसालू वाया खेडरपा
5. लिंक रोड से जोइन जोधपुर भोपालगढ़ एण्ड भोपालगढ़ पीपार सीटी रोड वाया तिलवासनी नागोरिया, बूरच
6. पीपर से वाला वाया तिलासनी भानी
7. भोपालगढ़ से नांडिया खुर्द
8. एप्रोच रोड टू विलेज वाला
9. विलारा से हरीयाड़ा
10. मीन्डोलाइ क्रोसिंग से मन्टोन्डिया
11. आसोप से तीनवारी

परिशिष्ट 4

(सदन में प्रश्नकाल में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विद्यार्थियों को कन्सेशन पास देने का आधार

47. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में परिवहन निगम के कन्सेशन पास विद्यार्थियों को किस आधार पर दिये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों, खानपुर, अकलेरा मनोहरथाना आदि के विद्यार्थियों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं की जा रही है ?

(3) झालावाड़ डिपो से इस प्रकार के कुल कितने पास जारी किये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार कन्सेशन पास लम्बी दूरी के लिये नहीं दिये जाते हैं ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा विद्यार्थियों को कन्सेशन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (छात्र-कन्सेशन) विनियम, 1974 के अन्तर्गत दिये जाते हैं।

(2) जी नहीं। राजस्थान के सभी जिलों के छात्रों को उक्त विनियमों के अन्तर्गत रियायती दरों पर यात्रा सुविधा प्राप्त है।

(3) शैक्षणिक वर्ष 1976-77 से अब तक कुल 2108 कन्सेशन पास झालावाड़ आगार द्वारा दिये गये हैं।

(4) शहरी सेवाओं में नगरपालिका सीमा में छात्रों को अपने निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक जाने के लिये 5/- प्रति माह पर पास दिया जाता है। अन्य सेवाओं में 50 किलोमीटर दूरी तक 60 प्रतिशत छूट पर मासिक पास देय है। 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किराये में 50% छूट पर मासिक पास दिये जाते हैं।

विद्यार्थी भवन झुंझुनूं को अनुदान के रूप में दी गई राशि

48. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 15 वर्षों में अब तक विद्यार्थी भवन, झुंझुनूं को राज्य सरकार से कितना अनुदान किस किस कार्य के लिए दिया गया है ? वर्षवार लेखा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त अनुदान के सही उपयोग के लिए क्या राज्य सरकार इसके लेखे का आडिट भी करवाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्तमान में विद्यार्थी भवन के संचालक मण्डल में कौन कौन हैं ? उनकी नामावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री नवरंग सिंह)

(4) क्या यह सही है कि इसी भवन में कांग्रेस का कार्यालय भी कायम कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त भवन किसके कब्जे में था ?

(5) क्या यह सही है कि विद्यार्थी भवन के लिये जो अनुदान मिला है उसका सही उपयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो धनराशि के दुरुपयोग के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार विद्यार्थी भवन को 1968-69 में 30,000 रुपये एवं 1969-70 में 15,000 रुपये छात्रावास भवन के लिये रकम दी गई और 1972-73 में आवर्तक व्यय हेतु 2,000 रुपये दिये गये।

(2) राज्य सरकार उन संस्थाओं के लेखों का ही आडिट कराती है जो नियमित अनुदान सूची पर होते हैं।

(3) इस सम्बन्ध में संस्था से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(4) ऐसी कोई सूचना इस विभाग को उपलब्ध नहीं है।

(5) इस सम्बन्ध में सही स्थिति की जांच करवाई जा रही है।

ग्राम बीठूजा में आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

49. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बीठूजा तहसील पचपदरा (जिला बाड़मेर) में अनुसूचित जाति के लोगों के आवास की कठिनाई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस आवासीय समस्या के सम्बन्ध में सम्बन्धित परिवारों ने ग्राम पंचायत को अवगत कराते हुए आवासीय भू-खण्ड आवंटन करने की मांग की थी ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बीठूजा में आबादी के पास ही सरकारी जमीन खाली पड़ी है जिसे इन अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित किया जा सकता है ? अब तक इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तर से कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) अब कब तक इन परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। सरपंच व गांव वालों के झगड़े के कारण अब तक उक्त भूमि आवंटन किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

(4) जिलाधीश बाड़मेर को राज्य सरकार ने तार भेजकर परगना अधिकारी को मौके पर भेजकर आवासीय भू-खण्डों का मसला तुरन्त हल करने के निर्देश दिये हैं।

टोंक मालपुरा मार्ग पर चलने वाली बसों से असुविधा

52. श्री नारायण सिंह (मालपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक से मालपुरा मार्ग पर चलने वाली बसें समय पर नहीं चलती हैं और ड्राईवर व कन्डक्टर की इच्छानुसार चलती हैं एवं रास्ते में बिना किसी कारण खड़ी रहती हैं और इससे यात्रियों को परेशानी होती है तथा समय पर अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचने से यात्रियों को समय व धन की हानि होती है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? इसमें किसकी गलती व लापरवाही है? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

(2) क्या इसी मार्ग पर चलने वाली बसें वाया पीपलू होकर भी जाती हैं? यदि हां, तो कितनी बसें कौन कौन से समय पर जाती हैं और आती हैं? क्या चालक व परिचालक बसों को पीपलू नहीं ले जाते हैं और उनकी शिकायत की गई है? क्या राज्य सरकार ने ऐसे ड्राईवर व कन्डक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और दोषी पाये जाने पर दण्डित किया है?

(3) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर चलने वाली बसों के किराये में भी समानता नहीं है जब कि पीपलू का अधिक और भराने का कम है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(4) क्या राज्य सरकार को यह भी जानकारी है कि इस मार्ग पर चलने वाली निगम की बसें आये दिन खराब होती हैं, बसों की बाडी टूटी फूटी है, कई बसों में सीटें खराब हैं या हैं ही नहीं? टोंक बुकिंग आफिस में शिकायत पुस्तिका में इस मार्ग की कितनी शिकायत दर्ज हैं और उन पर राज्य सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी नहीं। टोंक मालपुरा मार्ग की सड़क इतनी खराब है कि इस मार्ग पर चलने वाले वाहन स्वत: अधिक ब्रेक डाउन होते हैं तथा ब्रेक डाउन होने की हालत में बसें अपने गन्तव्य स्थाम पर लेट पहुंचती हैं।

(2) जी हां। इस मार्ग पर कुल 11 बसें वाया पीपलू आती हैं व जाती हैं समय सारणी की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है। इस मार्ग पर बसें पीपलू नहीं ले जाने बाबत कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके संदर्भ में संबंधित चालकों/परिचालकों को चेतावनियां दी जाकर उन्हें भविष्य के लिये पाबन्द कर दिया गया है।

भारी वर्षा के कारण पानी से पीपलू जाने वाली सड़क किनारों पर से टूट जाने के कारण माह अगस्त, 77 के प्रारंभ में कुछ दिनों के लिये बसें वाया पीपलू नहीं जा सकीं। दिनांक 18-8-77 से अब बसें पूर्ववत इस मार्ग पर संचालित की जाने लगी हैं।

(3) टोंक, मालपुरा मार्ग पर पीपलू गांव नाथड़ी के स्टेण्ड से 4 कि. मी. अन्दर की ओर है। पीपलू गांव जाने के लिये बसों को नाथड़ी से 4 कि. मी. अन्दर जाकर वापस नाथड़ी पर ही आना पड़ता है जिससे आने व जाने के 8 कि. मी. अतिरिक्त

(यातायात मंत्री)

होते हैं। अतएव नाथड़ी से पीपलू का पृथक से किराया न्यूनतम 70 पैसे वसूल किया जाता है। ये अतिरिक्त 70 पैसे केवल उन यात्रियों से वसूल किये जाते हैं जो कि पीपलू गांव जाते हैं अथवा पीपलू से बैठते हैं। झरना स्टेण्ड नाथड़ी से आगे आता है जिसका किराया टौंक मालपुरा सीधे मार्ग की किराया तालिका के अनुपात से ही लिया जाता है। किराये में जो भिन्नता है वह उसी कारण है कि पीपलू गांव मुख्य स्टैण्ड से 4 कि. मी. अन्दर की ओर है जिसके लिये प्रत्येक बस को 8 कि. मी. अधिक चलना पड़ता है।

(4) टौंक आगार में कार्यशाला की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वाहनों का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। निगम को अब भूमि प्राप्त हो गई है एवं कार्यशाला निर्माणाधीन है व मार्च, 78 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। इस मार्ग पर वाहनों के ब्रेक डाउन का अधिक प्रतिशत सड़क खराब होने के कारण भी है। बसों की सीटों की मरम्मत आवश्यकतानुसार कर दी गई है।

पिछले दस महीनों में टौंक बुकिंग आफिस में इस मार्ग पर बसें निर्धारित समय से नहीं चलने बाबत तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वाहनों के निर्धारित समयानुसार संचालन हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, टौंक

समय सारिणी

टौंक से डिग्गी मालपुरा जाने वाली वाहनों का प्रस्थान समय

1.	0700	वाया पीपलू
2.	0830	वाया पीपलू
3.	1000	
4.	1130	
5.	1300	वाया पीपलू
6.	1430	वाया पीपलू
7.	1600	वाया पीपलू
8.	1700	वाया पीपलू
9.	1830	

मालपुरा–डिग्गी से टौंक जाने वाली वाहनों का प्रस्थान समय

	मालपुरा से		डिग्गी से	
1.	0700	वाया पीपलू	6. 0630	वाया पीपलू
2.	0830	वाया पीपलू	7. 1200	
3.	1030		8. 1500	वाया पीपलू
4.	1330		9. 1715	वाया पीपलू
5.	1800			

विभिन्न योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय की गई राशि

54. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने 56-57 से लेकर 76-77 तक कुल योजनाओं में विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया ? आंकड़ों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उन जिलों, जिन पर प्रति व्यक्ति बहुत कम व्यय होने के कारण बहुत ही पिछड़े हुये हैं, के विकास में दूसरे जिलों के मुकाबले में छटी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देकर अधिक विकास की योजनायें लेकर अधिक प्रावधान कर दूसरे जिलों के बराबर लाने का कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) तालिका संलग्न है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना बनाने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाईड लाइन्स) योजना आयोग से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इन गाईड लाइन्स के अन्तर्गत राज्य के पिछड़े हुए जिलों में अन्य जिलों के मुकाबले समुचित प्रावधान कर द्रुतगति से विकास हो सके इस पर विचार किया जायेगा।

राज्य योजनान्तर्गत व्यय

(1956–57 से 1976-77)

जिला	व्यय K लाखों रुपयों में	प्रति व्यक्ति व्यय* (रुपयों में)
1	2	3
1. अजमेर	2746	239
2. अलवर	2374	171
3. बांसवाड़ा	1298	198
4. बाड़मेर	956	123
5. भरतपुर	3092	208
6. भीलवाड़ा	2623	249
7. बीकानेर	2681	468
8. बूंदी	1210	269
9. चित्तौड़गढ	2197	232
10. चूरू	1458	167
11. डूंगरपुर	879	166
12. गंगानगर	5244	376

(140)

1	2	3
13. जयपुर	8869	357
14. जैसलमेर	520	311
15. जालोर	884	132
16. झालावाड़	1246	200
17. झुंझूनूं	1647	177
18. जोधपुर	3497	303
19. कोटा	5346	467
20. नागोर	1796	142
21. पाली	2284	235
22. सवाई माधोपुर	1806	151
23. सीकर	1831	176
24. सिरोही	992	234
25. टोंक	1234	197
26. उदयपुर	5460	303
कुल जिलेवार वितरित राशि	64170	249
कुल अवितरित राशि ×	50015	–

×व्यास (सिंचाई) राजस्थान नहर, चंबल, माही और जाखम वृहद योजनाओं, विद्युत् परियोजनाओं के (1971-72 से 1976-77 तक) तथा ऐसी योजनाओं पर किया गया व्यय जिससे व्यक्तिगत जिले लाभान्वित नहीं होते हैं।

*जन संख्या जन गणना 1971 पर आधारित है।

K वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के आवंटन सम्मिलित किये गए हैं।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को उधार दी गई राशि

55. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा के मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को 1975-76 व 1976-77 में कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार व राजस्थान सरकार तथा बैंकों से उधार दी गई?

(2) यह धनराशि किन कारणों से दी गई थी?

(3) क्या इस धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया गया जिसके लिए उन्हें मिली थी? यदि हां, तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा को इन वर्षों में धनराशि

(उद्योग मंत्री)

उधार नहीं दी गई। केन्द्रीय सरकार तथा बैंकों द्वारा उधार दी गई राशि की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

जालौर एवं सिरोही के सुरक्षित वन

57. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर व सिरोही में कितने सुरक्षित वन हैं और इसमें कहां-कहां भागलियों के रूप में पशुपालकों के स्थान हैं ?

(2) क्या सूदा पर्वत (जालौर पर) भी ऐसी मोती रेवारी की भागली है ?

(3) क्या हर साल क्लोजर, पहाड़ आदि लेते वक्त पशुपालकों का उसकी संख्या के हिसाब से ध्यान रखा जाता है ?

(4) क्या इन क्लोजरों से वन सम्पदा में वृद्धि हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या जागीर पुनर्ग्रहण होते वक्त इन दोनों जिलों में जोड़, ओरण, आमोर, गोचर, घास के बीड़ों को वन विभाग को सौंपी गई थी ? यदि हां, तो उस भूमि का क्या हुआ ?

(6) क्या गाय, बकरी, भेड़, भैंस और अन्य पशुओं को चराने की छूट देने से वनों को नुकसान होता है ?

(7) क्या घास के बीड़ों से प्रति वर्ष घास कटवाई जाती है और संग्रहीत की जाती है ?

(8) क्या ऐसे घास के बीड़ डेयरी आदि को आवंटित किये गये परन्तु डेयरी वालों के पास अपने पशु नहीं हैं और वे उसमें काश्त करवाते हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन से बीड़ हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) वन विकास हेतु क्लोजर बनाते समय स्थानीय परिस्थितियों का यथासंभव ध्यान रखा जाता है।

(4) जी हां।

(5) जागीर पुनर्ग्रहण के समय जालौर जिले में केवल पाले बीड़ वन विभाग को सौंपी गई थी जिसमें नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर मवेशी चराई के लिये छोड़े जाते हैं।

(6) जी हां।

(7) जी नहीं।

(8) जी हां। जालौर जिले के जुजाणी बीड़ का 1000 एकड़ रकबा डेयरी विकास हेतु राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किया गया था, किन्तु अभी तक पार्टी ने लीज डीड नहीं भरी है अतः उन्हें कब्जा नहीं दिया गया और बीड़ को गत वर्ष रु. 4000/- में नीलाम किया गया तथा इस वर्ष भी नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

Page No 142

(142)

सिरोही वन मण्डल (जिला सिरोही व जालौर) में भागलियों की स्थिति

क. सं.	जिला	नाम वन खण्ड	वैधानिक स्थिति	भागयियों की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	सिरोही	बीड़ बड़ गांव	आरक्षित वन	शून्य
2.	,,	नवारा	,,	,,
3.	,,	रोबाड़ा	,,	,,
4.	,,	पोसालिया	,,	,,
5.	,,	सिखोका जोड़	,,	,,
6.	,,	आड़ा खेड़ा	,,	,,
7.	,,	कूकड़ी खेड़ा	,,	,,
8.	,,	ओड़ा	,,	,,
9.	,,	बीड़ पुरानानादिया	,,	,,
10.	,,	बीड़ बिसना	,,	,,
11.	,,	बीड़ बिलर	,,	,,
12.	,,	बीड़ पनरवा	,,	,,
13.	,,	बीड़ बिछुआ	,,	,,
14.	,,	बीड़ रामपुरा	,,	,,
15.	,,	बीड़ धबला	,,	,,
16.	,,	बीड़ नितोड़ा	,,	,,
17.	,,	बीड़ खादलवा	,,	,,
18.	,,	बीड़ रोहिड़ा	,,	,,
19.	,,	बीड़ जनापुरा	,,	,,
20.	,,	बीड़ खिबेरा	,,	,,
21.	,,	बीड़ पींडवाड़	,,	,,
22.	,,	बीड़ फलावाड़ कालेडा	,,	,,
23.	,,	बीड़ धरला बीरोली	,,	,,
24.	,,	बीड़ चोटवा	,,	,,
25.	,,	मुगथला	,,	,,
26.	,,	क्यारा	,,	,,
27.	,,	कुईखातपुरा	,,	,,
28.	,,	सालना तरतोली	,,	,,
29.	,,	टुका रेरना	,,	,,
30.	,,	प्राईवेट रेबर कला खुर्द	,,	,,
31.	,,	देलदर	,,	,,

1	2	3	4	5
32.	सिरोही	कींवरली	आरक्षित वन	शून्य
33.	,,	भैसासिग	,,	,,
34.	,,	ओड	,,	,,
35.	,,	आबू नं. 1 बी	,,	,
36.	,,	किबरली जोड	,,	,,
37.	,,	सकोडा कलेहपुर	,,	,,
38.	,,	मारजर	,,	,,
39.	,,	आमथला	,,	,,
40.	,,	आबू नं. 1 पार्ट ए	,,	,,
41.	,,	ओरिया अचलगढ़	,,	,,
42.	,,	चंदेला अम्बाबेरी	,,	,,
43.	,,	तोणा सरलगांव	,,	,,
44.	,,	राजल	,,	,,
45.	,,	लीज	,,	,,
46.	,,	बालंदा	,,	,,
47.	,,	मावला गोढ़	,,	,,
48.	,,	नला	,,	,,
49.	,,	चोटिया राइबर	रक्षित वन	चुली की भागली, अरठवाडा भागली,
50.	,,	मातरमाता	,,	बिजेरा, मन्डोर, बोकी मांडवाडा, गोईली वड की भागली, सिगोतरी मोरली, बेरा बिलपुर।
51.	,,	मालक हाडिया	,,	– –
52.	,,	लाश जाडोली	,,	– –
53.	,,	डबैला राजल	,,	गोई, मातरोडा, पानी की भागली, रामपुरा की भागली
54.	,,	आबू नं. 2	,,	उथमण, बाबूली, अतराई, क्यारा, डिहूल, छांया, बेरा की भागलिया

Page No 144

(१४४)

1	2	3	4	5
55.	सिरोही	पहाड कला	रक्षित वन	शून्य
56.	,,	जंगल नादिया	,,	,,
57.	,,	केर	,,	,,
58.	,,	नया नादिया बीड़	,,	,,
59.	,,	आरनुआ	,,	,,
60.	,,	भारजा	,,	,,
61.	,,	लोटाना	,,	,,
62.	,,	पाड़ोरी देसूरी	,,	,,
63.	,,	रामेश्वर	,,	,,
64.	,,	पुराना नादिया	,,	,,
65.	,,	आबू नं. 3	,,	ठतरज, हाल, पाटलाबा, खाबराया, धवली की भागलिया
66.	,,	दरबारी खेड़ा	,,	शून्य
67.	,,	भिरजजिरावल	,,	खास का खड़ाभागल, अनापुरा की भागल
68.	,,	राहूआबडवेंज	,,	शून्य
69.	,,	कृष्णा गंज	,,	,,
70.	,,	भीरपुर	,,	,,
71.	,,	सिदरथ सावल	,,	,,
72.	,,	मुत्या मगरी	,,	,,
73.	,,	पादर भटाना	,,	,,
74.	,,	मुलाबगंज	,,	,,
75.	,,	अतार खाडा	,,	,,
76.	,,	अखाबा	,,	,,
77.	,,	काना कोलर	,,	,,

सिरोही वन मण्डल (जिला सिरोही व जालौर) में भागलियों की स्थिति

क्रम. सं. 1	जिला 2	नाम वन खण्ड 3	वैधानिक स्थिति 4	भागलियों की स्थिति 5
1.	जालौर	खूढा	आरक्षित	शून्य
2.	,,	धूला	,,	,,

Page No 145

1	2	3	4	5
3.	जालौर	जीविका	आरक्षित	शून्य
4.	,,	विकला	,,	,,
5.	,,	डोरड़ा	,,	,,
6.	,,	ह्रातिमताई	,,	,,
7.	,,	जुजाड़ी	,,	,,
8.	,,	राजनवाड़ी	,,	,,
9.	,,	जालोर ब्लोक	,,	,,
10.	,,	सरदारपुरा	,,	,,
11.	,,	कुडिखड़ियान	,,	,,
12.	,,	पाल जोड़	,,	,,
13.	,,	भदरा जून	,,	,,
14.	,,	भंजातड़ा	,,	,,
15.	,,	जसवन्तपुरा	,,	,,
16.	,,	पाल	,,	,,

ग्राम डेंचा की प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत करने के लिये प्रतिवेदन

58. श्री नंदलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डेंचा तहसील सागवाड़ा के निवासियों ने प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिये कई प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये हैं ?

(2) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या अब भी राज्य सरकार उनके प्रार्थना-पत्र पर गौर करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शाला क्रमोन्नत कर दी गई है।

(3) शाला क्रमोन्नत की जा चुकी है।

राज्य में सीमेन्ट के कारखाने लगाने की योजना

59. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के मुख्य मंत्री राजस्थान में तीन सीमेन्ट के कारखाने जल्दी लगाने हेतु कार्यवाही में तत्परता लाने के लिए प्रधान मंत्री से मिले थे जिसमें से दो कारखाने पाली जिले के अन्दर लगाये जाने की सम्भावना है ?

(श्री शंकर लाल)

(2) यदि हां, तो मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच वार्ता के पश्चात् क्या कोई आखिरी निर्णय लिया गया या नहीं ?

(3) पाली जिले में यह कारखाने किन किन स्थानों पर लगाये जाने की योजना है और उस पर कितनी लागत लगेगी जिसमें किन किन व्यक्तियों अथवा कम्पनियों का क्या-क्या पार्ट होगा और सरकार का क्या पार्ट होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) यह कारखाने निजी क्षेत्र में प्रार्थना-पत्र आने पर लगेंगे । वैसे रास (पाली) क्षेत्र में चूने का अथाह भंडार है जहां सीमेन्ट के दो कारखाने लग सकते हैं । लागत, व्यक्तियों का पार्ट इत्यादि प्रश्नों पर प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ही सोचा जा सकता है ।